August 2022

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Jupiter through James Webb telescope

New Ramsar sites of India

Tomato Flu

Pingali Venkaiah /Aurobindo Ghosh

China-Taiwan issue

हिंदी

IAS BABA

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) 2023

Most Comprehensive Prelims CLASSROOM Program

Starts 10th November

English Only & Bilingual Batches

ADMISSIONS OPEN

DIWALI Festival Sale

OFFER VALID TILL 31st OCT

ONLINE & OFFLINE LIVE

- 1:1 Mentorship
- 375+ Hours of Prelims Focused Classes
- Strategy Classes by Prelims Experts
- High RoI Prelims Exclusive Handouts
- 125+ Daily Tests (Solve ≈ 6000 MCQ's)
- CSAT Classes by Experts & Full Length Tests
- PYQ's Live Solving by Prelims Experts
- Current Affairs - Classes, Handouts & Tests

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

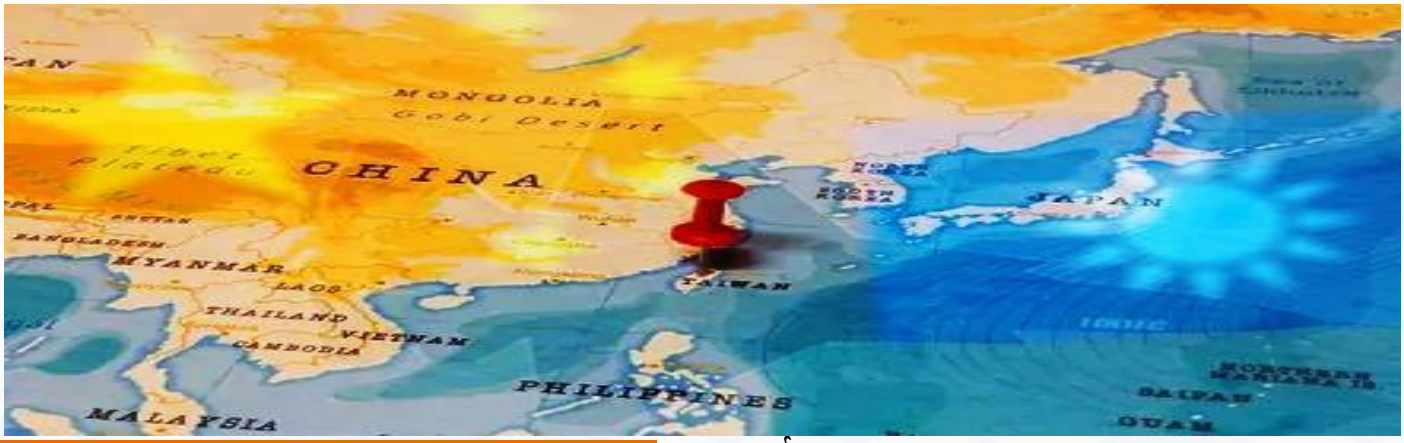

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- चुनावी बांड/ इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral bonds)
- ईशनिंदा और हेट स्पीच के बीच अंतर करने की आवश्यकता
- संसद सत्र के दौरान सांसदों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट नहीं
- भारत के उपराष्ट्रपति
- गोवा की नागरिक संहिता
- आवश्यक वस्तु अधिनियम
- निदान पोर्टल - गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस
- रेसिफे राजनीतिक घोषणा (Recife Political Declaration)
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23
- सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT)
- अर्थ गंगा (Arth Ganga)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- यूरेशिया को नजदीक लाना
- संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1267 (UN Resolution 1267)
- संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि

अर्थव्यवस्था

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- कर-जीडीपी अनुपात (Tax to GDP ratio)
- सार्वजनिक बनाम निजी वस्तुएँ
- ओवर लीवरेज्ड
- मूनलाइटिंग (Moonlighting)

भूगोल

- ताइवान जलडमरूमध्य, पीला सागर और बोहाई सागर
- अनंग ताल झील
- माल्विनास द्वीप (Malvinas Island)
- ज़ोंबी बर्फ (Zombie ice)

पर्यावरण

- अग्रणी लोगों द्वारा संचालित जलवायु कार्रवाई: "पर्यावरण के लिए जीवन शैली" (LiFE)
- भारत ने रामसर स्थलों के रूप में नामित 10 और आर्द्रभूमियों को जोड़ा
- भारत रामसर साइटों की सूची में 11 और आर्द्रभूमियों को जोड़ा
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

समाज और सामाजिक मुद्दे

- मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना / नमस्ते योजना
- विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना

सुरक्षा

- वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
- INS विक्रांत

विज्ञान –प्रौद्योगिकी

- इसरो SSLV की पहली उड़ान शुरू करेगा
- अल्फाफोल्ड (AlphaFold)
- कॉटन लीफ कर्ल डिजीज (CLCuD)
- हेलफायर R9X मिसाइल (Hellfire R9X missile)
- लम्पी स्किन डिजीज (ढेलेदार त्वचा रोग)
- AGM-88 HARM
- लैंग्या (Langya)
- सेना को सौंपी गई नई रक्षा प्रणालियां
- बायोसेंटिनल (BioSentinel)
- पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सबस्टेंस (Per- and Polyfluoroalkyl Substances-PFAs)
- राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)
- चेहरे की पहचान तकनीक (Facial recognition technology)
- नेबुलर गैस की स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच (Spectrographic Investigation of Nebular Gas – SING) प्रोजेक्ट

- वेब टेलीस्कोप के माध्यम से बृहस्पति
- जोरावर टैंक (Zorawar tank)
- भारत अगली वैश्विक ग्लोबल सास कैपिटल बनने की ओर अग्रसर (India poised to become next global SaaS capital)
- आर्टेमिस 1 (Artemis 1)
- डार्क मैटर (Dark matter)
- अफ्रीकन स्वाइन फीवर (African swine fever)

विविध

- टोमैटो फ्लू (Tomato Flu)
- सदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस
- मिथिला मखाना हेतु GI टैग

Mains

राजव्यवस्था और शासन

- जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना
- RTI अधिनियम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की वापसी
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज
- अध्यादेश (Ordinance)
- जिला स्तर पर अल्पसंख्यक
- नाबालिगों की संरक्षकता और दत्तक-ग्रहण
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022
- इच्छामृत्यु (Euthanasia)
- विषम संघवाद
- लोक अदालत (Lok Adalat)
- क्षमा (Remission)
- फ्रीबीज (Freebies)
- श्रम सुधार (Labour Reforms)
- विधायकों की अयोग्यता (Disqualification of MLAs)
- भारत की 'गेहूं माफी' की मांग जोखिम से भरी हुई है
- उत्तर-पूर्वी राज्यों का एकीकरण
- आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकेज

अर्थव्यवस्था

- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV)
- केरल द्वारा MMDR अधिनियम में बदलाव का विरोध
- बिजली (संशोधन) विधेयक 2022
- भारत का सौर ऊर्जा लक्ष्य
- डिजिटल लेंडिंग मानदंड (Digital Lending Norms)
- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)
- विशेष आर्थिक क्षेत्र
- इथेनॉल ब्लेंडिंग (Ethanol blending)
- भारत में फिनटेक विनियमन
- PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- भारत का अद्वितीय रोज़गार संकट
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम
- प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत-मालदीव
- ताइवान पर अमेरिका-चीन में संघर्ष
- भारत-यूरोपीय संघ के संबंध
- चाबहार बंदरगाह को पुनः जीवंत करना
- भारत-नेपाल
- अंटार्कटिक विनियमन (Antarctic Regulation)
- भारत एक विदेश नीति का नेता और संतुलनकर्ता के रूप में

इतिहास और कला एवं संस्कृति

- भारत छोड़ो आंदोलन

भूगोल

- सूखा (Drought)
- बादल फटना (Cloudbursts)
- अल नीनो और ला नीना (El Nino and La Nina)

पर्यावरण

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021
- तटीय विनियमन क्षेत्र
- आर्कटिक वार्मिंग (Arctic warming)
- यूरोप में भीषण सूखा (Europe's great drought)

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

- देश में महिला वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ना
- राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य मिशन
- जन्म के समय भारत का लिंगानुपात थोड़ा सामान्य होता जा रहा है
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट

सुरक्षा संबंधित मुद्दे

- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022
- बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम (2016)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- 5G स्पेक्ट्रम की नालामी
- 3D प्रिंटिग
- भारत में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म

अभ्यास प्रश्न

KEY ANSWERS

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

चुनावी बांड/ इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral bonds)	**चर्चा में क्यों :** इस सत्र इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिया गया दान 10,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है, रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच राजनीतिक दलों को कुल 389.5 करोड़ रुपये चंदा भी मिला है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड की 21वीं सेल के जरिये प्राप्त हुआ है। • इसके साथ, पार्टियों द्वारा एकत्र की गई कुल राशि वर्ष 2018 के बाद से 21 चरणों में वेरियस एनोनिमस डोनर्स (various anonymous donors) से 10,246 करोड़ रुपये हो गई है जब ईबी योजना शुरू की गई थी। • केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं, और जिन्होंने लोक सभा के लिए पिछले आम चुनाव में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया है या विधान सभा, जैसा भी मामला हो, चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। **चुनावी बांड्स / इलेक्टोरल बांड** • यह राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। • इन बांड्स के लिए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किया जाता है। • भुनाने के लिए 'भारतीय स्टेट बैंक' को अधिकृत किया गया है। यह बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के लिए वैध होते हैं। • ये बॉन्ड किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। • ये बांड, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते है, बशर्ते उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। • कोई व्यक्ति, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इन बांड्स को खरीद सकता है। • बांड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं होता है। • दान देने वाला जो 20,000 रुपये से कम योगदान करते हैं। चुनावी बांड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को अपनी पहचान का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। • चुनावी बांड योजना के पीछे केंद्रीय विचार भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था।
ईशनिंदा और हेट स्पीच के बीच अंतर करने की	**ईशनिंदा और हेट स्पीच क्या है?** • ईशनिंदा को "अपमान करने या अवमानना या ईश्वर के प्रति श्रद्धा की कमी दिखाने का कार्य" के रूप में परिभाषित किया गया है।

आवश्यकता	• हेट स्पीच एक अपमानजनक या धमकी भरा भाषण या लेखन है जो विशेष रूप से जाति, धर्म या यौन अभिमुखीकरण के आधार पर किसी विशेष समूह या व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह व्यक्त करता है। **भारत में कानून** **आईपीसी की धारा 295 (A)** • हालाँकि, भारत में ईशनिंदा के खिलाफ कोई औपचारिक कानून नहीं है। • भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (A) को ईशनिंदा कानून के निकटतम समकक्ष माना जा सकता है, यह किसी भी भाषण, लेखन या संकेत जो "पूर्व नियोजित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से" नागरिकों के धर्म या उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान करते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह एक दंडनीय अपराध हैं, जिसमे जुर्माना और 03 साल तक के कारावास का प्रावधान शामिल है। • धारा 295 (A) की वैधता, जिसे रामजी लाल मोदी मामले (1957) में चुनौती दी गई थी, की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने की थी। • सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि जहां अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन की अनुमति देता है, वहीं धारा 295 (A) के तहत सज़ा ईशनिंदा के गंभीर रूप से संबंधित है जो किसी भी वर्ग की धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से की जाती है। **कानून की व्याख्या कैसे की गई है?** • अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिये गए भाषण और इसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच की कड़ी का आईपीसी की धारा 295 (A) के बीच घनिष्ठ संबंध है। • इसके अलावा वर्ष 2011 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल भाषण जो "आसन्न गैरकानूनी कार्रवाई के लिये उकसाने" के बराबर है, को दंडित किया जा सकता है। **क्या ईशनिंदा कानूनों और अभद्र भाषा कानूनों में अंतर होना चाहिए?** • धारा 295(A) की शब्दावली काफी व्यापक है। • दुर्भाग्य से इस स्पष्टीकरण और वास्तविक शब्दों के बीच एक बड़ी असमानता है जिसके कारण प्रशासन के सभी स्तरों पर कानून का अभी भी शोषण किया जा रहा है।
संसद सत्र के दौरान सांसदों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट नहीं	**चर्चा में क्यों :** राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन में स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में सांसदों के विशेषाधिकार नहीं होते हैं। संसद सत्र के दौरान सदस्यों को ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से छूट नहीं है। • उन्होंने कहा कि सांसद कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन से बच नहीं सकते। **संविधान के अनुच्छेद 105 में कहा गया है:** • इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन, संसद में भाषण की स्वतंत्रता होगी। • संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या उसके द्वारा दिए गए वोट के संबंध में संसद का कोई भी सदस्य किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, • अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं। **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135A** • यह संसद, विधान सभाओं और परिषदों के सिविल प्रक्रिया सदस्यों, ऐसे सदन की चल रही बैठक या समिति के सदस्यों और ऐसी बैठक, बैठक या सम्मेलन से पहले और बाद में 40 दिनों के दौरान गिरफ्तारी और हिरासत से छूट देता है। • इसमें यह भी कहा गया है कि सदन के स्थगन के 40 दिन पहले और बाद में और सदन के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

	• किसी भी सदस्य को जिस सदन से वह संबंधित है उसकी अनुमति के बिना संसद के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। **सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:** • जुलाई 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार द्वारा अपने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने वर्ष 2015 में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट और विधानसभा में बजट भाषण को बाधित किया था। • केरल सरकार ने यह तर्क देते हुए संसदीय विशेषाधिकार का दावा किया था कि घटना विधानसभा हॉल के अंदर हुई थी। याचिकाकर्त्ता ने आपराधिक अभियोजन हेतु छूट का दावा प्रस्तुत किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से पहले अध्यक्ष की पूर्व मंज़ूरी आवश्यक थी। • लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो विधायक तोड़फोड़ और सामान्य तबाही में लिप्त हैं, वे संसदीय विशेषाधिकार और आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं, और इसे "बर्बरता आवश्यक विधायी कार्रवाई" नहीं कहा जा सकता है। • न्यायालय ने यह भी माना कि विधानसभा में तोड़फोड़ की तुलना विपक्षी विधायकों के विरोध के अधिकार से नहीं की जा सकती।
भारत के उपराष्ट्रपति	**चर्चा में क्यों :** भारत के राष्ट्रपति ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। **उपराष्ट्रपति (VP)** • भारत में, उप-राष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। • उन्हें प्रधानता के आधिकारिक वारंट में भारत के राष्ट्रपति के बाद अगला स्थान दिया गया है। **चुनाव** उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज निम्नलिखित दो मामलों में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज से अलग है: • इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं (राष्ट्रपति के मामले में, केवल निर्वाचित सदस्य)। • इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं (राष्ट्रपति के मामले में, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं)। **योग्यता** उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी चाहिए: • भारत का नागरिक होना चाहिए। • 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये। • राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये। • केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये। **संविधान उपराष्ट्रपति के कार्यालय की निम्नलिखित दो शर्तें निर्धारित करता है:** • उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। • उसे लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करना चाहिए। **कार्यालय की शर्तें** • भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। • उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से त्यागपत्र दे सकता है जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है।

	• उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया भी जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। • इसका मतलब है कि यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। • इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। • वीपी को हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। • वीपी अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पांच वर्ष की अवधि के बाद भी पद धारण कर सकता है। वह उस पद के लिए फिर से चुने जाने के भी पात्र हैं। • संविधान ने वीपी के लिए उस क्षमता में कोई परिलब्धियां तय नहीं की हैं। • वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। **उपराष्ट्रपति के कार्य दो प्रकार के होते हैं:** • वह राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। • इस हैसियत से उनकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान हैं। • वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति के कार्यालय में उनके इस्तीफे, हटाने, मृत्यु या अन्यथा के कारण रिक्ति होती है। • वह केवल छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाना है। • इसके अलावा, जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन तब तक करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय को फिर से शुरू नहीं करता है। • राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए, उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। • इस अवधि के दौरान, उन कर्तव्यों का पालन राज्य सभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है।
गोवा की नागरिक संहिता	**संदर्भ:** 1867 का पुर्तगाली सिविल कोड, जिसे गोवा का तथाकथित "कॉमन सिविल कोड" कहा जाता है, फिर से चर्चा में है। **स्वतंत्रता पूर्व** • पुर्तगालियों ने देश के तटीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और कोचीन में अपनी राजधानी के साथ एस्टाडो पुर्तगाली दा इंडिया (भारत का पुर्तगाली राज्य) की स्थापना की, जिसे बाद में गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया। • उन्होंने पारिवारिक संबंधों से संबंधित स्थानीय रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में, गोवा, दमन और दीव के धर्म-आधारित प्रथागत कानूनों के तीन अलग-अलग कोड बनाए। • 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता को 18 नवंबर, 1869 के एक शाही फरमान द्वारा गोवा, दमन और दीव तक विस्तार किया गया था, यह घोषणा करते हुए कि कोड स्थानीय प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अधीन मूल निवासियों पर लागू होगा "जहां तक कि वे नैतिकता या सार्वजनिक व्यवस्था के साथ असंगत नहीं हैं।" • प्रथागत कानून की तीन स्थानीय संहिताओं को बाद के वर्षों में तदनुसार संशोधित किया गया। • 1910 में, पुर्तगाली संसद ने दो नागरिक विवाह और तलाक के फरमान बनाए और 1946 में कैथोलिकों के लिए एक विहित विवाह डिक्री लागू की। • इन सभी का विस्तार गोवा, दमन और दीव तक भी किया गया था।

	• पुर्तगालियों द्वारा घरेलू और अधिकृत भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया पारिवारिक कानून इस प्रकार एक यूनिफॉर्म कोड नहीं था बल्कि नागरिक और धार्मिक कानूनों का एक ढीला समूह था। **स्वतंत्रता के बाद** • स्वतंत्रता के 14 साल बाद, गोवा और उसके संबद्ध क्षेत्रों को मुक्त कर दिया गया और केंद्रीय शासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory-UT) में बदल दिया गया। • 1962 के गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम ने घोषित किया कि इन क्षेत्रों में उनकी मुक्ति से पहले लागू सभी कानून "एक सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक" जारी रहेंगे। • हालांकि, मुक्ति-पूर्व पारिवारिक कानूनों में से कोई भी संशोधित या निरस्त नहीं किया गया था। • न ही परिवार के अधिकारों पर कोई केंद्रीय कानून, जिसमें 1955-56 के चार हिंदू कानून अधिनियम शामिल हैं, को तीनों क्षेत्रों में से किसी पर भी लागू नहीं किया गया था। **पुराना कानून (Outdated law)** • विदेशी मूल के एक पुराने कानून केमिथक को अब गोवा के सभी निवासियों को पूरी तरह से कॉमन सिविल कोड के रूप में सेवा देने की आवश्यकता है। • इसके अलावा, भारत की आजादी के 75 साल बाद एक सदी पुराने 'पुराने कानून' को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। • ऐसा लगता है कि देश के बाकी हिस्सों में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य नागरिक कानूनों को गोवा, दमन और दीव में समान समुदायों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। **अवश्य पढ़ें: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)**
आवश्यक वस्तु अधिनियम	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अरहर दाल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम1955:** **पृष्ठभूमि:** • ECA अधिनियम, 1955 ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था। • खाद्य पदार्थों की ज़माखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिये वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था। **विशेषताएँ** • **उद्देश्य:** ECA 1955 का उपयोग केंद्र को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण को सक्षम करने की अनुमति देकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है। • आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। • धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है। • केंद्र, यदि संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप में अधिसूचित कर सकता है। • **कानूनी क्षेत्राधिकार:** अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, अधिनियम को लागू करता है। • किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक की सीमा लगा सकती है। **आवश्यकवस्तुअधिनियम1955 से संबंधित मुद्दे:**

	• आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ECA 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप अक्सर कृषि व्यापार को विकृत करता है जबकि मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी होता है। • इस तरह के हस्तक्षेप से रेंट सीकिंग और कुप्रबंधन के अवसर बढ़ते' हैं। रेंट सीकिंग अर्थशास्त्रियों द्वारा भ्रष्टाचार सहित अनुत्पादक आय का वर्णन करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। • व्यापारी अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम खरीदारी करते हैं और किसानों को अक्सर खराब होने वाली फसलों के अतिरिक्त उत्पादन के दौरान भारी नुकसान होता है। • इसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहा था। • इन मुद्दों के चलते संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020पारित किया। हालाँकि किसानों के विरोध के कारण सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा।
निदान पोर्टल - गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस	**चर्चा में क्यों :** गिरफ्तार किए गए नार्को अपराधियों पर अपनी तरह का पहला डेटाबेस 'निदान' नाम का भारत का पहला पोर्टल चालू हो गया है। • निदान या गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा विकसित किया गया है। • यह नारकोटिक्स समन्वय तंत्र (एनसीओआरडी) पोर्टल का हिस्सा है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। • यह प्लेटफॉर्म अपने डेटा को ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) और ई-जेल (एक क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन) रिपॉजिटरी से प्राप्त करता है। इसे भविष्य में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के साथ एकीकृत करने की योजना है। • ICJS, सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की एक पहल, अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए बनाई गई थी। • यह सभी मादक पदार्थों के अपराधियों के संबंधित डेटा के लिए एक ही स्थान पर समाधान है। यह जांच एजेंसियों को नशीले पदार्थों के मामलों की जांच के दौरान विभिन्न पहलुओं एक साथ जोड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में मदद करेगा। • निदान उन अभियुक्तों के बारे में डेटा होस्ट करता है जिन्हें ड्रग अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, खपत, अंतर-राज्यीय आयात और निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या किसी भी नशीले पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ के परिवहन में शामिल हैं। • कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से ड्रग अपराधी के संबंध में अपराध इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, उंगलियों के निशान, अदालती मामलों और की गई अपील आदि की खोज कर सकती है। • अधिकारीयों के अनुसार, पोर्टल पर 'आपराधिक नेटवर्क' नामक एक विशिष्ट सुविधा को एजेंसियों द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है, जिसके हिस्से के रूप में अन्य अपराधों के लिए एक आरोपी के विशिष्ट लिंक, पुलिस की प्राथमिकी और जेल में उनसे मिलने वालों का भी पता लगाया जा सकता है।
रेसिफे राजनीतिक घोषणा (Recife Political Declaration)	**चर्चामेंक्यों :** "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन: कार्यबल 2030" पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक रणनीति के अनुरूप, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सों की सभी श्रेणियों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। **स्वास्थ्यकेलिएमानवसंसाधनपरवैश्विकरणनीति: कार्यबल2030** • मई 2014 में, 67वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन पर रेसिफ़े राजनीतिक घोषणा के अनुवर्ती के रूप में इस संकल्प को अपनाया।

	• सदस्य देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक से स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (HRH) के लिए एक नई वैश्विक रणनीति विकसित करने और 69वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। • स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन पर वैश्विक रणनीति: कार्यबल 2030 मुख्य रूप से सदस्य राज्यों के योजनाकारों और नीति-निर्माताओं के उद्देश्य से है। • हालांकि, इसकी सामग्री स्वास्थ्य कार्यबल क्षेत्र में सभी प्रासंगिक हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। • जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ता, पेशेवर संघ, शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, श्रमिक संघ, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास भागीदार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज शामिल हैं। • यह ढांचा गुणवत्ता, एकीकृत, जन-केंद्रित, स्वास्थ्य-प्रचारक, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता दक्षताओं की पहचान करता है। • यह नीति और शासन संरचनाओं, स्वास्थ्य प्रणाली के बुनियादी ढांचे, और शिक्षा कार्यक्रमों और अवसरों के लिए सिफारिशों सहित प्रभावी अंतर-पेशेवर सहयोगात्मक अभ्यास के लिए आवश्यक प्रमुख सिद्धांत प्रदान करता है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23	**इसके बारे में** • हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वर्ष 2022-23 के लिए सॉवरेन गोल्ड बांड किश्तों में जारी करने का निर्णय लिया है। • SGB योजना नवंबर 2015 में गोल्ड की फिजिकल मांग को कम करने और गोल्ड की खरीद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। • सरकारी प्रतिभूति (Government Securities-GS) अधिनियम, 2006 के तहत स्वर्ण बांड भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाते हैं। • ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाते हैं। • बांड वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से बेचे जाते हैं। • बांड व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं। • **निर्गम मूल्य:** गोल्ड बॉन्ड की कीमतें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion and Jewellers Association-IBJA), मुंबई द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता (24 कैरेट) के सोने की कीमत से जुड़ी हैं। • इस योजना पर 2.5% प्रति वर्ष की एक निश्चित दर लागू है, जो अर्ध-वार्षिक देय है। • स्वर्ण बांड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार कर योग्य होगा। **निवेश सीमा:** • न्यूनतम अनुमेय निवेश 1 ग्राम सोना है। • खुदरा (व्यक्तिगत) निवेशकों और एचयूएफ के लिए ऊपरी सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 4 किलोग्राम (4,000 यूनिट) है। ट्रस्ट और इसी तरह की संस्थाओं के लिए, प्रति वित्तीय वर्ष 20 किलोग्राम की ऊपरी सीमा लागू होती है। **शर्त** • स्वर्ण बांड आठ साल की परिपक्वता अवधि के साथ होते हैं, जिसमें पहले पांच वर्षों के बाद निवेश से बाहर निकलने का विकल्प होता है। • बांडों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। • किसी व्यक्ति को SGB के छुटकारे पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ कर में छूट दी गई है।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT)	**चर्चा में क्यों :** रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (**Armed Forces Tribunal-AFT**) को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने और इस दिशा में आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में** • इसकी स्थापना अगस्त 2009 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 द्वारा की गई थी। • यह एक सैन्य न्यायाधिकरण है जिसके पास कमीशन, नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्यायनिर्णयन या परीक्षण की शक्ति है। • नई दिल्ली में प्रधान पीठ के अलावा, एएफटी की 10 क्षेत्रीय पीठें हैं। **संरचना** • यह न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ प्रशासनिक सदस्यों से बना है। • न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। • प्रशासनिक सदस्य के सेवानिवृत्त सदस्य हैं ○ सशस्त्र बल जिन्होंने तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए मेजर जनरल / समकक्ष या उससे ऊपर का पद धारण किया हो; या • जज एडवोकेट जनरल (Judge Advocate General-JAG) जिन्हें इस पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो। **शक्ति/क्षेत्राधिकार** • ट्रिब्यूनल को कोर्ट-मार्शल या किसी भी संबंधित मामले द्वारा पारित किसी भी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या सजा के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने का अधिकार है। • इसे सैन्य हिरासत में बंद आरोपी को जमानत देने का भी अधिकार है। • ट्रिब्यूनल के पास कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने की शक्तियाँ हो सकती हैं। यह शायद: ○ पूरे या वाक्य के किसी भी भाग को शर्तों के साथ या उसके बिना छोड़ देने ; ○ दी गई सजा को कम करने ○ ऐसी सजा को किसी भी कम सजा में बदल देने या कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को बढ़ा देने । • सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं। **अन्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार** • जनवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के फैसलों को उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। • मार्च 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007संविधान के अनुच्छेद 227(4) के तहत उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पर्यवेक्षण को बाहर करता है। • हालांकि, यह अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक अधीक्षण और अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है। **अवश्यपढ़ें: लंबित मामले + मध्यस्थता विधेयक, 2021**
अर्थ गंगा (Arth Ganga)	**चर्चा में क्यों :** स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह **2022** में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा अर्थ गंगा मॉडल का उल्लेख किया गया था। **अर्थ गंगा संकल्पना** • भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान इस अवधारणा को पेश किया, जहां उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना नमामि गंगे से "अर्थ गंगा के मॉडल" में बदलाव का आग्रह किया। • • इसका उत्तरार्द्ध नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके, जो गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। • इसके मूल में, अर्थ गंगा मॉडल लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करना चाहता है। **विशेषताएँ**

अर्थ गंगा मॉडल के तहत सरकार छह कार्यक्षेत्रों पर कार्य कर रही है।

- पहला शून्य बजट प्राकृतिक कृषि है, जिसमें नदी के दोनों ओर 10 किमी पर रासायनिक मुक्त खेती और गोवर्धन योजना के माध्यम से गोबर को उर्वरक के रूप में बढ़ावा देना शामिल है।
- कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुन: उपयोग दूसरा है, जो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए सिंचाई, उद्योगों और राजस्व सृजन के लिए उपचारित पानी का पुन: उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।
- इसमें हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर शामिल होंगे, जहां लोग स्थानीय उत्पाद, औषधीय पौधे और आयुर्वेद बेच सकते हैं।
- चौथा नदी से जुड़े हितधारकों के बीच सामंजस्य बढ़ाकर सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना है।
- यह मॉडल नाव पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के संचालन के
- माध्यम से गंगा और उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देता है।
- अंत में, यह मॉडल बेहतर जल प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत निर्माण को बढ़ावा देता है।

अर्थ गंगा पहल

जलज पहल

- जलज भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प के लिए WII द्वारा स्थानीय लोगों में से गंगा प्रहरी का एक प्रशिक्षित संवर्ग बनाया गया है।
- जलज, अभिनव मोबाइल आजीविका केंद्र, गंगा संरक्षण के साथ कौशल वृद्धि गतिविधियों को संरेखित करने के उद्देश्य से है।

NMCG और सहकार भारती के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

- अर्थ गंगा के जनादेश को साकार करने की दिशा में उनके सहयोग को निर्देशित करते हुए सार्वजनिक भागीदारी, निर्माण और स्थानीय सहकारी समितियों को मजबूत करके एक स्थायी और व्यवहार्य आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को प्राप्त करना शामिल है।

आईएमअवतार (ImAvatar)

- पर्यटन, स्थानीय उत्पादों के विपणन, कृषि और हस्तशिल्प दोनों के माध्यम से अर्थ गंगा पहल को बढ़ावा देकर गंगा बेसिन के साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन से संबंधित पोर्टल आईएमअवतार शामिल हैं।

CLAP पर नया पाठ्यक्रम 'रिवर चैंप (River Champ)':

- निरंतर सीखने और गतिविधि पोर्टल (CLAP) भारत में नदी संरक्षण के बारे में जागरूकता, कार्रवाई और बहस बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन मंच है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

यूरेशिया को नजदीक लाना

चर्चा में क्यों : हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) शुरू किया गया।

- पिछले दिनों, RailFreight.Com ने बताया कि लकड़ी के टुकड़े से बनी चादरों के दो, 40-फीट कंटेनर रूस के अस्त्रखान बंदरगाह से कैस्पियन सागर को पार करते हैं, ईरान के अंजली बंदरगाह में प्रवेश करते हुए , अरब सागर की ओर अपनी दक्षिण की ओर यात्रा जारी रखते हुए , बंदर-अब्बास में समुद्र में प्रवेश करते हैं और अंततः मुंबई में न्हावा शिव बंदरगाह पहुंच जाते हैं।

- उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल परिवहन गलियारा है जो मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से रूस और भारत को जोड़ने वाले सड़क, रेल और समुद्री मार्गों को जोड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

- वर्ष 2000 में, INSTC के लिए कानूनी ढांचा परिवहन पर यूरो-एशियाई सम्मेलन में भारत, ईरान और रूस द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते द्वारा प्रदान किया गया है।
- उसके बाद से कजाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया और सीरिया ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) के सदस्य बनने के लिए विलय संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एक बार पूरी तरह से इसका कार्यान्वयन हो जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) से, स्वेज नहर के पारंपरिकगहरे समुद्री मार्ग की तुलना में, माल ढुलाई लागत में 30% और यात्रा के समय में 40% की कमी आने की उम्मीद है।
- वास्तव में, एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता को पिछले साल गहराई से महसूस किया गया था, जब एवर-गिवेन कंटेनर जहाज स्वेज में फंस गया था, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच समुद्री यातायात को रोक दिया था।
- INSTC में भारत के निवेश का उदाहरण ईरान के चाबहार बंदरगाह में शामिल होने और 500 किलोमीटर लंबी चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे लाइन के निर्माण से है।
- एक बार पूरा हो जाने के बाद, यह बुनियादी ढांचा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने की अनुमति देगा, जो इस परियोजना के लिए तालिबान सरकार के समर्थन से मजबूत होने की संभावना है।
- चाबहार के आसपास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भारतीय कंपनियों को कई प्रकार के उद्योग स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा।
- एक्ज़िम बैंक द्वारा ईरान को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी), भारत के अवसंरचनात्मक ढांचे के राज्य के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित व्यवसाय अग्रणी रूप से नेतृत्व करते हैं और निजी कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।

एक अंतरमहाद्वीपीय मल्टी-मोडल कॉरिडोर के रूप में जिसका उद्देश्य यूरेशिया को एक साथ लाना है, INSTC अपने आप में एक प्रशंसनीय पहल है। यह भारत को अपनी बहु-संरेखण रणनीति को मजबूत करने में मदद करता है जिससे सौदे में मिठास आती है।

संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1267 (UN

चर्चा में क्यों : चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को काली सूची में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को बाधित कर दिया।

Resolution 1267)

- उसे एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने से उसकी संपत्ति फ्रीज, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लग जाएगा।

UNSC 1267 समिति क्या है?

- 15 अक्टूबर 1999 को '1267 संकल्प' द्वारा, सुरक्षा परिषद ने तालिबान के स्वामित्व, नियंत्रित, पट्टे या संचालित नामित व्यक्तियों, संस्थाओं और विमानों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति की स्थापना की।
- उपायों को बाद में संशोधित किया गया, विशेष रूप से संकल्प 1333 (2000) और 1390 (2002) द्वारा, संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और उसामा बिन लादेन और तालिबान से जुड़े नामित व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रभावित करने वाले हथियारों पर प्रतिबंध को शामिल करने के लिए, जहां भी वे स्थित हैं।
- 17 दिसंबर 2015 को '2253 संकल्प' द्वारा, सुरक्षा परिषद ने इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट (ISIL) का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल करने के लिए लिस्टिंग मानदंड का विस्तार करने का निर्णय लिया।
- इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सभी स्थायी और गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं।
- आतंकवादियों की 1267 सूची एक वैश्विक सूची है, जिसमें UNSC द्वारा प्रमाणित होती है।

संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि

चर्चा में क्यों : हाल ही में महासागरों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संधि पर सहमत होने के लिए, यूरोपीय संघ सहित 168 देशों की बातचीत विफल हो गई।

प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि क्या है?

- इसे 'महासागरों के लिए पेरिस समझौता' के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से परे समुद्री जैविक विविधता क्षेत्रों से निपटने के लिए यह संधि कई वर्षों से चर्चा में है।
- प्रस्तावित संधि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों से परे मौजूद महासागर से संबंधित है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र किसी देश के तट से समुद्र में लगभग 200 समुद्री मील या 370 किमी की दूरी तक विस्तारित होते है, इस क्षेत्र में संबंधित देश को अन्वेषण का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इस सीमा से आगे के जल को खुले समुद्र या उच्च समुद्र के रूप में जाना जाता है।

- संधि पर 1982 के समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत चर्चा की जानी थी जो समुद्री संसाधनों के संबंध में देशों के अधिकारों को नियंत्रित करता है।
- इस चर्चा में कुछ गतिविधियों पर सीमाएं लगाने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या कार्यों की स्थिरता के लिए मंजूरी, देशों को वित्तीय सहायता और अन्य वैज्ञानिक ज्ञान साझा करना शामिल है।

दुनिया के महासागरों को अब तक कैसे नियंत्रित किया जाता है?

- UNCLOS के साथ, कुछ संधियाँ, उच्च समुद्रों पर अभिनेताओं के आचरण को नियंत्रित करती हैं।
- UNCLOS ने 22 किमी अपतटीय क्षेत्रीय समुद्री सीमाओं की स्थापना का नेतृत्व किया, इस क्षेत्र को तय किया कि कौन से देश पूर्ण संप्रभु क्षेत्रीय अधिकारों के साथ-साथ 200 समुद्री मील ईईजेड सीमा का दावा कर सकते हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority) और अन्य संघर्ष-समाधान तंत्र भी बनाए।
- इसके विपरीत, प्रत्येक देश को खुले समुद्र तक पहुंचने का अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मछली और अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग और ट्रॉलिंग ऑपरेशन (drilling and trawling operations) होते हैं।

अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

चर्चा में क्यों : केंद्र सरकार ने पाया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 70 लाख लाभार्थी "संदिग्ध" हैं और उन्होंने "जमीनी सत्यापन" के लिए राज्यों के साथ अपना डेटा साझा किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सके।

कवरेज:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुमानों के आधार पर यह अधिनियम देश की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 भाग के लिए कवरेज प्रदान करता है।
- NFSA निम्नलिखित माध्यमों से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को दायरे में लेता है:
  - **अंत्योदय अन्न योजना:** इसमें निर्धनतम आबादी को दायरे में लिया गया है जो fप्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
  - प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Households- PHH):PHH श्रेणी के अंतर्गत शामिल परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
- राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से लाभार्थी परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को 'परिवार की मुखिया' माना जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: प्रावधान

- NFSA संघीय और राज्य सरकारों को संयुक्त उत्तरदायित्व सौंपता है।
- NFSA केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्दिष्ट डिपो को खाद्यान्न आवंटित करने और परिवहन करने की जिम्मेदारी देता है।
- केंद्र को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकृत FCI गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों के दरवाजे तक खाद्यान्न वितरण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पात्र परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न के अधिकार का वितरण करने, उचित मूल्य की दुकान (FPS) डीलरों को लाइसेंस देने और निगरानी करने, एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे खाद्य पात्रता प्रावधान के लिए नकद हस्तांतरण।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पात्र परिवारों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा रही सब्सिडी के बराबर नकद राशि शामिल है।

महत्व

- यह कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायक है।
- यह सरकार को खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
- **रोजगार के अवसरों का सृजन:** चूंकि कृषि एक श्रम प्रधान उद्योग है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
- **स्वास्थ्य लाभ:** पौष्टिक भोजन तक पहुंच से जनता के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा।

	• देश की वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए खाद्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश की खाद्य असुरक्षा और भूख को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्गठन और नए परिवर्तनों को शामिल करने की आवश्यकता है।
कर-जीडीपी अनुपात (Tax to GDP ratio)	**टैक्स-टू-जीडीपी अनुपात क्या है?** • टैक्स-टू-जीडीपी अनुपात किसी देश के कर राजस्व के आकार को उसके सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में मापता है। • सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में टैक्स जितना अधिक होगा, देश की वित्तीय स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। यह अनुपात अपने व्यय को निधि देने की सरकार की क्षमता को दर्शाता है। • सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में अधिक कर यह दर्शाता है कि सरकार एक व्यापक राजकोषीय नेट डाल सकती है।यह सरकार को उधार लेने पर कम निर्भर बनने में मदद करता है। **भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर कर** • भारत में उपस्थित प्रत्येक 16 मतदाताओं पर एक प्रत्यक्ष करदाता (taxpayer) है। भारत की आबादी का केवल 1% ही आयकर का भुगतान करता है। • सकल घरेलू उत्पाद के लिए भारत की सकल कर जो वित्त वर्ष 2019 में 11% थी, वित्त वर्ष 2015 में गिरकर 9.9% हो गई और वित्त वर्ष 2021 में मामूली सुधार होकर 10.2% हो गई (आंशिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के कारण) तथा वित्त वर्ष 2022 में 10.8% होने की परिकल्पना की गई है, यह इससे बहुत कम है उभरती बाजार अर्थव्यवस्था का औसत 21 प्रतिशत और OECD का औसत 34 प्रतिशत है। **भारत में लो टैक्स (Low Tax) और जीडीपी अनुपात के कारण** • भारत में एक बड़े अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र की उपस्थिति है जो इसे असुरक्षित बनाता है, जिससे अधिक कर चोरी होती है। • कृषि क्षेत्र का अधिक प्रभुत्व है जिसे करों के भुगतान से छूट मिलती है। • कर बकाया की वसूली के न्यूनतम अनुपात में से एक के साथ कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच विवादों की एक बड़ी संख्या है। • भारत में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर अनुपात लगभग 35:65 है, जो कि अधिकांश ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं से कम है जहां प्रत्यक्ष करों के पक्ष में अनुपात 67:33 है। • कई उदार सरकारी नीतियां रही हैं जिन्होंने विभिन्न कर छूट प्रदान करके अमीर निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाया है। • एक अन्य कारक जो निम्न कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में योगदान देता है वह है निम्न प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी । **आशय (Implications)** • कर राजस्व में कमी के कारण, भारतीय राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याण प्रणाली, सार्वजनिक वस्तुओं आदि पर अधिक खर्च करने में असमर्थ हो जाता है। • सरकार के कम कर राजस्व के कारण ज्यादा उधारी है; यह राजकोषीय नीति में लगातार घाटे का पूर्वाग्रह पैदा करता है। • व्यापक रूप से कर चोरी अनियंत्रित हो जाती है जो विकास को बाधित करती है और कर का अधिकांश बोझ उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों पर पड़ता है जिन्हें विकास की आवश्यकता होती है। • कम कर (Low Tax) संग्रह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की क्षमता को कम करता है। • समाज में आर्थिक संसाधनों के असममित वितरण के कारण सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई है। **किए जाने वाले उपाय** • राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत करदाता आधार का विस्तार किया जाना चाहिए। • हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS), आदि जैसे विभिन्न प्रावधानों के तहत

	प्रदान की गई छूट का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। • प्रभावी विवाद निपटान तंत्र प्रदान करना। • राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना पैदा करके नागरिकों के नजरिए को बदलना होगा।
सार्वजनिक बनाम निजी वस्तुएँ	**चर्चा में क्यों :** भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। • वित्त मंत्रालय ने कहा UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है। **सार्वजनिक वस्तुएं क्या हैं?** • सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं या सेवाएं हैं जो किसी देश की सरकार की प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, या सामान्य रूप से जनता को व्यापक लाभ प्रदान करने के लिए कुछ लोगों पर कर लगाकर प्रदान की जाती हैं। **सार्वजनिक वस्तुओं के लक्षण** • ये वस्तुएं या सेवाएं किसी देश के बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर का विकास करती हैं। **सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं** • **नॉन राइवल (Non-Rival):** सार्वजनिक वस्तुएं गैर-प्रतिस्पर्धी हैं, यानी यह एक ही समय में एक दूसरे के उपयोग में बाधा डाले बिना कई लोगों की सेवा कर सकता है। • **नॉन एक्सक्लूडेबले (Non-Excludable):** ये वस्तुएं आमतौर पर मुफ्त होते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के किसी के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। • **नॉन रेजेक्टेबले (Non-Rejectable):** ऐसे सामानों की खपत को जनता द्वारा नकारा या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सभी लोगों के लिए सामूहिक रूप से उपलब्ध है। • **फ्री-राइडिंग (Free-Riding):**सार्वजनिक वस्तुओं के तहत वर्गीकृत वस्तुएं उन लोगों को भी लाभान्वित करते हैं जिन्होंने इसके लिए भुगतान नहीं किया है। ऐसे लोगों को फ्री-राइडर्स कहा जाता है। **निजी वस्तुएं क्या हैं?** • निजी माल वे उत्पाद या सेवाएं हैं जो उद्यमियों के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा निर्मित या उत्पादित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य मुक्त बाजार में ऐसे सामानों के व्यापार के माध्यम से लाभ अर्जित करने हेतु ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करना है। **इन वस्तुओं की विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित हैं:** • **प्रतिद्वंद्वी:** निजी उत्पादों में इसके उपयोग के लिए उपभोक्ताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा शामिल है क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा उपभोग दूसरे द्वारा इसके उपयोग को प्रतिबंधित करेगा। • **बहिष्कृत:** इन वस्तुओं में लागत शामिल होती है, और इसलिए भुगतान न करने वालों को उपभोग से बाहर रखा जाता है। • **अस्वीकृत:** निजी वस्तुओं को उपभोक्ताओं द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि उनके पास कई विकल्प होते हैं और अपनी पसंद के अनुसार उत्पाद का चयन करने का अधिकार होता है। • **मुक्त बाजार में व्यापार:** इस तरह के सामान को बाजार में एक निश्चित कीमत पर स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जा सकता है। • **अवसर लागत:** इन वस्तुओं के पास एक अवसर होता है, अर्थात उपभोक्ता को किसी विशेष निजी वस्तु का चयन करते समय एक समान उत्पाद से होने वाले लाभ को छोड़ना पड़ता है। **डिजिटल सार्वजनिक सामान** • डिजिटल सार्वजनिक सामान (डीपीजी) सबसे लिए अनिवार्य और सबको समान रूप से मिलना ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र डीपीजी को इस तरह परिभाषित करता है– "ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डाटा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

	मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड एवं ओपन कंटेंट जो निजता के साथ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नियमों, मानकों और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का पालन करते हैं, कोई नुक़सान नहीं पहुंचाते हैं और टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पाने में मदद करते हैं।
ओवर लीवरेज्ड	**चर्चा में क्यों :** क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) की एक इकाई क्रेडिटसाइट्स के हवाले से ब्लूमबर्ग ने बताया कि अदानी समूह "डीपली ओवर लीवरेज्ड" है और "सबसे खराब स्थिति में" जा सकता है, जो एक ऋण जाल में सर्पिल और आगे संभवतः एक डिफ़ॉल्टहो सकता है। • रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह आक्रामक निवेश कर रहा है जो मुख्य रूप से ऋण के साथ वित्त पोषित है, इसके क्रेडिट मेट्रिक्स और नकदी प्रवाह पर दबाव डाल रहा है। **एक कंपनी 'ओवर लीवरेज्ड' कब होती है?** • एक कंपनी या व्यवसाय को "ओवर लीवरेज्ड" कहा जाता है, यदि उसके पास अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इक्विटी के खिलाफ निरंतर उच्च ऋण है। • ऐसी कंपनी को अपने लेनदारों को ब्याज और मूलधन का भुगतान करना मुश्किल होगा, और अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। • बाद के मामले में, कंपनी को चलते रहने के लिए और भी अधिक उधार लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और इस तरह एक दुष्चक्र में प्रवेश कर सकता है। • यह स्थिति अंततः कंपनी के दिवालिया होने का कारण बन सकती है। **क्या होता है जब कोई कंपनी लीवरेज से अधिक हो जाती है?** • लीवरेज्ड बाधाओं से अधिक होने के कारण कंपनियों की विकास योजनाएं। • यदि भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो यह संपत्ति खो सकता है, जिसे लेनदारों द्वारा लिया जा सकता है, जो अपने पैसे की रिकवरी के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। • मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थता कंपनी द्वारा भविष्य में उधार लेने पर सीमाएं लगाती है। • इसके अलावा, एक अधिक लीवरेज वाली कंपनी को निवेशकों के नए सेट में शामिल होना बेहद मुश्किल होगा, जो सभी इसके वित्तीय वर्तमान और भविष्य को और कम करने के लिए जोड़ देगा।
मूनलाइटिंग (Moonlighting)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में, फूड डिलीवरी स्टार्ट-अप स्विगी ने अपने कर्मचारियों को काम से दूर घंटों के दौरान कंपनी में अपने नियमित रोजगार के बाहर गिग्स या परियोजनाओं को लेने की अनुमति देने की " इंडस्ट्री फर्स्ट (industry-first)" नीति की घोषणा की। • स्विगी इन नए मानदंडों को "मूनलाइटिंग" नीति कहता है। **मूनलाइटिंग क्या है?** • जब कोई व्यक्ति अपने नियमित नौकरी के घंटे के बाद कोई दूसरी नौकरी करता है और इसकी खबर वह अपने नियोक्ता को नहीं देता है, तो इसे मूनलाइटिंग कहा जाता है। • दूसरी नौकरी या काम को मूनलाइटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम तौर पर ऐसी नौकरी रात के समय या सप्ताहांत में की जाती है। **चिंता** • नियोक्ताओं को इस प्रथा पर संदेह रहता है क्योंकि कार्यकर्ता संगठन को वह समय नहीं दे सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है, और किसी भी संगठन को कोई अतिरिक्त समय नहीं दे सकता है। • छुट्टी और समय की छुट्टी भी एक कार्यकर्ता को आराम देने और उनकी दक्षता में सुधार करने के लिए होती है, लेकिन दूसरी नौकरी लेने से यह मुश्किल हो सकता है। भारत में, निजी कंपनियां आमतौर पर कई नौकरियों को रखने की अनुमति नहीं देती हैं। विभिन्न राज्यों के दुकान और स्थापना

अधिनियम दोहरे रोजगार को प्रतिबंधित करते हैं।

क्या हाल ही में मूनलाइटिंग की रोशनी बढ़ी है?

- पिछले दो वर्षों में, कोरोनावायरस से प्रेरित लॉकडाउन ने कुछ उद्योगों में श्रमिकों के बीच मूनलाइटिंग की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है।
- ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय की वित्तीय असुरक्षा के अलावा, घर से काम करने से कुछ श्रेणियों के श्रमिकों को अधिक काम करने की अनुमति मिलती थी, जिससे दूसरी नौकरी के लिए समय खाली हो जाता था।
- साथ ही हाल के वर्षों में भी गिग इकॉनमी अवधारणा को अधिक वैधता प्राप्त हुई है।

इतिहास, कला और संस्कृति

पिंगली वेंकैया (Pingali Venkayya)

चर्चा में क्यों : 2 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई।

- भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के डिजाइन से प्रेरित है।

पिंगली वेंकैया का प्रारंभिक जीवन

- पिंगली वेंकय्या का जन्म और पालन-पोषण आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था।
- वह न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक कट्टर गांधीवादी, शिक्षाविद, कृषक, भूविज्ञानी, भाषाविद् और लेखक थे, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है।

पिंगली वेंकैया का डिजाइन

- पिंगली वेंकय्या ने स्वराज ध्वज के रूप में जाना जाने वाला एक ध्वज डिजाइन किया था जो अब भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना है।
- शुरू में इसमें देश के दो प्रमुख समुदायों- हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक करने के लिए लाल और हरे रंग की पट्टियां शामिल थीं।
- महात्मा गांधी की सलाह पर, पिंगली वेंकय्या ने खादी बंटिंग (Khadi bunting) पर चरखा डिजाइन के साथ हरे रंग के ऊपर लाल रंग के ऊपर एक सफेद बैंड जोड़ा।
- सफेद रंग शांति और भारत में रहने वाले बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था, और चरखा देश की प्रगति का प्रतीक था।
- हालांकि पहले तिरंगे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसे सभी कांग्रेस अवसरों पर फहराया जाने लगा।
- गांधीजी की स्वीकृति ने इसे पर्याप्त रूप से लोकप्रिय बना दिया था और यह 1931 तक उपयोग में था।
- हालांकि रंगों को लेकर ध्वज ने सांप्रदायिक चिंताएं बढ़ा दी थीं, जिसके बाद 1931 में एक ध्वज समिति का गठन

	किया गया। • समिति के सुझाव पर कांग्रेस कार्य समिति बदलाव के साथ एक नया तिरंगा लेकर आई थी जिसे पूर्ण स्वाराज कहा गया। • संशोधित झंडे को लाल रंग के स्थान पर केसरिया से बदल दिया गया था, सफेद पट्टी को बीच में स्थानांतरित कर दिया गया था, केंद्र में सफेद पट्टी में चरखा जोड़ दिया गया। • जिसका अभिप्राय था कि रंग गुणों के लिए थे, न कि समुदायों के लिए, साहस और बलिदान के लिए केसरिया, सत्य और शांति के लिए सफेद, और विश्वास और ताकत के लिए हरा। • गांधी जी का चरखा जनता के कल्याण का प्रतीक माना गया। **अल्पज्ञात तथ्य:** • वास्तव में पिंगली वेंकय्या एक उत्साही ध्वज उत्साही थे, जिन्होंने 1916 में 'भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें उन्होंने ध्वज के चौबीस डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
अरबिंदो घोष	**चर्चा में क्यों :** प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो को उनकी जयंती पर याद किया। **श्री अरबिंदो के बारे में** • वह एक योगी, द्रष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। **शिक्षा:** • उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई। • उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ वे दो शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए। • वर्ष 1892 में उन्होंने बड़ौदा (वडोदरा) और कलकत्ता (कोलकाता) में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। • उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। 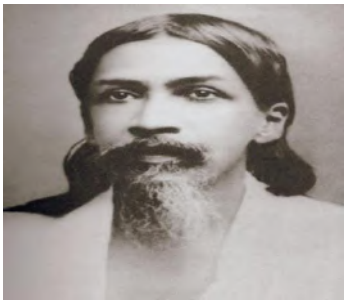 **भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन:** • वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया। • उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया और साथ ही 1902 में कलकत्ता की अनुशीलन समिति की स्थापना में मदद की। • उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उन्हें वर्ष 1908 (अलीपुर बम कांड) में कैद कर लिया गया था। • दो साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी (पुद्दुचेरी) के फ्राँसीसी उपनिवेश में शरण ली, जहाँ उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित जीवन के उद्देश्य से अपने "अभिन्न" योग के विकास के हेतु समर्पित कर दिया। **आध्यात्मिकता:** • पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया।

	• उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपरमाइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित दो क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा। **शिक्षा:** • उन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। **साहित्यिक कार्य:** • वे बंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन करने वाले पत्रकार भी थे। • वे एक पत्रकार भी थे और उनकी पहली दार्शनिक पत्रिका आर्य नामक वर्ष 1914 में प्रकाशित हुई थी। • उनकी कई रचनाओं में द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री शामिल हैं।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महिला नायक	**चर्चा में क्यों :** 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन में "नारी शक्ति" की सराहना की, और लोगों से ऐसा कुछ भी नहीं करने की प्रतिज्ञा करने का आग्रह किया जो महिलाओं की गरिमा को कम करता हो। **रानी लक्ष्मीबाई** • झाँसी रियासत की रानी, रानी लक्ष्मीबाई को वर्ष 1857 में भारत की स्वतंत्रता के पहले युद्ध में उनकी भूमिका के लिये जाना जाता है। • वर्ष 1835 में जन्मी मणिकर्णिका तांबे ने झाँसी के राजा से शादी की। • दंपति ने राजा की मृत्यु से पहले दामोदर राव को अपने बेटे के रूप में अपनाया, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति के अनुसार कानूनी वारिस के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और झाँसी पर कब्ज़ा करने का फैसला किया। • अपने क्षेत्र को सौंपने से इनकार करते हुए रानी ने उत्तराधिकारी की ओर से शासन करने का फैसला किया और बाद में वर्ष 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई। • सर ह्यूग रोज़, जो ब्रिटिश सेना की कमान संभाल रहे थे, ने उन्हें "व्यक्तित्वपूर्ण, चतुर और सबसे खतरनाक भारतीय नेताओं में से एक" के रूप में वर्णित किया है। **झलकारी बाई** • रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में एक सैनिक, दुर्गा दल, रानी के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गया। • आज तक बुंदेलखंड के लोग उनकी वीरता की गाथा को याद करते हैं, और उन्हें अक्सर बुंदेली पहचान के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। • संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, क्षेत्र के कई दलित समुदाय उन्हें भगवान के अवतार के रूप में देखते हैं और उनके सम्मान में हर साल झलकारीबाई जयंती भी मनाते हैं। **दुर्गा भाभी** • दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, एक क्रांतिकारी थीं, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हुईं। • ये नौजवान भारत सभा की सदस्या भी थीं तथा इन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की। **रानी गैदिनल्यू** • वर्ष 1915 में वर्तमान मणिपुर में जन्मी रानी गैदिनल्यू एक आध्यात्मिक नगा और राजनीतिक नेता थीं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। • वह हेरका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गईं जो बाद में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने वाला एक आंदोलन बन गया। • इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया और करों का भुगतान करने से इंकार कर दिया तथा लोगों से भी

	ऐसा करने के लिये कहा। • गैदिनल्यू को अंततः वर्ष 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया था तब वह केवल 16 वर्ष की थी और बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। वह वर्ष 1947 में जेल से रिहा हुई थीं। • प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गैदिनल्यू को "पहाड़ियों की बेटी" के रूप में वर्णित किया, और उनके साहस के लिए उन्हें 'रानी' की उपाधि दी। **रानी चेन्नम्मा** • कित्तूर की रानी, रानी चेन्नम्मा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले शासकों में से एक थीं। • वर्तमान कर्नाटक में कित्तूर एक रियासत थी। • उन्होंने 1824 में अपने छोटे बेटे की मृत्यु के बाद अपने प्रभुत्व को नियंत्रित करने के प्रयास के खिलाफ लड़ाई लड़ी। • रानी चेन्नम्मा ने अपने पहले विद्रोह में अंग्रेजों को हराया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दूसरे हमले के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। **बेगम हजरत महल** • अपने पति अवध के नवाब वाजिद अली शाह के 1857 के विद्रोह के बाद निर्वासित होने के बाद, बेगम हजरत महल ने अपने समर्थकों के साथ, अंग्रेजों से लोहा लिया और लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया। **वेलु नचियारो** • वर्ष 1857 के विद्रोह से कई वर्ष पूर्व, वेलु नचियार ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इसमें विजयी हुई। • वर्ष 1780 में रामनाथपुरम में जन्मी, उनका विवाह शिवगंगई के राजा से हुआ था। • ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में अपने पति के मारे जाने के बाद उन्होंने संघर्ष में प्रवेश किया तथा पड़ोसी राजाओं के समर्थन से विजय प्राप्त कीं। • उन्होंने पहले मानव बम का निर्माण किया साथ ही वर्ष 1700 के दशक के अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की।
मंडला आर्ट	**मंडला क्या है और इसकी उत्पत्ति:** • संस्कृत में शाब्दिक अर्थ "सर्कल" या "केंद्र" है, मंडल को एक ज्यामितीय विन्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है जो आमतौर पर किसी न किसी रूप में गोलाकार आकार को शामिल करता है। • माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म में निहित है, जो भारत में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट हुआ था। • हिंदू धर्म में, मंडल इमेजरी पहली बार ऋग्वेद (1500 - 500 ईसा पूर्व) में दिखाई दी। **मंडला आर्ट का मूलभाव** • ऐसा माना जाता है कि मंडल में प्रवेश करके और उसके केंद्र की ओर बढ़ते हुए, ब्रह्मांड को एक दुख से आनंद में बदलने की ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। • चक्र की आठ तीलियाँ (धर्मचक्र) बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं (ऐसे अभ्यास जो पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाते हैं), कमल का फूल संतुलन को दर्शाता है, और सूर्य ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। • हिंदू धर्म में, एक मंडल या यंत्र एक वर्ग के आकार में होता है जिसके केंद्र में एक चक्र होता है।

आधुनिक भारतीय कला में मंडला

- हालांकि यह थंगका चित्रों में प्रकट होना जारी है, तांत्रिक और नव-तांत्रिक आध्यात्मिक आंदोलनों से जुड़े मुख्यधारा के कलाकारों के अभ्यास में इसका केंद्रीय स्थान है।
- भारतीय कलाकारों की पिछली पीढ़ियों में 1960 के दशक में सोहन कादरी और प्रफुल्ल मोहंती ने अपने कार्यों के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो तांत्रिक प्रतीकवाद से प्रभावित थे, जैसे मंडल जो तांत्रिक दीक्षा के अनुष्ठानों में भी उपयोग किए जाते हैं।
- ज्यामितीय रचनाओं ने बीरेन डे, जीआर संतोष, शोभा ब्रूटा और प्रसिद्ध एसएच रज़ा (SH Raza) जैसे कलाकारों के कामों पर भी हावी हो गए, जिन्होंने बिंदु को अपने ब्रह्मांड के केंद्र और ऊर्जा और जीवन के स्रोत के रूप में देखा।

मनुस्मृति (Manusmriti)

चर्चा में क्यों : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने हाल ही में प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मनुस्मृति की लिंग भेद को लेकर आलोचना की थी।

मनुस्मृति क्या है?

- मानव धर्मशास्त्र, जिसे मनुस्मृति या मनु के नियमों के रूप में भी जाना जाता है, धर्म की धर्मशास्त्र साहित्यिक परंपरा से संबंधित एक संस्कृत पाठ है।
- दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी सीई के बीच उसी बीच इस किताब को लिखा गया था। मनुस्मृति को श्लोक छंदों में लिखा गया है, जिसमें प्रत्येक में 16 पाठ्यक्रम की दो गैर तुकबंदी वाली पंक्तियां हैं।
- पाठ को मनु की पौराणिक आकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसे हिंदू धर्म में मानव जाति का पूर्वज माना जाता है।

यह लेख किस बारे में है?

- इसमें विभिन्न जातियों और जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों के सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों, विभिन्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं के उपयुक्त सामाजिक और यौन संबंध, करों पर, राजत्व के नियमों जैसे विषयों पर लिखा गया है। इसमें वैवाहिक सद्भाव बनाए रखने और रोजमर्रा के विवादों को निपटाने की के लिए सभी नियम कानून बनाए गए हैं।

इसका महत्व क्या है?

- पाठ धर्म के बारे में है, जिसका अर्थ है कर्तव्य, धर्म, कानून और अभ्यास।
- यह अर्थशास्त्र के पहलुओं पर भी चर्चा करता है, जैसे कि राज्य कला और कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दे।

इसका महत्व क्या है?

- सामान्य युग की प्रारंभिक शताब्दियों तक, मनु हिंदू धर्म के उस केंद्रबिंदु के लिए रूढ़िवादी परंपरा में अधिकार का मानक स्रोत बन गया था, और बना रहा।
- यह ब्राह्मण विद्वानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था - इसने परंपरा के अन्य लेखकों द्वारा 9 टिप्पणियों को

आकर्षित किया, और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों द्वारा अन्य धर्मशास्त्रों की तुलना में कहीं अधिक बार उद्धृत किया गया था।

- यह 1794 में ब्रिटिश भाषाशास्त्री सर विलियम जोन्स द्वारा यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया जाने वाला पहला संस्कृत पाठ था।
- इसके बाद, पूर्व मैक्स मूलर के संपादित खंड, सेक्रेड बुक्स ऑफ सेक्रेड बुक्स में शामिल होने से पहले, इसका फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली और रूसी में अनुवाद 1886 में किया गया था।

यह विवादास्पद क्यों है?

प्राचीन पाठ में 4 प्रमुख विभाग हैं:

1. विश्व का निर्माण।
2. धर्म के स्रोत।
3. चार सामाजिक वर्गों का धर्म।
4. कर्म, पुनर्जन्म और अंतिम मुक्ति का नियम।

- पाठ चार गुना वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम को बनाए रखने और प्रत्येक जाति द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों से गहराई से संबंधित है।
- इसके अनुसार ब्राह्मण को मानव जाति का पूर्ण प्रतिनिधि माना जाता है, जबकि शूद्रों को, जिन्हें आदेश के निचले भाग में ले जाया जाता है, उन्हें 'उच्च' जातियों की सेवा करने का एकमात्र कर्तव्य दिया जाता है।
- कुछ छंदों में महिलाओं के जन्म के आधार पर उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रही भावनाएं भी शामिल हैं।

25 दिसंबर 1927 को डॉ अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है। वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राम्हण, पुरूष सत्तात्मक, भेदभाव वाला कानून है। इसे खत्म किया जाना चाहिए इसीलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं।

भूगोल

ताइवान जलडमरूमध्य, पीला सागर और बोहाई सागर

चर्चा में क्यों : चीन ने चौथे दिन ताइवान के पास जल में अपना लाइव-फायर सैन्य अभ्यास जारी रखा, जबकि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच पीले सागर में नए अभ्यास की भी घोषणा की।

- चीनी प्राधिकारियों ने घोषणा की कि वह चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच पीले और बोहाई समुद्रों पर लाइव-फायर सैन्य अभ्यास भी करेगा।

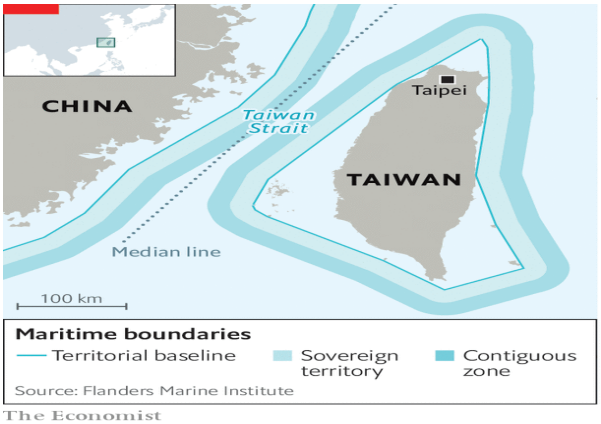

ताइवान जलडमरूमध्य

- ताइवान जलडमरूमध्य, जिसे फॉर्मोसा जलडमरूमध्य भी कहा जाता है, यह ताइवान और मुख्य भूमि चीन को अलग करने वाली 180 किमी चौड़ी जलडमरूमध्य है।
- वर्तमान में यह जलडमरूमध्य दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा 130 किमी चौड़ा है।

पीला सागर

- पीला सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है, और इसे पूर्वी चीन सागर का उत्तर-पश्चिमी भाग माना जा सकता है।
- इसका नाम प्रमुख नदियों से निकलने वाले गाद से भरे पानी के सुनहरे-पीले रंग का वर्णन है।

बोहाई सागर

- उत्तर-पश्चिमी पीले सागर की सबसे भीतरी खाड़ी को बोहाई सागर कहा जाता है, जिसमें उत्तरी चीन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, जैसे कि पीली नदी, हाई नदी (Hai River) और लियाओ नदी।
- पीले सागर के उत्तरपूर्वी विस्तार को कोरिया की खाड़ी कहा जाता है, जिसमें यलु नदी (Yalu River), चोंगचोन नदी (Chongchon River) और ताएदोंग नदी (Taedong River) बहती है।

अनंग ताल झील

चर्चा में क्यों : संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अनंग ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया।

- संस्कृति मंत्रालय ने अनंग ताल को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR) अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है।

अनंग ताल झील के बारे में

- यह झील दिल्ली के महरौली में स्थित है जिसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था।

	• उन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और इसे बसाने हेतु जाना जाता है। • सहस्राब्दी पुराना अनंग ताल दिल्ली के प्रारंभिक कालखंड का प्रतीक है। • अनंग ताल का राजस्थान से एक मज़बूत संबंध है क्योंकि महाराजा अनंगपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है। **अनंगपाल द्वितीय कौन था?** • अनंगपाल द्वितीय, जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश से संबंधित थे। • वह ढिल्लिका पुरी के संस्थापक थे, जो अंततः दिल्ली के नाम से जाना गया। • कई शिलालेखों और सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है कि अनंगपाल तोमर 8वीं-12वीं शताब्दी के बीच दिल्ली और हरियाणा के शासक थे। • उन्होंने भग्नावशेष (ruins) पर शहर का निर्माण कराया और अपनी देख-रेख में अनंग ताल बावली तथा लाल कोट का निर्माण कराया। • अनंगपाल तोमर द्वितीय के बाद उनका पोता पृथ्वीराज चौहान उत्तराधिकारी बना। • दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 में पृथ्वीराज चौहान की तराइन (वर्तमान हरियाणा) की लड़ाई में घुरिद सेनाओं से हार के बाद हुई। **तोमर वंश के बारे में** • तोमर राजवंश उत्तरी भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन छोटे राजवंशों में से एक है। • पौराणिक साक्ष्य हिमालयी क्षेत्र में इसकी प्रारंभिक स्थिति बताते हैं; तोमर राजवंश 36 राजपूत जनजातियों में से एक था। • राजवंश का इतिहास अनंगपाल के शासनकाल और 1164 में चौहान (चहमना) साम्राज्य के भीतर दिल्ली के शामिल होने के बीच की अवधि तक फैला है। • हालाँकि दिल्ली बाद में निर्णायक रूप से चौहान साम्राज्य का हिस्सा बन गई, मुद्राशास्त्र और तुलनात्मक रूप से बाद के साहित्यिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि संभवतः वर्ष 1192-93 में मुसलमानों द्वारा दिल्ली की अंतिम विजय तक अनंगपाल और मदनपाल जैसे तोमर राजाओं ने सामंतों के रूप में शासन करना जारी रखा।
माल्विनास द्वीप (Malvinas Island)	**चर्चा में क्यों :** भारत ने माल्विनास मुद्दे पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अर्जेंटीना को अपना समर्थन दोहराया। • फाकलैंड द्वीप समूह, जिसे माल्विनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास माल्विनास भी कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्रपारीय क्षेत्र है। **फ़ॉकलैंड द्वीप समूह का इतिहास** • वर्ष 1820 में अर्जेंटीना सरकार, जिसने वर्ष 1816 में स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ने फाकलैंड पर अपनी संप्रभुता की घोषणा की। • वर्ष 1833 की शुरुआत में एक ब्रिटिश सेना ने हिंसा के बिना अर्जेंटीना के अधिकारियों को द्वीप से निष्कासित कर दिया। वर्ष 1841 में फाॅकलैंड में एक ब्रिटिश नागरिक को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1885 तक इन द्वीपों पर लगभग 1,800 लोगों का एक ब्रिटिश समुदाय बस गया। • अर्जेंटीना ने द्वीपों पर ब्रिटेन के कब्ज़े का लगातार विरोध किया। • द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के बाद फ़ॉकलैंड द्वीप समूह पर संप्रभुता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में स्थानांतरित हो गया, जब 1964 में, संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा द्वीपों की स्थिति पर बहस की गई थी। • 1965 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए ब्रिटेन और अर्जेंटीना को विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। • इस मुद्दे पर फरवरी 1982 में चर्चा चल ही रही थी की अप्रैल में अर्जेंटीना की सैन्य सरकार ने फाकलैंड पर

	आक्रमण कर दिया। • इस अधिनियम ने फ़ॉकलैंड द्वीप युद्ध की शुरुआत की, जो 10 सप्ताह बाद स्टेनली में अर्जेंटीना की सेना के ब्रिटिश सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया, जिन्होंने द्वीपों पर जबरन कब्जा कर लिया था। • हालांकि ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने वर्ष 1990 में पूर्ण राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया, लेकिन दोनों देशों के मध्य संप्रभुता का मुद्दा विवाद का विषय बना रहा। • 21वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन ने द्वीपों पर करीब 2,000 सैनिकों को रखना जारी रखा। • मार्च 2013 में आयोजित जनमत संग्रह में द्वीपवासियों ने ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र बने रहने हेतु लगभग सर्वसम्मति से मतदान किया।
ज़ोंबी बर्फ (Zombie ice)	**संदर्भ** • हाल के अध्ययन से पता चला है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से वैश्विक समुद्र का स्तर अपरिहार्य रूप से कम से कम 10.6 इंच या 27 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, भले ही दुनिया इस समय कोई भी जलवायु कार्रवाई करने का फैसला करे। • इसका कारण है 'ज़ोंबी बर्फ', जो बर्फ की टोपी से पिघलकर समुद्र में मिल जाना निश्चित है। **'ज़ोंबी बर्फ' क्या है?** • इसे मृत या बर्बाद बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, ज़ोंबी बर्फ वह है जो मूल बर्फ की चादर का हिस्सा बने रहने के बावजूद ताजा बर्फ जमा नहीं कर रहा है। • ऐसे में ऐसी बर्फ पिघलने और समुद्र के स्तर को बढ़ाने के लिए "निश्चित" है।

पर्यावरण

अग्रणी लोगों द्वारा संचालित जलवायु कार्रवाई: "पर्यावरण के लिए जीवन शैली" (LiFE)	**संदर्भ:** नवंबर 2021 में, ग्लासगो में सीओपी 26 में , भारत के प्रधानमंत्री ने पंचामृत , या देश की पांच जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं की घोषणा के साथ ही , "पर्यावरण के लिए जीवन शैली" लाइफ (एलआईएफई) की अवधारणा को भी व्यक्त किया था I **पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE)** ○ 5 जून, 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस पर लॉन्च किया गया।

	○ **विजन:** जलवायु संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना। ○ **इस आंदोलन का उद्देश्य** व्यक्तियों और समुदायों को अपनी दैनिक जीवन शैली में सरल और विशिष्ट जलवायु-अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना शामिल है। **दुनिया भर में ग्रह समर्थक पहल की मिसालें** ○ डेनमार्क शहर के केंद्र के भीतर पार्किंग को सीमित करके और विशेष बाइक लेन प्रदान करके साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देता है। ○ जापान का अपना अनूठा "वॉक-टू-स्कूल" जनादेश है, जो 1950 के दशक की शुरुआत से ही प्रचलन में है। हालाँकि, लाइफ को अपनी तरह के पहले वैश्विक आंदोलन के रूप में नियोजित किया गया है , जिसका नेतृत्व भारत ने अन्य देशों के साथ साझेदारी में किया है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा । ○ **जिम्मेदारी से करें सेवन :** लाइफ ने दुनिया को कम खपत करने के बजाय जिम्मेदारी से उपभोग करने के लिए प्रेरित कर इस मानसिक मॉडल को व्यवस्थित रूप से तोड़ने की योजना बनाई है । स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) जैसे भारत के हालिया सफल जन आंदोलन का अनुभव , लाइफ़ आंदोलन को सफल बनाने में उपयोगी साबित होगा जैसे संचार के माध्यम का कुशलता पूर्वक प्रयोग कर सामाजिक जागरूकता फैलाकर लोगों के सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन में सकरात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। ○ **जिम्मेदारी से उत्पादन करें:** बड़े पैमाने पर समाज के खपत पैटर्न को कम करके , लाइफ भी स्थिर बाजार को बढ़ावा दे सकता है। कई हरित उद्योग और बड़ी संख्या में नौकरियों को लाइफ के जरिये विकसित किये जाने की संभावना है। ○ **जिम्मेदारी से जिएं:** इस संदर्भ में, अपने बहु-आयामी, बहु-सांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से, एलआईएफई (लाइफ) आंदोलन न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है , बल्कि व्यापक स्तर पर, एक सामंजस्यपूर्ण और विचारशील जीवन शैली को मुख्यधारा में ला सकता है - सदियों से अपने लोगों द्वारा प्रचलित भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक प्रधान। **निष्कर्ष** दुनिया महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की ओर बढ़ रही है , ऐसे में भारत लाइफ़ (एलआईएफई) आंदोलन का नेतृत्व कर जलवायु के मुद्दे को मुख्यधारा में लेकर आ सकता है। यह वैश्विक विकास मॉडल को आकार देने में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बना सकता है। लाइफ आंदोलन इस मॉडल का दिल बन सकता है।
भारत ने रामसर स्थलों के रूप में नामित 10 और आर्द्रभूमियों को जोड़ा	**चर्चा में क्यों :** भारत देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कुल 64 स्थलों को बनाने के लिए रामसर साइटों के रूप में नामित 10 और आर्द्रभूमि जोड़ता है। **रामसर साइट** रामसर स्थल आर्द्रभूमि (दलदल, झीलें, बाढ़ के मैदान और अन्य जल निकाय जो स्थिर या बहते पानी से भरे हुए हैं) हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। • रामसर कन्वेंशन के तहत, एक अंतर सरकारी संधि जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना है, हस्ताक्षरकर्ता देश आर्द्रभूमि को 'रामसर साइट' घोषित कर सकते हैं, बशर्ते वे नौ मानदंडों में से एक को पूरा करें। • इनमें शामिल हैं यदि आर्द्रभूमि एक दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्रभूमि प्रकार का प्रतिनिधि है, या यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करता है। • 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत एक है। भारत ने 1 फरवरी, 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। • 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 64 आर्द्रभूमियों को नामित किया गया है।

S.No	आर्द्रभूमि का नाम	राज्य
1.	कुंठनकुलम पक्षी अभ्यारण्य	तमिलनाडु
2.	सतकोसिया गॉर्ज	ओडिशा
3.	नंदा झील	गोवा
4.	मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व	तमिलनाडु
5.	रंगनाथइतुउ बीएस	कर्नाटक
6.	वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर	तमिलनाडु
7.	वेलोड पक्षी अभ्यारण्य	तमिलनाडु
8.	सिरपुर आर्द्रभूमि	मध्य प्रदेश
9.	वेदान्थंगल पक्षी अभ्यारण्य	तमिलनाडु
10.	उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य	तमिलनाडु

भारत रामसर साइटों की सूची में 11 और आर्द्रभूमियों को जोड़ा

चर्चा में क्यों : भारत स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर साइटों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई है।

- 11 नई साइटों में तमिलनाडु में चार (4), ओडिशा में तीन (3), जम्मू और कश्मीर में दो (2) और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक (1) शामिल हैं।
- इन स्थलों को नामित करने से आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन और उनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी।
- तमिलनाडु में अधिकतम संख्या है। रामसर स्थलों की संख्या (14), इसके बाद यूपी में रामसर के 10 स्थल हैं।

	नई रामसर साइटें • **ओडिशा -** ताम्पारा झील और हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील • **मध्य प्रदेश -** यशवंत सागर • **तमिलनाडु -** चित्रंगुडी पक्षी अभयारण्य, सुचिन्द्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, वडुवुर पक्षी अभयारण्य और कांजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य • **महाराष्ट्र -** ठाणे क्रीक (Thane Creek) • **जम्मू और कश्मीर -** हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व (Hygam Wetland Conservation Reserve) और शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व **अवश्य पढ़ें:** भारत ने 5 नई रामसर साइटें + चार और रामसर साइटें नामित की है।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022	**चर्चा में क्यों :** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 प्रकाशित किया। ये नियम बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 का स्थान लेंगे। • यह नियम सभी प्रकार की बैटरियों को कवर करते हैं, अर्थात, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी। • नियमों का कार्य विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) की अवधारणा पर आधारित है, जहां बैटरी के निर्माता (आयातकों सहित) अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण और अपशिष्ट से प्राप्त सामग्री को नई बैटरियों में उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं। • नियम उत्पादकों के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं / नवीनीकरणकर्ताओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने में सक्षम होंगे। • नियमों के तहत खराब बैटरियों से सामग्री की रिकवरी का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य करने से नई तकनीक और पुनर्चक्रण तथा नवीनीकरण उद्योग में निवेश आएगा और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। • नई बैटरियों के निर्माण में कुछ निश्चित संख्या में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग को निर्धारित करने से नए कच्चे माल पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। • ऑनलाइन पंजीकरण और रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा, और नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समिति और कठिनाइयों को दूर करने, आवश्यक उपाय करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने आदि नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं। • प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर, नियमों में निर्धारित ईपीआर लक्ष्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा न करने पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत एकत्र की गई धनराशि का उपयोग गैर-एकत्रित और गैर-पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में किया जाएगा। इन नियमों की अधिसूचना पूरी गंभीरता से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।

समाज और सामाजिक मुद्दे

मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना / नमस्ते योजना

चर्चा में क्यों : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) अब सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे सभी लोगों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहा है, एक ऐसी गतिविधि जिसके कारण वर्ष 2017 से कम से कम 351 मौतें हुई हैं।

- इस काम और हाथ से मैला ढोने के बीच अंतर बताते हुए, मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि देश में अब हाथ से मैला ढोने की प्रथा नहीं है क्योंकि सभी हाथ से मैला ढोने वालों को पुनर्वास योजना में शामिल कर लिया गया है।
- यह गणना अभ्यास, जल्द ही 500 AMRUT (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) शहरों में आयोजित किया जाएगा, जो केंद्र सरकार की मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है, और यह स्वच्छता श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा तथा अंततः हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (SRMS) के साथ विलय और प्रतिस्थापन, जिसे 2007 में शुरू किया गया था।
- अंतत: इन सफाई कर्मचारियों को भी स्वच्छता उद्यमी योजना से जोड़ने का विचार है, जिसके माध्यम से श्रमिक स्वयं स्वच्छता मशीनों के मालिक होंगे और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नगर पालिका स्तर पर काम आता रहे।

मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem – NAMASTE) के बारे में

- सरकार ने सेप्टिक टैंक और सीवर साफ करने के लिए नमस्ते योजना विकसित की है।
- नमस्ते परियोजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है।

परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करना है:

- भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु।
- सभी स्वच्छता कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा किए जाने हैं।
- कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए।
- स्वच्छता कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित किया जाना है और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार दिया गया है।
- सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (SSW) के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच है।
- सुरक्षित स्वच्छता कार्य के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और यूएलबी स्तरों पर मजबूत पर्यवेक्षी और निगरानी प्रणाली।
- पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों से सेवाएं लेने के लिए स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों और संस्थानों) के बीच जागरूकता बढ़ाना।

स्वच्छता उद्यमी योजना

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 02 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता उद्यमी योजना (Swachhta Udyami Yojana-SUY) शुरू की।
- इस योजना का दोहरा उद्देश्य स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों को आजीविका प्रदान करना और "स्वच्छ भारत अभियान" के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाथ से मैला ढोने वालों को मुक्त करना है।

	• स्वच्छता उद्यमी योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) मोड में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव और स्वच्छता संबंधी वाहनों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। • योजना में इन मशीनों के उपयोग में श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है, इस दौरान प्रति माह ₹3,000 तक का वजीफा प्रदान किया जाएगा। • यह योजना स्वच्छता कार्यकर्ताओं को कृषि, सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स संयोजन, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवसायों की किसी भी अनुमोदित सूची के लिए प्रशिक्षित करने और जाने के लिए भी प्रदान करेगी।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार, SEED (विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये केवल 402 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
	कौन हैं विमुक्त खानाबदोश जनजाति (DNTs)
	• विमुक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक शृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
	• इस अधिनियम के तहत, लाखों खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों को अपराधी घोषित किया गया और उन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया।
	• दशकों तक इस नस्लीय अधिनियम की भयावहता का सामना करने के बाद, 31 अगस्त, 1952 को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा उन्हें गैर-अधिसूचित कर दिया गया।
	• 1952 में गैर-अधिसूचना के बाद, इनमें से कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया गया क्योंकि वे विविध सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं।
	• डीएनटी एक विषम समूह है जो परिवहन, चाबी बनाने, नमक व्यापार, मनोरंजक - कलाबाज, नर्तक, सपेरे, बाजीगर - और पशुचारक जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगा हुआ है।
	घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और डीएनटी के बीच अंतर:
	• व्यावसायिक कारणों से घुमंतू जनजातियां निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखती हैं, जबकि अर्ध-घुमंतू वे हैं जो घूमते हैं लेकिन वर्ष में एक बार निश्चित बस्तियों में लौट आते हैं।
	• सभी घुमंतू जनजातियां डीएनटी नहीं हैं, लेकिन सभी डीएनटी घुमंतू जनजातियां हैं।
	• रेनके आयोग (2008) के अनुसार, लगभग 1,500 घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ और 198 विमुक्त जनजातियाँ हैं, जिनमें 15 करोड़ भारतीय शामिल हैं।
	DNTs (SEED) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना क्या है?
	• SEED योजना के चार घटक हैं -
	  ○ शैक्षिक अधिकारिता - इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग
	  ○ स्वास्थ्य बीमा - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से
	  ○ आजीविका - आय सृजन का समर्थन करने के लिए
	  ○ आवास – प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से
	• पांच साल वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
	• इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता ऑनलाइन पोर्टल है जिसे विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और इन समुदायों के डेटा के भंडार के रूप में भी कार्य करेगा।

	• आजादी के बाद से गठित कई आयोगों और समितियों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है। • संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठित आपराधिक जनजाति जांच समिति, 1947। • वर्ष 1949 में अनंतशयनम आयंगर समिति (यह इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था), • काका कालेलकर आयोग (जिसे पहला ओबीसी आयोग कहा जाता है) वर्ष 1953 में गठित किया गया। • बी पी मंडल आयोग का गठन 1980 में किया गया था। • संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी), 2002 ने माना कि डीएनटी को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से लांछित (stigmatised) किया गया है और कानून और व्यवस्था तथा सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उच्च व्यवहार के साथ-साथ शोषण के अधीन किया गया है। • श्री भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पहचान आयोग का गठन किया गया था। ○ इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में DNTs, SNTs & NTs (DWBDNCs) के लिए विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना की।

सुरक्षा

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM) का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना द्वारा ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर में एक भारतीय नौसेना जहाज़ से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। • यह एक त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समुद्री-स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। • सी स्किमिंग (Sea skimming) एक ऐसी तकनीक हैं जिसका उपयोग कई एंटी-शिप मिसाइलें और कुछ लड़ाकू या स्ट्राइक एयरक्राफ्ट रडार और इन्फ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिये करते हैं। • मिसाइल को 40 से 50 किमी की दूरी पर और लगभग 15 किमी की ऊँचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। • इसका डिज़ाइन अस्त्र मिसाइल पर आधारित है जो दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल है। **विशेषताएँ:** • **क्रूसिफ़ॉर्म पंख (Cruciform wings) :** वे चार छोटे पंख होते हैं जो चार तरफ एक क्रॉस की तरह व्यवस्थित होते हैं और प्रक्षेप्य को एक स्थिर वायुगतिकीय स्थिति प्रदान करते हैं। • **थ्रस्ट वेक्टरिंग:** यह अपने इंज़न से थ्रस्ट की दिशा बदलने, कोणीय वेग और मिसाइल के स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता है। • VL-SRSAM एक कनस्तरीकृत प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बों से संग्रहित और संचालित किया जाता है। कनस्तर में, आंतरिक वातावरण को नियंत्रित किया जाता है जिससे इसका परिवहन और भंडारण आसान हो जाता है और हथियारों के शेल्फ जीवन में सुधार होता है।
INS विक्रांत	**चर्चा में क्यों :** देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक (IAC-1) भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चालू होने वाला है।

विमानवाहक पोत INS विक्रांत क्या है?

- 44,000 टन वजनी स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत भारत में सबसे पहले डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- नौसेना में शामिल होने के साथ यह विमानवाहक पोत भारतीय नौसेना को एक प्रमुख समुद्री सैन्य बल या 'ब्लू वाटर फोर्स' के रूप में स्थापित करेगा जिसके पास दूर समुद्र में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता होगी।

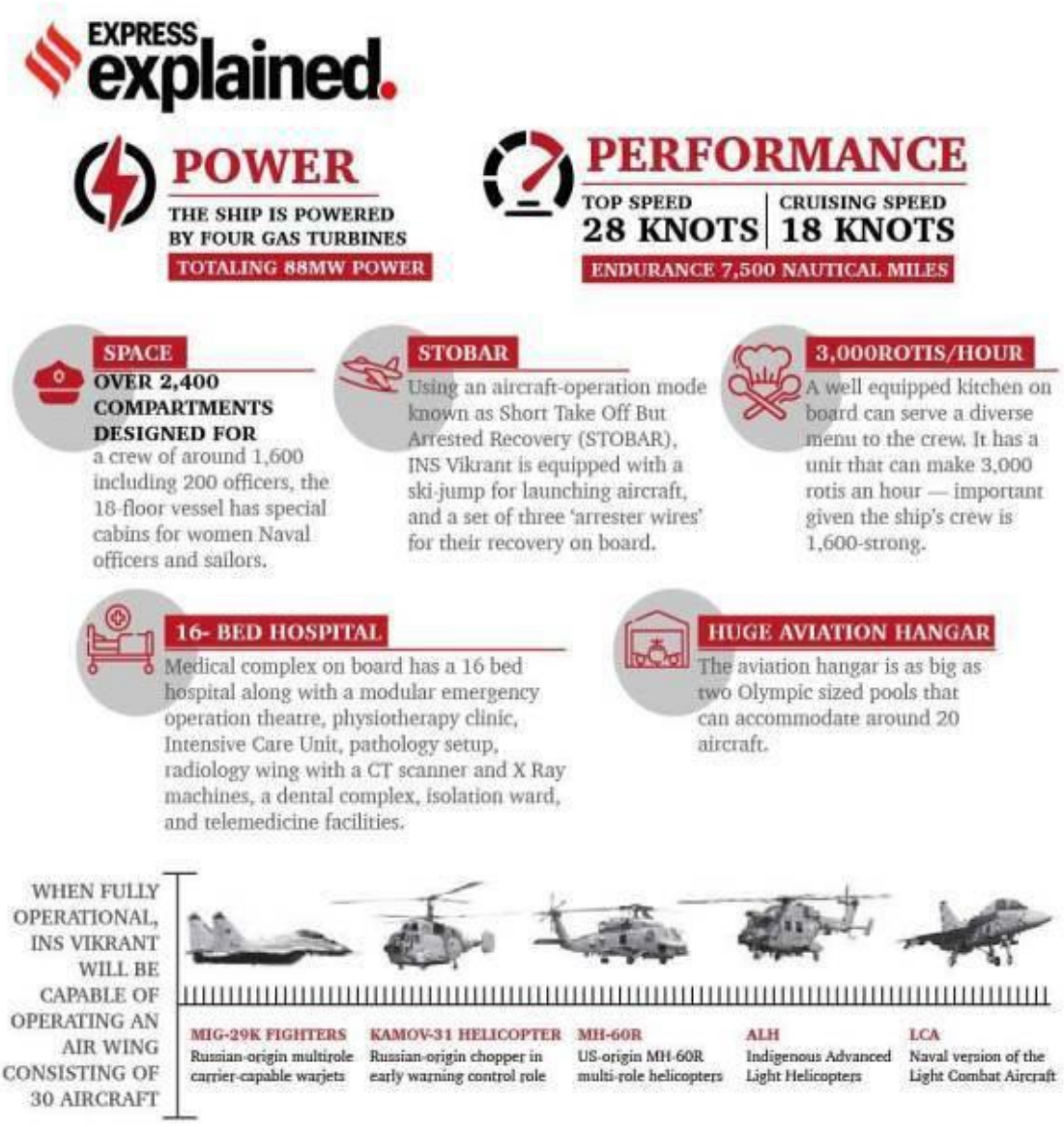

विशेषताएँ:

- विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, जो दो फुटबॉल मैदानों से अधिक है और 62 मीटर चौड़ा है। हैंगर में करीब 20

विमान खड़े किए जा सकते हैं।

- IAC-1 का कुल विस्थापन 40,000 टन है और इसकी शीर्ष गति लगभग 28 समुद्री मील (50 किमी प्रति घंटे से अधिक) है। इसकी लगभग 7,500 समुद्री मील की सहनशक्ति के साथ 18 समुद्री मील की परिभ्रमण गति है।
- नौसेना के अनुसार, IAC-1 (Indigenous Aircraft Carrier -1) बोर्ड पर 76 प्रतिशत से अधिक चीजें और उपकरण स्वदेशी हैं, जिसमें 21,500 टन विशेष ग्रेड स्टील शामिल है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और पहली बार भारतीय नौसेना के जहाजों में उपयोग किया गया है।
- देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विमानवाहक पोत के आकार का जहाज पूरी तरह से 3D में तैयार किया गया है और 3D मॉडल से प्रोडक्शन ड्रॉइंग निकाला गया है।
- मौजूदा समय में सिर्फ पांच या छह देशों के पास विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत अब इस खास क्लब में शामिल हो गया है।

इसका नाम विक्रांत क्यों पड़ा?

- आईएनएस विक्रांत भारत का पहला विमानवाहक पोत था, जिसे उसने वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम से अधिग्रहित किया था।
- इसने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वर्ष 1997 में इसे बंद कर दिया गया था।
- अब भारत के पहले होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपने शानदार पूर्ववर्ती का नाम होगा।

अन्य विमान वाहक:

- भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में केवल एक परिचालन विमानवाहक पोत है - आईएनएस विक्रमादित्य।
- देश के पहले के दो वाहक, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट, क्रमशः 1961 और 1987 में नौसेना में शामिल होने से पहले मूल रूप से ब्रिटिश निर्मित HMS हरक्यूलिस और HMS हर्मीस थे।
- युद्धपोत की कमीशनिंग, जिसे 'विक्रांत' नाम दिया जाएगा, "आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की प्राप्ति का ऐतिहासिक मील का पत्थर" (आत्मनिर्भरता) को चिह्नित करेगा।

विज्ञान -प्रौद्योगिकी

इसरो SSLV की पहली उड़ान शुरू करेगा

चर्चा में क्यों : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 7 अगस्त को अपने नव विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (Small Satellite Launch Vehicle-SSLV) की पहली उड़ान शुरू करेगा।

- अपनी पहली उड़ान में, SSLV भारत के भू प्रेक्षण उपग्रहों में से एक - EOS-2 - को ले जाएगा जिसमें विभिन्न GIS अनुप्रयोगों के मानचित्रण और विकास में अनुप्रयोग होंगे।
- यह 'आजादीसैट' को भी साथ ले जाएगा, जो कि SpaceKidz India द्वारा समन्वित देश भर के 750 ग्रामीण छात्रों द्वारा विकसित एक उपग्रह है।
    - SpaceKidz India एक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप है जो "देश" के लिए "युवा वैज्ञानिकों" का निर्माण कर रहा है और "सीमाहीन दुनिया" के लिए बच्चों में जागरूकता फैला रहा है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

- SSLV एक रॉकेट है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम से कम वजन और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO) के लिए 300 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों की कक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

	• यह एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणों और एक तरल प्रणोदन-आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। **प्रमुख विशेषताऐं** • SSLV इसरो में 110 टन द्रव्यमान का सबसे छोटा वाहन है। • इसे एकीकृत होने में केवल 72 घंटे लगेंगे, जबकि एक प्रक्षेपण यान के लिए अभी 70 दिन लगते हैं। इसमें काम करने के लिए 60 लोगों की जगह सिर्फ छह लोगों की जरूरत होगी। • अन्य विशेषताओं में शामिल हैं: कई उपग्रहों को समायोजित करने में लचीलापन, मांग पर प्रक्षेपण व्यवहार्यता, न्यूनतम प्रक्षेपण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं आदि। **महत्व** **छोटे उपग्रहों का निर्बाध प्रक्षेपण** • SSLV का उद्देश्य छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में क्विक टर्न-अराउंड समय (a quick turn-around time) के साथ लॉन्च करने के लिए बाजार की जरूरतों को पूरा करना है। • यह कई माइक्रोसेटेलाइट लॉन्च करने के लिए उपयुक्त और कई कक्षीय ड्रॉप-ऑफ का समर्थन करता है। • वाणिज्यिक प्रक्षेपणों का बोझ PSLV से हटाना। • SSLV की लागत मौजूदा PSLV की एक चौथाई होने की संभावना है।
अल्फाफोल्ड (AlphaFold)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में लंदन स्थित एक कंपनी डीपमाइंड ने अल्फाफोल्ड का उपयोग करके 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन त्रि-आयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी की है। **अल्फाफोल्ड क्या है?** • अल्फाफोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है। • यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। • मानव मस्तिष्क से प्रेरित, न्यूरल नेटवर्क बड़ी मात्रा में ठीक उसी प्रकार इनपुट डेटा का उपयोग कर वांछित आउटपुट प्रदान करते हैं। • वास्तविक कार्य इनपुट और आउटपुट परतों के मध्य ब्लैक बॉक्स द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हिडन नेटवर्क कहा जाता है। • अल्फाफोल्ड को इनपुट के रूप में प्रोटीन अनुक्रमों के साथ जोड़ा जाता है। • जब प्रोटीन अनुक्रम एक छोर से प्रवेश करते हैं, तो अनुमानित त्रि-आयामी संरचनाएँ दूसरे छोर के माध्यम से बाहर आती हैं। **अल्फाफोल्ड कैसे काम करता है?** • यह "प्रशिक्षण, सीखने, पुनःप्रशिक्षण और पुनः सीखने" के आधार पर प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। • पहले चरण में कंप्यूटर मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये प्रोटीन डाटा बैंक (PDB) में 1,70,000 प्रोटीन की उपलब्ध संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। • यह उस प्रशिक्षण के परिणामों का उपयोग PDB में नहीं बल्कि प्रोटीन की संरचनात्मक भविष्यवाणी के लिये करता है। • यह पहले चरण से ही उच्च सटीकता पुर्वानुमान का उपयोग करता है ताकि पहले की पुर्वानुमानों की उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिये फिर से प्रशिक्षित किया जा सके और फिर से सीख सकें। • इस पद्धति का उपयोग करके अल्फाफोल्ड ने अब यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स (यूनिप्रोट) डेटाबेस में एकत्रित पूरे 214 मिलियन अद्वितीय प्रोटीन अनुक्रमों की संरचनाओं का पूर्वानुमान लगाया है। **इस विकास के निहितार्थ क्या हैं?**

	• प्रोटीन आमतौर पर एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके संरचित होते हैं। • मानव रोगों को समझने के लिए प्रोटीन संरचना और कार्य को जानना आवश्यक है। • यह विशेष रूप से विज्ञान और संरचनात्मक जीव विज्ञान में एक 'वाटरशेड मूवमेंट' (Watershed Movement) है। • लगभग एक साल पहले डेटाबेस की पहली सार्वजनिक निर्गमन के बाद से अल्फाफोल्ड ने पहले ही टीका और दवा विकास में अपनी खोजों में तेज़ी लाने में सैकड़ों वैज्ञानिकों की मदद की है।
कॉटन लीफ कर्ल डिजीज (CLCuD)	**चर्चा में क्यों :** सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कपास क्षेत्र में कॉटन लीफ कर्ल रोग (CLCuD) फैल गया है। **कॉटन लीफ कर्ल डिजीज (CLCuD)** • CLCuD एक वायरल रोग है जो कपास के पौधे के समग्र विकास को प्रभावित करता है और इसकी उपज को प्रभावित करता है। • संक्रमित रुई की पत्तियाँ ऊपर और नीचे दोनों ओर मुड़ी होती हैं। • जब सफेद मक्खियां फसल पर हमला करती हैं, तो CLCuD की अपेक्षा की जाती है क्योंकि ये वायरस को और अधिक बढ़ाती हैं। • सर्वेक्षण के दौरान कॉटन फार्मरों ने बताया कि उन्होंने सफेद मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए दो या तीन छिड़काव किए हैं। • किसानों ने यह भी संकेत दिया कि उन्होंने CLCuD-प्रतिरोधी हाइब्रिड की बुवाई की है और उसके बाद भी वायरस का प्रकोप बना हुआ है।
हेलफायर R9X मिसाइल (Hellfire R9X missile)	**चर्चा में क्यों :** अयमान अल-जवाहिरी पिछले सप्ताहांत (last weekend) में अमेरिकी हमले में मारा गया था। • अमेरिकी सेना ने अल कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को मारने के लिए अपने 'गुप्त हथियार', हेलफायर R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया। **हेलफायर R9X मिसाइल क्या है?** • AGM-114 R9X के रूप में सैन्य हलकों में प्रसिद्ध Hellfire R9X एक अमेरिकी-मूल की मिसाइल है जिसे व्यक्तिगत लक्ष्यों को शामिल करते हुए 'न्यूनतम संपार्श्विक क्षति'पहुचाने के कारण जाना जाता है। • हेलफायर आर9एक्स मिसाइल (Hellfire R9X) को "निंजा मिसाइल" (Ninja Missile) के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल की प्रोग्रामिंग और डिजाइन कुछ इस तरह से की गई है, जिसमें टार्गेट खत्म हो जाए और आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। • इस मिसाइल के पास कोई वारहेड नहीं है, इसमें छह ऐसे ब्लेड हैं जो निशाने को भेदने के साथ काट भी देते हैं। इस मिसाइल को "फ्लाइंग जिन्सू (flying ginsu)" भी कहा जाता है। • यह स्टील की मोटी चादरों को भी तोड़ने में मदद करता है और इसके प्रणोदन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्य को कम करने में मदद करता है, जिससे आसपास के लोगों या इमारत की संरचना को कोई नुकसान नहीं होता है।

हेलफायर मिसाइल ने सक्रिय सेवा में कब प्रवेश किया?

- ज्ञात है कि हेलफायर 9RX मिसाइल 2017 से सक्रिय सेवा में है। हालांकि, इसका अस्तित्व दो साल बाद वर्ष 2019 में सार्वजनिक हो गया।

अन्य हेलफायर मिसाइल वेरिएंट के बारे में क्या जाना जाता है?

- हेलफायर वास्तव में हेलीबोर्न, लेजर, फायर और फॉरगेट मिसाइल का संक्षिप्त रूप है और इसे अपाचे एएच-64 (Apache AH-64) अटैक हेलीकॉप्टरों से टैंकों को लक्षित करने के लिए शुरू में अमेरिका में विकसित किया गया था।
- लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन द्वारा विकसित, हेलफायर मिसाइल के 'निंजा' के अलावा 'लॉन्गबो' और 'रोमियो' जैसे अन्य प्रकार भी हैं।

लम्पी स्किन डिजीज (ढेलेदार त्वचा रोग)

चर्चा में क्यों : पिछले कुछ हफ्तों में, राजस्थान और गुजरात में लगभग **3,000** मवेशियों की मौत एक वायरल संक्रमण के कारण हुई है, जिसे लम्पी स्किन डिजीज (**Lumpy Skin Disease-LSD)** कहा जाता है, जो पूरे राज्यों में फैल गया है।

लम्पी स्किन डिजीज क्या है?

- GAVI, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, गांठदार त्वचा रोग (LSD) रोग Capripoxvirus नामक वायरस के कारण होता है और यह दुनिया भर में पशुधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा है।
- यह आनुवंशिक रूप से गोटपॉक्स और शीपपॉक्स (goatpox and sheeppox) वायरस परिवार से संबंधित है।
- यह मच्छरों, मक्खियों और जूँ के साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है।
- संक्रमण के लक्षणों में जानवर की खाल या त्वचा पर गांठ जैसी दिखने वाली गोलाकार, कठोर गांठों का दिखना शामिल है।
- संक्रमित जानवर तुरंत वजन कम करना शुरू कर देते हैं और दूध की उत्पादकता कम होने के साथ-साथ उन्हें

	बुखार और मुंह में घाव हो सकते हैं। • अन्य लक्षणों में अत्यधिक नाक और लार का स्राव शामिल है। • गर्भवती गायों और भैंसों को अक्सर गर्भपात का शिकार होना पड़ता है और कुछ मामलों में इसके कारण रोगग्रस्त पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। **क्या इस तरह का प्रकोप पहले हुआ है; और क्या इंसान खतरे में हैं?** • यह पहली बार नहीं है जब भारत में एलएसडी का पता चला है। • यह रोग अधिकांश अफ्रीकी देशों में स्थानिक है, और वर्ष 2012 से यह मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व यूरोप और पश्चिम एवं मध्य एशिया में तेजी से फैल गया है। • वर्ष 2019 से, एशिया में LSD के कई प्रकोपों की सूचना मिली है। • विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के अनुसार, जिसका भारत एक सदस्य है, मृत्यु दर 1 से 5 प्रतिशत सामान्य मानी जाती है। • यह रोग जूनोटिक (Zoonotic) नहीं है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है, और मनुष्य इससे संक्रमित नहीं हो सकते हैं। • जबकि वायरस मनुष्यों में नहीं फैलता है, "एक संक्रमित जानवर द्वारा उत्पादित दूध उबालने या पाश्चराइजेशन (pasteurisation) के बाद मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा क्योंकि ये प्रक्रियाएं दूध में वायरस, यदि कोई हो, को मार देंगी। WOAH के अनुसार, LSD का सफल नियंत्रण और उन्मूलन "तेजी से और व्यापक टीकाकरण अभियान के बाद शीघ्र पता लगाने" पर निर्भर करता है। एक बार जब कोई जानवर ठीक हो जाता है, तो वह अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है और अन्य जानवरों के लिए संक्रमण का माध्यम नहीं बन सकता है।
AGM-88 HARM	**चर्चा में क्यों :** संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की कि उसने यूक्रेन को कुछ "विकिरण-विरोधी मिसाइलों" की आपूर्ति की है। • इस बयान ने रूस (Russia) के उन आरोपों को सही साबित कर दिया है कि नाटो (NATO) की हथियारों की सूची का हिस्सा एक अमेरिकी एंटी-रडार मिसाइल एजीएम -88 हार्म (AGM-88 HARM) का इस्तेमाल जंग के दौरान किया गया है। **AGM-88 HARM मिसाइल क्या है?** • AGM-88 HARM हवा से सतह पर मार करने वाली एक एंटी रडार मिसाइल है, 'HARM' का विस्तृत नाम हाई-स्पीड एंटी-रेडिएशन मिसाइल है। • यह लड़ाकू विमानों से दागा गया एक सामरिक हथियार है, इसमें सतह से हवा में पता लगाने की क्षमता वाले शत्रुतापूर्ण रडार स्टेशनों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का पता लगाने और ऐसी जगहों पर घुस कर वार करने की क्षमता है। • AGM-88 HARM की लंबाई 14 मीटर है,, लेकिन व्यास केवल 10 इंच है। • इसका वजन लगभग 360 किलोग्राम है और इसमें विखंडन प्रकार का वारहेड है जिसे रडार लक्ष्यों के लिए अनुकूलित किया गया है। • इसमें एक एंटी-रडार होमिंग सीकर ब्रॉडबैंड आरएफ एंटीना और रिसीवर और एक सॉलिड स्टेट डिजिटल प्रोसेसर भी इनकॉरपोरेटेड है। • इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 किमी से अधिक है।

मिसाइलों का इस्तेमाल करने में यूक्रेन कितना सक्षम

- ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पश्चिमी सैन्य समूहों के पास इन मिसाइलों का उपयोग करने के लिए आवश्यक लड़ाकू विमान हैं और AGM-88 HARM को रूसी मूल के विमान में फिट और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जो यूक्रेन के बेड़े में है।
- यूरोप में कई नाटो विमान जैसे Tornado ECR, F-16CM Block 50, और F/A-18-EA-18G आदि की मदद से ही AGM -88 HARM मिसाइलों को फायर किया जा सकता है।
- ऐसी अटकलें हैं कि मिसाइलों को नाटो विमानों द्वारा गुप्त रूप से युद्धक भूमिकाओं में यूक्रेन की सेना का समर्थन करते हुए दागा गया होगा।

लैंग्या (Langya)

चर्चा में क्यों : एक नया जूनोटिक वायरस जिसने चीन में 35 लोगों को संक्रमित किया है।

- लैंग्या हेनिपावायरस **(Langya Henipavirus) :** देश के दो पूर्वी प्रांतों में अब तक 35 संक्रमणों की पहचान के साथ एक नया जूनोटिक वायरस खोजा गया है।
- इस नए प्रकार के हेनिपावायरस को लैंग्या हेनिपावायरस या एलएवी भी कहा जाता है।
- हेनिपावायरस को जैव सुरक्षा स्तर 4 (BSL4) रोगजनकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये जानवरों और मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं, और अभी तक मनुष्यों के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके नहीं उपलब्ध हैं।

लैंग्या वायरस क्या है?

- नया खोजा गया लैंग्या वायरस 'फाइलोज़ेनेटिक रूप से अलग हेनिपावायरस' है।
- पहले खोजे गए हेनिपावायरस प्रकार के अन्य वायरस मोजियांग, घनियन, सीडर, निपाह और हेंड्रा हैं।
- यूएस सीडीसी के अनुसार, सीडर वायरस, घाना के बैट वायरस और मोजियांग वायरस मानव रोग का कारण नहीं हैं।
- लेकिन इनमें से निपाह और हेंड्रा को मनुष्यों में घातक बीमारियों का कारण माना जाता है।
- इस बीच, लैंग्या को बुखार का कारण माना जाता है।

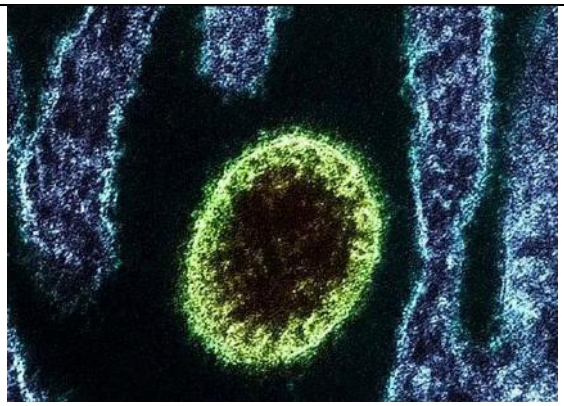

लैंग्या वायरस के लक्षण क्या हैं?

- अध्ययन ने संबंधित लक्षणों की पहचान करने के लिए केवल LayV संक्रमण वाले 26 रोगियों को देखा। जबकि सभी 26 को बुखार था, 54% ने थकान की सूचना दी, 50% को खांसी थी, 38% ने मतली की शिकायत की
- साथ ही कुल 26 में से 35 फीसदी ने सिरदर्द और उल्टी की शिकायत की।
- अध्ययन में पाया गया कि 35% लोगों का लीवर खराब था, जबकि 8% ने उनके गुर्दे की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया था।
- अध्ययन में कहा गया है कि रोगियों में "थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (35%), ल्यूकोपेनिया (54%), इम्पेरेड लिवर (35%) और गुर्दे (8%) कार्य" की असामान्यताएं थीं।
- थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (Thrombocytopenia) कम प्लेटलेट काउंट है, जबकि ल्यूकोपेनिया का मतलब सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में गिरावट है, जो बदले में शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता है।

लैंग्या वायरस कहां से आया है?

- पूरी संभावना है कि नया वायरस एक जानवर से इंसानों में पहुंच गया है।
- LayV वायरस RNA मुख्य रूप से छछूंदरों (shrews) में पाया गया है जो इसके प्राकृतिक मेजबान हो सकते हैं।
- घरेलू और जंगली जानवरों का सीरोसर्वे (serosurvey) करने के बाद इस अध्ययन में होशियारी का पता चला। घरेलू पशुओं में, बकरियों और कुत्तों में सेरोपोसिटिविटी (seropositivity) पाई गई।

मानव-से-मानव संचरण के बारे में क्या?

- अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला हैं।
- अध्ययन के लेखकों ने रेखांकित किया है कि मानव-से-मानव संचरण को निर्धारित करने के लिए उनकी जांच का नमूना आकार बहुत छोटा है।
- हालांकि, वे बताते हैं कि LayV से संक्रमित 35 रोगियों में, "कोई निकट संपर्क या सामान्य जोखिम इतिहास नहीं था", जो बताता है कि "मानव आबादी में संक्रमण छिटपुट हो सकता है"।

सेना को सौंपी गई नई रक्षा प्रणालियां

चर्चा में क्यों : रक्षा मंत्री ने सेना को दो नए हथियार - निपुण माइंस, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट (**LCA**) और एफ-इंसास प्रणालियाँ सौंपी।

एफ-इंसास (F-INSAS) प्रणाली क्या है?

- F-INSAS का अर्थ फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम (एक प्रणाली के रूप में भविष्य के सैनिक) है। यह पैदल सेना के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है।
    - इस परियोजना के तहत, सैनिकों को आधुनिक प्रणालियों से लैस किया जा रहा है जो हल्के, हर मौसम में सभी इलाकों में, लागत प्रभावी और कम रख-रखाव वाली हैं।
    - F-INSAS प्रणाली के पूर्ण-गियर में एक AK-203 असॉल्ट राइफल, एक मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड शामिल है, जिसका उपयोग रक्षात्मक और आक्रामक मोड में किया जा सकता है।

- शस्त्र किट में एक बहुउद्देश्यीय चाकू भी होता है जो नजदीकी मुकाबले के लिए उपयुक्त होता है।
- इसके अलावा, F-INSAS सैनिकों को बुलेट-प्रूफ वेस्ट के साथ-साथ छोटे प्रोजेक्टाइल और फ्रागमेंट्स से सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक हेलमेट और बैलिस्टिक गॉगल्स प्रदान करता है।
- F-INSAS में स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए कमांड पोस्ट और साथी सैनिकों के साथ सूचनाओं के वास्तविक समय में आदान-प्रदान के लिए हैंड्स-फ्री, सुरक्षित उन्नत संचार सेट भी है।

निपुण माइंस क्या हैं?

- निपुण माइंस स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित की गई एंटी-पर्सनल माइंस हैं, जिन्हें DRDO ने 'सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट मूनिशन' कहा है।
- ये माइंस घुसपैठियों और दुश्मन की पैदल सेना के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
- इन्हें आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, पुणे स्थित डीआरडीओ सुविधा और भारतीय उद्योग के प्रयासों से विकसित किया गया है।
- एंटी-पर्सनल माइंस का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ किया जाता है, जबकि एंटी-टैंक माइंस का इस्तेमाल भारी वाहनों के लिये किया जाता है।
- वे आकार में छोटे होते हैं और बड़ी संख्या में तैनात किये जा सकते हैं।
- वे सीमाओं पर सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके शस्त्रागार में मौजूदा एंटी-पर्सनल माइंस की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी हैं।

लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट (एलसीए) क्या है?

- लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट (LCA) पैंगोंग त्सो झील में वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सीमित क्षमताओं वाली नावों के प्रतिस्थापन के रूप में काम करने के लिये है।
- कहा जाता है कि एलसीए, जिसे गोवा स्थित एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, के बारे में कहा जाता है कि इसने पूर्वी लद्दाख में पानी की बाधाओं को पार करने की क्षमता को बढ़ाया है।

कुछ अन्य रक्षा प्रणालियाँ

	• इन प्रणालियों और उपकरणों के अलावा, रक्षा मंत्रालय ने सेना को टी-90 टैंकों के लिये थर्मल इमेजिंग साइट, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर और लंबी दूरी पर सामरिक संचार के लिये फ्रीक्वेंसी-हॉपिंग रेडियो रिले भी प्रदान किया। • इसके अलावा निगरानी मिशनों में हेलीकॉप्टरों की मदद के लिये रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ डाउनलिंक उपकरण भी सौंपे गए। इस प्रणाली का उपयोग करते हुए टोही डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और इसे तभी उपयोग किया जा सकता है जब हेलीकॉप्टर बेस पर वापस आ जाए। • कुछ अन्य रक्षा प्रणालियों में इन्फैंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम सर्विलांस, इन्फैंट्री बटालियन और मैकेनाइज्ड यूनिट स्तर पर डिटेक्शन तथा टोही शामिल हैं।
बायोसेंटिनल (BioSentinel)	**चर्चा में क्यों :** नासा का आर्टेमिस I मिशन बायोसेंटिनल के साथ यीस्ट (yeast) को गहरे अंतरिक्ष में भेजेगा। • नासा का बायोसेंटिनल सूक्ष्मजीवों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा ताकि वैज्ञानिकों को जैविक जीवन रूपों पर गहरे अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। **उद्देश्य:** • बायोसेंटिनल का प्राथमिक उद्देश्य यीस्ट के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना है ताकि यह देखा जा सके कि गहरे स्थान के विकिरण के संपर्क में आने पर सूक्ष्मजीव कैसा प्रदर्शन करते हैं। • यीस्ट कोशिकाओं में जैविक तंत्र होते हैं जो मानव कोशिकाओं की तरह होते हैं, जिसमें DNA क्षति और मरम्मत शामिल है। • इसके कारण, अंतरिक्ष में यीस्ट की जांच करने से हमें मनुष्यों के लिए अंतरिक्ष विकिरण के जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी क्योंकि अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा और उससे आगे के मिशन की योजना बना रही है। • इसके लिए बायोसेंटिनल उच्च विकिरण वाले वातावरण के संपर्क में आने के बाद यीस्ट सेल की वृद्धि और चयापचय गतिविधि का अध्ययन करेगा। • बायोसेंटिनल के मिशन का एक प्रमुख घटक एक नया बायोसेंसर है। नासा इसे "लघु जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला" के रूप में संदर्भित करता है जिसे यह मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जीवित यीस्ट कोशिकाएं लंबी अवधि के अंतरिक्ष विकिरण जोखिम का जवाब कैसे देती हैं। • बायोसेंटिनल आर्टेमिस I मिशन के दस सेकेंडरी पेलोड में से एक है जो गहरे अंतरिक्ष की सवारी को रोक देगा। • ये सभी उपग्रह अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली (Space Launch System-SLS) रॉकेट पर ओरियन चरण अनुकूलक में लगे हैं। **अवश्य पढ़े :** आर्टेमिस I मिशन (Artemis I mission)
पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सबस्टेंस (Per- and Polyfluoroalkyl Substances-PFAs)	**चर्चा में क्यों :** पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया भर में कई जगहों से वर्षा जल, पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सबस्टेंस (**Per- and Polyfluoroalkyl Substances-PFAs)** से दूषित होता है। **PFA क्या हैं?** • यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, PFAs मानव निर्मित रसायन हैं जिनका उपयोग नॉनस्टिक कुकवेयर, जल-विकर्षक कपड़े, दाग-प्रतिरोधी कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, अग्निशामक रूपों और कई अन्य उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है जो ग्रीस, जल तथा तेल का प्रतिरोध करते हैं। • पीएफए अपने उत्पादन और उपयोग के दौरान मिट्टी, पानी और हवा में माइग्रेट कर सकते हैं। • वातावरण, वर्षा जल और मिट्टी में लंबे समय तक रहने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें "हमेशा के लिए रसायन (forever chemicals)" कहा जाता है। • अधिकांश PFAs विघटित नहीं हैं, वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। • इसके अलावा इनमें से कुछ PFAs लोगों और जानवरों में बन सकते हैं यदि वे बार-बार रसायनों के संपर्क में

	आते हैं। **हानिकारक प्रभाव** • विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम जो PFA एक्सपोज़र के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें प्रजनन क्षमता में कमी, बच्चों में विकासात्मक प्रभाव, शरीर के हार्मोन में हस्तक्षेप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि और कुछ कैंसर का खतरा शामिल है। • हाल के शोध से यह भी पता चला है कि कुछ PFA के लंबे समय तक निम्न-स्तर के संपर्क में विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के बाद मनुष्यों के लिये एंटीबॉडी का निर्माण करना मुश्किल हो सकता है।
राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)	**चर्चा में क्यों :** केंद्रीय गृहमंत्री ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) का उद्घाटन किया। • गृह मंत्रालय के अनुसार, NAFIS, जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा विकसित किया गया है, एक केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगा। • इस साल अप्रैल में, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने NAFIS के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान की। **NAFIS क्या है?** • NAFIS परियोजना अपराध- और आपराधिक-संबंधित उंगलियों के निशान का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है। • वेब-आधारित एप्लिकेशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है। • NCRB की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24×7 आधार पर वास्तविक समय में डेटाबेस से डेटा अपलोड, ट्रेस और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। • NAFIS अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय फ़िंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करता है। • इस विशिष्ट आईडी का उपयोग व्यक्ति के जीवन भर के लिए किया जाएगा, और विभिन्न एफआईआर के तहत दर्ज विभिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जाएगा। • फ़िंगरप्रिंट डेटा के डिजिटलीकरण रिकॉर्ड के साथ-साथ फ़िंगरप्रिंट के संग्रह, भंडारण और मिलान को स्वचालित करके, NAFIS "सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) डेटाबेस में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक विशिष्ट पहचानकर्ता प्रदान करेगा क्योंकि दोनों बैकएंड पर जुड़े हुए हैं।
चेहरे की पहचान तकनीक (Facial recognition technology)	**संदर्भ:** नई-दिल्ली स्थित डिजिटल अधिकार संगठन, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार (RTI) प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि दिल्ली पुलिस अपनी चेहरे की पहचान तकनीक (FRT) प्रणाली द्वारा उत्पन्न 80% से अधिक समानता वाले मैचों को सकारात्मक परिणाम मानती है। **चेहरे की पहचान क्या है?** • चेहरे की पहचान एक एल्गोरिथम-आधारित तकनीक है जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं की पहचान और मानचित्रण करके चेहरे का एक डिजिटल नक्शा बनाती है, जो तब उस डेटाबेस से मेल खाती है जिस तक उसकी पहुंच होती है। • इसका उपयोग दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है: पहला, पहचान का 1:1 सत्यापन जिसमें चेहरे के नक्शे को उसकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए डेटाबेस पर व्यक्ति की तस्वीर के साथ मिलान करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। • उदाहरण के लिए, फ़ोन को अनलॉक करने के लिए 1:1 सत्यापन का उपयोग किया जाता है। हालांकि, तेजी से इसका उपयोग किसी भी लाभ या सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। • दूसरा, पहचान की 1:n पहचान है जिसमें चेहरे का नक्शा एक तस्वीर या वीडियो से प्राप्त किया जाता है और

	फिर तस्वीर या वीडियो में व्यक्ति की पहचान करने के लिए पूरे डेटाबेस के साथ मिलान किया जाता है। • दिल्ली पुलिस जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां आमतौर पर 1:n पहचान के लिए FRT खरीदती हैं। • 1:n पहचान के लिए, FRT एक संभाव्यता या उस संदिग्ध व्यक्ति के बीच मिलान स्कोर उत्पन्न करता है जिसकी पहचान की जानी है और पहचाने गए अपराधियों के उपलब्ध डेटाबेस। • संभावित मैचों की एक सूची उनके संबंधित मैच स्कोर के साथ सही मिलान होने की संभावना के आधार पर तैयार की जाती है। • अंततः यह एक मानव विश्लेषक है जो एफआरटी द्वारा उत्पन्न मिलानों की सूची से अंतिम संभावित मिलान का चयन करता है। • इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के प्रोजेक्ट पैनोप्टिक (Panoptic) के अनुसार, जो भारत में FRT के प्रसार को ट्रैक करता है, देश में कम से कम 124 सरकारी अधिकृत FRT परियोजनाएं हैं।
नेबुलर गैस की स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच (Spectrographic Investigation of Nebular Gas – SING) प्रोजेक्ट	**चर्चा में क्यों :** भारत-चीन विवाद ने अंतरिक्ष परियोजना पर निराशा व्यक्त की। • मई 2020 से भारत और चीन के बीच तनाव भारतीय खगोल भौतिकविदों को चिंतित कर रहा है जो विकासशील चीनी अंतरिक्ष स्टेशन, तियांगोंग पर भारत निर्मित स्पेक्ट्रोस्कोप स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल हैं। • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA), बेंगलुरु के वैज्ञानिक, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली पहल के हिस्से के रूप में वर्ष 2019 में 42 आवेदकों में से चुने गए नौ समूहों में से थे, जो पेलोड डिजाइन करने के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु दुनिया भर से अनुसंधान टीमों को आमंत्रित करते हैं। जिसे चीनी मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेटों पर सवार तियांगोंग के लिए बंद कर दिया जाएगा। • नेबुलर गैस (SING) की स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच नामक परियोजना में खगोल विज्ञान संस्थान, रूसी विज्ञान अकादमी के साथ सहयोग भी शामिल है, और इसे IIA में शोध छात्रों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। • नेबुलर गैस (SING) परियोजना भारत और चीन को शामिल करने वाला पहला अंतरिक्ष-सहयोग होगा, और मुख्य रूप से एक स्पेक्ट्रोग्राफ भेजने और स्थिति से संबंधित है, एक उपकरण जो पराबैंगनी विकिरण का अध्ययन करने के लिए घटक आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य में प्रकाश को विभाजित करता है। • यह उस क्षेत्र में अंतरतारकीय गैस की बनावट और स्रोतों का विश्लेषण करने में मदद करेगा जो अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बह गया था। 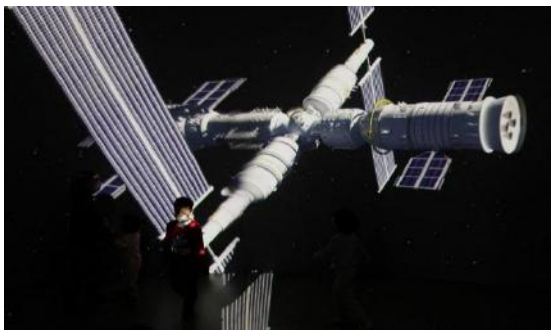 • चीनी T-आकार (T-shaped) का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, जब पूरा हो जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में लगभग 20% या पृथ्वी पर लगभग 460 टन होने की उम्मीद है। • अंतरिक्ष स्टेशन में तीन मॉड्यूल शामिल हैं, जिनमें से दो को क्रमशः अप्रैल 2021 और इस साल जुलाई में लॉन्च किया गया है। • तीसरा इस अक्टूबर में लॉन्च होने की उम्मीद है। कक्षा में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाद यह केवल दूसरा ऐसा स्टेशन होगा। • भारत और चीन भविष्य में जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, पुणे स्थित एक वेधशाला जैसी अनुसंधान

	परियोजनाओं में सहयोगी रहे हैं, जो सितारों और आकाशगंगाओं का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए मीटर-स्केल प्रस्तावों पर विकिरण का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के खगोल भौतिकीविदों द्वारा नियोजित है। **अवश्य पढ़े :** चीन का अंतरिक्ष स्टेशन
वेब टेलीस्कोप के माध्यम से बृहस्पति	**चर्चा में क्यों :** अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (**NASA**) के नवीनतम और सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (**James Webb telescope**) ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति (**Jupiter**) की नई और सबसे साफ छवियों (**Image**) को कैप्चर किया है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। 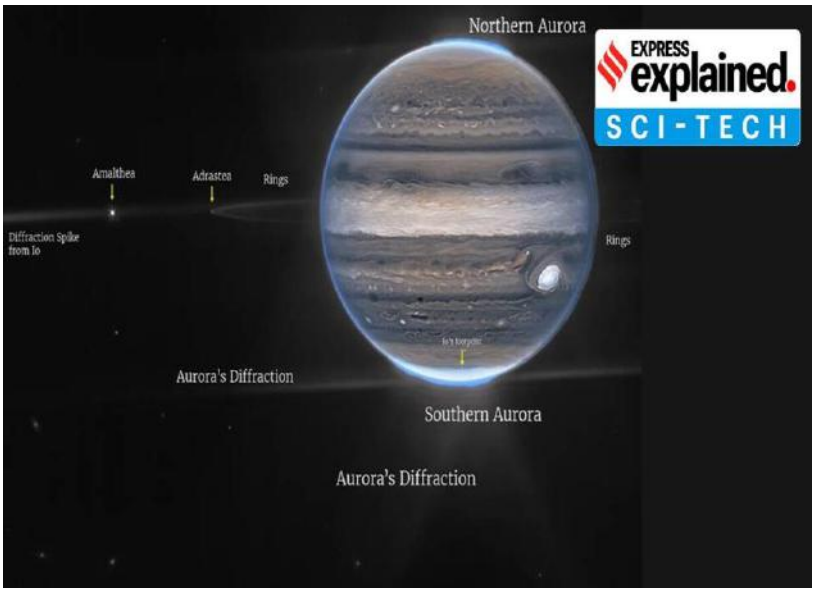 **अभूतपूर्व दृश्य** • हममें से अधिकांश लोग पीले और लाल-भूरे रंग की गैस से परिचित हैं, दूरबीन के नियर-इन्फ्रारेड कैमरा ने अपने विशेष इन्फ्रारेड फिल्टर के साथ बृहस्पति को नीले, हरे, सफेद, पीले और नारंगी रंगों में शामिल किया है। • चूंकि इन्फ्रारेड प्रकाश मानव आंखों के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए छवियों को दृश्यमान स्पेक्ट्रम पर मिलान करने के लिए कृत्रिम रूप से रंगीन किया गया था ताकि नासा के अनुसार ग्रह की विशिष्ट विशेषताएं बाहर स्पष्ट हो सकें। • यहां चमक अधिक ऊंचाई को इंगित करती है - इसलिए ग्रेट रेड स्पॉट में अधिक ऊंचाई वाले धुंध होते हैं, जैसा कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र में होता है। • कई चमकीले सफेद 'धब्बे' और 'धारियाँ' संघनित संवहनी तूफानों के बहुत अधिक ऊंचाई वाले बादल होने की संभावना है। **वेब टेलीस्कोप** • नासा के $10 बिलियन के जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से विकसित किया गया था। • इसे दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और वर्तमान में यह लैग्रेंज बिंदु 2 से देख रहा है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। • टेलीस्कोप उस प्रकाश को भी देख लेता है जो इंसानी आंखों से नहीं दिखतीं।• टेलीस्कोप ने 11 जुलाई 2022 को अंतरिक्ष की अब तक की सबसे दूर की अपनी पहली छवि जारी की थी।
जोरावर टैंक (Zorawar tank)	**चर्चा में क्यों :** सेना ने LAC के लिए हल्के टैंक 'जोरावर' की खरीद में तेजी लाई। • चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर लंबे समय तक खतरे को महसूस करते हुए और दुश्मन के तकनीकी रूप से

"अत्याधुनिक" टैंकों को शामिल करने के लिए, भारतीय सेना "प्रोजेक्ट जोरावर" पर जोर दे रही है।

- जोरावर उन हलके टैंकों का नाम होगा जिन्हें स्वदेश निर्मित करने की परिकल्पना की गई है।
- जोरावर को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, सीमांत इलाके से द्वीप क्षेत्रों तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा और किसी भी परिचालन स्थिति को पूरा करने के लिए तेजी से तैनाती के लिए अत्यधिक परिवहन योग्य होगा।
- जोरावर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस शामिल करने के लिए विशिष्ट तकनीकें होंगी।
- जोरावर सिंह कहलूरिया डोगरा राजा गुलाब सिंह के प्रसिद्ध सेनापति थे और पहाड़ी युद्ध में निपुण थे। उनके नाम पर ये नए टैंक बनाए जाएंगे।
- मिसाइल-फायरिंग क्षमता, काउंटर-ड्रोन उपकरण, चेतावनी प्रणाली और एक शक्ति-से-वजन अनुपात टैंकों को "बहुत एक्टिव" बना देगा।
- हल्के टैंक सेना को मध्यम युद्धक टैंकों की सीमाओं को पार करने में मदद करेंगे और मैदानी, अर्ध-रेगिस्तान और रेगिस्तान में इसके उपयोग के अलावाअधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, सीमांत इलाके और द्वीप क्षेत्रों में सभी आकस्मिकताओं के लिए सेना को लैस करेंगे।

सेना ने स्वदेशी स्वार्म ड्रोन सिस्टम शामिल किए

- भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित स्वार्म ड्रोन सिस्टम को शामिल किया है, जिसका लक्ष्य उन्हें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के ऑपरेशनों में नियोजित करना है।
- सेना का मानना है कि यह उन्हें नियोजित करने वाले सामरिक कमांडरों को एक निर्णायक बढ़त प्रदान करेगा।
- एक स्वार्म ड्रोन प्रणाली में कई छोटे ड्रोन होते हैं जो एआई (AI) सक्षम होते हैं और नियंत्रण स्टेशन के साथ-साथ उनके बीच संचार करने में सक्षम होते हैं और विरोधी की अग्रिम पंक्ति की सामग्री को बाहर निकालने के लिए असममित क्षमता प्रदान करते हैं।

भारत अगली वैश्विक ग्लोबल सास कैपिटल बनने की ओर अग्रसर (India poised to become next global SaaS capital)

चर्चा में क्यों : अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड (**EY**) और भारतीय उद्योग परिसंघ (**CII**) द्वारा "इंडिया: द नेक्स्ट ग्लोबल सास कैपिटल" शीर्षक के एक अध्ययन के अनुसार, भारत अगले कुछ वर्षों में अगली सास कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है।

- एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विसेज (SaaS) बाजार के 2025 तक कई गुना बढ़ने की उम्मीद है, जो वैश्विक बाजार का लगभग 7 से 10 प्रतिशत है, जो वर्तमान में 2 से 4 प्रतिशत है।
- वर्ष 2018 में केवल 1 SaaS गेंडा की तुलना में, भारत में अब कुल 18 हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े SaaS पारिस्थितिक तंत्रों में तीसरे स्थान पर है।

सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विसेज (SaaS) के बारे में

- SaaS को "ऑन-डिमांड सॉफ्टवेयर" के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें सेवाओं को क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है।
- ये सेवाएं इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए अंतिम उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने उपकरणों पर कोई सॉफ़्टवेयर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।
- Outlook, Hotmail or Yahoo! ये मेल SaaS के रूप हैं।

SaaS प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं हैं:

- **व्यापार सेवाएँ** -SaaS प्रदाता स्टार्ट-अप को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करता है। SaaS व्यापार सेवाओं में ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग), CRM (ग्राहक संबंध प्रबंधन), बिलिंग और बिक्री शामिल हैं।
- **दस्तावेज़ प्रबंधन** -SaaS दस्तावेज़ प्रबंधन एक तृतीय पक्ष (SaaS प्रदाता) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ बनाने, प्रबंधित करने और ट्रैक करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन है।
- **सामाजिक नेटवर्क** - सोशल नेटवर्किंग सेवा प्रदाता अपनी सुविधा के लिए SaaS का उपयोग करते हैं और आम जनता की जानकारी को संभालते हैं।
- **मेल सेवाएं** - उपयोगकर्ताओं की अप्रत्याशित संख्या को संभालने और ई-मेल सेवाओं पर लोड को संभालने के लिए, कई ई-मेल प्रदाता SaaS का उपयोग करके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग परत के लाभ

SaaS को खरीदना सरल है

- SaaS मूल्य निर्धारण मासिक शुल्क या वार्षिक शुल्क सदस्यता पर आधारित है, इसलिए यह संगठनों को कम लागत पर व्यावसायिक कार्यक्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो लाइसेंस प्राप्त अनुप्रयोगों से कम है।

कई लोगों के लिए एक (One to Many)

- SaaS सेवाओं को एक-से-कई मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसका अर्थ है कि आवेदन का एक उदाहरण एकाधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किया जाता है।

SaaS के लिए कम हार्डवेयर की आवश्यकता

- सॉफ्टवेयर को दूरस्थ रूप से होस्ट किया जाता है, इसलिए संगठनों को अतिरिक्त हार्डवेयर में निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सभी प्रयोक्ताओं के पास सॉफ्टवेयर का एक ही संस्करण होगा और आमतौर पर इसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। SaaS हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखरखाव और SaaS प्रदाता को समर्थन आउटसोर्सिंग द्वारा आईटी समर्थन लागत को कम करता है।

SaaS के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता

- एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर संगठनों के लिए संस्थापन, सेट-अप और दैनिक रखरखाव की आवश्यकता को हटा देता है।

मल्टीडिवाइससपोर्ट

- SaaS सेवाओं को डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, फोन और थिन क्लाइंट जैसे किसी भी उपकरण से एक्सेस किया जा सकता है।

SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग परत के नुकसान

सुरक्षा

- डेटा को क्लाउड में संग्रहीत किया जाता है, इसलिए सुरक्षा उपयोगकर्ताओं के लिए एक समस्या हो सकती है।

लेटेंसी मुद्दे (Latency issue)

- चूंकि डेटा और एप्लिकेशन एंड-यूज़र से एक परिवर्तनशील दूरी पर क्लाउड में स्टोर किए जाते हैं, इसलिए

	संभावना है कि स्थानीय परिनियोजन की तुलना में एप्लिकेशन के साथ इंटरैक्ट करते समय अधिक विलंबता हो सकती है। • इसलिए, SaaS मॉडल उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनकी मांग प्रतिक्रिया समय मिलीसेकंड में है। **इंटरनेट पर कुल निर्भरता** • इंटरनेट कनेक्शन के बिना, अधिकांश SaaS अनुप्रयोग करने योग्य नहीं होते हैं।SaaS विक्रेताओं के बीच स्विच करना मुश्किल है। • SaaS विक्रेताओं को बदलने में इंटरनेट पर बहुत बड़ी डेटा फ़ाइलों को स्थानांतरित करने और फिर उन्हें दूसरे SaaS में परिवर्तित करने और आयात करने का कठिन और धीमा कार्य शामिल है।
आर्टेमिस 1 (Artemis 1)	**चर्चा में क्यों :** अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखे जा रहे एक उत्सुकता से प्रतीक्षित अंतरिक्ष मिशन का प्रक्षेपण कुछ समस्याओं के कारण स्थगित करना पड़ा। • नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का उद्देश्य मानव को चंद्र सतह पर और संभवतः उससे आगे - मंगल और अन्य जगहों पर वापस लाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ चंद्रमा की खोज करना है। 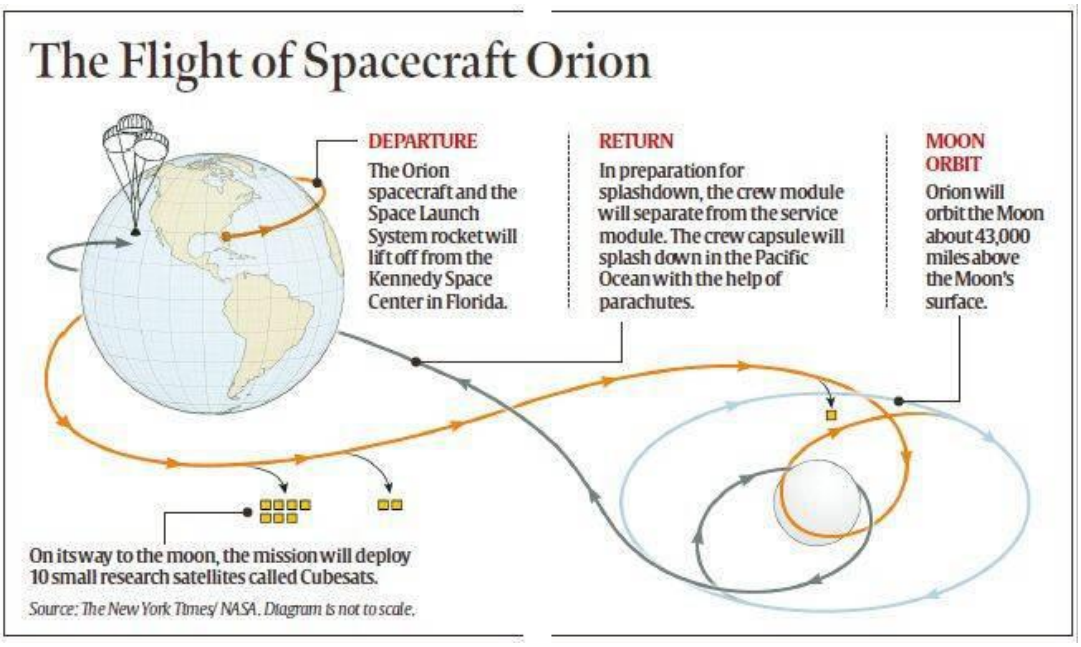 **आर्टेमिस1** • आर्टेमिस 1 अधिक जटिल और महत्वाकांक्षी मिशनों की नींव रखने के बारे में है। • यह क्यूबसैट नामक छोटे उपग्रहों के रूप में कई पेलोड ले जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट जांच और प्रयोगों के लिए उपकरणों से लैस है। • फिर जीव विज्ञान के प्रयोग होते हैं, बाहरी अंतरिक्ष में कवक और शैवाल जैसे छोटे जीवों के व्यवहार की जांच, और विकिरण के प्रभाव, विशेष रूप से उनके जीन पर प्रतिक्रिया आदि शामिल है। • ओरियन अंतरिक्ष यान, जिसे विशेष रूप से भविष्य के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, में मानव हड्डियों, त्वचा और कोमल ऊतकों की नकल करके बनाई गई सामग्री से बने 3 डमी 'यात्री' पुतले होंगे। • ये मानव शरीर पर गहरे अंतरिक्ष वातावरण के विभिन्न प्रभावों को रिकॉर्ड करने के लिए कई सेंसर से लैस होंगे। • आर्टेमिस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा रॉकेट, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS कहा जाता है, अब तक का सबसे शक्तिशाली बनाया गया है। • 2,500 टन वजनी 98 मीटर लंबा विशाल रॉकेट, ओरियन अंतरिक्ष यान को 36,000 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त करने में मदद कर सकता है, और इसे सीधे चंद्रमा पर ले जा सकता है।

	अवश्य पढ़ें : CAPSTONE
डार्क मैटर (Dark matter)	**संदर्भ :** हाल ही में, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट के WASP-39b वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पहला सबूत प्राप्त किया है। **एक्सोप्लैनेट के WASP-39b के बारे में:** • WASP-39 एक हाट गैस जेंट प्लानेट है जो लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा करते हुए पाया गया था। • एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के हर चार दिनों में एक बार अपने तारे की परिक्रमा करता है और बृहस्पति के आकार का एक चौथाई है लेकिन इसका व्यास 1.3 गुना बड़ा है। यह उम्मीद की जाती है कि JWST अपने जीवनकाल में हमें एक अंतरिक्ष डेटा प्रदान करेगा जो ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा जिन्हें सीधे तौर पर पता नहीं लगाया जाता है जैसे कि डाक पदार्थ और डार्क एनर्जी। **डार्क मैटर क्या है?** • ब्रह्मांड में सभी अंत:क्रियाएं 'कणों' (Particles) पर कार्य करने वाली चार मूलभूत शक्तियों- मजबूत परमाणु बल, कमजोर परमाणु बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम हैं। • डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है अर्थात वे विद्युत चुंबकीय अंत:क्रिया के माध्यम से अभिक्रिया नहीं करते हैं। • ये कण प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं किंतु अन्य पदार्थ की तरह उनका भी द्रव्यमान होता है, इसलिये इन्हें 'डार्क मैटर' कहते हैं। • यह कण भौतिकविदों द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इसके अलावा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल बेहद कमजोर है। • एक कण जो इतना कमजोर इंटरैक्ट करता है उसे पता लगाना मुश्किल हो जाता है। • ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य ज्ञात कणों की इंटरेक्शन डार्क मैटर कणों के संकेतों को बाहर निकाल सकती है। 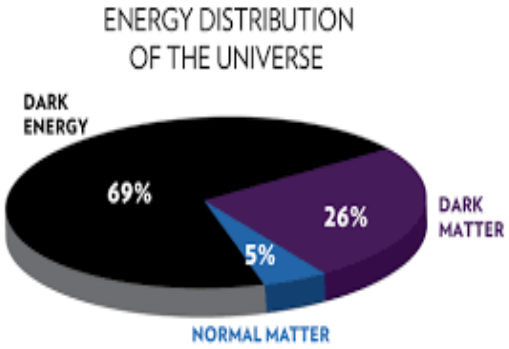 **डार्क एनर्जी क्या है?** • डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जो ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। • इसके अस्तित्व का पहला प्रेक्षणात्मक साक्ष्य सुपरनोवा के मापन से प्राप्त हुआ, जिससे पता चला कि ब्रह्मांड एक स्थिर दर से विस्तार नहीं करता है, बल्कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। **क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों एक ही हैं?** • ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। • जबकि डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित और धारण करता है, वहीं डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है।

	• दोनों घटकों के अदृश्य होने के बावजूद, हम डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि इसके अस्तित्व का सुझाव 1920 के दशक में दिया गया था, जबकि 1998 तक डार्क एनर्जी की खोज नहीं हुई थी।
अफ्रीकन स्वाइन फीवर (African swine fever)	**चर्चा में क्यों :** ज़िला पटियाला के दो क्षेत्रों बिलासपुर और सनौरी अड्डा में अफ्रीकन स्वाईन फीवर की पुष्टि के बाद पूरे पंजाब को पहले ही नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और सूअर या सम्बन्धित सामान की अंतरराज्यीय आवाजाही पर सख़्ती से पाबंदी लगाई गई है। • इससे पहले पिछले दस दिनों में इस बीमारी के कारण 15 से अधिक सूअरों की मौत के बाद केरल के एक निजी सुअर फार्म में पहली बार अफ्रीकी स्वाइन बुखार की पुष्टि हुई है। **अफ्रीकी स्वाइन बुखार (एएसएफ) के बारे में:** • **कारण:** यह Asfarviridae परिवार का बड़ा डीएनए वायरसहोता है । यह केवल एक डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम वाला वायरस जिसे आर्थ्रोपोड्स द्वारा संचरित किया जाता है। • यह घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है। • **लक्षण:** इसमें वजन घटना, रुक-रुक कर होने वाला बुखार, श्वसन संबंधी लक्षण, त्वचा के पुराने छाले और गठिया शामिल हैं। तीव्र रूपों में एनोरेक्सिया, भूख न लगना और त्वचा में रक्तस्राव की विशेषता होती है। • **प्रसारण:** प्राकृतिक मेजबानों (वॉर्थोग्स, बुशपिग्स और टिक्स) के माध्यम से वैक्टर के रूप में कार्य करना और संक्रमित सूअरों, उनके मल और शरीर के तरल पदार्थों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से। • **टीकाकरण (Vaccination):**अभी तक कोई स्वीकृत टीका नहीं है। • **भौगोलिक वितरण (Geographical Distribution):**पहली बार 1909 में केन्या में पाया गया था और वर्तमान में एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाया गया। • सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा : मनुष्यों के लिए जोखिम भरा नहीं है। **निवारक कदम:** • इन क्षेत्रों में बीमारी की रोकथाम के लिए, जानवरों में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009 और अफ्रीकी स्वाइन बुखार के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (जून 2020) के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। • उत्कृष्ट स्वच्छता उपायों का प्रयोग, पशुओं की शीघ्र पहचान और मानवीय हत्या।

- पूरी तरह से कीटाणुशोधन, सख्त जैव सुरक्षा मानदंड और प्रभावित क्षेत्रों से प्रतिबंधित आपूर्ति।

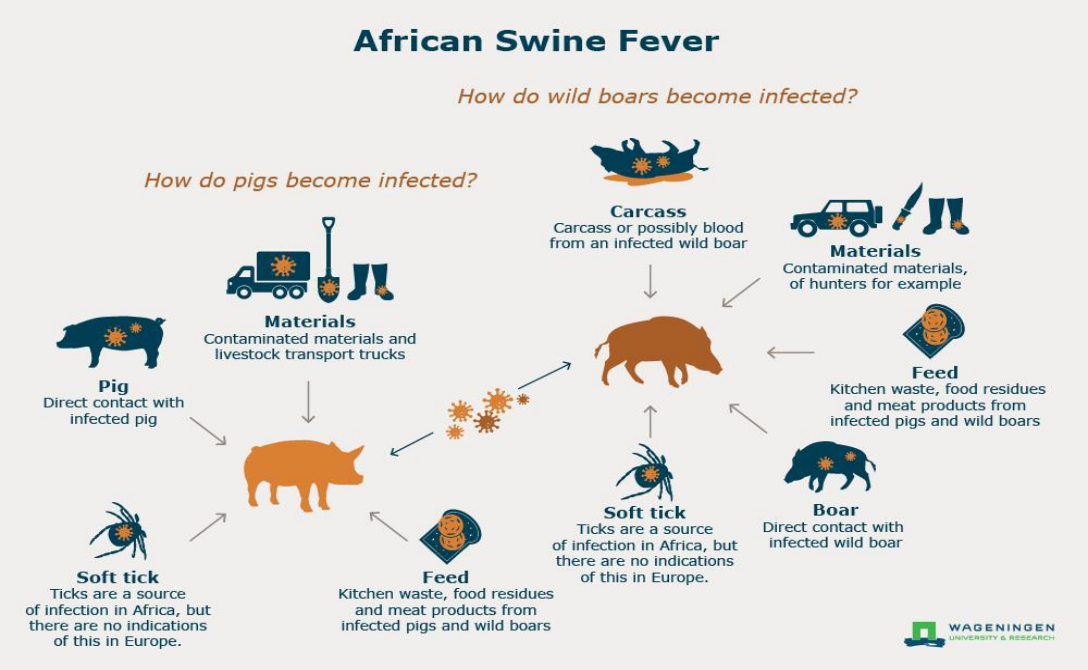

विविध

टोमैटो फ्लू (Tomato Flu)

चर्चा में क्यों : हाल ही में केरल के कोल्लम जिले में टोमैटोफ्लू की पहली बार पहचान की गई थी, स्थानीय सरकारी अस्पतालों द्वारा 5 साल से कम उम्र के 82 से अधिक बच्चों में संक्रमण की सूचना मिली है।

टोमैटो फ्लू क्या है?

- टोमैटो फ्लू/बुखार मनुष्यों में वायरल प्रकृति का एक दुर्लभ संक्रामक रोग है जिसकी उत्पत्ति अभी तक ज्ञात नहीं है।
- 'टोमैटो फ्लू ' कॉक्ससेकी वायरस A 16 के कारण होता है। यह एंटरोवायरस परिवार (Enterovirus family) से संबंधित है।
- यह टमाटर के आकार के लाल चकत्ते से मिलता है जो इससे संक्रमित व्यक्तियों के शरीर पर होता है।
- कहा जाता है कि यह फ्लू पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है।

लक्षण:

- टोमैटो फ्लू वाले बच्चों में देखे जाने वाले प्राथमिक लक्षण चिकनगुनिया के समान होते हैं, जिनमें तेज बुखार,

	चकत्ते और जोड़ों में तेज दर्द शामिल हैं। • इसके अतिरिक्त लक्षणों में थकान, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, जोड़ों में सूजन, शरीर में दर्द और सामान्य इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षण शामिल हैं, जो डेंगू में प्रकट होते हैं। **इलाज:** • चूंकि टोमैटो फ्लू चिकनगुनिया और डेंगू के साथ-साथ हाथ, पैर और मुंह की बीमारी की तरह है, इसलिए जलन और चकत्ते से राहत के लिए आइसोलेशन, आराम, तरल पदार्थ और गर्म पानी का स्पंज शामिल है। • बुखार और शरीर में दर्द के लिए पैरासिटामोल की सहायक चिकित्सा और अन्य रोगसूचक उपचार की आवश्यकता होती है। **निवारक उपाय:** • इस फ्लू को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन, कपड़े और अन्य वस्तुओं को साफ रखना चाहिए। • डिहाइड्रेशन (dehydration) का सामना करने के लिए तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाया जाना चाहिए। • स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उचित जांच करवाना चाहिए।
सदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस (Southern Rice Black-Streaked Dwarf Virus)	**चर्चा में क्यों :** पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के वैज्ञानिकों ने 'सदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस' (SRBSDV) को प्रभावित करने वाला प्रमुख वायरस माना है, जिसका नाम दक्षिणी चीन के नाम पर रखा गया था, जहाँ इसे पहली बार वर्ष 2001 में रिपोर्ट किया गया था। • पंजाब में पहली बार SRBSDV पाया गया है। • SRBSDV व्हाइट-बैक्ड प्लांट हॉपर (WBPH) द्वारा निरंतर संचार और संक्रामक तरीके से प्रेषित होता है। • चावल के अलावा, SRBSDV विभिन्न खरपतवार प्रजातियों को भी संक्रमित करता है क्योंकि WBPH के निम्फ, वयस्कों की तुलना में वायरस को अधिक तीव्रता से प्रसारित कर सकती हैं। • इस वायरस का लंबी दूरी तक संचरण WBPH के माध्यम से हो सकता है जो तूफान और तीव्र संवहन हवाओं के साथ पलायन करते हैं। • चूँकि वायरल रोगों से निदान हेतु कोई सुधारात्मक उपाय उपलब्ध नहीं है, इसलिये किसानों को नियमित रूप से WBPH को कम करने के लिये फसल की निगरानी करनी चाहिये। • अविकसित पौधों की ऊंचाई सामान्य पौधों की तुलना में 1/2 से घटकर 1/3 रह गई। इन पौधों की जड़ें उथली और इन्हें आसानी से उखाड़ा जा सकता है। **जरूर पढ़ें:** रहस्य 'बौनापन' रोग
मिथिला मखाना हेतु GI टैग	**चर्चा में क्यों :** सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया है, इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज के लिये अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। • मिथिला मखाना या माखन (वानस्पतिक नाम: यूरीले फेरोक्स सालिसब) बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में

उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है।

अरनमुला कन्नड़

- अरनमुला कन्नडी (शाब्दिक अर्थ - अरनमुला का दर्पण) केरल के पत्तनंतिट्टा जिला मुख्यालय के एक छोटे से शहर अरनमुला में बना एक हस्तनिर्मित धातु-मिश्रित धातु-दर्पण है। यह केरल का ऐसा पहला उत्पाद है, जिसे 2005 में जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडीकेशन का टैग मिला था।
- ये खास और दुर्लभ दर्पण अरनमुला में रहने वाले विश्वकर्मा समुदाय के बेहतर ढंग से प्रशिक्षित पांरपरिक परिवारों के बहुत थोड़े से लोग करते हैं।
- ये लोग पीढ़ियों से इसके लिए एक गुप्त धातु-मिश्रण फॉर्मूले का उपयोग करते रहे हैं।
- मांग के अनुसार, इनके हर दर्पण का आकार अलग होता है। इसलिए उसे बनाने में पर्याप्त समय लगता है और इसके लिए काफी कोशिश भी करनी होती है।
- सामान्य कांच के दर्पणों में पीछे के प्रतिबिंब के विपरीत, इस दर्पण की विशिष्टता इसका सामने का प्रतिबिंब है। इसका मतलब यह है कि परावर्तक सतह को पीछे के समर्थन पर रखा जाता है, नियमित दर्पणों के विपरीत जहां परावर्तक सतह कांच के पीछे होती है।
- केरल में इस दर्पण का सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि इसे धार्मिक त्योहारों या शुभ अवसरों और समारोहों के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली आठ शुभ वस्तुओं (अष्टमंगल्या) में से एक माना जाता है।
- वैसे तो इस दर्पण को अपने संरक्षक के लिए समृद्धि, भाग्य और संपत्ति लाने वाला माना जाता है।

भौगोलिक संकेत टैग

- जीआई मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है।
- किसी वस्तु या उत्पाद की किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुई उत्पत्ति तथा उससे जुड़े गुणों को सूचित करने हेतु जी आई टैग दिया जाता है।
- भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित है। यह भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (चेन्नई) द्वारा जारी किया जाता है।
- यह टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाता है।

जीआई टैग के लाभ

- यह भारतीय भौगोलिक संकेतकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार दूसरों द्वारा पंजीकृत जीआई के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।

	• यह भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। • भारत में जीआई संरक्षण से अन्य देशों में उत्पाद की पहचान होती है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। **जरूर पढ़े:** नरसिंहपेट्टई नागस्वरम (Narasinghapettai nagaswaram)

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

Gurukul Advanced

A Rigorous & Intensive Test & Mentorship based Program

2ND Batch

ADMISSIONS OPEN

Scan Here
To Register

IASbaba's HQ: 2nd floor, Ganapathi Circle, 80 Feet Rd, Chandra Layout, Bengaluru 560040

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888/90192 76822

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना

चर्चा में क्यों : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022, का अनुमान है कि दुनिया की आबादी इस साल आठ अरब तक पहुंच जाएगी और वर्ष 2050 में 9.8 बिलियन तक बढ़ जाएगी।

- भारत के लिए तात्कालिक रुचि की बात यह है कि इसकी आबादी वर्ष 2023 तक चीन को पार कर जाएगी और बढ़ती रहेगी।
- सीधे शब्दों में कहें तो भारत को एक जनसांख्यिकीय लाभांश मिल रहा है जो लगभग 30 वर्षों तक चलेगा।

जनसांख्यिकी लाभांश क्या है?

- जनसांख्यिकीय लाभांश वह आर्थिक विकास क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप पैदा होती है, मुख्य रूप से तब जब कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा (15 से 64) गैर-कामकाजी हिस्से से बड़ा होता है (14 और छोटा, और 65 और अधिक उम्र का)।
- श्रम बल में अधिक लोगों और समर्थन के लिए कम बच्चों के साथ, एक देश में आर्थिक विकास के अवसर की एक खिड़की होती है यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और अर्थव्यवस्था में सही सामाजिक और आर्थिक निवेश और नीतियां बनाई जाती हैं।

भारत वास्तव कहाँ पर है?

- दुनिया में सर्वाधिक युवा आबादी भारत में है। कुल जनसंख्या का करीब 66 प्रतिशत (808 मिलियन से अधिक) भारतीय 35 वर्ष से कम उम्र के हैं।
- वर्ष 2020 में, भारत में जनसंख्या की औसत आयु अमेरिका और चीन में 37 और जापान में 49 की तुलना में 28 थी। कामकाजी उम्र की आबादी में उछाल 2055 तक रहने वाला है।
- यह संक्रमण बड़े पैमाने पर कुल प्रजनन दर (TFR: प्रति महिला पर कुल बच्चों की औसत संख्या) में कमी के कारण होता है क्योंकि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि स्थिर हो जाती है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश पर एक अध्ययन से दो दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं।
    - भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश अवसर की विंडो 2005-06 से 2055-56 तक पांच दशकों के लिए उपलब्ध है, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक लंबी है।
    - यह जनसांख्यिकीय लाभांश विंडो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर जनसंख्या मापदंडो के अंतर व्यवहार के कारण उपलब्ध हैं।
- घटते प्रजनन दर (वर्तमान में 2.0) के साथ भारत की औसत/मध्यम आयु (Median Age) वर्ष 2011 में 24 वर्ष से बढ़कर अब 29 वर्ष हो गई है और वर्ष 2036 तक इसके 36 वर्ष हो जाने का अनुमान है। जहाँ इसके अगले दशक में 65% से घटकर 54% होने का अनुमान है (15-59 आयु वर्ग को कामकाजी आयु आबादी मानते हुए), के साथ भारत एक जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन के मध्य में है।

जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिक लाभ उठाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?

भारत को गुणवत्तापूर्ण स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है, जिसे उसने अभूतपूर्व पैमाने पर पूरे भारत में दशकों से उपेक्षित किया है-

- **बच्चों और किशोरों में अधिक निवेश करना (Invest more in children and adolescents) :** माध्यमिक शिक्षा से सार्वभौमिक कौशल और उद्यमिता में परिवर्तन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि दक्षिण कोरिया में किया गया है।
- **स्वास्थ्य निवेश करना :** स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.5% पर स्थिर रहा है। साक्ष्य बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य बेहतर आर्थिक उत्पादन की सुविधा देता है।
- **प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (2019-21) के अनुसार भारत में परिवार नियोजन की 9.4% की जरुरत चीन में 3.3% और 6.6% की तुलना में अधिक है। दक्षिण कोरिया में, जिसे भरने की जरूरत है।
- **शिक्षा में लैंगिक असमानता को पाटना:** भारत में लड़कियों की तुलना में लड़कों के माध्यमिक और तृतीयक विद्यालयों में नामांकित होने की अधिक संभावना है। हालांकि, फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में, यह विपरीत है और जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में, लिंग अंतर काफी कम है। इसे उलटने की जरूरत है।

- **राज्यों के बीच विविधता को संबोधित करना :** जबकि भारत एक युवा देश है, जनसंख्या की उम्र बढ़ने की स्थिति और गति राज्यों के बीच भिन्न होती है। दक्षिणी राज्यों, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण में उन्नत हैं, में पहले से ही वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है। जबकि केरल की जनसंख्या पहले से ही वृद्ध होती जा रही है, बिहार में कामकाजी आयु वर्ग के वर्ष 2051 तक बढ़ते रहने का अनुमान है।
- **शासन सुधारों के लिए संघीय दृष्टिकोण:** विभिन्न उभरते जनसंख्या मुद्दों जैसे प्रवास, उम्र बढ़ने, कौशल, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण पर राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए एक नया ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना :** वर्ष 2019 तक, 20.3% महिलाएँ काम कर रही थीं या काम की तलाश में थीं, जो वर्ष 2003-04 में 34.1% थी। अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी के लिए नए कौशल और अवसरों की शीघ्र आवश्यकता है।

अवश्य पढ़ें: माइंडमैप

RTI अधिनियम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना

संदर्भ: राज्यों में इसकी कार्यप्रणाली पर नए सिरे से चिंता के बीच, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) अक्टूबर में 17 साल पूरा होने की उम्मीद है।

राज्य सूचना आयोगों के साथ वर्तमान मुद्दे

सार्थक नागरिक संगठन (SNS) 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है - विभिन्न सूचना आयोग हैं - "आरटीआई कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है"।

- दूसरी अपीलों का एक बड़ा बैकलॉग, सुनवाई के लिए लंबा इंतजार, दंड लगाने में झिझक और आयोगों के कामकाज में बढ़ती अस्पष्टता।
- आयोग रिक्तियों, आयुक्तों की खराब पसंद, अप्रशिक्षित कर्मचारियों और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (public information officers-PIOs) के एक गैर-सहकारी समूह से ग्रस्त हैं।
- भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए सूचना मांगने वाले कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए खतरा।
    - कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHR) के अनुसार, देश भर में, 2006 से अब तक 99 RTI कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, 180 पर हमले किए गए और 187 को धमकी दी गई।
    - जबकि RTI की सार्वजनिक रूप से सराहना की जाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी (bureaucracy) के भीतर कई लोगों और RTI शासन के दो प्रमुख हितधारकों, सांसदों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है।

जून 2021 तक, देश में 26 सूचना आयोगों के पास 2.56 लाख अपीलें लंबित थीं। SNS की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में चल रहे दर के अनुसार मामले को निपटाने में 6.5 साल लगेंगे।

A. जन सूचना अधिकारी का अनैतिक व्यवहार (Bad conduct of Public Information Officer)

- किसी भी गंभीर आरटीआई प्रश्न या एक से अधिक सरकारी विभागों से संबंधित होने के कारण उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन यह कनिष्ठ रैंक के पीआईओ होते हैं जो सुनवाई में भाग लेते हैं और अक्सर इनको कोई जानकारी नहीं होती हैं।

B. कई आरटीआई मामले न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं।

- उच्च न्यायालय सीआईसी के निर्णयों पर स्थगन आदेश देने के लिए तत्पर हैं। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतिम अपील सूचना आयोगों के पास है, इसलिए अपीलों को उच्च न्यायालयों से राहत पाने के लिए रिट के रूप में छिपाया जाता है।

आगे की राह

- आरटीआई अधिनियम एक सनशाइन कानून (sunshine legislation) है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
- केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों के लिए आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए। आयुक्तों के लिए सरकारी प्रमुखों और अधिकारियों से सख्त दूरी बनाए रखना अनिवार्य है
- भारतीय सूचना कानून, जिसे विश्व में सबसे मजबूत में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है, को लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और सरकारी अधिकारियों के कठोर प्रशिक्षण का आयोजन करके मजबूत करने की आवश्यकता है।
- आरटीआई व्यवस्था के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। प्रेस और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, दोषी अधिकारियों को दंडित करना और बड़े पैमाने पर लोगों और राष्ट्र के हित में सूचना आयोगों की पूर्ण स्वायत्तता बनाए रखना अनिवार्य है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की वापसी

संदर्भ: लगभग चार वर्षों तक काम करने के बाद, भारत सरकार ने संसद से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक वापस ले लिया है क्योंकि यह विधेयक देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाइन स्थान को विनियमित करने हेतु "व्यापक कानूनी ढाँचे" पर विचार करता है।

विधेयक की उत्पत्ति

- इस विधेयक की उत्पत्ति न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्ण ने की।
- निजता के अधिकार के मामले (जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 प्रस्तावित

- विधेयक में नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव था।
- इसने सरकार को अपनी जांच एजेंसियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्रदान करने की भी मांग की थी, इस कदम का विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध किया था जिन्होंने अपने असंतोष नोट दायर किए थे।
- यह व्यक्तिगत डेटा के प्रवाह और उपयोग को निर्दिष्ट करने उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा था, जिनके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जाता है, क्योंकि यह सीमा पार हस्तांतरण के लिए रूपरेखा तैयार करता है, डेटा संसाधित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही, और अनधिकृत और हानिकारक प्रसंस्करण के उपचार पर विचार करता है।
- यह विधेयक व्यक्ति (या डेटा प्रिंसिपल) के कुछ अधिकारों को निर्धारित करता है। इनमें अधिकार शामिल हैं:
    - उनके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया गया है या नहीं, इस पर प्रत्ययी से पुष्टि प्राप्त करना।
    - गलत, अपूर्ण, या पुराने व्यक्तिगत डेटा में सुधार की खोज करना।
    - कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत डेटा को किसी अन्य डेटा न्यासी को हस्तांतरित करना।
    - प्रत्ययी द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करना, यदि यह अब आवश्यक नहीं है या सहमति वापस ले ली गई है।

मूल विधेयक, जिसे पहली बार 2019 में पेश किया गया था, में "उचित उद्देश्यों" के लिए किसी व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा को संसाधित करने की छूट शामिल थी, जिसमें राज्य की सुरक्षा, किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या धोखाधड़ी का पता लगाना, ध्यानाकर्षण (whistle-blowing), चिकित्सा आपात स्थिति, क्रेडिट स्कोरिंग, सर्च इंजन का संचालन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का प्रसंस्करण शामिल है।

विवादास्पद धारा 35 और अनुच्छेद 12(a)

- अनुच्छेद 35 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को "भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, और यदि वह संतुष्ट है कि यह आवश्यक है या सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं, सुरक्षा उपायों और निरीक्षण तंत्र के अधीन ऐसा करना समीचीन है।"
- इस बीच, अनुच्छेद 12 (a) ने अपने डेटा के प्रसंस्करण के लिए डेटा प्रिंसिपल की सूचित सहमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जब यह आवश्यक हो "किसी भी सेवा या लाभ के प्रावधान के लिए कानून द्वारा अधिकृत राज्य के किसी भी कार्य के प्रदर्शन के लिए। राज्य से डेटा प्रिंसिपल; या (ii) राज्य द्वारा डेटा प्रिंसिपल की किसी भी कार्रवाई या गतिविधि के लिए राज्य द्वारा कोई प्रमाणन, लाइसेंस या परमिट जारी करना।"

निष्कर्ष

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर तत्कालीन संयुक्त समिति के सदस्यों ने कानून को वापस लेने के सरकार के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि पैनल द्वारा सुझाए गए 80 से अधिक संशोधनों के बाद एक नया कानून लाना बेहतर था।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज

संदर्भ: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन.वी. रमण का कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त हो रहा है।

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करने हेतु सरकार को नौ नामों की सिफारिश की गई है, और इस प्रक्रिया में, कॉलेजियम ने नाम की सिफारिश करके एक इतिहास रच दिया है।
- नौ में से, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, वर्ष 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है?

- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु नामों की सिफारिश की जाती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के प्रावधानों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों (राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिये जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे) के परामर्श के बाद की जाएगी।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के अनुसार, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने "परामर्श" वाक्यांश के विविध अर्थों की पेशकश की है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति के लिए: हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यावहारिक रूप से इसके लिये वरिष्ठता के आधार का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति करते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है।
- परामर्श शब्द की व्याख्या वर्षों में विकसित हुई है जिसे संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

प्रथम न्यायाधीश मामला (1982):	• सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है और इसका मतलब केवल विचारों का आदान-प्रदान है।
दूसरा न्यायाधीश मामला (1993)	• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को उलट दिया और परामर्श शब्द के अर्थ को सहमति में बदल दिया। • इसलिए, इसने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। • बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। • कॉलेजियम सरकार को वीटो कर सकता है यदि कॉलेजियम द्वारा नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाते हैं। • कॉलेजियम के प्रत्येक सदस्य और परामर्श किए गए अन्य न्यायाधीशों की राय लिखित रूप में बनाई जानी चाहिए और सरकार को भेजे गए उम्मीदवार पर फाइल का हिस्सा होना चाहिए। • यदि CJI ने गैर-न्यायाधीशों से परामर्श किया था, तो उन्हें एक ज्ञापन बनाना चाहिए जिसमें परामर्श का सार हो, जो फ़ाइल का हिस्सा भी होगा। कॉलेजियम की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, कानून मंत्री इसे प्रधान मंत्री को अग्रेषित करता है, जो बदले में राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए सलाह देता है।
तीसरा न्यायाधीश का मामला, 1998	• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए 'बहुलता न्यायाधीशों के परामर्श' की आवश्यकता है। • CJI की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है। • CJI को राष्ट्रपति से सिफारिश करने से पहले चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए और यहां तक कि अगर दो न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं, तो भी उन्हें सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजनी चाहिए। • न्यायालय ने माना कि CJI द्वारा परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का

	पालन किए बिना की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। • उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है और सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही होती है। • यदि किसी अधिवक्ता को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा जांच कराने तक सीमित है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)	• वर्ष 2014 के 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 2014 के NJAC अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) नामक एक नए निकाय के साथ SC और HCs में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया है। **NJAC में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:** • भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष, पदेन) • भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश - पदेन • केंद्रीय कानून मंत्री - पदेन • दो प्रसिद्ध व्यक्ति (सीजेआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की एक समिति द्वारा नामित किए जाने के लिए) • हालांकि, 99वां CAA और NJAC अधिनियम असंवैधानिक और व्यर्थ में इस आधार पर कि इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। • परिणामस्वरूप, पहले की कॉलेजियम प्रणाली फिर से सक्रिय हो गई।

हालांकि, समय के साथ, कॉलेजियम प्रणाली ने आलोचनाओं के घेरे में रहा है।

कॉलेजियम प्रणाली से क्या सरोकार हैं?

- कॉलेजियम प्रणाली का संविधान के वास्तविक अध्याय में कोई उल्लेख नहीं है।
- कॉलेजियम के संचालन के बारे में लंबे समय से चली आ रही आलोचना, यानी इसकी अस्पष्टता और इसके निर्णयों की स्वतंत्र जांच की कमी का समाधान नहीं किया गया है।
- हमारी संवैधानिक योजना में उच्च न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक अधीक्षण की कोई शक्ति की परिकल्पना नहीं की गई है। लेकिन जब तबादलों को नियमित किया जाता है, और उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया गोपनीयता में डूबी रहती है, तो उच्च न्यायालयों की निगरानी की एक वास्तविक प्रणाली लागू की जाती है।
- कॉलेजियम प्रणाली द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया "मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर" (MoP) में निहित है। हालांकि, न्यायाधीशों का चयन कैसे किया जाए, इस पर कोई वास्तविक मार्गदर्शन नहीं है।
- लेकिन जब कोर्ट ने वर्ष 2015 में NJAC को रद्द कर दिया, तो उसने मौजूदा व्यवस्था में सुधार का भी वादा किया। छह साल बाद उन वादों को भुला दिया गया है।
- उदाहरण के लिए, एक नया "मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर" (MoP) आगे नहीं बढ़ा है।

क्या न्यायिक नियुक्तियों में वृद्धि से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आई है?

- पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ने मामलों के कम लंबित होने की गारंटी नहीं दी है।
- लंबित मामलों की संख्या 1 अगस्त, 2022 तक बढ़कर 71,411 हो गई है, जो वर्ष 2017 में 55,000 से कुछ अधिक थी। यह इस तथ्य के बावजूद कि अगस्त 2019 में अदालत की स्वीकृत न्यायिक शक्ति को बढ़ाकर 34 न्यायाधीशों तक कर दिया गया था।
- न्यायिक संख्या में आवधिक वृद्धि की परवाह किए बिना बाकी में लगातार वृद्धि वर्ष 1950 से एक निरंतर घटना रही है।

- वर्ष 2020-2021 में, महामारी ने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की दर को बढ़ा दिया। वर्ष 2020 का अंत 64,426 मामलों के बैकलॉग और वर्ष 2021 में 69,855 मामलों के साथ हुआ।

अध्यादेश (Ordinance)

चर्चा में क्यों : केरल के राज्यपाल ने अध्यादेशों को फिर से लागू करने पर आपत्ति जताई।

- राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा कार्यकारी आदेशों की पुष्टि करने के बजाय अध्यादेशों को फिर से जारी करने के राज्य सरकार के कदम पर आपत्ति जताई।
- सुप्रीम कोर्ट ने (2017 में) फैसला सुनाया था कि अध्यादेशों को फिर से जारी करना लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को तोड़ना है।

अध्यादेश के बारे में

- अध्यादेश ऐसे कानून हैं , जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति (भारतीय संसद) द्वारा प्रख्यापित किया जाता है , जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा।
- इन अध्यादेशों का कानूनी बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान है, लेकिन ये प्रकृति में केवल अस्थायी हैं।

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति

- संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है।

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सीमाएँ मौजूद हैं:

- जब संसद के दोनों सदनों में से एक या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि स्थिति में 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता है।
- यदि इरादे दुर्भावनापूर्ण साबित होते हैं तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार न्यायसंगत है।

राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति

- अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानसभा (या द्विसदनीय विधानसभा वाले राज्यों में दोनों सदनों में से कोई एक) सत्र में न हो।

अध्यादेश के गुण

- एक अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे इसके अनुमोदन से पहले अधिनियमित किया जा सकता है।
- संसद सत्र के दौरान पारित अध्यादेश को अमान्य और शून्य माना जाता है।
- किसी कानून पर बने रहने के लिए, अध्यादेश को फिर से विधानसभा के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद अपने पुनः संयोजन होने के छह सप्ताह के भीतर कार्य नहीं करती है तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- अध्यादेश के परिणामस्वरूप होने वाले अधिनियम, कानून और घटनाएँ तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि यह समाप्त नहीं हो जाता।
- अध्यादेश की घोषणा को राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर पारित किए जा सकते हैं जहां संसद को कानून पारित करने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रद्द करने के लिए अध्यादेशों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- यदि दोनों सदन इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करते हैं तो अध्यादेश को भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति का दुरुपयोग

विधायिका को जानबूझकर दरकिनार करना:

- कभी-कभी ऐसे उदाहरण होते हैं कि विवादास्पद विधायी प्रस्तावों पर बहस और विचार-विमर्श से बचने के लिए विधायिका को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। यह लोकाचार और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।

अध्यादेशों को पुनः लागू करना:

- जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है, अध्यादेशों की पुन: घोषणा संविधान पर एक "धोखाधड़ी (fraud)" है और लोकतांत्रिक

विधायी प्रक्रियाओं का एक समाप्ति है, खासकर जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बचती है।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कम आंकना:

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण को संविधान की "मूल विशेषता" के रूप में सूचीबद्ध किया।
- पुनर्मुद्रण शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से कार्यपालिका को विधायी इनपुट या अनुमोदन के बिना स्थायी कानून बनाने की अनुमति देता है।

राष्ट्रपति की संतुष्टि:

- अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उसके लिए परिस्थितियां मौजूद हैं और इस प्रकार शक्ति के दुरुपयोग की गुंजाइश प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

- DC वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में यह तर्क दिया गया था कि अध्यादेशों को जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है, न कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में।
- कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार पूर्ण जाना नहीं है, बल्कि "संतुष्टि पर सशर्त है कि परिस्थितियां मौजूद हैं जिससे तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है"।
- अध्यादेशों के इस्तेमाल पर कड़े फैसलों के बाद भी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की अनदेखी की है।
- उदाहरण के लिए, वर्ष 2013 और 2014 में, प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश तीन बार जारी किया गया था।
- हमारे संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को अलग करने का प्रावधान किया है जहां कानून बनाना विधायिका का कार्य है। कार्यपालिका को आत्म-संयम दिखाना चाहिए और अध्यादेश बनाने की शक्ति का उपयोग केवल अप्रत्याशित या जरूरी मामलों में करना चाहिए, विधायी जांच और बहस से बचने के लिए नहीं।

जिला स्तर पर अल्पसंख्यक

चर्चा में क्यों : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को पहचान करना कानून के विपरीत है।

- न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलता है जहां वे "सामाजिक-, आर्थिक-, राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख और संख्यात्मक रूप से कम" हैं।
- याचिका में अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान करने के लिए न्यायालय से एक घोषणा पत्र की भी मांग की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 11-न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की मान्यता राज्य स्तर पर की जानी चाहिए।
- न्यायाधीश वर्ष 2002 में T. M. A बनाम कर्नाटक राज्य मामले में 11-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले का चर्चा कर रहे थे।

अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण से संबंधित निर्णय:

टीएमए पाई केस (TMA Pai Case):

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य-वार माना जाना चाहिए।

बाल पाटिल केस:

- वर्ष 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने 'बाल पाटिल' में अपने फैसले में TMA Pai के फैसले का उल्लेख किया।
- कानूनी स्थिति स्पष्ट करती है कि अब से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों की स्थिति निर्धारित करने की इकाई 'राज्य' होगी।

अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 29

- अनुच्छेद 29 प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।

- यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा निश्चित करता है।

अनुच्छेद 30

- अनुच्छेद 30 के अनुसार (शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।) सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के तहत) तक नहीं है।

अनुच्छेद 350-B:

- 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम 1956 ने इस लेख को सम्मिलित किया जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
- संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दिए किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा।

अवश्य पढ़ें: भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा

नाबालिगों की संरक्षकता और दत्तक-ग्रहण

चर्चा में क्यों : एक संसदीय पैनल ने संसद के दोनों सदनों में 'संरक्षकता और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा' पर अपनी रिपोर्ट पेश की है।

वर्तमान कानूनी स्थिति

- भारतीय कानून में 'अवयस्क की संरक्षकता' के मामले में 'पिता' को प्रधानता प्रदान की जाती है।
- हिंदुओं के धार्मिक कानून या हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, (HMGA) 1956 के तहत नाबालिग या संपत्ति के संबंध में एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है तथा उसके बाद माता का अधिकार है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 कहता है कि शरीयत या धार्मिक कानून संरक्षकता के मामले में लागू होगा, जिसके अनुसार जब तक बेटा सात साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता है और बेटी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक पिता प्राकृतिक अभिभावक है, हालांकि पिता को सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- गीता हरिहरन बनाम आरबीआई ने 1999 में HMGA को अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता की गारंटी के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई थी।
- न्यायालय ने माना कि "बाद" शब्द का अर्थ "पिता के जीवनकाल के बाद" (After The Lifetime Of The Father) नहीं होना चाहिये, बल्कि "पिता की अनुपस्थिति में" (Absence Of The Father) होना चाहिये।
- लेकिन यह निर्णय माता-पिता दोनों को समान अभिभावक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जिसने पिता की भूमिका के लिये एक माँ की भूमिका को अधीन कर दिया।
- हालाँकि यह फैसला अदालतों के लिये एक मिसाल कायम करता है, लेकिन इससे HMGA में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

संरक्षकता और बाल अभिरक्षा पर संसदीय पैनल की सिफारिशें

- रिपोर्ट में कहा गया है कि HMGA (हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956) में संशोधन की तत्काल आवश्यकता है।
- मौजूदा कानून माताओं को अपने पति के अधीनस्थ के रूप में मानता है।
- इसलिए, कानून ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत परिकल्पित समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन किया।
- इसने प्राकृतिक अभिभावकों के रूप में माता और पिता दोनों के साथ समान व्यवहार करने की सिफारिश की।

वैवाहिक विवादों के दौरान बच्चों की संयुक्त अभिरक्षा

- वैवाहिक विवाद के मामलों में, पैनल का कहना है कि बाल अभिरक्षा पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है जो आमतौर पर केवल एक माता-पिता तक ही सीमित है। ऐसे मामलों में, माताओं को वरीयता दी जाती है।
- पैनल ने सिफारिश की कि अदालतों को निम्नलिखित का अधिकार दिया जाना चाहिए:

- माता-पिता दोनों को संयुक्त अभिरक्षा प्रदान करें जब ऐसा निर्णय बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल हो, या
- एक माता-पिता को दूसरे को मुलाक़ात के अधिकार के साथ एकमात्र अभिरक्षा प्रदान करना।

दत्तक ग्रहण

- समिति ने कहा है कि एक नए कानून की आवश्यकता है जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के अनुरूप हो।
- इसने यह भी कहा कि इस तरह के कानून में LGBTQI समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी:

क्या भारत में क्वीर और ट्रांसजेंडर (queer and transgender) बच्चे गोद ले सकते हैं?

- दत्तक ग्रहण विनियम 2017 LGBTQI लोगों द्वारा गोद लेने पर शांत है। यह न तो उन्हें बच्चे को गोद लेने पर रोक लगाता है और न ही अनुमति देता है।
- भावी दत्तक माता-पिता के लिए इसके पात्रता मानदंड में कहा गया है कि उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए और किसी भी तरह की जीवन के लिए खतरा चिकित्सा स्थिति (life-threatening medical condition) नहीं होनी चाहिए।
- अविवाहित पुरुष केवल एक लड़के को गोद ले सकते हैं जबकि महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है।
- बच्चे को दम्पति को गोद लेने के लिए तभी दिया जा सकता है जब वे कम से कम दो साल से वैवाहिक संबंध में हों।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

संदर्भ: आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022, जिसे इस साल अप्रैल में संसद द्वारा पारित किया गया था, हाल ही में लागू हुआ।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या समस्याएं हैं?

- मामलों का धीमी गति से निपटान जिसके कारण बड़े बैकलॉग होते हैं। न्यायपालिका के समक्ष 4.4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। अधिक संख्या में मामलों के कारणों में से एक होने के नाते आचरण को अधिक अपराधीकरण करने की प्रवृत्ति है।
- न्याय तंत्र ज्यादातर हाशिए के नागरिकों के वर्गों के लिए कठिन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षमता निर्माण के बजाय संस्था निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- कुछ हलकों में औपनिवेशिक मानसिकता के जारी रहने के कारण पुलिस द्वारा सत्ता का दुरूपयोग होता है।
- अपराध की रोकथाम हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का यूटोपियन लक्ष्य (utopian goal) बना हुआ है। यह अप्रभावी सामुदायिक पुलिस तंत्र और स्थितिजन्य अपराध रोकथाम के कारण है।
- न्याय के पुनर्वासात्मक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। सरकारों द्वारा हिरासत में दंड को गैर-हिरासत दंड (विभिन्न विधि आयोग द्वारा अनुशंसित) की तुलना में अधिक प्रभावी उपाय के रूप में देखा जाता है।
- विश्वसनीय राज्य-प्रायोजित डेटा संग्रह, रखरखाव और विश्लेषण तंत्र की कमी है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली अभी तक अपराधों की बदलती प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
- पुलिस और न्यायिक प्रणाली में अक्षमताओं के कारण कम दोषसिद्धि दर - जिसे नए प्रस्तावित विधेयक द्वारा संबोधित किया जा रहा है।

क्या है प्रस्तावित कानून?

- **बिल का उद्देश्य:** बिल ऐसे व्यक्तियों के शरीर की उचित माप लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है, जिन्हें इस तरह के माप देने की आवश्यकता होती है और यह अपराध की जांच को और अधिक कुशल और तेज कर देता है और सजा दर को बढ़ाने में भी मदद करता है।
- **दोषियों और अन्य व्यक्तियों के बारे में विवरण:** पहले के अधिनियम में केवल उंगलियों के निशान और पदचिह्नों के संग्रह की अनुमति थी। नया अधिनियम आईरिस और रेटिना स्कैन, हथेली-प्रिंट इंप्रेशन, हस्ताक्षर और हस्तलेखन, रक्त, वीर्य, बालों के नमूने, और स्वैब जैसे जैविक नमूने, और उनके विश्लेषण को शामिल करने के लिए सूची का विस्तार करता है।
- **कवरेज -** यह प्रस्ताव करता है कि कानून तीन श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होता है।
  - सभी दोषी व्यक्ति (पहले यह केवल कुछ मामलों के लिए था)
  - गिरफ्तार व्यक्ति
  - संदिग्ध अपराधी
  - किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्ति

- **विवरण का प्रतिधारण:** कानून राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) को किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ स्टोर करने, संरक्षित करने, साझा करने और राष्ट्रीय स्तर पर माप के रिकॉर्ड को नष्ट करने का अधिकार देता है। अभिलेखों को 75 वर्ष की अवधि तक संग्रहीत किया जा सकता है।
- **ब्यौरों को नष्ट करना :** उन व्यक्तियों के मामले में रिकॉर्ड नष्ट किया जा सकता है जो: (i) पहले दोषी नहीं ठहराए गए हैं, और (ii) सभी कानूनी उपायों को समाप्त करने के बाद अदालत द्वारा मुकदमे के बिना रिहा किए गए, आरोपमुक्त या बरी कर दिए गए हैं। हेड कांस्टेबल रैंक तक के पुलिस कर्मियों को माप रिकॉर्ड करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- **ब्यौरे देने का विरोध:** विधेयक के अनुसार, प्रतिरोध या विवरण देने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध माना जाएगा।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की भूमिका: विधेयक के तहत एनसीआरबी के कार्यों में शामिल हैं:
    - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विधेयक के तहत शामिल व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करना।
    - राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट व्यक्तियों के बारे में विवरण संग्रहीत करना और नष्ट करना।
    - प्रासंगिक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ विवरण संसाधित करना, और
    - 0 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विवरण का प्रसार करना।
- **नियम बनाने की शक्ति:** अधिनियम ने केवल राज्य सरकार में नियम बनाने की शक्ति निहित की है। यह बिल केंद्र सरकार को भी इस शक्ति का विस्तार करता है। केंद्र या राज्य सरकार एनसीआरबी द्वारा विवरण के संग्रहण, भंडारण, संरक्षण, विध्वंस, प्रसार और निपटान के तरीके जैसे विभिन्न मामलों पर नियम बना सकती है।

नया कानून 1920 के पुराने अधिनियम से किस प्रकार भिन्न है?

	1920 अधिनियम	2022 के बिल में बदलाव
डेटा एकत्र करने की अनुमति होती है	▪ उंगलियों के निशान, पैरों के निशान, तस्वीरें	▪ जोड़ना : (i) जैविक नमूने, और उनका विश्लेषण, (ii) हस्ताक्षर, लिखावट सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं, और (iii) CrPC की धारा 53 और 53 ए के तहत परीक्षण (रक्त, वीर्य, बालों के नमूने और स्वाब शामिल हैं, और इस तरह के विश्लेषण DNA प्रोफाइलिंग के रूप में)
वे व्यक्ति जिनका डेटा एकत्र किया जा सकता है	▪ एक वर्ष या अधिक के कठोर कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए दोषी या गिरफ्तार किया गया ▪ व्यक्तियों ने अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया ▪ आपराधिक जांच में सहायता के लिए मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति से रिकवरी का आदेश दे सकता है	▪ किसी भी अपराध के लिए दोषी या गिरफ्तार किया गया। हालांकि, जैविक नमूने केवल महिला या बच्चे के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से ही बलपूर्वक लिए जा सकते हैं, या यदि अपराध में न्यूनतम सात साल की कैद हो सकती है ▪ किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति ▪ मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी भी व्यक्ति (सिर्फ एक गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं) से जांच में सहायता करने के लिए
ऐसे व्यक्ति जिन्हें डेटा की आवश्यकता/प्रत्यक्ष संग्रह की आवश्यकता हो सकती है	▪ जांच अधिकारी, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, या उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ▪ मजिस्ट्रेट	▪ पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, या हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी। इसके अलावा, जेल का हेड वार्डर ▪ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक

		व्यक्तियों के मामले में, कार्यकारी मजिस्ट्रेट

बिल के खिलाफ क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं?

- **स्पष्टता की कमी:** इन सब चीजों का बयान कहता है कि यह "दोषियों और अन्य व्यक्तियों" के लिए माप के संग्रह के लिए प्रदान करता है लेकिन अभिव्यक्ति "अन्य व्यक्तियों" को परिभाषित नहीं किया गया है।
- **मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष:** बिल में जैविक जानकारी के संग्रह में बल का प्रयोग निहित है, जिससे नार्को विश्लेषण और मस्तिष्क मानचित्रण हो सकता है, जिसे अनुच्छेद 20 (3) (आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार) का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी भी चिंताएं हैं कि यह अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **न्यायिक जांच की संभावना:** विधेयक में "बढ़ती सजा दर" को भी इसके उद्देश्यों में से एक बताया गया है। अदालत को यह देखना पड़ सकता है कि क्या यह एक वैध उद्देश्य हो सकता है और क्या यह नागरिकों के अधिकारों से आगे निकल सकता है।
- **संघीय चुनौतियां:** यह देखते हुए कि पुलिस अभी भी एक राज्य का विषय है, यह देखा जाना बाकी है कि क्या कोई राज्य इस जानकारी को साझा करने से इनकार करता है।
- **बड़े पैमाने पर निगरानी का डर:** प्रस्तावित विधेयक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पुलिस निगरानी के लिए एक कानूनी ढांचा लाता है, विशेषज्ञों को डर है कि इसका विस्तार या दुरुपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: बिल राजनीतिक विरोध में लगे प्रदर्शनकारियों से भी नमूने एकत्र करने का अधिकार देता है।

आगे की राह क्या होना चाहिए?

- **संयम बरतने की आवश्यकता:** बिल के तहत एकत्रित, संग्रहीत, संरक्षित और साझा की गई संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्रासंगिक और उस उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए ऐसी जानकारी एकत्र और संग्रहीत की जाती है।
- **डेटा सुरक्षा कानून की आवश्यकता:** ऐसे प्रावधान जो संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण, संरक्षण, साझाकरण और प्रसार पर निर्भर करते हैं, उन्हें संभावित उल्लंघनों से निपटने के लिए डेटा सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद ही पेश किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करना सरकार के प्रत्येक अंग की जिम्मेदारी है।

इच्छामृत्यु (Euthanasia)

चर्चा में क्यों : बेंगलुरू की एक 49 वर्षीय महिला चाहती है कि अदालत उसके दोस्त (नोएडा के 48 वर्षीय एक व्यक्ति) को यूरोप की यात्रा करने से रोके, जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति दुर्बल स्वास्थ्य की स्थिति में है और कथित तौर पर इच्छामृत्यु (Euthanasia) प्राप्त करने के लिए यूरोप की यात्रा कर रहा है। इच्छामृत्यु का विकल्प भारत में एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, जो असाध्य रूप से बीमार न हो।

- साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में निष्क्रिय रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए पैसिव यूथेनेशिया (Passive Euthanasia) को कानूनी बना दिया था, यानी ऐसे असाध्य रोगी जो कोमा में चले गए हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, उनके परिजनों की अनुमति से डॉक्टर, धीरे-धीरे करके मरीज के लाइफ सपोर्ट को कम कर सकते हैं।
- जबकि आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास अपराध है, वहीं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115 (1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है (जब तक कि अन्यथा साबित न हो), माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव में था और उक्त कदम के लिए वह आईपीसी की धारा 309 के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

इच्छामृत्यु के बारे में

- मर्सी किलिंग जिसे इच्छामृत्यु के रूप में भी जाना जाता है, एक पीड़ित व्यक्ति को दर्द रहित मृत्यु प्रदान करने का एक कार्य है जो चिकित्सा सुविधाओं को उनकी सहायता से हटा दिए जाने पर जीवित नहीं रहेगा।
- **दो प्रकार:** मृत्यु के साधन के अनुसार इच्छामृत्यु को भी दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।
- **सक्रिय इच्छामृत्यु:** इसे 'सकारात्मक इच्छामृत्यु' या 'आक्रामक इच्छामृत्यु' के रूप में भी जाना जाता है।
    - इसका तात्पर्य प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से किसी व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करना होता है।
    - सक्रिय इच्छामृत्यु आमतौर पर मृत्यु का कारण बनने का एक त्वरित साधन है और सक्रिय इच्छामृत्यु के सभी रूप अवैध हैं।
    - उदाहरण के लिए, किसी दवा की घातक खुराक देकर या घातक इंजेक्शन देकर।

- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु:** निष्क्रिय इच्छामृत्यु को नकारात्मक या गैर - आक्रामक इच्छामृत्यु के रूप में भी जाना जाता है।
    - यह जानबूझकर आवश्यक, आवश्यक और सामान्य देखभाल या भोजन और पानी उपलब्ध न कराकर मौत का कारण बन रहा है।
    - इसका तात्पर्य आर्टिफीसियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करना, वापस लेना या हटाना शामिल होता है।

भारतीय परिदृश्य

- अभी तक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत में केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति है।

इच्छामृत्यु के साथ मुद्दे:

चिकित्सा नैतिकता:

- चिकित्सीय नैतिकता में रोगी के जीवन को समाप्त न करने, नर्सिंग, देखभाल और उपचार करने का आह्वान किया गया है।
- वर्तमान समय में चिकित्सा विज्ञान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और असाध्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है।
- इस प्रकार, एक रोगी को अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय, चिकित्सकों को रोगियों को अपने दर्दनाक जीवन को शक्ति के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

नैतिक रूप से ग़लत:

- जीवन लेना नैतिक (morally) और एथिकली (ethically) रूप से गलत है। जीवन के मूल्य को कभी कम नहीं किया जा सकता है।

संवेदनशील लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे:

- विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह इस आधार पर इच्छामृत्यु के वैधीकरण के खिलाफ हैं कि कमजोर लोगों के ऐसे समूह इच्छामृत्यु का विकल्प चुनने के लिए बाध्य महसूस करते है क्योंकि वे स्वयं को समाज के लिए एक बोझ के रूप में देखते हैं।

आत्महत्या बनाम इच्छामृत्यु:

- जब आत्महत्या की अनुमति नहीं है तो इच्छामृत्यु की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- ऐसे रोगियों की उचित देखभाल और उनमें आशा दिखाकर ऐसी प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।

सिग्नीफिकेन्स यूथेनेशिया

दर्द का समापन :

- इच्छामृत्यु किसी व्यक्ति के असहनीय अत्यधिक दर्द और पीड़ा को दूर करने का एक तरीका प्रदान करता है।
- यह असामयिक रूप से बीमार लोगों को एक लंबी मौत से राहत देता है।

व्यक्ति की पसंद का सम्मान करना:

- मानव जीवन का सार गरिमामय जीवन जीना है और व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से जीने के लिए बाध्य करना व्यक्ति की पसंद के विरुद्ध है।
- इस प्रकार, यह एक व्यक्ति की पसंद को व्यक्त करता है जो एक मौलिक सिद्धांत है।

दूसरों के लिए उपचार:

- डॉक्टरों और अस्पताल के बिस्तरों की ऊर्जा का उपयोग उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिनकी जान बचाई जा सकती है बजाय इसके कि जो मरना चाहते हैं उनके जीवन को जारी रखें।

गरिमामय मृत्यु:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से सम्मान के साथ जीने का प्रावधान करता है।
- एक व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है और यदि वह मानक उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर रहा है तो व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

मानसिक पीड़ा को एड्रेसिंग करना:

- इसके पीछे का मकसद नुकसान की बजाय मदद करना है। यह न केवल रोगी के असहनीय दर्द को दूर करता है बल्कि रोगी के परिजनों को भी मानसिक पीड़ा से मुक्त करता है।

आगे की राह

- उपशामक देखभाल (Palliative care) - किसी व्यक्ति की मृत्यु के तरीके और समय पर नियंत्रण दवा का लक्ष्य नहीं रहा है और न ही होना चाहिए।
- भारत को गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है ताकि वे जब भी चाहें

शांति से जा सकें।

- इसे किसी बीमारी के निदान के समय से लेकर जीवन के अंत तक उपशामक देखभाल कहा जाता है।
- परिवार और दोस्तों का नैतिक समर्थन रोगी को बीमारी से लड़ने के लिए आश्वस्त करता है।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु को विनियमित करने के लिए घातक रोगियों के चिकित्सा उपचार विधेयक, 2016 को पारित करना।

विषम संघवाद

संदर्भ: विषम संघवाद की व्यवस्था में, भारत को एक देश के रूप में मजबूत रहना चाहिए।

- जैसे ही भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करता है, हमारे लिए संवैधानिक, संस्थागत, राजनीतिक और वित्तीय व्यवस्थाओं को देखने का समय आ गया है जो हमारे देश की बहुलता को ध्यान में रखते हैं।
- यह एक ऐसा राष्ट्र है जहां विश्व के चार प्रमुख धर्म उपस्थित हैं; इसकी मुस्लिम आबादी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है; और भारतीय पांच अलग-अलग परिवारों से संबंधित भाषाएं बोलते हैं।
- इस तरह की विविधता और बहुलता एक ऐसी व्यवस्था की मांग करती है जो विषम संघवाद की मौजूदा प्रणाली में परिलक्षित समायोजन और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सके।
- विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके हितों को समायोजित करने की क्षमता भारत को एक संपन्न संघीय लोकतंत्र बनाती है क्योंकि यह बिबड़ी विषम विशेषताओं को प्रदर्शित करता है।

असममित संघवाद (Asymmetric Federalism)

- असममित संघवाद का अर्थ है एक संघ का गठन करने वाली इकाइयों के बीच राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में असमान शक्तियों और संबंधों पर आधारित संघवाद।
- एक संघ के व्यवस्थाओं में विषमता को लंबवत (केंद्र और राज्यों के बीच) और क्षैतिज (राज्यों के बीच) दोनों इंद्रियों में देखा जा सकता है।

राजनीतिक और संवैधानिक विषमता

- देश में विशिष्ट सांस्कृतिक अंतरों को पहचानना और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित अल्पसंख्यकों के लिए एक साझा शासन की योजना के भीतर स्व-शासन की अनुमति देना भारत में विषम संघवाद कैसे काम करता है।
- इसके अलावा, इस तरह की व्यवस्था केवल यह साबित करती है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुराष्ट्रीय देश के लिए समुदाय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विषम संवैधानिक व्यवस्था निर्विवाद रूप से आवश्यक है।
- यह सेटअप कई लेकिन पूरक पहचान के आवास की सुविधा प्रदान करता है।
- इसलिए जब हम राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर पाते हैं, तो यह एक राजनीतिक विषमता होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जबकि मेघालय और मिजोरम में सिर्फ एक-एक सीटें हैं।
- संवैधानिक विषमता - साझा नियम के भीतर स्व-शासन
  - हम अनुच्छेद 370 में संवैधानिक विषमता पाते हैं और सर्वव्यापक अनुच्छेद 371 में नागालैंड, मिजोरम और अन्य को दिए गए विशेष प्रावधानों और शक्तियों में।
  - इन राज्यों की विधायिकाओं की सहमति के बिना ऊपर वर्णित पूर्वोत्तर राज्यों में संसदीय क़ानून लागू नहीं किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, छठी अनुसूची के अनुसार स्वायत्त जिला परिषद का निर्माण पूर्वोत्तर की जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है, जिससे साझा शासन की योजना के भीतर स्व-शासन के प्रावधानों की सुविधा मिलती है।
- केंद्र शासित प्रदेश
  - इसके अलावा, भारतीय असममित व्यवस्था एक अन्य प्रकार की विषमता, यानी केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories-UT) को शामिल करने के लिए विकसित हुई है।
  - दिल्ली का मामला अपने आप में विषम संघवाद का एक उल्लेखनीय उदाहरण है जहां हम उपराज्यपाल (Lieutenant Governor-LG) की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का गवाह बनते हैं।

राजकोषीय व्यवस्था पर

- एक और महत्वपूर्ण विषमता संविधान में निहित राजकोषीय व्यवस्था है।
- केंद्र से राज्यों को फंड ट्रांसफर करते समय, वैधानिक हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
- कल्याण करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की लागत केंद्र और उप-राष्ट्रीय इकाइयों दोनों द्वारा सह-साझा की जाती है। नीति आयोग के युग में, केंद्र ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए अपने राजस्व का हिस्सा काफी कम कर दिया है।

हमारे संविधान और प्रशासन में ये प्रावधान विषम विशेषताओं को दर्शाते हुए विशेष व्यवस्थाएं हैं।

हमें यह याद रखना चाहिए कि असमान शक्ति-साझाकरण का विचार और व्यवस्था ठीक से उपयोग न किए जाने पर परेशान कर सकती है। हमारे संविधान में ऐसी विशेषताएं न तो सीमांत हैं और न ही केवल अनंतिम हैं। ये विशेषताएं काफी बड़ी संख्या में राज्यों को स्पर्श करती हैं। और इन विशेषताओं और प्रावधानों के बिना, अत्यधिक विविध समाज की अलगाववादी प्रवृत्तियों को कम करना संभव नहीं होता।

विषम संघवाद की प्रासंगिकता भविष्य में भी बनी रहेगी क्योंकि सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें विभिन्न समूहों को समायोजित करने और उन्हें एक ही समय में देश के शासन में हिस्सा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

लोक अदालत (Lok Adalat)

चर्चामेंक्यों : 75 लाख से अधिक लंबित और पूर्व-मुकदमेबाजी के मामले, उनमें से कई महामारी द्वारा बनाए गए बड़े बैकलॉग का हिस्सा हैं, देश भर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए थे।

- जस्टिस यू.यू. ललिता के तहत कानूनी सेवा प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाराष्ट्र और राजस्थान में 'डिजिटल लोक अदालत' आयोजित करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।
- 74 लाख से अधिक निपटाए गए मामलों में से 16.45 लाख विवाद लंबित थे और अन्य 58.33 लाख मुकदमे पूर्व चरणों में थे।

लोक अदालत के बारे में

- लोक अदालत एक वैकल्पिक मंच है, जहां पर कानून की अदालत में पहले मुकदमेबाजी स्तर पर लंबित मामलों और विवादों को निपटाने और समझौता कराने का प्रयास किया जाता है।
- 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ है 'पीपुल्स कोर्ट'। यह प्रणाली गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
- यह एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान) प्रणाली के घटकों में से एक है।
- लोक अदालत त्वरित और सस्ते न्याय के लिए वैकल्पिक समाधान या उपाय प्रदान करती है।

वैधानिक स्थिति

- लोक अदालत की संस्था को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।

लोक अदालतों का संगठन और कामकाज:

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है। वह जैसा उचित समझे।
- किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में इतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- आम तौर पर, एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक वकील (अधिवक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं।
- लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले या मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो किसी कानून के तहत समझौता योग्य नहीं है।
- न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:
  - इसके पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हैं
  - उसका कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए अदालत में एक आवेदन करता है; या
  - अदालत संतुष्ट है कि लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए मामला उपयुक्त है।
- पूर्व-मुकदमेबाजी विवाद के मामले में, विवाद के किसी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर, लोक अदालत का आयोजन करने वाली एजेंसी

द्वारा निपटारे के लिए मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।

- लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित हैं, जबकि निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक वाद का विचारण किया जाता है:
  - शपथ पर उसकी परीक्षण करने वाले किसी गवाह को बुलाने और हाजिर कराने के लिए बाध्य करना;
  - किसी दस्तावेज़ का पता लगाना और उसे प्रस्तुत करना;
  - हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
  - किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज की मांग करना; और ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
- इसके अलावा, एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक शक्तियां होंगी।
- साथ ही, लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860) के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।)
- लोक अदालत के अवार्ड को दीवानी न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के रूप में समझा जाएगा।
- लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

महत्व

- कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो विवाद का लोक अदालत में निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।
- लोक अदालत की बुनियादी विशेषताएं हैं प्रक्रियात्मक लचीलापन और विवादों का त्वरित परीक्षण।
- लोक अदालत द्वारा दावे का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया गया है।
- विवाद के पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायाधीश के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
- लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार पार्टियों के लिए बाध्यकारी होता है और इसे दीवानी अदालत की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है और यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है।

अधिनियम द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, लोक अदालतें मुकदमेबाजी करने वाली जनता के लिए वरदान हैं क्योंकि वे अपने विवादों को तेजी से और सौहार्दपूर्ण ढंग से नि: शुल्क सुलझा सकती हैं।

क्षमा (Remission)

चर्चामें क्यों : गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इन 11 दोषियों की रिहाई को मंज़ूरी दी है। इन सभी को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलक़ीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया था।

क्षमा पर कानून

- संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालतों द्वारा पारित सजा को माफ करने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति है।
- साथ ही, चूंकि जेलें राज्य का विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारों को दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure-CrPC) की धारा 432 के तहत सजा माफ करने का अधिकार है।
- हालांकि, CrPC की धारा 433A छूट की इन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है:
  - जहां आजीवन कारावास की सजा या किसी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह साल की कैद की सजा नहीं काट ली हो।

क्षमा के लिए आधार

- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य मनमाने ढंग से क्षमा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
- जबकि नीति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, मोटे तौर पर बोर्ड द्वारा विचार किए गए क्षमा के आधार समान हैं।
- अपराध की गंभीरता, सह-अभियुक्त की स्थिति और जेल में आचरण, क्षमा प्रदान करने के लिए विचार किए जाने वाले कारक हैं।
- 'लक्ष्मण नस्कर (Laxman Naskar) बनाम भारत संघ' (2000) में सुप्रीम कोर्ट ने पांच आधार निर्धारित किए जिन पर क्षमा पर विचार किया जाता है:
  a) क्या अपराध अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है जो समाज को प्रभावित नहीं करता है;
  b) क्या भविष्य में अपराध के दोहराए जाने की संभावना है;
  c) क्या अपराधी ने अपराध करने की क्षमता खो दी है;
  d) क्या अपराधी को कारागार में रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है; तथा
  e) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- हालांकि, उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी कम से कम 14 साल की सजा काटने के बाद ही क्षमा पाने के हकदार हैं।
- जेल सांख्यिकी, 2020 के आंकड़े बताते हैं कि जेल में बंद 61 फीसदी कैदी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

अवश्य पढ़ें: अनुच्छेद 72 + क्षमा शक्तियाँ .

फ्रीबीज (Freebies)

फ्रीबीज क्या हैं और फ्रीबीज कल्चर की शुरुआत कैसे हुई?

फ्रीबी का शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसा है जो मुफ्त या लागत में दिया जाता है।

भारत में, यह आमतौर पर चुनाव के समय होता है। किसी विशेष चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु मुफ्त उपहार प्रदान किए जाने के लिए जाना जाता है। ये रिसीवर के लिए सीमित निजी लाभ पैदा करते हैं और सार्वजनिक वस्तुओं/सुविधाओं को मजबूत करने में योगदान नहीं देते हैं।

- तमिलनाडु में मुफ्तखोरी की संस्कृति वर्ष 1967 के विधानसभा चुनावों के दौरान शुरू हुई थी। तत्कालीन द्रमुक प्रमुख सी.एन. अन्नादुरई ने ₹1 में चावल के तीन उपाय प्रस्तुत किए।
- मुफ्त उपहार देने की प्रथा का पालन बाद के मुख्यमंत्रियों ने किया, जिन्होंने मुफ्त टीवी सेट, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी, मुफ्त गैस सिलेंडर और स्टोव, गरीब किसानों के लिए एक बकरी और एक गाय आदि का वादा किए।
- राजनीतिक नेताओं ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए मुफ्त उपहारों को उचित ठहराया है क्योंकि यह पिरामिड के निचले हिस्से में रहने वालों की सहायता करता है।

फ्रीबीज के क्या फायदे हैं?

- **कल्याणकारी योजनाओं का आधार:** फ्रीबीज़ में केवल चुनाव-पूर्व के अव्यवहार्य वादे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कई सेवाएँ भी शामिल हैं जो सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) के तहत नागरिकों को प्रदान करती है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मुफ्त कोविड वैक्सीन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।
- तेलंगाना की रायथू बंधु और ओडिशा की कालिया योजना 'मध्याह्न भोजन योजना' की अग्रदूत है।
- **निम्न वर्ग का उत्थान:** चूँकि तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों में गरीब आबादी का प्रतिशत अधिक है, इन राज्यों में निचले तबके के उत्थान के लिये फ्रीबीज़ अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं।

फ्रीबीकल्चर की आलोचनाएं क्या हैं?

- **निजी लाभ सृजित करना :** मुफ्त उपहार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लाभ देने के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करते हैं और इसके बजाय निजी लाभ पैदा करते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के मुख्य लाभार्थी सत्ताधारी पार्टी के मुख्य समर्थक और स्विंग वोटर थे जो आसानी से प्रभावित हो सकते थे।
- **गरीबों का राजनीतिकरण:** मुफ्त उपहार न केवल गरीब और हाशिए के समुदायों का राजनीतिकरण करेंगे बल्कि परोक्ष रूप से उन्हें राज्य के संसाधनों के उनके उचित हिस्से से वंचित कर देंगे।

- **तर्कसंगत सोच को मिटाना:** फ्रीबी एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में व्यक्तित्व दोषों को प्रोत्साहित करती है। लोकलुभावनवाद औसत दर्जे के राजनीतिक आलोचकों को प्रोत्साहित करता है और आलोचनात्मक तथा तर्कसंगत सोच को मिटा देता है, जो सत्ता में लोगों से सवाल उठाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **संरक्षक-ग्राहक सिंड्रोम (Patron-Client Syndrome):**अवांछित मुफ्त उपहार एक संरक्षक-ग्राहक सिंड्रोम पैदा करते हैं। मुफ्त उपहार देना लोगों के साथ प्रजा जैसा व्यवहार करना है, जबकि नागरिक संवैधानिक गारंटी के हकदार होते हैं।
- कल्याणकारी राजनीति के विरुद्ध : कल्याणकारी पहल नागरिक अधिकारों का एक रूप हैं, जबकि अवांछित मुफ्त उपहार सत्ताधारी दलों द्वारा गरीबों के प्रति सबसे अच्छा और सबसे कम उदासीनता दिखाते हैं।
- उत्पादकता में वृद्धि न करना : यह देखा गया है कि मुफ्त लैपटॉप बांटने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। साथ ही, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, कृषि ऋण माफी आदि ने उत्पादकता बढ़ाने में योगदान नहीं दिया है।
- राजकोषीय बोझः मुफ्त में मिलने वाली सुविधाएं राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोझ डालती हैं, जिससे भारी राजकोषीय कर्ज बढ़ता है।
- भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील: मुफ्त की संस्कृति बिचौलियों की भागीदारी के कारण भ्रष्ट आचरण का मार्ग प्रशस्त करती है।
- लंबे समय तक टिकाऊ न होना : मुफ्त उपहारों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम बहुत ही अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं। साथ ही, उन्हें हमेशा के लिए मुफ्त प्रदान नहीं किया जा सकता है, किसी बिंदु पर इन सामानों को युक्तिसंगत बनाना होगा।

फ्रीबी कल्चर पर न्यायपालिका का क्या नजरिया है?

फ्रीबीज पर नजरिया: सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज देने के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि फ्रीबीज भ्रष्ट आचरण नहीं है जैसा कि चुनावी घोषणापत्र में बताया गया है।

लेकिन जांच सुनिश्चित करने के लिए,सुप्रीम कोर्ट ने 'चुनावों से पहले 'मुफ्त उपहार' के वितरण या वादे की जांच करने हेतु हितधारकों का एक निकाय बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन यह कदम यह सवाल उठाता है कि क्या इस तरह की दूरगामी अभ्यास पर विधायिका को दरकिनार (bypassed) किया जा सकता है।

क्या भारत को मुफ्त वस्तुओं का नियमन करना चाहिए?

RBI के जून के एक पेपर में कहा गया है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, लंबित उपयोगिता बिलों की माफी और कृषि ऋण माफी के प्रावधान को अक्सर मुफ्त माना जाता है, जो संभावित रूप से क्रेडिट संस्कृति को कमजोर करता है, क्रॉस-सब्सिडी के माध्यम से कीमतों को विकृत करता है। यह निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन को कम करता है और वर्तमान मजदूरी दर पर काम को हतोत्साहित करता है जिससे श्रम बल की भागीदारी में गिरावट आती है।

आगे की राह

कल्याण और फ्रीबी के बीच एक रेखा खींचना:

- मुफ्त उपहारों को आर्थिक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए और करदाताओं के पैसे से जुड़ा होना चाहिए।

स्पष्ट तर्क और निधियों का संकेत:

- कार्यक्रमों को बुनियादी सुविधाओं में अधिक निवेश करने के लिए एक स्पष्ट तर्क प्रदान करना चाहिए और राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धन का स्पष्ट संकेत होना चाहिए।

मतदाता जागरूकता:

- लोकतंत्र में, मुफ्त उपहारों के प्रगति (march) को रोकने या अनुमति देने की शक्ति मतदाताओं के पास होती है।

FRBM अधिनियम का संशोधन

- मौजूदा FRBM प्रावधानों के तहत, सरकारों को अपनी आकस्मिक देनदारियों का खुलासा करना अनिवार्य है, लेकिन यह खुलासा उन देनदारियों तक ही सीमित है जिनके लिए उन्होंने एक स्पष्ट गारंटी दी है।
- प्रावधान का विस्तार उन सभी देनदारियों को कवर करने के लिए किया जाना चाहिए जिनकी सर्विसिंग दायित्व बजट पर पड़ता है, या किसी गारंटी की परवाह किए बिना संभावित रूप से बजट पर गिरता है।

मुफ्त के बजाय कौशल विकास पर ध्यान देना :

- लोगों को मुफ्त उपहार देने के बजाय उपयोगी कौशल प्रदान करना हमेशा बेहतर होता है।

श्रम सुधार (Labour Reforms)

भारत में मजदूरों के संबंध में संरचना क्या है?

- भारत में, श्रम समवर्ती सूची में एक विषय है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
- नए श्रम संहिता के पारित होने से पहले, श्रम और संबंधित मामलों पर 40 से अधिक केंद्रीय कानून और 100 से अधिक राज्य कानून थे।
- दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने सिफारिश की कि केंद्रीय श्रम कानूनों को समूहों में एकीकृत किया जाना चाहिए जैसे: औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, कल्याण और काम करने की स्थिति आदि।

नए लेबर कोड क्या हैं?

वर्ष 2019-20 में, संसद ने इन बहुविध कानूनों को समेकित करने के लिए 4 श्रम संहिताएँ अधिनियमित कीं है :

A. वेतन पर कोड, 2019

- संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी।
- केंद्र सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने का आदेश देता है और उपयुक्त सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
- संहिता किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए वेतन और कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मासिक राशि से अधिक वेतन पाने वाला और एक लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिनों का काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, अर्जित मजदूरी के 8.33% या 100 रुपये, जो भी अधिक हो, की दर से वार्षिक बोनस का हकदार होगा।

B. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

- **कानूनी हड़ताल के लिए नई शर्तें -** औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति बिना 60 दिन के नोटिस के और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान और ऐसी कार्यवाही के समापन के 60 दिन बाद हड़ताल पर नहीं जाएगा। पहले इस तरह के प्रतिबंध केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर लागू होते थे।
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों के लिए आचरण के स्थायी आदेश नियमों की आवश्यकता की सीमा मौजूदा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है।
- **रीस्किलिंग फंड (Reskilling Fund)-** छंटनी किए गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिए एक री-स्किलिंग फंड की स्थापना करना, जिसमें कर्मचारी द्वारा पिछले 15 दिनों के बराबर राशि का नियोक्ता का योगदान हो।

C. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जो केंद्र सरकार को असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएँ तैयार करने की सिफारिश करेगा।
- **कोई और अस्पष्टता न होना :** बिल में "कैरियर सेंटर", "एग्रीगेटर", "गिग वर्कर", "प्लेटफॉर्म वर्कर", "वेतन सीमा" आदि जैसे विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है।
- **गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा:** साथ ही, गिग वर्कर्स को नियुक्त करने वाले एग्रीगेटर्स को वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने सालाना टर्नओवर का 1-2 फीसदी योगदान देना होगा।

D. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020

- सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रोजगार देना। वे रात में भी काम कर सकते हैं, यानी शाम 7 बजे से पहले और सुबह 6 बजे से पहले सुरक्षा, छुट्टी, काम के घंटे और उनकी सहमति से संबंधित शर्तों के अधीन होना।
- **औपचारिकता को बढ़ावा देना :** रोजगार में औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र जारी करना।
- **अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को श्रमिक की परिभाषा में शामिल करना:** अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को ऐसे श्रमिक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक राज्य से अपने दम पर आए हैं और दूसरे राज्य में रोजगार प्राप्त करते हैं, और प्रति माह 18,000 रुपये तक

कमाते हैं।

- प्रस्तावित परिभाषा केवल संविदात्मक रोजगार की वर्तमान परिभाषा से अलग है।
- **पोर्टबिलिटी लाभ (Portability Benefits):** एक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार को गंतव्य राज्य में राशन के संबंध में और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर के लाभों का लाभ उठाने के लिए पोर्टेबिलिटी प्रदान की गई है। हालाँकि, कोड ने कार्यस्थलों के पास श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास के पहले के प्रावधान को हटा दिया है।
- हालांकि इसने यात्रा भत्ते का प्रस्ताव किया है कि नियोक्ता द्वारा श्रमिक को उसके रोजगार के स्थान से उसके मूल स्थान तक आने-जाने की यात्रा के लिए एकमुश्त किराए का भुगतान किया जाएगा।

श्रम संहिता के क्या लाभ हैं?

- **आसान प्रक्रियाएं:** संहिताएं सरलीकरण और युक्तिकरण के लिए हैं। एक लाइसेंस/एक पंजीकरण और एक रिटर्न के प्रावधान से प्रतिष्ठान के समय, संसाधनों और प्रयासों की बचत होगी।
- **अनुपालन की लागत में कमी:** वेब-आधारित इलेक्ट्रॉनिक श्रम निरीक्षक/सुविधाकर्ता, अभियोजन कार्यवाही शुरू करने से पहले, नियोक्ता को संहिता के प्रावधानों का पालन करने का अवसर देंगे।
- **निश्चित अवधि के रोजगार का वैधीकरण पारदर्शिता को सक्षम बनाना:** अनुबंध श्रम में स्पष्ट भूमिका परिभाषाएं, ठेकेदारों की पात्रता के स्पष्ट मानदंड, ठेकेदारों के राष्ट्रीय लाइसेंसिंग से एक जीत त्रिपक्षीय रोजगार संबंध बनाने में मदद मिलती है।
- **नौकरी चाहने वालों के लिए लाभ:** कुछ व्यापक लाभों में संगठित क्षेत्र से परे कार्यबल के एक बड़े क्रॉस-सेक्शन को शामिल करने का प्रयास शामिल है, और विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों के लिए आउटरीच योजनाओं के माध्यम से श्रम कानूनों के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।
- **गिग वर्कर्स के लिए लाभ:** गिग वर्क और गिग प्लेटफॉर्म की स्वीकृति और गिग असाइनमेंट लेने वालों की सुरक्षा के प्रावधान कई श्रमिकों और उम्मीदवारों को हमारे आसपास की अनिश्चितता को देखते हुए इसे आजीविका के वैकल्पिक विकल्प के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- **संविदात्मक नौकरी की सुरक्षा:** ठेका श्रमिकों के प्रावधान में बदलाव जहां ठेका मजदूरों को नियमित भूमिका में समान काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के बराबर भुगतान करने की आवश्यकता होती है, यह संविदात्मक नौकरी चुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जीत का प्रस्ताव बनाता है।
- **निवेशक भावना को बढ़ावा देना :** नियमों के इन सभी सरलीकरण से व्यापार करने में आसानी में सुधार होता है, जो आगे विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करता है।

वर्तमान श्रम सुधारों से संबंधित चिंताएं क्या हैं?

- **श्रमिकों के अधिकारों को कम करना :** छोटे प्रतिष्ठानों (300 श्रमिकों तक) में श्रमिकों के अधिकारों को ट्रेड यूनियनों, श्रम कानूनों के संरक्षण के बिना कम कर दिया जाता है।
- **कामगार सुरक्षा सुरक्षा उपायों को कम करना :** नए नियम कंपनियों को कामगारों के लिए मनमानी सेवा शर्तों को लागू करने में सक्षम बनाते है।
- **कॉर्पोरेट अनुकूल:** नए नियम नियोक्ताओं को सरकारी अनुमति के बिना कामगारों को काम पर रखने और निकालने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं।
- **बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना :** हड़तालों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध औद्योगिक कार्यों की स्वतंत्रता पर हमले के समान है।
- **रीस्किलिंग फंड के बारे में अस्पष्टता:** कोड में रीस्किलिंग फंड के मूल और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर स्पष्टता का अभाव है जो वर्ष 1990 के दशक में नेशनल रिन्यूअल फंड की तरह खत्म हो जाएगा।
- महिला सुरक्षा: विभिन्न सुरक्षा उपायों के बावजूद महिलाओं को रात के समय काम करने की अनुमति देने से यौन शोषण के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

रिपोर्ट अनुत्तरित छोड़ देती है कि क्या सुधारों से श्रमिकों को लाभ हुआ है। आखिरकार, श्रम कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि निवेशकों के हितों को बढ़ावा देना।

विधायकों की अयोग्यता (Disqualification of MLAs)

संदर्भ: हाल ही में, निर्वाचन आयोग (Election Commission-EC) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी।

संवैधानिकप्रावधान:

संविधानकेतहतअयोग्यता, एक व्यक्ति को राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा:

- यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है (किसी मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य कार्यालय को छोड़कर),
- यदि वह विकृत दिमाग का है और अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है,
- यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया (undischarged insolvent) है,
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की स्वीकृति के अधीन है, और
- यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है।

संविधान का अनुच्छेद 327 और 328 संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए नियम बनाने के लिए क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है।

इनके अलावा, संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में कई अतिरिक्त अयोग्यताएं निर्धारित की हैं। इसमे शामिल है,

- उसे कुछ चुनावी अपराधों या चुनावों में भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए।
- उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप दो या अधिक वर्षों के लिए कारावास हो। लेकिन, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना अयोग्यता नहीं है।
- वह समय के अंदर अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दर्ज करने में विफल नहीं रहा हो।
- सरकारी अनुबंधों, कार्यों, या सेवाओं में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए।
- उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।
- अयोग्यता के ऐसे मामले में, यह क्रमशः सांसद और विधायक के लिए राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है और उनका निर्णय अंतिम होता है। तथापि, उसे चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए।

अवश्यपढ़े :दलबदलविरोधीकानून - दलबदलकेआधारपरअयोग्यता

भारत की 'गेहूं माफी' की मांग जोखिम से भरी हुई है

संदर्भ: विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की प्रमुख मांगों में से एक – और ठीक ही – भारत की खाद्य सुरक्षा (PSH Policy) की रक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH Stockholding) के मुद्दे का एक स्थायी समाधान खोजना है।

यह सब क्या है?

- भारत की PSH नीति किसानों से एक प्रशासित मूल्य (MSP) पर भोजन प्राप्त करने पर आधारित है, जो आम तौर पर बाजार मूल्य से अधिक है।
- PSH नीति के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करती है-
  - o किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और
  - o वंचितों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना।

विश्व व्यापार संगठन कानून

- किसानों से इस तरह की मूल्य समर्थन-आधारित खरीद को व्यापार-विकृत सब्सिडी के रूप में गिना जाता है, और यदि अनुमेय सीमा से अधिक दिया जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन कानून का उल्लंघन होता है।
- वर्तमान में, भारत को एक 'शांति खंड' (पीस क्लॉज़/peace clause) के कारण अस्थायी राहत मिली है जो देशों को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मूल्य समर्थन-आधारित खरीद के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को लाने से रोकता है।

- हालांकि, इस समस्या का एक स्थायी समाधान अभी भी शुरू नहीं हुआ है।

नया आयाम

- PSH नीति के स्थायी समाधान की भारत की मांग ने एक नया आयाम हासिल कर लिया है।
- भारत इस बात पर जोर देता है कि उसे एमएसपी के तहत खरीदे गए खाद्यान्न के स्टॉक से खाद्य, विशेष रूप से गेहूं के निर्यात की भी अनुमति दी जानी चाहिए।
- हालांकि, विश्व व्यापार संगठन कानून देशों को रियायती कीमतों पर खरीदे गए खाद्यान्न के निर्यात से प्रतिबंधित करता है।
- किसी देश को रियायती कीमतों पर खरीदे गए खाद्यान्न का निर्यात करने की अनुमति देने से उस देश को वैश्विक कृषि व्यापार में अनुचित लाभ मिलेगा।
- विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार, छूट केवल "असाधारण परिस्थितियों" में ही अपनाई जा सकती है।
- इस प्रकार, सार्वजनिक स्टॉक से गेहूं के निर्यात की अनुमति के लिए छूट को अपनाने के लिए दो राष्ट्रों के बीच चल रहे युद्ध को "असाधारण परिस्थिति" के रूप में मान्यता देने की संभावना बहुत दूर है।

शांति खंड

- यह शांति खंड विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के अनुच्छेद 13 को संदर्भित करता है।
- इस खंड के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य द्वारा अपने उत्पादकों को दी गई निर्यात सब्सिडी और समर्थन उपायों, जिन्हें कृषि समझौते के तहत कानूनी माना जाता है, को अन्य विश्व व्यापार संगठन समझौतों के तहत अवैध होने के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- मूल शांति खंड वर्ष 2004 में समाप्त हो गया। वर्ष 2013 के बाली सम्मेलन में, इस तरह का एक और अस्थायी खंड रखा गया था।

उत्तर-पूर्वी राज्यों का एकीकरण

"भारत तभी सफल होगा जब उत्तर पूर्व भारत के अन्य विकसित राज्यों के बराबर विकसित होगा"- नरेंद्र मोदी।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एकीकरण

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 8 राज्य शामिल हैं जो देश के 8% भूभाग को कवर करते हैं और देश की विविध संस्कृतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय आबादी का 4% है।

पूर्वोत्तर भारत के राज्य अस्तित्व में कैसे आए?

छठी अनुसूची अविभाजित असम के आदिवासी बेल्ट के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रशासनिक साधन था। अनुसूचियों ने स्वायत्त जिला परिषदों के गठन को अनिवार्य कर दिया, जिसमें अन्य के अलावा, आदिवासी प्रथागत कानूनों को वैधता दी गई।

- संविधान की छठी अनुसूची 1949 में प्रस्तुत की गई: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम (प्रत्येक में तीन परिषद) और त्रिपुरा (एक परिषद) में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है।

Picture Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_India

केंद्र सरकार ने भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को कैसे समायोजित किया?

जैसे-जैसे भारत ने विश्वास हासिल किया और अपने दर्दभरे विभाजन के अनुभव के बाद और अधिक संतुलन की अपनी असुरक्षाओं को दूर किया, राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रवाद के प्रति दृष्टिकोण में नरमी आई, सांस्कृतिक होने के बजाय इन समझों की संवैधानिक परिभाषा की ओर झुकाव हुआ। राष्ट्रीय एकीकरण भी राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर अन्य सभी धाराओं को समायोजित करने के लिए मुख्यधारा के विस्तार के बारे में अधिक आया।

उत्तर पूर्वी परिषद (NEC)

- यह वर्ष 1971 में एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया। 2002 में, NEC को जीवंत करने वाले अधिनियम में संशोधन किया गया था। एक सलाहकार की भूमिका से, यह क्षेत्र के लिए एक बुनियादी ढांचा नियोजन निकाय बन गया।
- सिक्किम को भी इसके दायरे में लाया गया।
- महत्वपूर्ण रूप से, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करने के लिए इसके कार्यकारी ढांचे का विस्तार किया गया, इसे स्थानीय मतदाताओं की आकांक्षाओं से जोड़ा गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (DoNER)

- यह वर्ष 2001 में केंद्र सरकार में बनाया गया था, और वर्ष 2004 में इसे एक पूर्ण मंत्रालय में अपग्रेड किया गया था।
- वर्ष 1991 में, भारत की "पूर्व की ओर देखो नीति" का जन्म पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया की जीवंत अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने के घोषित उद्देश्य के साथ हुआ था।
- वर्ष 2010 में, एक संरक्षित क्षेत्र शासन जिसमें विदेशियों द्वारा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की यात्राओं को प्रतिबंधित किया गया था, में ढील दी गई थी।

अफस्पा को रद्द करना (Repeal of AFSPA)

- यहां तक कि वर्ष 2004 में एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया था जो अफस्पा को निरस्त करने या फिर "मानवीकरण" करने के तरीके की सिफारिश करता था।

पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण अभी भी एक मुद्दा क्यों रहा है?

पूर्वोत्तर में कई बाधाएं हैं जो क्षेत्रीय विकास और समाज की मुख्यधारा में बाधा के रूप में कार्य कर रही हैं। वे हैं:

- **ऐतिहासिक कारण:**
  - पूर्वोत्तर राज्यों की ब्रिटिश नीति उन्हें मुख्य भूमि से वस्तुतः अलग कर रही है।
  - **पूर्वोत्तर को विभाजन का झटका:** पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र का शेष भारत से वास्तविक रूप से संपर्क टूट गया।
- **भौगोलिक चुनौतियां:**

- लगभग 99% क्षेत्र की बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कठिनाई उत्पन्न करती है।
- 70% से अधिक क्षेत्र में वन है जो आर्थिक विकास को कठिन बना देते है। इसके अलावा, यह क्षेत्र असम में 19% से लेकर मिजोरम में 94% तक की भारी जनजातीय आबादी की मेजबानी करता है।

- **सांस्कृतिक/सामाजिक चुनौतियां:**
  - इस क्षेत्र में 160 से अधिक अनुसूचित जनजातियां और अन्य जनजातीय तथा उप-जनजातीय समुदायों और समूह हैं। विविध संस्कृति मुख्य भूमि से अलगाव पैदा करती है और विकास में बाधा डालती है।
  - विभिन्न जातियों की उपस्थिति ने उनकी विशिष्ट पहचान की मान्यता के लिए हो रही मांगों को पूरा करना कठिन बना दिया है।
  - यद्यपि साक्षरता दर अधिक है, रोजगार क्षमता कम है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई है।
  - विभिन्न जातीय समूहों ने आदिवासी प्रतिद्वंद्विता, प्रवास और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण आदि के कारण संघर्ष और विद्रोह का कारण बना है। उदाहरण, कुकी और नागाओं के बीच अंतर-जनजातीय संघर्ष, NSCN आदि जैसे विद्रोही समूह शामिल है।
- **केंद्र सरकार से नाराजगी:** अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार के संरक्षण पर निर्भर करती है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों की कमी होती है। साथ ही, सशस्त्र बलों की तैनाती से समाज में शारीरिक आक्रोश पैदा हो गया था।

भविष्य क्या है - आगे की राह ?

पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट नीति के संदर्भ में

- त्रिपुरा और चटगांव के बीच एक रेल लिंक विकसित करने के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादों, विशेष रूप से अनाज के प्रवाह में तेजी आएगी।

अफस्पा को वापस लेने के बारे में

- असम, नागालैंड और मणिपुर के प्रमुख क्षेत्रों से AFSPA को वापस लेने का हालिया निर्णय क्रांतिकारी है।
- जब AFSPA वापस ले लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में शांति वापस आ जाएगी।

- जनजातीय समूह की संस्कृति और विशिष्ट पहचान की सुरक्षा को संवैधानिक और साथ ही वैधानिक मान्यता दी गई है।

आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकेज

संदर्भ: ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने व्यक्तियों से अपने आधार को अपने वोटर आईडी से जोड़ने के लिए कहा है, ऐसा न करने पर उनकी वोटर आईडी रद्द की जा सकती है।

सरकार ऐसा क्यों चाहती है?

- मतदाता आधार का अद्यतन और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग नियमित अभ्यास करता है।
- इस अभ्यास का एक हिस्सा मतदाताओं के दोहराव को खत्म करना है, जैसे प्रवासी श्रमिक जो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में एक से अधिक बार पंजीकृत हो गए हैं या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई बार पंजीकृत व्यक्तियों के लिए।
- सरकार के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भारत के प्रति नागरिक केवल एक मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है।

क्या आधार को वोटर आईडी से जोड़ना अनिवार्य है?

- दिसंबर 2021 में, संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन करने के लिए चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया। धारा 23(4) को आरपीए, 1950 में शामिल किया गया था।
- इसमें कहा गया है कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी पहले से ही नागरिकों के लिए "किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से" या "एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार" कर सकता है। नामांकित को अपने आधार नंबर देने की आवश्यकता है।
- नियम 26B को यह प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था कि "प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम रोल में सूचीबद्ध है, पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है"।

राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग करने की प्राथमिकता दो कारणों से उत्पन्न होती है।

- सबसे पहले, वर्ष 2021 के अंत में, 99.7% वयस्क भारतीय आबादी के पास आधार कार्ड था।
- दूसरा, चूंकि आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देता है, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और सत्यापन को अन्य आईडी की तुलना में अधिक विश्वसनीय, तीव्र और लागत प्रभावी माना जाता है।

पुट्टस्वामी निर्णय

- पुट्टस्वामी मामले (निजता का अधिकार) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि क्या आधार को बैंक खातों से अनिवार्य रूप से जोड़ना संवैधानिक है या नहीं।
- न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति को गैर-लिंकेज के लिए संपत्ति के अधिकार से वंचित करना आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
- इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आधार धारक को प्रमाणीकरण या सत्यापन के लिए अनिवार्य रूप से आधार प्रदान करने की आवश्यकता को उनकी सूचनात्मक स्वायत्तता (निजता के अधिकार) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जो उन्हें यह तय करने की अनुमति देगा कि वे सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए किस आधिकारिक दस्तावेज का उपयोग करना चाहते हैं।

चिंता

- मतदाताओं के निर्धारण के उद्देश्य से आधार को वरीयता देना एक गलत निर्णय साबित हो सकता है क्योंकि आधार केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण में त्रुटि दरों का अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होता है। वर्ष 2018 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार, आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में त्रुटि दर 12% थी।
- अंत में, नागरिक समाज ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मतदाता सूची और आधार के दो डेटाबेस को जोड़ने से आधार की "जनसांख्यिकीय" जानकारी को मतदाता पहचान पत्र की जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे राज्य निजता और निगरानी के अधिकार का उल्लंघन कर दुरुपयोग कर सकते हैं।

आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि सरकार फॉर्म 6B में सुधार के माध्यम से स्पष्ट करे कि लिंकिंग अनिवार्य नहीं है और एक डेटा संरक्षण कानून के अधिनियमन में तेजी लाता है जो सरकार द्वारा रखे गए व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत प्रसंस्करण की चिंताओं को दूर करता है।

अवश्य पढ़े: जनप्रतिनिधित्व कानून

अर्थव्यवस्था

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV)

संदर्भ: हाल के महीनों में, वाहन निर्माता मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा ने भारत में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए हैं, जो कार खरीदारों को नए इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अधिक विकल्प प्रदान करते हैं।

इलेक्ट्रिक कार क्या है?

- इलेक्ट्रिक कारें गैसोलीन के बजाय बिजली से चलती हैं, और इन्हें "इलेक्ट्रिक वाहन" (ईवी) के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि वे कोई टेलपाइप प्रदूषण या ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नहीं करते हैं और अन्य वाहनों की तुलना में शांत और स्मूथ (smoother) होते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

चार प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं:

- **बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV):** यह पूरी तरह से बिजली से संचालित होता है। ये हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड की तुलना में अधिक कुशल होते हैं।
- **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन:**

- **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV):** यह आंतरिक दहन (आमतौर पर पेट्रोल) इंजन और बैटरी चालित मोटर पावरट्रेन दोनों का उपयोग करता है।
- **प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV):** यह आंतरिक दहन इंजन और बाहरी सॉकेट से चार्ज की गई बैटरी दोनों का उपयोग करता है।

- **फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV):** यह विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक हाइड्रोजन FCEV।

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन क्या है और ये कैसे काम करते हैं?

- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन एक आंतरिक दहन इंजन और एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं, जो बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
- बैटरी चार्ज करने के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन को प्लग इन नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, बैटरी को पुनर्योजी ब्रेकिंग और आंतरिक दहन इंजन द्वारा चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त शक्ति संभावित रूप से एक छोटे इंजन की अनुमति दे सकती है।

पुनर्योजी ब्रेकिंग कैसे काम करता है?

- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइविंग में दक्षता हासिल करने के लिए बैटरी तकनीक, वायुगतिकी, और अन्य इंजीनियरिंग प्रगति को लागू करते हैं। इन ऊर्जा-बचत वाहनों द्वारा नियोजित एक ऐसी विशेषता पुनर्योजी ब्रेकिंग है।
- पुनर्योजी ब्रेकिंग ऊर्जा को कैप्चर करता है जो अन्यथा ब्रेकिंग के दौरान गायब जाती है और फिर इस शक्ति का उपयोग वाहन की बैटरी को रिचार्ज करने में मदद करने के लिए करती है।
- सिस्टम द्वारा उत्पन्न बिजली की मात्रा ब्रेकिंग बल के स्तर के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि ब्रेकिंग बल जितना मजबूत होगा, विद्युत प्रवाह उतना ही अधिक होगा।
- जबकि अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पहले से ही उपलब्ध हैं, इसका तकनीक का उपयोग इलेक्ट्रिक रेलवे में भी किया जाता है। कई स्टेशनों पर ट्रेनों के बार-बार त्वरण और ब्रेक लगाने से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाली ऊर्जा रिकवरी की क्षमता बढ़ जाती है।

रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के क्या फायदे हैं?

- स्टॉप-एंड-गो (रुको और आगे बढ़ो) ट्रैफिक में बेहतर ब्रेकिंग दक्षता ईंधन की बचत को बढ़ाती है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।
- आरबीएस ऊर्जा अनुकूलन में भी मदद करता है जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम ऊर्जा अपव्यय होता है।

एचईवी (HEVs) के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

- हाइब्रिडाइजेशन के स्तर के आधार पर, एचईवी को सूक्ष्म, हल्के और पूर्ण हाइब्रिड वाहनों में वर्गीकृत किया जाता है। एक पूर्ण एचईवी में अन्य प्रकार की तुलना में बड़ी बैटरी के साथ अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर होगी। इसलिए, यह केवल इलेक्ट्रिक मोड का उपयोग करके वाहन को अधिक दूरी तक चलाया जा सकता है।
- एक हल्के HEV में ट्रैफिक लाइट पर बैटरी का उपयोग किया जाता है, ताकि आईसीई को सहयोग मिल सकें,क्योंकि वे केवल इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके वाहन नहीं चला सकते हैं।
- माइक्रो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टॉर्क इसमें सहायता नहीं होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती है, लेकिन इसमें एक निष्क्रिय स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली होती हैं।

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं?

- **ईंधन दक्षता (Fuel efficiency):** ICE वाहनों की तुलना में हाइब्रिड वाहनों की डिजाइन, इंजन का छोटा आकार एवं कार का वजन आदि इन वाहनों की माँग में वृद्धि करता है।
- **अधिक शक्ति (More power):** हाइब्रिड तकनीक वाले वाहन बेहतर ईंधन दक्षता, न्यूनतम उत्सर्जन और अधिक शक्ति (बिजली) प्रदान करते हैं।
- **न्यूनतम उत्सर्जन:** बेहतर ईंधन दक्षता का अर्थ है इन वाहनों के कम कार्बन पदचिह्न, इस प्रकार पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते है।

- **व्यवधान मुक्त प्रौद्योगिकी संक्रमण:** HEV एक स्थानीय EV पुर्ज़े बनाने में मदद करता है जो इको-सिस्टम का निर्माण करता है, साथ ही साथ विशाल मौजूदा निवेश और ICE भागों के निर्माण से संबंधित नौकरियों की रक्षा करता है और इस प्रकार एक तेज़ और व्यवधान मुक्त प्रौद्योगिकी संक्रमण सुनिश्चित करता है।

हाइब्रिड तकनीक की चुनौतियाँ

- भारत जैसे मूल्य संवेदनशील बाजार में, एचईवी के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक उच्च वाहन लागत है।
- बैटरी और आरबीएस के कारण एचईवी की लागत बढ़ जाती है। हाइब्रिड बैटरी में उच्च वोल्टेज होता है, जो दुर्घटना की स्थिति में इलेक्ट्रोक्यूशन के जोखिम को बढ़ा सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

- भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो वैश्विक ईवी30@30 अभियान (EV30@30 campaign) का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक कम से कम 30% नई वाहनों की बिक्री इलेक्ट्रिक होना है।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण (FAME II) योजना को फिर से शुरू किया गया।
    - फेम इंडिया (FAME India) योजना का उद्देश्य सभी वाहन खंडों अर्थात टू व्हीलर, थ्री व्हीलर ऑटो, पैसेंजर4 व्हीलर व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल और बसों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीक जैसे माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।
- आपूर्तिकर्ता पक्ष के लिए उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (ACC) के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए ऑटो और ऑटोमोटिव घटकों के लिए पीएलआई योजना भी शुरू की है।

हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs or EVs) पर बढ़ते फोकस के साथ ऑटोमोटिव उद्योग बढ़ कर रहा है। इस बीच, जीवाश्म ईंधन की कीमतों में वृद्धि, स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाने में वृद्धि और उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कड़े सरकारी मानदंड वैश्विक ईवी बाजार के विकास को गति प्रदान करते हैं।

केरल द्वारा MMDR अधिनियम में बदलाव का विरोध

चर्चा में क्यों : केरल सरकार ने खदान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act – MMDR Act) में प्रस्तावित संशोधनों के नए सेट का विरोध किया है।

प्रस्तावित संशोधन

- राज्य सरकारों को परामर्श के लिए भेजे गए नोट में शामिल 'छठी मद' के खिलाफ मुख्य आपत्ति दर्ज की गयी है, जिसमे केंद्र सरकार परमाणु खनिजों की सूची में शामिल कुछ खनिजों की नीलामी करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
- केरल प्रस्तावित संशोधन का कड़ा विरोध करता है क्योंकि राज्य सरकारें संबंधित राज्य के क्षेत्र में स्थित खदानों और खनिजों की मालिक हैं, और संविधान की सूची II की प्रविष्टि 23 और अनुच्छेद 246 (3) के तहत राज्य को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत राज्य विधानसभाएं ऐसे खनिजों पर कानून बना सकती हैं।

अवश्य पढ़ें: MMDR (खदान और खनिज विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

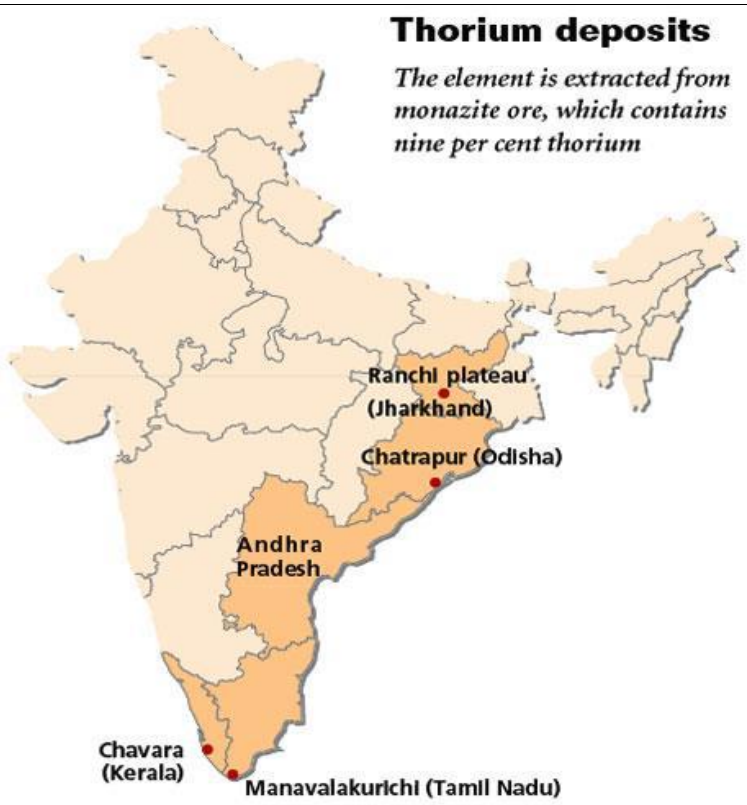

खनिज का स्वामित्व:

- राज्य सरकारें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य की सीमा के भीतर स्थित खनिजों के मालिक हैं।
- हालांकि, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।
- केंद्र सरकार प्रादेशिक जल या भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे के खनिजों का स्वामी है।
- अनुसूची I में कोयला और लिग्नाइट जैसे खनिज, यूरेनियम और थोरियम युक्त "दुर्लभ मृदा " समूह के खनिज शामिल हैं।

परमाणु खनिज

- यूरेनियम और थोरियम मुख्य परमाणु खनिज हैं।
- अन्य परमाणु खनिज बेरिलियम, लिथियम और जिरकोनियम हैं।

थोरियम

- थोरियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Th और परमाणु क्रमांक 90 होता है।
- यह केवल दो महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी तत्वों में से एक है जो अभी भी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं।
- थोरियम पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की तुलना में लगभग तीन से चार गुना अधिक प्रचुर मात्रा में होने का अनुमान है, और मुख्य रूप से मोनाजाइट रेत से परिष्कृत किया जाता है।
- मोनाज़ाइट केरल तट पर व्यापक रूप से फैला हुआ है।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022

चर्चा में क्यों : बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बिजली उत्पादकों का बकाया अनिश्चित स्तर तक बढ़ने के साथ, राज्यों ने बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम को किए जाने वाले भुगतानों के साथ-साथ मुफ्त बिजली योजनाओं के लिए सब्सिडी के खिलाफ, केंद्र वितरण सुधारों को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

- बिजली (संशोधन) विधेयक 2022, संसद केचालू मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, अन्य प्रावधानों के बीच, राज्य बिजली नियामक आयोगों को टैरिफ में समय पर संशोधन करने और खुदरा बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को उत्प्रेरित करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।

आँकड़े

- यह फ्रीबी कल्चर पर नए सिरे से बहस और बिजली वितरण कंपनियों के बढ़ते बकाया पर ध्यान केंद्रित करने के बीच आता है
- नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तीन राज्यों-तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना के डिस्कॉम पर बिजली पैदा करने वाली कंपनियों (जेनकोस) के कुल बकाया का लगभग 57 प्रतिशत है; इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो बिजली उत्पादन कंपनियों के कुल बकाया 1,14,222 करोड़ रुपये का लगभग 26 प्रतिशत है।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022

- यह विधेयक सुझाए गए संशोधन विद्युत अधिनियम, 2003 में हैं, जो बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए और आम तौर पर बिजली के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- विधेयक का प्रस्ताव है कि बिजली वितरण लाइसेंसधारियों को अन्य लाइसेंसधारियों के नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और दक्षता बढ़ा सकते हैं।
- सरकार को उम्मीद है कि अधिनियम में एक नया खंड शामिल होगा जो आपूर्ति के एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंसधारियों के मामले में बिजली खरीद और क्रॉस-सब्सिडी के प्रबंधन को सक्षम करेगा।
- इन उपायों से विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है ताकि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों से लाभ मिल सके।
- सरकार वितरकों के बीच अस्वास्थ्यकर मूल्य निर्धारण युद्धों को हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम शुल्क सीमा तय करने और उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि के झटके से बचाने के लिए अधिकतम सीमा तय करने में सक्षम बनाने का भी प्रस्ताव करती है।
- ग्रिड की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में बिजली व्यवस्था के आर्थिक और कुशल संचालन के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के कामकाज को मजबूत करने के लिए अधिनियम में संशोधन भी किए जा रहे हैं।

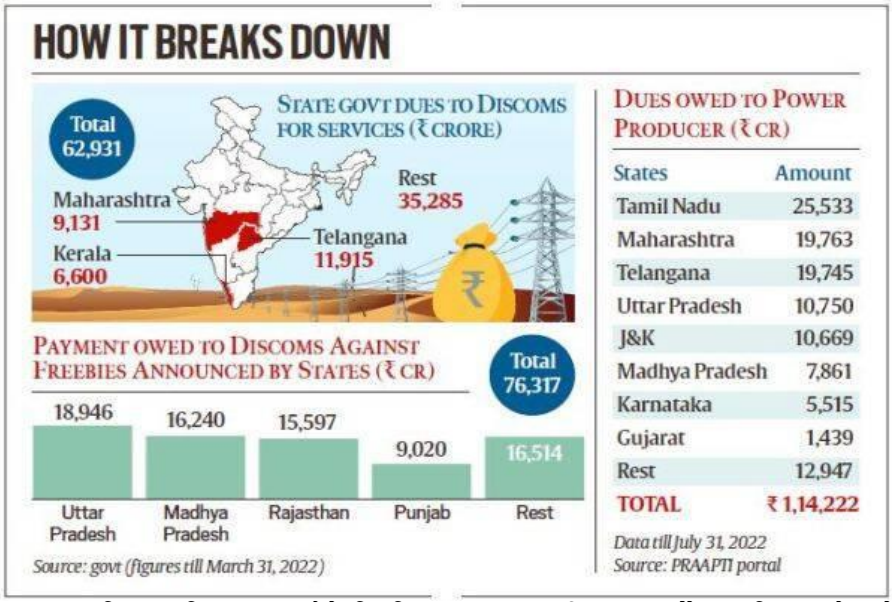

अधिनियम में संशोधन और अन्य हालिया नीतिगत पहल जैसे कि बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का उद्देश्य वितरण क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करके बिजली क्षेत्र में मुद्दों को हल करना है, यह उद्योग पर एक दबाव रहा है।

अवश्य पढ़े: थर्मल पावर जेनरेटर की समस्या (The problems plaguing thermal power generators)

भारत का सौर ऊर्जा लक्ष्य

चर्चा में क्यों : भारत वर्ष 2030 तक लगभग 500 GW अक्षय ऊर्जा परिनियोजन का लक्ष्य बना रहा है, जिसमें से 280 GW सौर PV से होने की उम्मीद है। इसके लिए हर साल लगभग 30 GW सौर क्षमता की तैनाती की आवश्यकता है।

भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने में क्या लगेगा?

- सौर फोटोवोल्टिक (PV) ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में भारत को प्रेरित किया है।
- वर्ष 2010 में 10 मेगावाट से भी कम से, भारत ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण PV क्षमता को जोड़ा है, वर्ष 2022 तक 50 गीगावाट से अधिक प्राप्त कर लिया है।

- भारतीय सौर परिनियोजन या स्थास्थापित कंपनियां आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, क्योंकि भारत में वर्तमान में पर्याप्त मॉड्यूल और सेल निर्माण क्षमता कम है।

आयात पर निर्भर

- भारत की वर्तमान सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता प्रति वर्ष 15 GW तक सीमित है।
- जैसे-जैसे हम मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ता जाता है - उदाहरण के लिए, वर्तमान में भारत केवल 3.5 GW सेल का उत्पादन करता है।
- भारत में सौर वेफर्स (solar wafers) और पॉलीसिलिकॉन सिल्लियों के लिए कोई विनिर्माण क्षमता नहीं है, और वर्तमान में मौजूदा परिनियोजन स्तरों पर भी 100% सिलिकॉन वेफर्स और लगभग 80% कोशिकाओं का आयात करता है।
- साथ ही, मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 15 GW में से केवल 3-4 GW मॉड्यूल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और ग्रिड-आधारित परियोजनाओं में तैनाती के योग्य हैं।
- भारत क्षेत्र परिनियोजन के लिए सौर मॉड्यूल के आयात पर निर्भर बना हुआ है।

वर्तमान सरकार की नीति

- सरकार ने इस अंतर की पहचान की है, और सेल एवं मॉड्यूल दोनों के लिए उद्योग को आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल शुरू कर रही है।
- प्रमुख पहलों में मॉड्यूल के आयात पर 40% शुल्क और सेल के आयात पर 25% शुल्क, और विनिर्माण कैपेक्स का समर्थन करने के लिए एक पीएलआई योजना शामिल है।
- साथ ही, राज्य/केंद्र सरकार के ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केवल निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) से मॉड्यूल खरीदना अनिवार्य है; अभी तक केवल भारत स्थित निर्माताओं को ही मंजूरी दी गई है।

आकार और तकनीक

- अधिकांश भारतीय उद्योग वर्तमान में M2 वेफर आकार को संभालने के लिए तैयार हैं, जबकि वैश्विक उद्योग पहले से ही M10 और M12 आकार की ओर बढ़ रहा है।
- बड़े आकार का सिलिकॉन लागत प्रति वेफर के संदर्भ में एक फायदा है, क्योंकि इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि वेफर प्रसंस्करण के लिए पिंड के दौरान सिलिकॉन का कम नुकसान होता है।

कच्चे माल की आपूर्ति

- सिलिकॉन वेफर, सबसे महंगा कच्चा माल, भारत में निर्मित नहीं होता है।
- भारत को सौर सेल निर्माण के लिए सिलिकॉन का सही ग्रेड बनाने के लिए प्रौद्योगिकी गठजोड़ पर काम करना होगा – और चूंकि वर्तमान में दुनिया का 90% सौर वेफर निर्माण चीन में होता है, यह स्पष्ट नहीं है कि भारत को तकनीक कैसे और कहाँ मिलेगी।
- अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे चांदी और एल्यूमीनियम के धातु के पेस्ट भी विद्युत संपर्क बनाने के लिए लगभग 100% आयात किए जाते हैं।
- भारत मैन्युफैक्चरिंग हब की तुलना में असेंबली हब के रूप में अधिक है, और लंबी अवधि में, ऐसे घटकों को बनाकर मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाना फायदेमंद होगा जो सेल और मॉड्यूल दोनों की कीमत और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

शिक्षाविद प्लस उद्योग

- अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना।
- भारत को उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों के सही मिश्रण द्वारा निगरानी की जाने वाली छोटी और लंबी अवधि के लिए स्पष्ट रोडमैप और डिलिवरेबल्स के साथ विशिष्ट प्रौद्योगिकी डोमेन पर काम करने के लिए ऐसे उद्योग जैसे केंद्र बनाने की आवश्यकता है।

हालांकि भारत बिजली उत्पादन के लिए सौर पीवी मॉड्यूल की तैनाती में काफी प्रगति कर रहा है, इसके लिए एक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए पीएलआई योजनाओं आदि के रूप में कुछ कर बाधाओं और वाणिज्यिक प्रोत्साहनों को लगाने से कहीं अधिक की आवश्यकता है।

सही परीक्षण के माध्यम से मूल-कारण विश्लेषण प्रदान करने के लिए उद्योग के साथ काम कर सकता है और, दीर्घावधि, भारत की अपनी प्रौद्योगिकियों का विकास करना। हाई-एंड टेक्नोलॉजी विकास के लिए कई समूहों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है जो उद्योग की तरह काम करने और प्रबंधन की स्थिति, उपयुक्त परिलब्धियों और स्पष्ट डिलिवरेबल्स में काम करते हैं।

अवश्य पढ़ें: भारत का उच्च जलवायु लक्ष्य

डिजिटल लेंडिंग मानदंड (Digital Lending Norms)

चर्चा में क्यों : डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में बढ़ती कदाचार को रोकने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लेंडिंग में लगी संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

नियामक ने डिजिटल उधारदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं और उधार कारोबार करने की अनुमति,
- संस्थाएँ अन्य वैधानिक/नियामक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिये अधिकृत हैं लेकिन आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं।
- और किसी वैधानिक/नियामक प्रावधान के दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्थाएँ।

- केंद्रीय बैंक का नियामक ढाँचा विनियमित संस्थाओं के डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न अनुमेय ऋण सुविधा सेवाओं का विस्तार करने के लिये उनके द्वारा लगाए गए ऋण सेवा प्रदाता (LSP) पर केंद्रित है।
- हालाँकि अन्य श्रेणियों के ऋणदाता नए दिशानिर्देशों के तहत नहीं आते हैं और कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल ऋण पर उचित नियम और विनियम तैयार करने पर विचार कर सकते हैं।
- इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि डिजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं को, न कि उधारकर्त्ताओं को, क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय शुल्क या शुल्क का भुगतान करना चाहिये।
- आरई को सभी डिजिटल ऋण उत्पादों के लिये एक मानकीकृत प्रारूप में अनुबंध के निष्पादन से पहले उधारकर्त्ता को एक मुख्य तथ्य विवरण (Key Fact Statement- KFS) प्रदान करना होगा।
- आरई द्वारा उधारकर्त्ता को वार्षिक प्रतिशत दर (APR) के रूप में डिजिटल ऋण की सभी समावेशी लागत का खुलासा करना आवश्यक है।
- उधारकर्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में स्वत: वृद्धि निषिद्ध कर दी गई है।
- ऋण अनुबंध के भीतर एक कूलिंग-ऑफ अवधि प्रदान की जाएगी, जिसके दौरान उधारकर्त्ता के पास बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक APR का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

डिजिटल लेंडिंग (Digital Lending):

- इसमें प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देना शामिल है।
- भारत के डिजिटल ऋण बाजार में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- डिजिटल लेंडिंग मूल्य वित्त वर्ष 2015 में 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और वित्त वर्ष 2023 तक इसके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।
- बैंकों ने पारंपरिक ऋण में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाकर डिजिटल ऋण बाजार में टैप करने के लिये अपने स्वयं के स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।

डिजिटल लेंडिंग का महत्व:

- **वित्तीय समावेशन:** यह भारत में विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम और निम्न-आय वाले उपभोक्ता वर्ग में ऋण की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है।
- **अनौपचारिक माध्यमों से उधार कम करना:** यह अनौपचारिक उधार को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह उधार लेने की प्रक्रिया को सरल करता है।
- **समय की बचत:** यह बैंक की शाखाओं में ऋण आवेदनों पर खर्च किये गए समय को कम करता है। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को ओवरहेड लागत में 30-50% की कटौती करने के लिये भी जाना जाता है।

डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी चुनौतियाँ:

- अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन की बढ़ती संख्या के रूप में:

- वे अत्यधिक ब्याज दर और अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क लेते हैं।
- वे अस्वीकार्य और उच्च-स्तरीय पुनर्प्राप्ति विधियों को अपनाते हैं।
- वे उधारकर्त्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुँचने के लिये समझौतों का दुरुपयोग करते हैं।

आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और बैंकों को उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम बताने होंगे, जिनके साथ वे काम कर रहे हैं।
- आरबीआई ने यह भी अनिवार्य किया है कि बैंकों और NBFCs की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को ग्राहकों के सामने बैंक या एनबीएफसी के नाम का खुलासा करना चाहिए।
- केंद्रीय बैंक ने ऋण देने वाले ऐप्स को ऋण समझौते के निष्पादन से पहले संबंधित बैंक/एनबीएफसी के लेटर हेड पर उधारकर्ता को एक स्वीकृति पत्र जारी करने के लिए भी कहा था।
- वैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित बैंकों, आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी और अन्य संस्थाओं द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण गतिविधियां की जा सकती हैं।

आगे की राह

- भारत एक डिजिटल ऋण महत्त्वपूर्ण स्थिति में हैं इसलिये यह सुनिश्चित करके इसके परिणामों को बेहतर बनाना चाहिये।
- चूंकि कई हितधारकों के पास संवेदनशील उपभोक्ता डेटा तक पहुंच है, उदाहरण के लिए, डेटा का प्रकार, डेटा के प्रकार की अवधि, और डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए।
- डिजिटल ऋणदाताओं को एक ऐसी आचार संहिता विकसित और प्रतिबद्ध करनी चाहिए जो प्रकटीकरण और शिकायत निवारण के स्पष्ट मानकों के साथ सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को रेखांकित करती हो।
- तकनीकी सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के अलावा, डिजिटल उधार के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु ग्राहकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)

संदर्भ: भारत में ओपन रिटेल का भविष्य आकार ले रहा है क्योंकि देश ने अगस्त 2022 में 100 शहरों में डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) शुरू किया है।

भारत में डिजिटल कॉमर्स का परिदृश्य क्या है?

- सस्ती कीमत पर कनेक्टिविटी तक पहुंच के संदर्भ में चल रहे डिजिटल परिवर्तन, इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच में वृद्धि और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़े हुए निवेश डिजिटल विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।
- वर्ष 2020 में 14 करोड़ ई-रिटेल शॉपर्स के साथ भारत के पास वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस है, जो केवल चीन और US3 से पीछे है।
- हालांकि, COVID-19 महामारी ने भारतीय डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण कमियों को उजागर कर दिया, जब खुदरा श्रृंखला के अधिकांश हिस्से डिजिटल रूप से अनुपस्थित पाए गए और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से टूट गई।
- लगभग 1.2 करोड़ किराना स्टोर (हाइपरलोकल नेबरहुड प्रोविजन स्टोर) भारत में खुदरा क्षेत्र का 80% हिस्सा हैं, जिनमें से 90% असंगठित, या स्व-संगठित हैं और उनमें से अधिकांश को डिजिटल रूप से बाहर रखा गया है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) क्या है?

- ONDC ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है जो मोबिलिटी, किराना, फूड ऑर्डर और डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को प्रोत्साहित करता है, जो हर नेटवर्क-सक्षम एप्लिकेशन पर उपलब्ध है।
- मंच का उद्देश्य नए अवसर पैदा करना, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और छोटे व्यापारियों का समर्थन करना और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की एक पहल है।
- उदाहरण के लिए; ई-कॉमर्स ऐप पर किसी उत्पाद के लिए खरीदारी करने वाला उपभोक्ता अमेज़ॅन को ई-कॉमर्स ऐप फ्लिपकार्ट से भी परिणाम प्राप्त होंगे, यदि अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों ने ओएनडीसी के साथ अपने प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया।

- यह एक ओर उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प और दूसरी ओर विक्रेताओं के लिए व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुंच के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करता है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) क्या लाभ प्रदान करता है?

- **स्तर का खेल मैदान:** ओएनडीसी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए खेल के मैदान को लेवल करने और देश में एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल बाजार पहुंच का विस्तार करने का इच्छुक है। इसके अतिरिक्त, यह खोज योग्यता (discoverability), अंतरसंचालनीयता और समावेशिता लाकर नए प्रवेशकों की मदद करेगा।
- **गेम चेंजिंग:** यदि यह काम करता है, तो ओएनडीसी वैश्विक स्तर पर संभावित रूप से ई-कॉमर्स और खुदरा के लिए खेल के नियमों को मौलिक रूप से बदल सकता है और लंबवत एकीकृत प्लेटफार्मों द्वारा कम प्रभुत्व के साथ अधिक खुले और प्रतिस्पर्धी खुदरा भविष्य की शुरुआत कर सकता है।
- **उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना:** यह उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली लागतों पर अधिक बारीक नियंत्रण प्रदान करता है। वे बड़ी संख्या में विक्रेताओं से उत्पादों का चयन कर सकते हैं, प्लेटफ़ॉर्म की मूल्य निर्धारण नीति से प्रभावित हुए बिना सीधे विक्रेता द्वारा दी जाने वाली कीमत प्राप्त कर सकते हैं।
- **विक्रेताओं के लिए सुगमता:** ओएनडीसी भागीदारों में एक मानक विक्रेता ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया विक्रेताओं के लिए प्रवेश हेतु कम बाधा प्रदान करेगी। यह MSMEs के लिए विशेष रूप से मददगार हो सकता है।
- **उपभोक्ताओं के पसंद की स्वतंत्रता:** उपभोक्ता संभावित रूप से किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा को एक सामान्य मंच में खोज सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए पसंद की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह उपभोक्ताओं को निकटतम उपलब्ध आपूर्ति के साथ मांग का मिलान करने में सक्षम करेगा। यह उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा स्थानीय व्यवसायों को चुनने की स्वतंत्रता भी देगा।
- **एकाधिकार को विनियमित करने पर एक वैश्विक मिसाल कायम करना :** यह युनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) के नियामकों को दिखा सकता है कि एकाधिकार से कैसे निपटना है।

ओएनडीसी से संबंधित चुनौतियां क्या हैं?

- **दत्तक की चुनौतियाँ (Adoption Challenges):** भले ही यह सफल हो जाए, लेकिन इसका प्रभाव इसके इरादे से मेल नहीं खा सकता है। लाखों मौजूदा किराना स्टोरों को मंच पर लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर, अच्छी तरह से वित्त पोषित दत्तक अभियान की आवश्यकता होगी।
- **मैच-अप चिंता (Match-Up Concern):** कम मात्रा वाले छोटे व्यवसायों में अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे मौजूदा दिग्गजों द्वारा दी जाने वाली छूट से मेल खाने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है। इन दो वैश्विक दिग्गजों ने भारत में संयुक्त रूप से 24 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया और आक्रामक छूट और पसंदीदा विक्रेताओं के प्रचार के साथ ऑनलाइन खुदरा बाजार का 80% अधिपत्य कर लिया।
- **भुगतान चुनौतियां:** विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच भुगतान गेटवे संगतता में एक बेमेल हो सकता है।
- **कानूनी अनिश्चितता:** लेन-देन या वितरित उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी मुद्दे का सामना करने वाले उपभोक्ता के मामले में दायित्व के बारे में सवाल उठता है। यह स्पष्ट नहीं है कि ओएनडीसी भारत में ई-कॉमर्स के पूरे कानूनी परिदृश्य में कैसे फिट बैठता है।
- **वांछित उद्देश्य प्राप्त न कर पाना :** बड़े प्लेटफॉर्म वे हो सकते हैं जो ओएनडीसी से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। UPI के मामले में, जिसे भुगतान के लिए एक खुला मानक प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया था, Google Pay और Walmart के PhonePe ने लेन-देन की मात्रा का एक प्रमुख हिस्सा हथिया लिया है।
- **विवाद समाधान:** ओएनडीसी की विकेंद्रीकृत प्रकृति और विक्रेताओं के लिए प्रवेश की कम बाधा के कारण, यह देखना दिलचस्प होगा कि उपभोक्ता शिकायतों का कैसे ध्यान रखा जाता है। पारंपरिक बाजारों में, बाजार की नीतियां आम तौर पर ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करती हैं। ओएनडीसी एक खुला मंच होने के कारण इसका अभाव तब तक रहेगा जब तक स्पष्ट नीतियां नहीं बनाई जाती हैं या उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए ऐप नहीं बनाए जाते हैं और विक्रेताओं को संदिग्ध उपभोक्ताओं से बचाया जाता है।
- **समग्रता:** ONDC को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले / संचालन करने वाले प्रतिभागियों और कम मूल्य वाले ऑनलाइन लेनदेन के

व्यापक प्रसार जैसे पहलुओं को पर्याप्त रूप से और कुशलता से पूरा करना चाहिए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

चर्चा में क्यों : इस साल के आम बजट में सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का संचालन करने वाले मौजूदा कानून को एक नए कानून के साथ बदलने का प्रस्ताव रखा था ताकि राज्यों को 'उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास' (DESH) में भागीदार बनाया जा सके।

- वाणिज्य मंत्रालय एक नए कानून के जरिये विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सुधारने के लिए आयात शुल्क को स्थगित करने और निर्यात करों से छूट जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनों की मेजबानी का प्रस्ताव कर रहा है।
- इन प्रस्तावों में एसईजेड की किसी इकाई द्वारा घरेलू खरीद पर एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की शून्य रेटिंग का प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के डेवलपर के लिए अप्रत्यक्ष लाभ कर को जारी रखने का भी प्रस्ताव है।विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य भी इन क्षेत्रों के लिए समर्थन उपाय कर सकते हैं।
- इन विकास केंद्रों में अधिकृत संचालन करने वाली इकाइयों के लिए बिना किसी छूट के कॉर्पोरेट कर की दर को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की भी योजना है।
- मौजूदा एसईजेड अधिनियम 2006 में देश में निर्यात हब बनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। हालांकि, इन क्षेत्रों ने न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने और कर प्रोत्साहनों को हटाने के लिए सनसेट क्लॉज की शुरूआत के बाद अपनी चमक खोना शुरू कर दिया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

- विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। इसमें काम करने वाली इकाइयों के उद्देश्यों में व्यापार संतुलन बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि, निवेश में वृद्धि और प्रभावी प्रशासन शामिल है।
- एसईजेड इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए भी बनाए गए हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है।
- एशिया का पहला EPZ (निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र) 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था।
- जबकि इन EPZs की संरचना SEZs के समान थी, सरकार ने वर्ष 2000 में EPZs की सफलता को सीमित करने वाली ढांचागत और ब्यूरोक्रेटिक चुनौतियों के निवारण के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत एसईजेड की स्थापना शुरू की।
- वर्ष 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम 2006 में SEZ नियमों के साथ लागू हुआ। वर्तमान में, 379 SEZ अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 चालू हैं।
- लगभग 64% SEZ पाँच राज्यों - तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं।
- SEZ अधिनियम के उद्देश्य:
  - व्यापार संतुलन में वृद्धि
  - रोजगार
  - निवेश में वृद्धि
  - रोजगार सृजन
  - प्रभावी प्रशासन।

SEZ के लिए उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं:

- SEZ इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद।
- आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर आदि जैसे विभिन्न करों से छूट
- मान्यता प्राप्त बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के SEZ इकाइयों द्वारा एक वर्ष में यूएस $500 मिलियन तक की बाहरी वाणिज्यिक उधारी।
- केंद्र और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस।

चुनौतियाँ

अप्रयुक्त भूमि (Unutilized Land)

- SEZ स्थान की मांग में कमी और महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण SEZ में अप्रयुक्त भूमि मौजूद है।

विभिन्न मॉडल

- कई आर्थिक क्षेत्र मॉडल मौजूद हैं, जिनमें एसईजेड, तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं, जिनमें से सभी विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने में मुद्दों का सामना करते हैं।

ASEAN देशों से प्रतिस्पर्धा

- कई आसियान देशों ने हाल के वर्षों में वैश्विक हितधारकों को अपने एसईजेड में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कौशल परियोजनाओं के विकासशील सेट पर काम करने के लिए अपनी नीतियों में संशोधन किया है।

परिणामस्वरूप, भारतीय एसईजेड ने अपने कुछ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खो दिए हैं, जिसके लिए नए नियमों की आवश्यकता है।

SEZs को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

- सरकार ने श्री बाबा कल्याणी (Mr Baba Kalyani) की अध्यक्षता में वर्ष 2018 में भारत के मौजूदा एसईजेड का अध्ययन करने और रणनीतिक नीति उपायों को अपनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया।

बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें

- भारत में SEZ का नाम 3Es- रोजगार और आर्थिक एन्क्लेव के रूप में बदलना ।
- रूपरेखा निर्यात वृद्धि से व्यापक-आधारित रोजगार और आर्थिक विकास में बदलाव।
- एसईजेड के निर्माण और सेवा के लिए अलग नियम और प्रक्रियाएं।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) 3Es में जैसे नए निवेश के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल।
- सनसेट क्लॉज़ का विस्तार और कर या शुल्क लाभों को बनाए रखना।
- IFSC के लिए एकीकृत नियामक।
- मध्यस्थता और वाणिज्यिक न्यायालयों के माध्यम से विवाद समाधान।

इथेनॉल ब्लेंडिंग (Ethanol blending)

संदर्भ: प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत द्वारा पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- इथेनॉल सम्मिश्रण जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के उद्देश्य से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर तैयार किया गया एक मिश्रण है।
- इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है जो मुख्य रूप से चीनी के एक उप-उत्पाद गुड़ से उत्पादित किया जाता है। इथेनॉल अन्य वैकल्पिक स्रोतों जैसे चावल की भूसी एवं मक्का या मकई से भी निकाला जा सकता है।
- हालांकि हमने कुछ समय के लिए नीति के रूप में E10 - या 10% इथेनॉल रखा है, लेकिन इस वर्ष ही हमने उस अनुपात को हासिल किया है।
- भारत का लक्ष्य इस अनुपात को मूल रूप से वर्ष 2030 तक 20% तक बढ़ाना है, लेकिन वर्ष 2021 में, जब नीति आयोग ने इथेनॉल रोडमैप पेश किया, तो उस समय सीमा को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया।
- एथेनॉल सम्मिश्रण तेल आयात के हमारे हिस्से को कम करने में मदद करेगा, जिस पर हम काफी मात्रा में कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं।
- दूसरे, अधिक इथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- जून 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, "2020-21 में 55 बिलियन डॉलर की लागत से भारत का पेट्रोलियम का कुल आयात 185 मिलियन टन था," और यह एक सफल इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम देश को प्रति वर्ष 4 बिलियन डॉलर बचा सकता है।

पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्या हैं?

- गुड़ से इथेनॉल का उत्पादन पहली पीढ़ी का इथेनॉल या 1G है।
- गुड़ के अलावा, इथेनॉल को चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, मकई के दाने, मकई के स्टोव, खोई, बांस और लकड़ी के बायोमास जैसी सामग्रियों से निकाला जा सकता है, जो कि दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल स्रोत या 2G हैं।

अन्य देशों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

- यद्यपि यू.एस., चीन, कनाडा और ब्राजील सभी में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम हैं, एक विकासशील देश के रूप में, ब्राजील बाहर खड़ा है।
- इसने कानून बनाया था कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 18-27.5% की मात्रा में होनी चाहिए, और अंत में इसने वर्ष 2021 में 27% लक्ष्य तक पहुंच गया।

चिंता

भूमि का कुशल उपयोग

- ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान (आईईईएफए) ने एक रिपोर्ट में इथेनॉल उत्पादन में अक्षम भूमि उपयोग के बारे में बातचीत की।
- उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा पैदा करने वाले एक हेक्टेयर से रिचार्ज किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक यात्रा दूरी को पूरा करने के लिए, 187 हेक्टेयर मक्के से प्राप्त इथेनॉल की आवश्यकता होती है, भले ही बिजली ट्रांसमिशन, बैटरी चार्जिंग और ग्रिड स्टोरेज से होने वाले नुकसान के लिए कोई खाता हो।

जल सघन फसल

- भारत के लिए गन्ना इथेनॉल का सबसे सस्ता स्रोत है।
- औसतन, एक टन गन्ना 100 किलो चीनी और 70 लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है - अर्थात, चीनी से एक लीटर इथेनॉल के लिए 2,860 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

कच्चे माल की आपूर्ति

- मोटे अनाज की आपूर्ति अभी भी एक समस्या हो सकती है क्योंकि मानसून में उतार-चढ़ाव इथेनॉल सम्मिश्रण सामग्री की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करता है।

खाद्य सुरक्षा

- भारत के लिए घरेलू खाद्य आपूर्ति प्रणाली को एक साथ मजबूत करना, कम वर्षों के लिए पर्याप्त स्टॉक अलग रखना, अनाज के लिए निर्यात बाजार बनाए रखना और आने वाले वर्षों में अपेक्षित दर पर अनाज को इथेनॉल में बदलना आसान नहीं हो सकता है, और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वारंट लगातार निगरानी रखते हैं।

आगे की राह

अपशिष्ट से इथेनॉल:

- यह मजबूत जलवायु और वायु गुणवत्ता दोनों से लाभ मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में इन अपशिष्ट को अक्सर जलाया जाता है, जो धुंध में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

जल संकट:

- एथेनॉल नीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह किसानों को जल-सघन फसलों की ओर न ले जाए और ऐसे देश में जल संकट पैदा न करें जहां इसकी कमी पहले से ही गंभीर हो।

फसल उत्पादन को प्राथमिकता देना :

- हमारे घटते भूजल संसाधनों, कृषि योग्य भूमि की कमी, अनिश्चित मानसून और फसल की पैदावार में गिरावट के साथ, ईंधन के लिए फसलों पर खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अवश्य पढ़ें: इथेनॉल सम्मिश्रण: व्यापक रूप से कवर किया गया

भारत में फिनटेक विनियमन

फिनटेक क्या है?

वित्तीय तकनीक (फिनटेक) का उपयोग नई तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वित्तीय सेवाओं के वितरण और उपयोग को बेहतर बनाने और स्वचालित करने का प्रयास करता है। इसके मूल में, फिनटेक का उपयोग कंपनियों, व्यापार मालिकों और उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय संचालन, प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, और विशेष सॉफ़्टवेयर और एल्गोरिदम का उपयोग करके किया जाता है जो कंप्यूटर और तेजी से, स्मार्टफोन पर उपयोग किए जाते हैं। **भारत में फिनटेक का उदय**

- भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विस्तार को कई कारकों से सहायता मिली है, जिसमें स्मार्टफोन की बढ़ती उपलब्धता,

इंटरनेट तक पहुंच में वृद्धि और उच्च गति की कनेक्टिविटी शामिल है।

- सरकार की "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" परियोजनाओं ने भी फिनटेक को अपनाने में और तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- PayTM, PhonePe, MobiKwik, आदि जैसे सफल प्लेटफार्मों के आगमन के साथ, डिजिटल भुगतान प्रणाली निर्विवाद रूप से भारतीय फिनटेक बाजार की ध्वजवाहक रही है।

फिनटेक का क्या महत्व है?

- इसने हमारे विशाल बाजार के अंडर-बैंक्ड और असेवित क्षेत्रों में प्रवेश को सक्षम बनाया, जो ईंट-और-मोर्टार बैंक तक पहुंचने में विफल रहे।
- इसने अपनी अनुकूलन क्षमता, पहुंच के बहुभाषी विकल्पों और मजबूत इंटरफेस के कारण पारदर्शिता प्रदान की, जिससे उपभोक्ता आधार का विस्तार हुआ।
- वित्तीय संस्थानों और खुदरा ग्राहकों के बीच सहज घर्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह को आकर्षित किया है।
- वित्तीय सेवाओं में जेंडर और पहुंच के अंतर को पाटना:
    - कोविड के कारण वित्तीय संकट के समय महिलाओं की व्यक्तिगत रूप से गतिशीलता पर प्रतिबंध और रोजगार के नुकसान से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद की।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 'फिनक्लुवेशन' लॉन्च किया

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) जो कि डाक विभाग (डीओपी) के तहत एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है, ने फिनक्लवेशन के शुभारंभ की घोषणा की। फिनक्लुवेशन वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह-निर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है। पारंपरिक वितरण नेटवर्क के साथ वित्तीय सेवाओं के साथ प्रौद्योगिकी का प्रतिच्छेदन व्यापार के अवसरों का एक नया सेट खोल रहा है।

फिनटेक उद्योग में उभरते रुझान क्या हैं?

- यह ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में अनुकृत और वितरित किया जाता है, जो हर लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन कोई केंद्रीय खाता नहीं होता है।
- स्मार्ट अनुबंध जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनुबंधों को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम (अक्सर ब्लॉकचेन का उपयोग करते हैं) का उपयोग करते हैं
- ओपन बैंकिंग, एक अवधारणा जो ब्लॉकचेन पर निर्भर करती है और यह मानती है कि वित्तीय संस्थानों और तीसरे पक्ष के प्रदाताओं का एक जुड़ा नेटवर्क बनाने वाले अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए तीसरे पक्ष के पास बैंक डेटा तक पहुंच होनी चाहिए।
- इंश्योर टेक (Insurtech)बीमा उद्योग को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
- रेगटेक (RegTech), जो वित्तीय सेवा फर्मों को उद्योग अनुपालन नियमों को पूरा करने में मदद करता है, विशेष रूप से वे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी प्रोटोकॉल को कवर करते हैं जो धोखाधड़ी से लड़ते हैं।
- साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध के प्रसार और डेटा के विकेन्द्रीकृत भंडारण को देखते हुए, साइबर सुरक्षा और फिनटेक आपस में जुड़े हुए हैं।

फिनटेक से जुड़े कानूनी मुद्दे क्या हैं?

1. डेटा गोपनीयता

- फिनटेक कंपनियां बड़ी मात्रा में ग्राहक डेटा एकत्र करके उसका उपयोग करती हैं। यह इस बारे में चिंताकरती है कि इस डेटा का उपयोग और संरक्षण कैसे किया जाएगा।

2. मनी लॉन्ड्रिंग

- मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक गतिविधि की आय को वैध निधियों में बदल दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की लागत फर्मों और सरकारों को प्रति वर्ष $ 2 ट्रिलियन से अधिक है।
- फिनटेक कंपनियों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करना आवश्यक है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और उसका पता लगाने के लिए वित्तीय संस्थानों को उपाय करने की आवश्यकता है।

3. साइबर हमले

- वित्तीय संस्थान साइबर हमलों का एक सामान्य लक्ष्य हैं।
- फिनटेक कंपनियां बड़ी मात्रा में डेटा रखती हैं। यह उन्हें साइबर अपराधियों के लिए आकर्षक लक्ष्य बनाता है। इसके अलावा, फिनटेक फर्म

पारंपरिक वित्तीय फर्मों की तुलना में साइबर हमले से बचाव के लिए कम तैयार होती हैं।

फिनटेक के नियम क्या हैं?

मोटे तौर पर, फिनटेक क्षेत्र को पांच नियमों के तहत विनियमित किया जाता है:

I. वर्ष 2007 का भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम।
II. वर्ष 2017 के पीयर-टू-पीयर लेंडिंग दिशानिर्देश।
III. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम विनियम।
IV. आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत NBFCs को नियंत्रित करने वाले विनियम।
V. बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत भुगतान बैंकों को नियंत्रित करने वाले विनियम।

इसके अतिरिक्त,

- आरबीआई ने जनवरी 2022 में एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की: देश के डिजिटल वित्तीय सेवा क्षेत्र में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने, मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करने, रचनात्मक नवाचार की सुविधा, ऊष्मायन को बढ़ावा देने और फिनटेक उद्योग को विनियमित करने के लिए एक बोली में गठित किया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों जैसे ऋण सुगमकर्ताओं के लिए कई अनुकूल नीतियां शुरू की हैं। इसने यूपीआई, इंटरनेट आधारित बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को तेजी से ट्रैक किया है।

फिनटेक को विनियमित करने का सही तरीका क्या होगा?

- दुनिया भर में, फिनटेक फर्म तीन प्रकार के नियमों के अधीन हैं।
  I. गतिविधि-आधारित विनियमन, जिसमें कानूनी स्थिति या गतिविधि करने वाली इकाई के प्रकार की परवाह किए बिना समान कार्यों को समान रूप से विनियमित किया जाता है।
  II. इकाई-आधारित विनियमन, जिसके लिए तुलनीय और विशिष्ट गतिविधियों में लगी लाइसेंस प्राप्त फर्मों पर लागू होने वाले कानूनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि जमा लेना, भुगतान की सुविधा, उधार देना, और प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी, अन्य।
  III. परिणाम-आधारित विनियमन, जहां फर्मों को कुछ मौलिक, सामान्य और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

भारत द्वारा उठाए जा रहे कदम

- छोटे टिकट डेबिट कार्ड व्यापारी लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए शून्य-एमडीआर (व्यापारी छूट दर) दिशानिर्देश
- Buy Now Pay Later (BNPL) के संबंध में क्रेडिट लाइन वाले प्रीपेड उपकरणों को प्रतिबंधित करने के आरबीआई के हालिया कदम की भारत में फिनटेक विकास और नवाचार के लिए एक निवारक के रूप में आलोचना की गई है। रेजरपे रिपोर्ट (Razorpay report), 'द (कोविड) एरा ऑफ राइजिंग फिनटेक' से पता चलता है कि भारतीय BNPL उद्योग वर्ष 2020 में 569 प्रतिशत और वर्ष 2021 में 637 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.7 बिलियन डॉलर का बाजार आकार हासिल कर चुका है।
- क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के संबंध में आरबीआई के सख्त रुख भी भाग लेने वाले फिनटेक के बीच आलोचना की जाती है। P2P उधारदाताओं, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म और क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने वाली फिनटेक को धीरे-धीरे नियामक दायरे में लाया जा रहा है।

आगे की राह

फिनटेक में बीमा, निवेश, प्रेषण जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं को बदलने की क्षमता है। इसने पहले ही फाइनेंसियल वर्ल्ड (financial world) को अस्त-व्यस्त कर दिया है और हमारे बैंक भुगतान करने और निवेश करने के तरीके को बदल दिया है, और बड़े बदलाव अभी आने बाकी हैं। सही साइबर सुरक्षा और इंटरनेट पहुंच दृष्टिकोण के साथ भारत को भविष्य में उभरती आभासी बैंकिंग प्रणाली को पहचानने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ: देश की शीर्ष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखते हुए अपने फैसले की समीक्षा के लिए खुली अदालत में सुनवाई की।

PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था?

- विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ में, SC ने PMLA के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा।

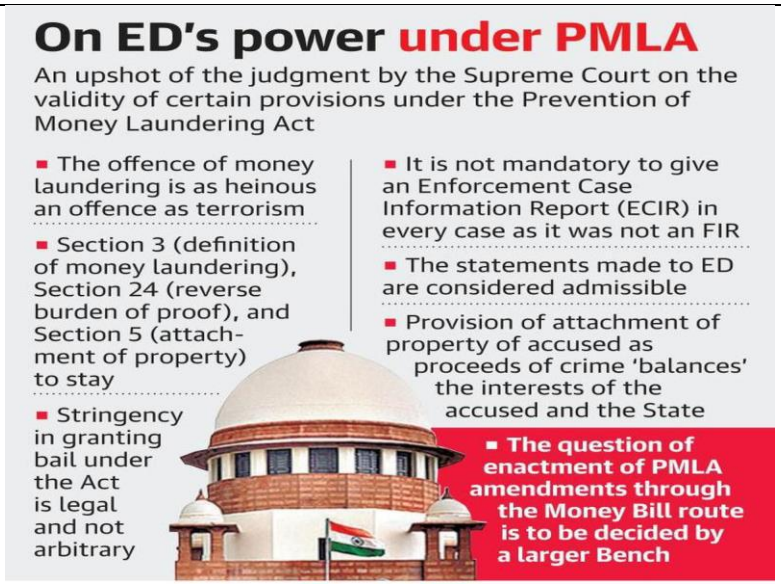

निर्णय की समीक्षा कैसे की जाती है?

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
- हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
- निर्णय सुनाए जाने के 30 दिनों के भीतर एक समीक्षा याचिका दायर की जानी चाहिए।
- मृत्युदंड के मामलों को छोड़कर, समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा उनके कक्षों में "परिसंचरण" के माध्यम से की जाती है, न कि खुली अदालत में।
- फैसला सुनाने वाले जज पुनर्विचार याचिका पर भी फैसला करते हैं।
- गंभीर त्रुटियों को ठीक करने के लिए संकीर्ण आधारों पर समीक्षा की अनुमति है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।
- "रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट गलती या त्रुटि" उन आधारों में से एक है जिस पर समीक्षा के लिए मामला बनाया जाता है। न्यायालय ने कहा है यह गलती, प्रत्यक्ष और स्पष्ट होनी चाहिए - जैसे कि मामला कानून पर भरोसा करना जो अमान्य है।

PMLA के फैसले की समीक्षा क्यों की जा रही है?

- **धन विधेयकों के रूप में पेश किए गए संशोधन:** वर्ष 2015, 2016, 2018 और 2019 में, वित्त अधिनियम के माध्यम से पीएमएलए में जमानत और विधेय अपराधों के वर्गीकरण सहित संशोधन किए गए थे।
- PMLA संशोधन संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित धन विधेयक के रूप में योग्य नहीं हैं।
- जबकि न्यायालय इस बात से सहमत था कि यह एक वैध तर्क हो सकता है, उसने इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया क्योंकि धन विधेयक के रूप में योग्य होने का प्रश्न एक अन्य मामले में सात-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच को भेजा गया है।

PMLA की धारा 3 की व्याख्या:

कानून की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करती है कि कौन दंडनीय है।

- इसमें कहा गया है: "जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा।

मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का पूर्वव्यापी आवेदन:

- अपने फैसले में, SC ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध, अर्थात, "अपराध की आय" का आनंद लेना, एक "निरंतरता" है, और अनुसूचित अपराध किए जाने पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की जा सकती है।
- इसका मतलब है कि किसी ऐसे अपराध से प्राप्त संपत्ति को रखना जो कमीशन के समय एक अनुसूचित अपराध नहीं हो सकता है, उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- यह कानून का पूर्वव्यापी पठन है, और संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

प्रवर्तन निदेशालय "पुलिस" से भिन्न :

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने PMLA की धारा 50 को बरकरार रखा जो ईडी के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति से शपथ पर बयान दर्ज करने का अधिकार देता है।
- पुलिस को दिए गए बयानों या स्वीकारोक्ति के विपरीत, यह अदालत में स्वीकार्य है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है।
- यह ईडी को दंडात्मक शक्तियां प्रदान करता है।

जमानत प्रावधान:

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आर्थिक अपराधों के लिए सख्त जमानत शर्तों को लागू करने में एक अनिवार्य रुचि का हवाला देते हुए, पीएमएलए के तहत जमानत प्रावधानों को बरकरार रखा, जो आरोपी पर सबूत के विपरीत बोझ डालते हैं।
- लेकिन प्राथमिकी (या समकक्ष) के अभाव में, अभियोजन द्वारा भरोसा की गई शिकायत और दस्तावेज, कोई भी आरोपी विशेष न्यायालय को यह विश्वास दिलाने के लिए तथ्य और प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है।

अवश्य पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने PMLA को बरकरार रखा

भारत का अद्वितीय रोज़गार संकट

संदर्भ: हाल के एक अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में कृषि में कम लोग कार्यरत हैं, इसके वाबजूद परिवर्तन कमज़ोर रहा है।

आँकड़े

- वर्ष 1993-94 और वर्ष 2018-19 के बीच भारत के कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 61.9% से घटकर 41.4% हो गई, जो 25 वर्षों में लगभग एक तिहाई है।1

कमजोर संरचनात्मक परिवर्तन

- पिछले दो वर्षों में प्रवृत्ति में बदलाव आया है, जिससे कृषि में कार्यरत लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 44-45% हो गई है। यह मुख्य रूप से कोविड-प्रेरित आर्थिक व्यवधानों से संबंधित है।
- यहाँ तक कि पिछले तीन दशकों या उससे अधिक समय में भारत में कृषि से श्रम का जो पलायन देखा गया वह उस योग्य नहीं है जिसे अर्थशास्त्री "संरचनात्मक परिवर्तन" कहते हैं।
  - इस तरह के परिवर्तन में कृषि से श्रम का स्थानांतरण उन क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं जहाँ उत्पादकता, मूल्यवर्द्धन तथा औसत आय अधिक है, में होना शामिल है।
  - हालाँकि कुल रोज़गार में कृषि के साथ ही विनिर्माण (और खनन) का भी हिस्सा कम हुआ है।
  - कृषि से अधिशेष श्रम को बड़े पैमाने पर निर्माण और सेवाओं में समाहित किया जा रहा है।
  - सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग, दूरसंचार, वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और लोक प्रशासन जैसे अपेक्षाकृत अच्छी तरह से भुगतान करने वाले उद्योग शामिल हैं। इस मामले में अधिकांश नौकरियाँ छोटी खुदरा बिक्री, छोटे भोजनालयों, घरेलू मदद, स्वच्छता, सुरक्षा स्टाफ, परिवहन और इसी तरह की अन्य अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हैं।

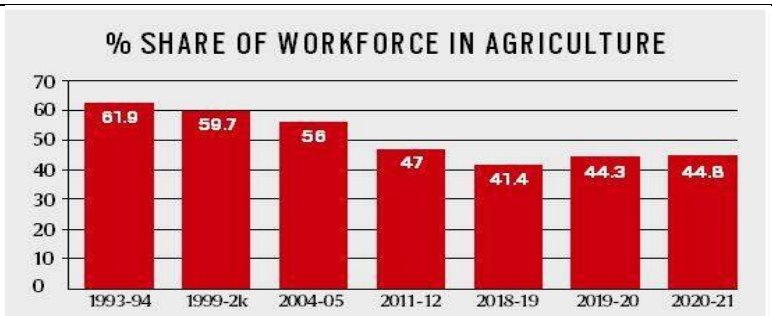

SECTORAL EMPLOYMENT SHARES (IN PER CENT)

	2011-12	2018-19	2019-20	2020-21
Agriculture	47.0	41.4	44.3	44.8
Manufacturing	12.5	12.1	11.3	11.0
Mining	0.6	0.4	0.3	0.3
Construction	10.7	12.2	11.7	12.4
Services	28.6	33.2	31.8	30.9
Utilities	0.6	0.6	0.6	0.6
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Organised sector	24.1	23.3	22.9	23.2

- सीधे शब्दों में कहें तो भारत में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया कमजोर और दोषपूर्ण रही है।
- अधिशेष श्रम उच्च मूल्य वर्धित गैर-कृषि गतिविधियों, विशेष रूप से विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं (अमेरिकी अर्थशास्त्री और 1971 के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार विजेता, साइमन कुज़नेट्स (Simon Kuznets) के नाम पर परिचित 'कुज़नेट प्रक्रिया (Kuznets Process)') की ओर नहीं बढ़ रहा है।
- इसके बजाय, श्रम हस्तांतरण कम उत्पादकता वाली अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अंदर हो रहा है।
- कृषि के बाहर जो नौकरियां पैदा हो रही हैं, वे ज्यादातर कम वेतन वाली सेवाओं और निर्माण में हैं; रोजगार में उत्तरार्द्ध का हिस्सा विनिर्माण से भी आगे निकल गया है।
- कमजोर संरचनात्मक परिवर्तन और अनौपचारिकता की दृढ़ता भी, विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों द्वारा विविध आजीविकाओं को अपनाने की प्रवृत्ति की व्याख्या करती है। उनमें से कई गैर-कृषि स्रोतों से पूरी तरह या मुख्य रूप से आय अर्जित करते हुए भी अपने छोटे भूखंडों पर दृढ़ रहते हैं।

IT उद्योग रोजगार जोड़ रहा है:

- आईटी उद्योग स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अलग द्वीप है जिसने महामारी के दौरान नौकरियों को जोड़ना जारी रखा।
- वर्तमान में पांच कंपनियों (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा) में भारतीय रेलवे और तीन रक्षा सेवाओं के क्रमशः 12.5 लाख और 14.1 लाख से अधिक कर्मचारी हैं।
- IT क्षेत्र की हाल की अधिकांश सफलता निर्यात के सौजन्य से है।
- वास्तव में, ये उन व्यवसायों के बीच भी, जो अब तक अपनाने में धीमे थे, डिजिटलीकरण हेतु कोविड की बढ़ती मांग के कारण तेजी से बढ़े हैं।
- भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का कुल निर्यात वर्ष 2019-20 में 84.64 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 109.54 बिलियन डॉलर हो गया है।

भारत का अद्वितीय रोजगार संकट

- विनिर्माण क्षेत्र कृषि मजदूरों को अवशोषित करने के लिए संभावित रूप से सबसे अच्छी स्थिति में है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों की कमी है।
- अधिक शिक्षित लोग प्रोग्रामर बनने या आईटी उद्योग के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित करने के लिए योग्य या कुशल नहीं हैं।

इसलिए, भारतीय कार्यबल के पास उन क्षेत्रों के लिए कौशल सेट हैं जहां नौकरी के अवसरों की कमी है। और जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त नौकरियां पैदा होती हैं, उन्हें विशेष कौशल सेट की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिकांश भारतीय कार्यबल की कमी होती है। नतीजतन, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्त श्रम को अवशोषित करने में असमर्थ है।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है?

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) देश के सभी नागरिकों को उनकी आय, संसाधन या रोजगार की स्थिति पर ध्यान दिए बिना एक निश्चित राशि प्रदान करने का एक मॉडल है।
- भारत के संदर्भ में, जहां हर तीसरा व्यक्ति गरीब है, वहां बड़े पैमाने पर सीमांत और छोटे किसान हैं, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जो गरीबी से बाहर आते-जाते हैं, यह अवधारणा भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में उपयोगी हो सकती है।
- **UBI का उद्देश्य:** गरीबी को रोकना या कम करना और नागरिकों के बीच समानता बढ़ाना शामिल है।
- **अंतर्निहित सिद्धांत (Underlying principle):** मूल आय का विचार यह है कि सभी नागरिक एक रहने योग्य आय के हकदार हैं, चाहे वे उत्पादन में योगदान दें या न और उन विशेष परिस्थितियों के बावजूद जिनमें वे उत्पन्न हुए हैं।
- भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के विकल्प के रूप में यूबीआई की अवधारणा की सिफारिस की है।

UBI के 4 घटक हैं:

- **सार्वभौमिकता:** यह प्रकृति में सार्वभौमिक है।
- **आवधिक:** नियमित अंतराल पर भुगतान (एकमुश्त अनुदान न होना)।
- **व्यक्तित्व:** व्यक्तिगत भुगतान।
- **बिना शर्त (Unconditionality):** नकद हस्तांतरण के साथ कोई पूर्व शर्त संलग्न न होना है।

UBI के क्या फायदे हैं?

- UBI व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगा; उन्हें अनुत्पादक काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय, उन्हें उस तरह का काम चुनने में मदद मिलेगी जो वे करना चाहते हैं।
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेरोजगारी के खिलाफ एक तरह का बीमा होगा और यह गरीबी को कम करने में मदद करता है। इससे धन का समान वितरण होगा।
- बढ़ी हुई आय से व्यक्तियों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि वे अब किसी भी काम करने की स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होंगे।
- इसके सार्वभौमिक चरित्र के कारण, लाभार्थियों की पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह लक्षित कल्याणकारी योजनाओं में लक्षित लाभार्थियों की एक सामान्य समस्या की पहचान करने में त्रुटियों को बाहर करता है।
- चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को मूल आय प्राप्त होती है, यह सरकारी हस्तांतरण में अपव्यय को कम करके दक्षता को बढ़ावा देता है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं को UBI के साथ बदलकर ब्यूरोक्रेटिक लागत और समय के संदर्भ में काफी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण बताता है, मूल आय को सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित करने से वित्तीय सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। इससे बैंकों को अपने सेवा नेटवर्क के विस्तार में निवेश करने में मदद मिलेगी, यह वित्तीय समावेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत में UBI के पक्ष में तर्क क्या हैं?

- UBI लाभार्थियों के साथ एजेंट के रूप में व्यवहार करेगा, और उन्हें अपने लाभ के लिए धन का सबसे अच्छा उपयोग करने की अनुमति देगा। सरकार व्यक्तियों की पसंद को निर्देशित करने के बजाय सम्मान के लिए खड़ी होगी।
- इन प्रत्यक्ष हस्तांतरणों से यह सुनिश्चित होगा कि लोगों को मिलने वाले अनुदान पर बिचौलियों और ब्यूरोक्रेट का कोई अतिक्रमण नहीं है।
- आय में वृद्धि से वित्तीय रूप से अस्थिर लोगों को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो पहले आय के निम्न स्तर के कारण बाधित था।
- UBI यह सुनिश्चित करेगा कि लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यूनतम आय के मामले में बुनियादी क्षमताएं हासिल करें।
- यह भी उम्मीद की जाती है कि UBI अर्थव्यवस्था के उत्पादन का विस्तार करेगा। भारत में अधिकांश मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जनता को सरकार के हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा हैं।

भारत में UBI के खिलाफ क्या तर्क हैं?

- यह अनुमान है कि UBI के तहत प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हस्तांतरण पर सरकारी खजाने को जीडीपी का लगभग 10% खर्च होगा, जबकि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5.2% खर्च होता है।

- इस बात की गंभीर चिंता है कि UBI श्रम बाजारों को विकृत कर देगा, क्योंकि श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आसान आय उन्हें काम करने के लिए हतोत्साहित करती है।
- पितृसत्तात्मक रूढ़िवादिता आगे इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्राप्त अनुदान पुरुषों द्वारा तंबाकू, शराब, आदि जैसे प्रलोभन वाले सामानों पर खर्च करता है।
- इसमें से मुद्दा मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं है। जबकि खाद्य सब्सिडी बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं हैं, बुनियादी आय मुद्रास्फीति के दबावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढांचे का घनत्व बहुत अच्छा नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 60% से कम जन धन खाते आधार से जुड़े हुए हैं, जिससे व्यक्ति की पहचान में असंगति होती है।
- इस बात की भी आशंका है कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक वर्ग इस योजना का दुरुपयोग कर सकता है।

केस स्टडी: भारत की पायलट परियोजना, मध्य प्रदेश

- वर्ष 2011 में, यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित SEWA ने मध्य प्रदेश के 8 गांवों में 18 महीने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक पायलट अध्ययन किया।
- इसका मूल आय अनुभव के परिणामस्वरूप अधिकांश ग्रामीणों ने सब्सिडी (चावल, गेहूं, मिट्टी के तेल और चीनी को कवर करना) को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने सब्सिडी के बजाय नकद हस्तांतरण को चुना।
- कई लोगों ने इस पैसे का इस्तेमाल घरों, शौचालयों आदि का निर्माण करके अपने आवास के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया।

आगे की राह क्या होना चाहिए?

हालांकि कई वैध चिंताएं हैं, लेकिन बेहतर कार्यान्वयन, कम भ्रष्टाचार, कम रिसाव, कम प्रशासनिक लागत, कम लालफीताशाही, बेहतर लक्ष्यीकरण, बेहतर सामाजिक कल्याण के लाभों के साथ, यूबीआई अवधारणा निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में फल-फूल सकती है।

- नीति निर्माताओं द्वारा संपूर्ण यूबीआई नीति को लागू करने का प्रयास करने से पहले व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है। समाधान के तौर पर यूबीआई की शुरुआत धीरे-धीरे की जाए।
- इसलिए, नीति निर्माताओं को इस प्रतिमान में बदलाव लाने से पहले, सटीक उपायों और आंकड़ों के साथ इसके सभी पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए।
- कुशल युवाओं के उत्पादन पर भी साथ-साथ ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे यूबीआई की आवश्यकता समाप्त हो सके।

टिप्पणी:

यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस

- अन्य यूबीआई, यानी यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस, भी महत्वपूर्ण है।
- भारत में बीमा पैठ (insurance penetration) (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम) कई वर्षों से ताइवान, जापान और चीन में क्रमशः 17%, 9% और 6% की तुलना में 4% के आसपास स्थिर रहा है।
- हालांकि अर्थव्यवस्था काफी हद तक अनौपचारिक बनी हुई है, उस अनौपचारिक क्षेत्र का डेटा अब व्यवसायों (GSTINके माध्यम से) और असंगठित श्रमिकों (ई-श्रम के माध्यम से) दोनों के लिए उपलब्ध है।
- इस डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त स्वैच्छिक बीमा न हो जाए, इस प्रकार सार्वभौमिक बुनियादी बीमा की योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 क्या है?

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जवाबदेही को बढ़ाकर, इसे लचीलापन और प्रवर्तन दक्षता करते हुए नियामक सेटअप में सुधार हेतु पेश किया गया है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। अधिनियम के उद्देश्य हैं:

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और
- बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए

पहले से मौजूद भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन क्यों आवश्यक है?

जैसे-जैसे तकनीकी प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कीमत के अलावा अन्य कारकों के बढ़ते महत्व के कारण बाजार की गतिशीलता तेजी से बदलती है,

बाजार की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए संशोधन आवश्यक हो गए।

विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं:

A. लेन-देन मूल्य के आधार पर संयोजनों का विनियमन:

- अधिनियम किसी भी व्यक्ति या उद्यम को ऐसे संयोजन में प्रवेश करने से रोकता है जो प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। संयोजनों का अर्थ उद्यमों का विलय, अधिग्रहण या समामेलन है।
- विधेयक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन को शामिल करने के लिए संयोजन की परिभाषा का विस्तार करता है और यदि दोनों पक्षों में से किसी के पास 'भारत में पर्याप्त व्यापार संचालन' है।
- नए विधेयक में 'संयोजन' को मंजूरी देने के लिए 30 दिनों की संरक्षिका अवधि (conservatory period) सहित, समय-सीमा को 210 कार्य दिवसों से बढ़ाकर केवल 150 कार्य दिवसों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

B. संयोजन के वर्गीकरण के लिए नियंत्रण की परिभाषा:

- संयोजनों के वर्गीकरण के लिए, अधिनियम नियंत्रण को एक या अधिक उद्यमों द्वारा किसी अन्य उद्यम या समूह पर मामलों या प्रबंधन पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित करता है।

C. संयोजनों के अनुमोदन की समय सीमा:

- अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि कोई भी संयोजन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सीसीआई एक आदेश पारित नहीं कर देता है या अनुमोदन के लिए आवेदन दायर किए जाने के 210 दिन बीत चुके हैं, जो भी पहले हो। बिल बाद के मामले में समय सीमा को घटाकर 150 दिन कर देता है।

D. गन जंपिंग (Gun Jumping)

- पार्टियों को इसके अनुमोदन से पहले एक संयोजन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
- यदि संयोजन पक्ष अनुमोदन से पहले एक अधिसूचित लेनदेन को बंद कर देते हैं, या आयोग के जानकारी में लाए बिना एक रिपोर्ट योग्य लेनदेन का उपभोग करते हैं, तो इसे गन-जंपिंग के रूप में देखा जाता है।
- गन-जंपिंग के लिए दंड अब सौदा मूल्य का 1% करने का प्रस्ताव है।

E. प्रतिस्पर्धी-विरोधी समझौते:

- अधिनियम के तहत, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण, या नियंत्रण से संबंधित कोई भी समझौता शामिल है, जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

F. प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यवाही में निपटान और प्रतिबद्धता:

- अधिनियम के तहत, CCI निम्नलिखित के आधार पर उद्यमों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है: (i) प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते में प्रवेश करना, या (ii) प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करना।
- विधेयक CCI की जांच कार्यवाही बंद करने की अनुमति देता है।
- संशोधन के अनुसार, प्रतिबद्धता या निपटान के संबंध में आयोग का निर्णय मामले में सभी हितधारकों को सुनने के बाद अपील योग्य नहीं होगा। आयोग प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में नियमों के साथ सामने आएगा।

G. प्रासंगिक उत्पाद बाजार:

- अधिनियम प्रासंगिक उत्पाद बाजार को उन उत्पादों और सेवाओं के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें उपभोक्ता द्वारा प्रतिस्थापन योग्य माना जाता है। बिल इसे विस्तृत करता है ताकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रतिस्थापन योग्य माने जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति को शामिल किया जा सके।

H. कुछ अपराधों का अपराधीकरण (Decriminalisation of certain offences):

- बिल कुछ अपराधों के लिए दंड की प्रकृति को जुर्माने से दंड में बदल देता है। इन अपराधों में सीसीआई के आदेशों का पालन करने में विफलता और प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों के बारे में महानिदेशक के निर्देशों और प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग शामिल है।

यह विधेयक भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में कुछ नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें डील वैल्यू थ्रेसहोल्ड (Deal Value Thresholds), 'नियंत्रण' की परिभाषा में बदलाव और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के कुछ उल्लंघनों को निपटाने के लिए तंत्र शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम के नियामक ढांचे के अंदर भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए, सीसीआई को विधेयक में पेश की गई विभिन्न अवधारणाओं पर समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने और इसे लागू करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है?

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है; इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित और संयोजनों को नियंत्रित करता है, जो भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

CCI के नवीनतम निर्णय

- **सीमेंट कंपनियां:** CCI ने जून 2012 में गुटबंदी के लिए 11 सीमेंट कंपनियों पर ₹63.07 बिलियन (910 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया।
- **BCCI:** CCI ने वर्ष 2013 में BCCI पर अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए ₹522 मिलियन (US$7.6 मिलियन) का जुर्माना लगाया।
- **टेलीकॉम:** CCI ने अपने प्रतिद्वंद्वियों भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर द्वारा कार्टेलाइजेशन के खिलाफ रिलायंस जियो द्वारा दायर एक शिकायत के बाद सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के कामकाज की जांच का आदेश दिया।
- **Google:** आयोग ने बाजार के प्रतिद्वंद्वियों को ब्लॉक करने के लिए एंड्रॉइड के साथ अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने हेतु Google के खिलाफ एक अविश्वास जांच का आदेश दिया।

आगे की राह क्या होना चाहिए?

- नए परिवर्तनों के साथ, आयोग को नए युग के बाजार के कुछ पहलुओं का प्रबंधन करने और इसके संचालन को और अधिक मजबूत बनाने में सक्षम होना चाहिए।
- ये प्रस्तावित परिवर्तन आवश्यक थे, और सरकार को लगातार बदलते बाजार की गतिशीलता को पहचानने और स्वीकार करने तथा कानूनों के नियमित अद्यतन के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-मालदीव

संदर्भ: मालदीव के राष्ट्रपति, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन:

- दोनों पक्षों ने महिला और बाल विकास, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए समझौतों को साझा किया।
- मालदीव की समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए, भारत ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को दूसरा लैंडिंग असॉल्ट क्राफ्ट उपहार में देने की घोषणा की है।

भारत-मालदीव संबंध

ऐतिहासिक:

- भारत और मालदीव जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं।
- भारत वर्ष 1965 में अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाले पहले लोगों में से एक था और बाद में वर्ष 1972 में माले में अपने मिशन की स्थापना की।
- वह वर्ष 1976 में आधिकारिक और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी समुद्री सीमा तय की।

भू-सामरिक महत्व:

स्थिति

- इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी भाग में संचार के दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग (Sea Lanes of Communication) स्थित हैं।

- ये SLOC पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी और होर्मुज़ की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जलडमरूमध्य के बीच समुद्री व्यापार प्रवाह के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत के बाहरी व्यापार का लगभग 50% और उसके ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में स्थित है, इसलिये SLOCs भारत के लिये महत्वपूर्ण हैं।

मल्टी-फोरम एंगेजमेंट (Multi-forum Engagement)

- मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) का सदस्य है।
- कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के तहत, जो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस का एक समुद्री सुरक्षा समूह है,और इसका उद्देश्य इन हिंद महासागर देशों के बीच समुद्री और सुरक्षा मामलों पर घनिष्ठ सहयोग करना है।
- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक के दौरान मॉरीशस को सम्मेलन के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

भारत और मालदीव के बीच सहयोग:

- **सुरक्षा सहयोग:** दशकों से भारत ने मालदीव की मांग पर उसे तात्कालिक आपातकालीन सहायता पहुँचाई है।
- भारत और मालदीव 'एकुवेरिन' (Ekuverin) नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन करते हैं।
- **आपदा प्रबंधन:** वर्ष 2004 में सुनामी और इसके एक दशक बाद मालदीव में पेयजल संकट कुछ अन्य ऐसे अवसर थे जब भारत ने उसे सहायता पहुँचाई।
    - मालदीव, भारत द्वारा अपने सभी पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराई जा रही COVID-19 सहायता और टीकों के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है।
    - मालदीव, भारत की वैक्सीन मैत्री पहल का पहला लाभार्थी था।

नागरिक संपर्क:

- मालदीव के छात्र भारत के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और मालदीव के मरीज़ भारत द्वारा विस्तारित उदार वीज़ा-मुक्त व्यवस्था का लाभ लेते हुए उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिये भारत आते हैं।

आर्थिक सहयोग:

- पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देश अब कुछ भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल और कई अन्य भारतीय वहाँ रोज़गार के लिये जाते हैं।

चुनौतियाँ

- **राजनीतिक अस्थिरता:** भारत की सुरक्षा और विकास पर मालदीव की राजनीतिक अस्थिरता का संभावित प्रभाव, एक बड़ी चिंता का विषय है।
- **कट्टरपंथीकरण:** पिछले एक दशक में इस्लामिक स्टेट (Islamic State- IS) और पाकिस्तान स्थित मदरसों तथा जिहादी समूहों जैसे आतंकवादी समूहों की ओर आकर्षित मालदीवियों की संख्या बढ़ रही है।
    - यह पाकिस्तानी आतंकी समूहों द्वारा भारत और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिये मालदीव के सुदूर द्वीपों को एक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने की संभावना को जन्म देता है।
- **चीनी पक्ष:** भारत के पड़ोस में चीन की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ी है। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है।
    - भारत-चीन संबंधों की अनिश्चितता को देखते हुए मालदीव में चीन की रणनीतिक उपस्थिति चिंता का विषय है।
    - साथ ही, मालदीव ने भारत के साथ सौदेबाज़ी के लिये 'चाइना कार्ड' का उपयोग शुरू कर दिया है।

आगे की राह

- भारत-मालदीव एक दूसरे के सामरिक हितों के पूरक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
- इसलिए, गहरा सामाजिक-आर्थिक और रक्षा जुड़ाव दोनों को वैश्विक मंच पर आपसी हितों का प्रचार करने में मदद कर सकता है।

सरकार की "पड़ोसी पहले नीति" के अनुसार, भारत स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव के लिए एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है।

ताइवान पर अमेरिका-चीन में संघर्ष

संदर्भ: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष, नैन्सी पेलोसी, चीनी खतरों और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चेतावनी की अनदेखी करते हुए, 2 अगस्त की शाम को ताइवान पहुंची।

ताइवान की संक्षिप्त पृष्ठभूमि क्या है?

- ताइवान दक्षिण-पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किमी दूर एक द्वीप है। यह शाही किंग राजवंश द्वारा प्रशासित था, लेकिन इसका नियंत्रण 1895 में जापानियों को दे दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद यह द्वीप वापस चीनी हाथों में चला गया।
- माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों द्वारा मुख्य भूमि चीन में गृह युद्ध जीतने के बाद, राष्ट्रवादी कुओमिन्तांग पार्टी के नेता च्यांग काई-शेक 1949 में ताइवान भाग गए।
- च्यांग काई-शेक ने द्वीप पर चीनी गणराज्य की सरकार की स्थापना की और 1975 तक राष्ट्रपति बने रहे।
- गृहयुद्ध में चीन और ताइवान के विभाजन के बाद चीन गणराज्य की (ROC) सरकार को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- दूसरी ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) ने मुख्य भूमि में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना की।
    - चीन ने कभी भी ताइवान के अस्तित्व को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। उसका तर्क है कि यह हमेशा एक चीनी प्रांत था।
- जबकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव जारी है। चीन और ताइवान के आर्थिक संबंध भी रहे हैं। ताइवान के कई प्रवासी चीन में काम करते हैं और चीन ने ताइवान में निवेश किया है।
- ताइवान को नव स्थापित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) द्वारा सैन्य रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य का सैन्य सहयोगी बन गया था।
- इसके सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे "अकल्पनीय विमानवाहक पोत" के रूप में वर्णित किया गया था।
- यह चरण 1979 में चीन की वैध सरकार के रूप में PRC को मान्यता देने, ताइवान के साथ अपने आधिकारिक संबंधों को समाप्त करने और द्वीप के साथ अपनी पारस्परिक रक्षा संधि को निरस्त करने के साथ समाप्त हो गया। लेकिन अमरीका के ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बने हुए हैं।

ताइवान के प्रति चीन की क्या नीति रही है?

- चीन ने मुख्य भूमि के साथ ताइवान के पुनर्मिलन को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रलोभन और स्टिक नीति (stick policy) अपनाई है।
- वर्ष 1997 में चीन की संप्रभुता में वापसी के बाद पहली बार हांगकांग पर लागू "एक देश दो प्रणालियों" के फार्मूले के तहत द्वीप को उच्च स्तर की स्वायत्तता का वादा करके, शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए संभावना, वास्तव में वरीयता को रोक दिया गया है।
- इस फॉर्मूले के अनुसार, हांगकांग 50 वर्षों की अवधि के लिए अपनी मुक्त बाजार प्रणाली और अपने राजनीतिक तथा न्यायिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को बनाए रखेगा, इस प्रकार एक विस्तारित और क्रमिक स्थानान्तरण को सक्षम करेगा।

चीन और ताइवान के बीच आर्थिक संबंध क्या हैं?

- चीन द्वारा वर्ष 1978 से बाजारोन्मुखी सुधारों को अपनाने और विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक और वाणिज्यिक अवसर बनने के साथ, ताइवान की व्यापारिक संस्थाओं ने मुख्य भूमि चीन में भारी निवेश किया है और दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से एकीकृत हो गई हैं।
- वर्ष 1991 और 2020 के बीच, चीन में निवेशित ताइवानी पूंजी का स्टॉक 188.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 150 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो ताइवान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% था।
- इसके विपरीत ताइवान में निवेश की गई चीनी पूंजी का स्टॉक मुश्किल से यूएस $2.4 बिलियन है।

विश्व और अमेरिका, ताइवान को कैसे देखते हैं?

- संयुक्त राष्ट्र ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता है; वास्तव में, दुनिया भर में केवल 13 देश (और वेटिकन) ही ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं।
- यू.एस. ने घोषणा की है कि वह "ताइवान की रक्षा में आने की क्षमता बनाए रखेगा" जबकि ऐसा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं करेगा। यह यूएसए की "रणनीतिक अस्पष्टता" की नीति है।

क्या चीन ताइवान पर आक्रमण करने और कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार है?

- मार्च 2021 में, यू.एस. पैसिफिक कमांडर ने चेतावनी दी कि एशिया में यू.एस. शक्ति को स्थानांतरित करने की अपनी रणनीति के तहत चीन अगले छह वर्षों के अंदर ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस उद्देश्य को पाने के लिए चीनी सैन्य क्षमताओं को विकसित किया गया था।
- क्वाड और औकस (Quad and AUKUS) की हाल की पहल ताइवान पर चीनी चालों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकती है।
- लेकिन वे भारत-प्रशांत में संतुलन बदलने से पहले चीन को एकीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान रूप से प्रेरित कर सकते हैं।
- इन कारणों से, ताइवान यू.एस. और चीन के बीच हथियारों के टकराव के संभावित ट्रिगर बिंदु के रूप में उभर रहा है।

बाकी बचे हुए एशिया पर बढ़ते तनाव का क्या प्रभाव पड़ा है?

- वे इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से आश्वस्त महसूस करते हैं और शांतिपूर्वक इंडो-पैसिफिक रणनीति का समर्थन करते हैं। हालांकि, उनके आर्थिक और वाणिज्यिक हित बड़ी और बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था के साथ बंधे हुए हैं।
- जैसे ताइवान, अमेरिका और चीन के बीच गोलीबारी में फंस गया है, वैसे ही पूर्वी एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी हैं। अधिकांश लोग चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते हैं।

भारत पर क्या हैं प्रभाव?

- व्यावहारिकता बताती है कि ताइवान के साथ गैर-सरकारी संबंधों को बनाए रखने और यहां तक कि विस्तार करते हुए भी भारत को अपनी एक चीन नीति के अनुरूप होना चाहिए।
- अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ताइवान भारत-प्रशांत रणनीति का एक प्रमुख घटक है, भारत के लिए नहीं।
- एक मायने में, चीन का अपने पूर्वी महासागर के पीले सागर, ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर के साथ व्यस्तता भारत के लिए अच्छा है। यह भारत के प्राथमिक सुरक्षा रंगमंच हिंद महासागर की ओर चीनी ध्यान को कम करता है।
- इससे पहले कि चीनी हमारे विस्तारित पड़ोस को नए सिरे से रुचि और ऊर्जा के साथ देखना शुरू करें, इस थिएटर में भारत की नौसैनिक क्षमताओं और समुद्री प्रोफ़ाइल का विस्तार करने के अवसर का उपयोग करना चाहिए।

भारत-यूरोपीय संघ के संबंध

संदर्भ: एक ओर जहां भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर इस वर्ष भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच 60 साल के राजनयिक संबंध पूरे होने का भी जश्न मनाया जा रहा है।

आर्थिक साझेदारी

- दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 116 अरब डॉलर को पार कर गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
- देश में 6,000 यूरोपीय कंपनियां हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6.7 मिलियन नौकरियां उत्पन्न करती हैं।

जलवायु साझेदारी

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के कई मार्ग हैं।
- उदाहरण के लिए, भारत और डेनमार्क के बीच 'हरित रणनीतिक साझेदारी' का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता नुकसान और प्रदूषण को संबोधित करना है, और मई में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हरित प्रौद्योगिकियों और उद्योग परिवर्तन पर केंद्रित है जो सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- यह सब दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।

रक्षा साझेदारी

- रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।
- भारत और यूरोपीय संघ नियमित रूप से संयुक्त सैन्य और नौसैनिक अभ्यास करते हैं जो इंडो-पैसिफिक में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- वर्ष 2021 में दोनों के बीच पहला समुद्री सुरक्षा चर्चा समुद्री क्षेत्र जागरूकता, क्षमता निर्माण और संयुक्त नौसैनिक गतिविधियों में सहयोग पर केंद्रित था।
- फ्रांस द्वारा 36 राफेल लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी और भारतीय नौसेना को बाराकुडा परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों की पेशकश करने की इच्छा उनके संबंधों में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।
- अग्रणी यूरोपीय रक्षा उपकरण निर्माता 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के साथ गठबंधन की गई रक्षा परियोजनाओं के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं।

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

- जुड़ाव का एक और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र भारत और यूरोप में स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम है।
- इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संयुक्त संचालन समिति दोनों के बीच स्वास्थ्य देखभाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।
- वर्ष 2020 में, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और भारत सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता हुआ था।

चुनौतियाँ

- कुछ क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय संघ, दोनों की अलग-अलग राय और अलग-अलग हित हैं।
- यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप की स्पष्ट रूप से निंदा करने के लिए भारत की अनिच्छा, और रूस के साथ देश के बढ़ते आर्थिक सहयोग, असहमति का एक क्षेत्र रहा है।
- भारत ने यूरोपीय संघ के दोहरे मानकों को उजागर किया है, क्योंकि यूरोपीय संघ द्वारा 2021 में अपने गैस आयात का 45% रूस से खरीदा गया था।
- चीन के उदय से निपटने में यूरोपीय संघ की रणनीति पर भी अस्पष्टता है।
- 'गलवान संघर्ष' के दौरान यूरोपीय संघ की मौन प्रतिक्रिया इसका एक उदाहरण है।
- पूरे क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा भारत के आर्थिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय भार का चतुराई से लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ को इसमें कुछ असमंजस है।

आगे की राह

- भारत और यूरोपीय संघ को विचारों के विचलन (divergences) को उनके बीच अभिसरण (divergences) के विविध क्षेत्रों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
- 2021 में महत्वाकांक्षी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार और निवेश समझौते की सक्रिय बहाली सही दिशा में एक कदम है।
- यूरोपीय संघ साझेदार, भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्वीकार करते हैं।
- यूरोपीय संघ, केवल एक व्यापारिक गुट से अधिक बनना चाहता है और भारत जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठजोड़ करना चाहता है।

"भारत और यूरोपीय संघ तेजी से बढ़ती हुई बहु-ध्रुवीय दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक ध्रुव हैं, इसलिए एक साथ काम करने की क्षमता वैश्विक परिणामों को आकार दे सकती है।"

चाबहार बंदरगाह को पुनः जीवंत करना

संदर्भ: महीनों की धीमी प्रगति के बाद, केंद्र सरकार ने व्यापार के लिए अफगानिस्तान, यूरोप, रूस और मध्य एशिया से जुड़ने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने में अपनी रुचि को फिर से प्रकट किया है।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व:

- यह भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच समुद्र, रेल और सड़क मार्गों वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के मुख्य प्रवेश द्वार ईरान तक भारत की पहुंच को भी बढ़ावा देगा।
- यह भारत को अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने में भी मदद करता है जिसे चीन पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह विकसित करने में मदद करके सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।

- **व्यापारिक लाभ:** चाबहार बंदरगाह के शुरू होने से भारत में लौह अयस्क, चीनी और चावल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण हाल के वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए भारत को तेल की आयात लागत में भी काफी गिरावट देखने को मिली।
- राजनयिक दृष्टिकोण से, चाबहार बंदरगाह का उपयोग एक ऐसे बिंदु के रूप में किया जा सकता है जहां से मानवीय कार्यों का समन्वय किया जा सकता है।

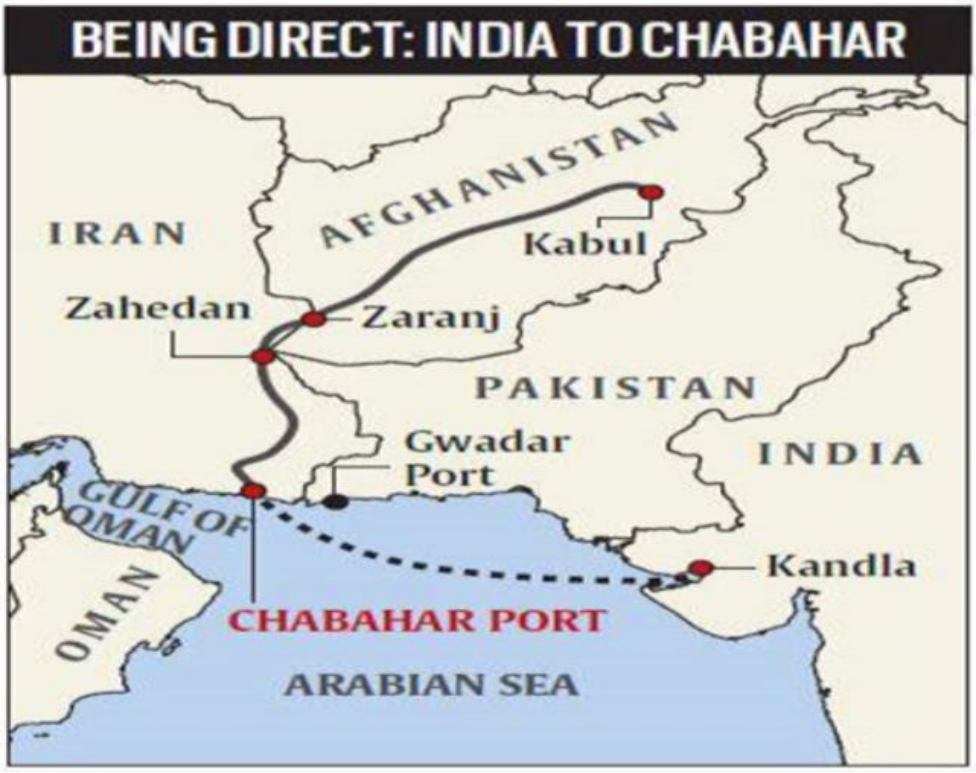

चाबहार बंदरगाह परियोजना में देरी :

- उन वर्षों में जब ईरान के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों में वृद्धि हुई, चाबहार परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जबकि उन वर्षों में जब परमाणु वार्ता जिसके परिणामस्वरूप 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) अस्तित्व में आई, चाबहार बंदरगाह पर काम करना आसान हो गया है।
- वर्ष 2018 में, अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन ने जेसीपीओए से बाहर निकलकर और ईरान से निपटने पर नए प्रतिबंध लगाकर भारत की योजनाओं के लिए भुगतान किया। इसके कारण केंद्र सरकार ने ईरान से अपने सभी तेल आयात को "शून्य" कर दिया, जो पहले भारत का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था, जिससे संबंधों में तनाव पैदा हुआ।
- केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के साथ संबंध भी तोड़ दिए, जिसने चाबहार के माध्यम से काबुल भेजे जाने वाले गेहूं और दालों की मानवीय सहायता को समाप्त कर दिया। जब भारत ने इस साल अफगानिस्तान को गेहूं की सहायता फिर से शुरू की, तो उसने पाकिस्तान के साथ भूमि मार्ग का उपयोग करने के लिए बातचीत की।

आगे की राह

- सरकार द्वारा अब काबुल में भारतीय दूतावास को फिर से खोलने और तालिबान सरकार के साथ संबंध स्थापित करने से यह संभव है कि चाबहार मार्ग को एक बार फिर से नियोजित किया जाएगा
- चाबहार बंदरगाह परियोजना के पूरा होने से इस क्षेत्र में भारतीय रणनीतिक हितों और उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा।

अवश्य पढ़ें: चाबहार पोर्ट

भारत-नेपाल

चर्चा में क्यों : हाल ही में नेपाल ने भारत को सूचित किया कि अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन द्वारा

हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

- नेपाल सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में सगौली की संधि पर हस्ताक्षर के बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेना में नेपाल से गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई।
- और भारत के स्वतंत्र होने के बाद नवंबर 1947 में यह एक त्रिपक्षीय व्यवस्था बन गई और नेपाल में गोरखाओं को भारतीय सेना में सेवा देने या यूके जाने का विकल्प दिया गया।

भारत-नेपाल संबंध

- भारत-नेपाल संबंध मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और धर्म के सदियों पुरानी कड़ी के आधार पर ये बातचीत तंग, व्यापक और बहुआयामी हैं और एक दूसरे के साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जुड़ाव में तेजी से प्रमुख हैं।

ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे हैं?

- भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी के साथ समान संबंध साझा करते हैं जो वर्तमान नेपाल में स्थित है।
- दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें रोटी-बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है।
- वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।

दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र क्या हैं?

व्यापार और अर्थव्यवस्था:

- बाकी दुनिया से व्यापार के लिये पारगमन प्रदान करने के अलावा, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है।

कनेक्टिविटी:

- नेपाल 5 भारतीय राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
- नेपाल एक भू-आबद्ध देश होने के कारण बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दोनों सरकारों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उदाहरण के लिए, भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाला एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाना।

रक्षा सहयोग:

- भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंटों का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती करके किया जाता है।
- भारत वर्ष 2011 से हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जिसे 'सूर्य किरण' के नाम से जाना जाता है।

सांस्कृतिक:

- नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कला और संस्कृति, शिक्षाविदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की पहल की गई है।
- भारत ने काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या को जोड़ने के लिये तीन सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

मानवीय सहायता:

- नेपाल संवेदनशील पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है, जिससे यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहता है।

बहुपक्षीय साझेदारी:

- भारत और नेपाल बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), बिम्सटेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल), गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिये दक्षिण एशियाई संघ) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं आदि।

नेपाल में चीन की भूमिका चिंता का विषय क्यों है?

- पारगमन परिवहन पर एक समझौता, चीन के साथ चार समुद्री बंदरगाहों और तीन भूमि बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करने के साथ एक प्रोटोकॉल संपन्न हुआ।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोत के रूप में चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।
- चीन पोखरा और लुंबिनी में हवाईअड्डा विस्तार परियोजनाओं में भी लगा हुआ है।
- इस प्रकार नेपाल शांतिपूर्वक भारत से दूर हो रहा है।

आगे की राह

- **प्रादेशिक विवादों पर चर्चा:** आज जरूरत है क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी से बचने और शांत बातचीत के लिए आधार तैयार करने की है जहां दोनों पक्ष संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे यह पता लगाते हैं कि क्या संभव है।
- **आर्थिक संबंधों को मजबूत करना :** बिजली व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिए जिससे भारत नेपाल में विश्वास पैदा कर सके। भारत में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (सौर) आने के बावजूद, जलविद्युत ही एकमात्र स्रोत है जो भारत में चरम मांग का प्रबंधन कर सकता है।
- **भारत से निवेश:** भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (BIPPA) पर नेपाल की ओर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **नेपाल के प्रति संवेदनशील बनना :** भारत को लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव, नौकरशाही जुड़ाव के साथ-साथ राजनीतिक बातचीत के मामले में नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।

अंटार्कटिक विनियमन (Antarctic Regulation)

संदर्भ: संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 में, जमे हुए महाद्वीप की रक्षा करने में सहायता करने के लिए पारित किया, जहां भारत अनुसंधान केंद्र संचालित करता है और कई वैज्ञानिक अन्वेषणों का हिस्सा है।

- अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। पूरे क्षेत्र को असैन्यीकृत किया गया है और अंटार्कटिक संधि के अनुसार वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

अंटार्कटिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

हमारे ग्रह के तल पर विशाल जमे हुए भूभाग ग्लोब पर सिर्फ शानदार आइसिंग से कहीं अधिक है। यह हमारे अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

- **वैश्विक तापमान में नरमी:** अंटार्कटिक बर्फ पृथ्वी से सूर्य की कुछ किरणों को विक्षेपित कर देती है, जिससे तापमान बना रहता है।
- **समुद्र तल में वृद्धि होना :** यहां तक कि छोटे पैमाने पर पिघलने से वैश्विक समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, और दुनिया भर में बाढ़ आती है।
- **समुद्री जीवों का समर्थन करना:** महाद्वीप के आसपास का महासागर भी व्हेल और डॉल्फ़िन की 15 प्रजातियों और पेंगुइन की पांच

प्रजातियों सहित दुनिया के समुद्री जीवों का समर्थन करता है। पोषक तत्वों से भरपूर पानी छोटे प्लवक के फूल खिलने को प्रोत्साहित करता है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है।

- **प्राकृतिक प्रयोगशालाएं:** अंटार्कटिक दुनिया के सबसे कम अशांत स्थानों में से एक है। यह अब हमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद कर रहा है, अंटार्कटिका की लगभग 4 किमी मोटी बर्फ की चादर में बंद अद्वितीय संग्रह हमें बताता है कि हमारे ग्रह की जलवायु लगभग दस लाख वर्षों से कैसी रही है।
- **वर्तमान पर्यावरण परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक:** वर्ष 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज से मानव निर्मित रसायनों द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल को हुए नुकसान का पता चला।
- **सामान्य संसाधन:** महाद्वीप एक नो-मैन्स लैंड है - एक प्राकृतिक रिजर्व जो किसी भी देश से संबंधित नहीं है। यह केवल वैश्विक समझौतों द्वारा शासितहै।

पिछले कुछ वर्षों में अंटार्कटिक में भारतीय भूमिका कैसे विकसित हुई है?

- 11 महीने की अवधि के भीतर सफलतापूर्वक दो अभियानों के पूरा होने के साथ, भारत अंततः अगस्त 1983 में अंटार्कटिक संधि का सदस्य बन गया और चीन ने वर्ष 1985 में इसका पालन किया।
- **वर्ष 1984 में दो और उल्लेखनीय भारतीय उपलब्धियों को देखा गया:** इसकी पहली अंटार्कटिक टीम ने 1 मार्च 1984 से वहां सर्दियों से शुरुआत की और कुछ महीनों बाद दक्षिण गंगोत्री नामक एक मानव रहित अंटार्कटिक अनुसंधान आधार की स्थापना की गई।
- तब से, भारत ने अंटार्कटिका में दो मानवयुक्त खोज केंद्र स्थापित किए हैं - 1988 में मैत्री और 2012 में भारती। महाद्वीप में चालीस अभियान हो चुके हैं।
- नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च (एनसीपीओआर) देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ संबंधित रसद गतिविधियों के लिए योजना, प्रचार, समन्वय और निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।

संसद द्वारा पारित 2022 बिल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

यह भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए एक विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो इसके अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अनुरूप है।

- **उद्देश्य:** यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है।
- **प्रयोज्यता:** यह विधेयक सभी भारतीयों, विदेशी नागरिकों, निगमों, फर्मों और भारत में काम कर रहे संयुक्त उद्यमों और किसी भी जहाज या विमान पर लागू होगा जो या तो भारतीय है या भारतीय अभियान का हिस्सा है। अंटार्कटिका के क्षेत्रों में शामिल हैं:
    - अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें इसकी बर्फ की अलमारियां और उससे सटे महाद्वीपीय शेल्फ के सभी क्षेत्र शामिल हैं, और
    - 60°S अक्षांश के दक्षिण में सभी द्वीप (उनकी बर्फ की अलमारियों सहित), समुद्र और वायु क्षेत्र
- **केंद्रीय समिति:** केंद्र सरकार अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी। समिति की अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव करेंगे। रक्षा, विदेशी मामलों जैसे विभिन्न मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जैसे संगठनों से 10 सदस्यों को नामित किया जाएगा।
- **परमिट की आवश्यकता:** यह समिति, विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान करेगी तथा अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों का कार्यान्वयन और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करेगी। यह विधेयक, बिना परमिट के अथवा प्रोटोकॉल से संबंधित किसी अन्य पार्टी की लिखित अनुमति के बिना, अंटार्कटिका के लिए किसी भारतीय अभियान या अंटार्कटिका में कुछ निश्चित क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करता है।
    - 'पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन' और 'अपशिष्ट प्रबंधन योजना' तैयार होने के बाद ही परमिट दिया जा सकता है।
- **प्रतिबंधित गतिविधियां:** बिल अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें शामिल हैं: (i) परमाणु विस्फोट या रेडियोएक्टिव कचरे का निस्तारण, (ii) उपजाऊ मिट्टी को ले जाना, और (iii) समुद्र में कचरा, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ का निर्वहन जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

- **अपराध और सजा:** अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट करने पर 20 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है, जोकि उम्रकैद तक बढ़ाई जा सकती है, और कम से कम 50 करोड़ रुपए का जुर्माना। बिना परमिट के अंटार्कटिका में खनिज संसाधनों के लिए ड्रिलिंग करना या गैर-देशीय जानवरों या पौधों को ले जाने पर सात वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- केंद्र सरकार विधेयक के तहत एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को नामित न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है और विधेयक के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए अपने क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट कर सकती है।

अंटार्कटिक विधेयक, 2022 के क्या लाभ हैं?

- **विशिष्ट कानूनी ढांचा:** यह विधेयक कानूनी तंत्र के माध्यम से भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के कुशल संचालन में मदद करेगा।
- **गतिविधियों की जवाबदेही:** यह अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों और विवादों से निपटने के लिए भारतीय अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। इस तरह के कानून नागरिकों को अंटार्कटिक संधि प्रणाली की नीतियों से बांध देगा। यह विधेयक भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों और भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी या भारत में पंजीकृत किसी भी समुद्री जहाज पर लागू होगा।
- **भारत की विश्वसनीयता बनाना :** इस तरह का कानून नागरिकों को अंटार्कटिक संधि प्रणाली की नीतियों के लिए बाध्य करेगा। यह वैज्ञानिक अध्ययन और रसद में सहयोग के लिए ध्रुवीय शासन में भारत की अंतरराष्ट्रीय दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा।
- **सतत विकास:** विधेयक अंटार्कटिक में पर्यटन के प्रबंधन और मत्स्य पालन के सतत विकास में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की योजना बना रहा है।
- **वि-सैन्यीकरण सुनिश्चित करना :** इस विधेयक का उद्देश्य खनन या अवैध गतिविधियों से छुटकारा पाने के साथ-साथ (अंटार्कटिक) क्षेत्र का सैन्यीकरण सुनिश्चित करना है।

भारत एक विदेश नीति का नेता और संतुलनकर्ता के रूप में
(India as a foreign policy leader and balancer)

भारत की विदेश नीति

वर्ष 1947-2022 के दौरान भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन इस देश की आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलती धारणाओं के साथ शुरू होना चाहिए।

राष्ट्रों संघ में एक प्रमुख हितधारक

- दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंध, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के माध्यम से, एशिया के अन्य हिस्सों में, यूरोप और हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में यह एक महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी भी है।
- संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख सदस्य, G7 में बार-बार आमंत्रित, ब्रिक्स का एक संस्थापक सदस्य, और G20 में एक महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत राष्ट्रों के समूह में एक प्रमुख हितधारक बन गया है।

राष्ट्रीय हित विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहां अधिक हिस्सेदारी है:

- नीति हितों और मूल्यों के सूक्ष्म संतुलन में टिकी हुई है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख चालक बनी हुई है।
- बाहरी संबंध देश की आर्थिक प्रगति को गति देते हैं।
- अन्य प्रेरणाओं में बाहरी रूप से राष्ट्र की स्थिति को बढ़ाने की इच्छा और विश्व के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा शामिल है, भारत ने शुरू होने के एक महीने के भीतर 90 से अधिक देशों के साथ कोविड दवाओं और टीकों को साझा करने में संकोच नहीं किया।

एक बैलेंसर और लीडर (A balancer and leader)

- शीत युद्ध के बाद की अवधि में, भारत ने प्रमुख शक्तियों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, विशेष रूप से फ्रांस और जर्मनी, यूके, जापान, रूस और चीन के साथ संबंधों के सावधानीपूर्वक विकसित करने के लिए अधिक समय और संसाधनों को स्थानांतरित किया है।
- भारत की बढ़ी हुई जीडीपी और आईटी (GDP and its IT) कौशल ने इसे नेताओं के शीर्ष समूह के समानांतर रखा है।
- पश्चिम के साथ निकटता का आनंद लेते हुए और "दूसरे" पक्ष रूस के साथ सहयोग और चर्चा करने की क्षमता का प्रदर्शन करके, समय-परीक्षणित साथी, और चीन, प्रमुख विरोधी लेकिन एक परिणामी पड़ोसी भारत अब एक संतुलन और नेता के रूप में कार्य करता है।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (Neighbourhood First Policy)

- पड़ोसियों की उपेक्षा नहीं की गई है।
- भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ समीकरण बेहतरीन हैं।
- हाल के वर्षों में अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने संबंधों में भारत के खिलाफ जो ज्वार आया था, वह कोविड -19 महामारी के बाद से बदल गया है।
- क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण में और अधिक हासिल करने की जरूरत है।

बहुपक्षवाद (Multilaternalism)

- इंडो-पैसिफिक भारतीय कूटनीति के लिए एक प्रमुख थिएटर के रूप में उभरा है।
- क्वाड (Quad) सदस्यों के साथ सहयोग पर जोर बढ़ रहा है।
- AUKUS, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ब्लू पैसिफिक में पार्टनर्स और RCEP से बाहर निकलने के झटके के बावजूद, ASEAN पर भारत के निरंतर फोकस जैसे संरचनाओं का संयुक्त प्रभाव, चीन के लिए एक निर्धारित पुशबैक है।
- पश्चिमी तटों के पार, I2U2 (भारत, इज़राइल, यू.एस. यूएई) की स्थापना के साथ संभावनाओं में सुधार हुआ है - यह भारत-यूएई, भारत-इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात-इज़राइल संबंधों में प्रगति के कारण संभव हुआ।
- अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को हिंद-प्रशांत के हिस्से के रूप में स्थापित करने से भारत समुद्री गतिविधि, आर्थिक विकास और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई पहल करने में सक्षम हो सकता है।
- इस प्रकार भारतीय विदेश नीति निर्माण में पहले से कहीं अधिक शिक्षाविदों, थिंक टैंकों, नागरिक समाज और मीडिया द्वारा सहायता प्राप्त है।

विदेश नीति के मुद्दों के साथ व्यापक जनता - विशेष रूप से युवा और व्यापारिक समुदाय की बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और परिष्कार को दर्शाती है। इन प्रवृत्तियों को गहरा होना चाहिए और भारत का G20 प्रेसीडेंसी एक सही अवसर प्रदान करता है और अगली वर्षगांठ के युग की शुरुआत करता है।

इतिहास और कला एवं संस्कृति

भारत छोड़ो आंदोलन

चर्चा में : आज ही के दिन 80 साल पहले 9 अगस्त, 1942 को भारत के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक अंतिम चरण की शुरुआत की थी।

अगस्त 1942 तक बिल्ड-अप (Build-up to August 1942)

- जबकि इस तरह के आंदोलन के लिए कारक बन रहे थे, क्रिप्स मिशन की विफलता के साथ मामले सामने आए।
- द्वितीय विश्व युद्ध के उग्र होने के साथ, संकटग्रस्त ब्रिटिश सरकार को अपने औपनिवेशिक विषयों के सहयोग की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए, मार्च 1942 में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलने के लिए भारत आया।
- युद्ध में भारत के पूरे दिल से समर्थन हासिल करने का विचार था, और भारतीयों को वापसी की पेशकश स्वशासन का वादा था। 'भारत में जल्द से जल्द स्वशासन की प्राप्ति' के वादे के बावजूद, क्रिप्स ने केवल प्रभुत्व की स्थिति की पेशकश की, स्वतंत्रता नहीं। साथ ही भारत के विभाजन का प्रावधान था, जो कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था।

- क्रिप्स मिशन की विफलता ने गांधी को यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब भारतीय इसके लिए डटे रहेंगे। कांग्रेस शुरू में एक आंदोलन शुरू करने के लिए अनिच्छुक थी जो फासीवादी ताकतों को हराने के लिए ब्रिटेन के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन इसने अंततः बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा का फैसला किया।

गांधी का संबोधन: करो या मरो (Gandhi's address: Do or Die)

- 8 अगस्त 1942 को गांधी ने बॉम्बे (मुंबई) के गोवालिया टैंक मैदान में लोगों को संबोधित किया।
- 'ये रहा एक मंत्र, एक छोटा मंत्र, जो मैं आपको देता हूं। इसे अपने दिलों पर छापें, ताकि हर सांस में आप इसे अभिव्यक्ति दें, 'उन्होंने कहा। मंत्र है: 'करो या मरो'। हम या तो भारत को आजाद कर देंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे; हम अपनी गुलामी की निरंतरता को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, 'गांधी ने कहा।
- अरुणा आसफ अली ने जमीन पर तिरंगा फहराया। भारत छोड़ो आंदोलन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, और 9 अगस्त तक, गांधी और अन्य सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।

जनता बनाम राज (The people vs the Raj)

- उनके नेताओं की गिरफ्तारी जनता को रोकने में विफल रही। निर्देश देने वाला कोई नहीं होने से लोगों ने आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। बंबई, पूना और अहमदाबाद में हजारों की संख्या में आम भारतीय पुलिस से भिड़ गए।
- कानपुर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद में निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए हड़तालें, प्रदर्शन और जन मार्च निकाले गए। विरोध छोटे शहरों और गांवों में तेजी से फैल गया।
- मध्य सितंबर तक, पुलिस स्टेशन, अदालतें, डाकघर और सरकारी सत्ता के अन्य प्रतीकों पर बार-बार हमले हुए। रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया गया, छात्रों ने पूरे भारत में स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल की, और अवैध राष्ट्रवादी साहित्य वितरित किया।
- कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक थे। पुलों को उड़ा दिया गया, तार के तार काट दिए गए और रेलवे लाइनों को अलग कर दिया गया।

'भारत छोड़ो' का नारा

- गांधी ने भारत छोड़ो का आह्वान किया था, जबकि यह नारा यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जो एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी थे, जिन्होंने बॉम्बे के मेयर के रूप में भी काम किया था।
- कुछ साल पहले, 1928 में, मेहरली ने ही "साइमन गो बैक (Simon Go Back)" का नारा गढ़ा था।

REGD. NO. M. 2776. DAK EDITION

The Indian Express

Vol. X No. 277. MADRAS: MONDAY, AUGUST 10, 1942. 4 PAGES: ONE ANNA.

MAHATMA GANDHI, MAULANA AZAD AND NEHRU ARRESTED

GANDHIJI'S CALL AT A.-I.C.C. MEETING

Said He Would See Viceroy Before Starting Struggle

"CONGRESS WILL DO OR DIE"

OTHER MEMBERS OF HIGH COMMAND ALSO ALL THE LEADERS TAKEN TO POONA

LATHI CHARGE ON VOLUNTEERS: POLICE TAKE DOWN NATIONAL FLAG

BOMBAY, Aug 9.

Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Sardar Vallabhai Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Mrs. Sarojini Naidu and other members of the Congress Working Committee, the President and Secretary of the Provincial Congress Committee and twenty other local Congressmen were arrested this morning between 5 and 6, and taken away by special train.

MOBILE POLICE PATROLLING ENTIRE BOMBAY CITY

A.-I.C.C. DECLARED UNLAWFUL

ALSO WORKING COMMITTEE AND P.C.C.

ACTION TAKEN BY BOMBAY GOVT.

With Concurrence Of Govt. Of India

Official Communique

GOVT. DECIDES TO MEET CONGRESS "CHALLENGE"

Action To Be Preventive, Not Punitive

The Resolution

DHOTIES

भावी नेताओं का उदय

- राम मनोहर लोहिया, जे.पी. नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं द्वारा भूमिगत गतिविधियां की गईं, जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरीं।

महिला सशक्तिकरण

- आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई।

समर्थन (Support)

- मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभादी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया।
- लीग पहले देश का बंटवारा किए बिना अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी।
- कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे।
- हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।

विरोधों का क्रूर दमन

- भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया था - लोगों को गोली मार दी गई और लाठीचार्ज किया गया, गांवों को जला दिया गया, और बैकब्रेकिंग जुर्माना लगाया गया।
- दिसंबर 1942 तक के पाँच महीनों में, अनुमानित 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था।

हालांकि इस आंदोलन को दबा दिया गया था, इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र को बदल दिया, जनता ने इस जुनून और जल्दबाजी के साथ मांग की कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा।

भूगोल

सूखा (Drought)

चर्चा में क्यों : झारखंड और उत्तर प्रदेश सदी के सबसे खराब मानसून सीजन का सामना कर रहे हैं।

- देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में खाद्य और पानी की कमी वास्तविक मुद्दे होने जा रहे हैं, जिससे इस साल भारत के खरीफ उत्पादन को प्रभावित करने की संभावना है।
- 1 जून से 12 अगस्त के बीच झारखंड में 371.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 627.6 मिमी, 41 प्रतिशत मौसमी कमी थी। आईएमडी के वर्षा आंकड़ों में कहा गया है कि 1901 के बाद से झारखंड (जून से अगस्त) में दर्ज की गई यह अब तक की सबसे कम बारिश है।
- उत्तर प्रदेश के लिए भी, तस्वीर गंभीर है, क्योंकि राज्य ने 12 अगस्त तक 449.1 मिमी के मौसमी औसत का केवल 251.7 मिमी दर्ज किया है।
- यूपी इस साल सबसे अधिक बारिश की कमी वाला भारतीय राज्य रहा है और झारखंड की तरह मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से ऐसा ही बना हुआ है।

बारिश की कमी के कारण क्या हैं?

- इस मौसम में, बंगाल की खाड़ी में केवल तीन निम्न दबाव प्रणालियां विकसित हुईं, जो ज्यादातर ओडिशा के तट से दूर हैं। इनमें से किसी भी प्रणाली ने झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार को प्रभावित नहीं किया।
- इस प्रकार, बारिश के दो कारणों में से एक इन राज्यों के पक्ष में नहीं रहा।

मानसून गर्त (Monsoon Trough)

- इसके अलावा, इस वर्ष मानसून की गर्त पूर्व-पश्चिम निम्न दबाव का क्षेत्र, जो पाकिस्तानसे होकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर तक फैला हुआ है , यह जुलाई और अगस्त में अब तक के अधिकांश दिनों के लिए अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में बना हुआ है।
- इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों ने पूरे मौसम में उच्च वर्षा की कमी में योगदान दिया। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में निम्न दाब प्रणालियाँ आगे नहीं बढ़ीं।
- मानसून गर्त का स्थान, ओसीलेशन (oscillation), और एक विशिष्ट स्थान पर अवधि, ये सभी अपनी स्थिति के ठीक दक्षिण क्षेत्रों पर वर्षा गतिविधि को सीधे प्रभावित करते हैं।
- अर्थात्, जब यह अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित होता है, तो मध्य, प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्रों के अधिकांश भागों में सक्रिय या जोरदार वर्षा होती है। जब यह अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में चला जाता है या हिमालय की तलहटी के साथ स्थित होता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होता है।

ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए?

- यूपी और झारखंड में, कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने कम अवधि के चावल की किस्मों के उपयोग का सुझाव दिया है और लाल चने की खेती को प्रोत्साहित किया है। किसानों को अंतर-फसल का विकल्प चुनने की सलाह दिया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में NDM अधिनियम पारित किया गया था।

उद्देश्य:

- शमन रणनीतियों की तैयारी, क्षमता-निर्माण और अधिक आपदाओं का प्रबंधन करना।
- NDM अधिनियम की धारा 2 (d) में "आपदा" की परिभाषा में कहा गया है कि आपदा का अर्थ है "किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना"।

प्रमुख विशेषताएं:

नोडल एजेंसी:

- अधिनियम समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है।
- **संस्थागत संरचना:** यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- इसे आपदा प्रबंधन नीतियों को निर्धारित करने और समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)

- यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए NDM अधिनियम की धारा 8 के तहत गठित किया गया है।
- NEC पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इसकी सालाना समीक्षा और अद्यतन किया जाए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)

- यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए एक संस्थान है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

- यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया के लिए बुलाया जाता है।
- अधिनियम अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजनाएँ बनाने और स्थानीय योजनाएँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों का भी प्रावधान करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) एनडीएमए, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

वित्त (Finance):

- इसमें वित्तीय तंत्र के प्रावधान जैसे कि आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए फंड्स का निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य और जिला स्तर पर इसी तरह के फंड शामिल हैं।

अन्य सुविधाओं:

- अधिनियम की धारा 51 के तहत, आदेशों का पालन करने से इनकार करने वाले को एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस मामले में इनकार से लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तरदायी व्यक्ति को दो साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी।

बादल फटना (Cloudbursts)

संदर्भ: हाल ही में, पिछले तीन दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही में 20 से अधिक लोग मारे गए हैं।

- इन दोनों राज्यों के अलग-अलग इलाकों में इस दौरान भारी बारिश हुई है, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है, और इसके परिणामस्वरूप घर और दीवार गिर गई है।

बादल फटना क्या हैं?

- बादल फटना एक स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा गतिविधि है।
- 'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (India Meteorological Department – IMD) द्वारा 'बादल फटने' को "लगभग 20 से 30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 मिमी (या 10 सेमी) से अधिक अप्रत्याशित वर्षा" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इस परिभाषा के अनुसार, उसी क्षेत्र में आधे घंटे की अवधि में 5 सेमी वर्षा को भी बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

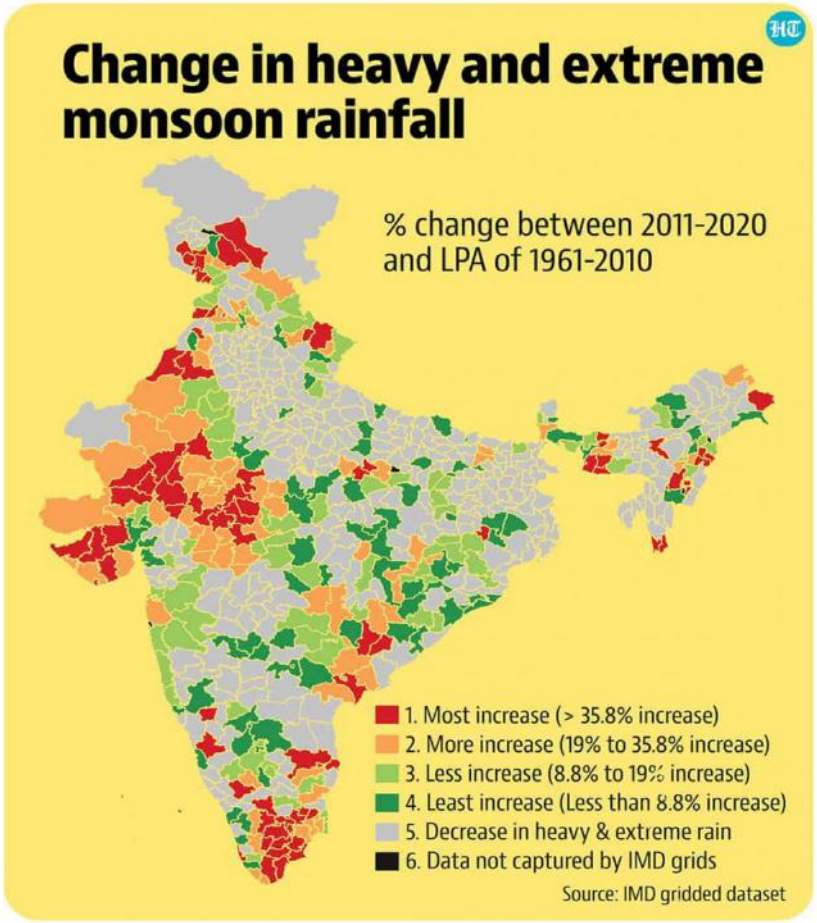

बादल फटना कितना आम है?

- 'बादल फटना', खासकर मानसून के महीनों के दौरान, कोई असामान्य घटना नहीं है।
- इनमें से अधिकांश घटनाएँ हिमालयी राज्यों में होती हैं जहां स्थानीय उच्चावच, पवन प्रणाली और निचले और ऊपरी वातावरण के बीच तापमान प्रवणता, आदि इन घटनाओं को आसान बनाती है।
- भूभाग की प्रकृति के कारण, भारी वर्षा की घटनाएं अक्सर भूस्खलन और अचानक बाढ़ का कारण बनती हैं, जिससे नीचे की ओर व्यापक विनाश होता है।
    - यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति के विनाश की ओर ले जाने वाली हर अचानक बारिश को "बादल फटने" के रूप में वर्णित किया जाता है, भले ही वर्षा की मात्रा परिभाषित मानदंडों को पूरा करती हो।

क्या बादल फटने की भविष्यवाणी करना संभव है?

- भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान पहले से ही लगाता है, लेकिन यह वर्षा की मात्रा की भविष्यवाणी नहीं करता है - वास्तव में, कोई भी मौसम विज्ञान एजेंसी ऐसा नहीं करती है।
- इसके अतिरिक्त, 'पूर्वानुमान' आमतौर पर एक अपेक्षाकृत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं, जैसे कि एक क्षेत्र, राज्य, जलवायु उपखंड या काउंटी। जैसे-जैसे वे छोटे क्षेत्रों में ज़ूम (zoom) करते हैं, भविष्यवाणियां अधिक अनिश्चित होती जाती हैं।
- नतीजतन, विशिष्ट बादल फटने की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

IMD के अनुसार, कोई दीर्घकालिक रुझान नहीं है जो बताता है कि बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि, अत्यधिक वर्षा की घटनाएं, साथ ही अन्य चरम मौसम की घटनाएं, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बढ़ रही हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के कई शहरों में बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी।

अल नीनो और ला नीना (El Nino and La Nina)

चर्चा में क्यों : सितंबर 2020 से भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर पर प्रचलित ला नीना की स्थिति तीसरे वर्ष भी बनी हुई है, 1950 के दशक के बाद से दो वर्ष से अधिक समय तक ला नीना के प्रचलन को केवल छह बार दर्ज किया गया है।

ला नीना और अल नीनो क्या हैं?

- वे उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होने वाली दो प्राकृतिक जलवायु घटनाएं हैं और पूरी दुनिया में मौसम की स्थिति को प्रभावित करती हैं।

सामान्य शर्तें:

- सामान्य वर्ष में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में एक सतही निम्न दबाव और पेरू के तट पर एक उच्च दबाव प्रणाली विकसित होती है। नतीजतन, प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर दृढ़ता से चलती हैं।
- व्यापारिक हवाओं का पूर्वी प्रवाह गर्म सतही जल को पश्चिम की ओर ले जाता है, जिससे इंडोनेशिया और तटीय ऑस्ट्रेलिया में संवहन तूफान (तूफान)आते है। पेरू के तट पर, ठंडे तल वाले ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह तक पहुंच जाता है, जो पश्चिम की ओर आये गर्म पानी को बदल देता है।

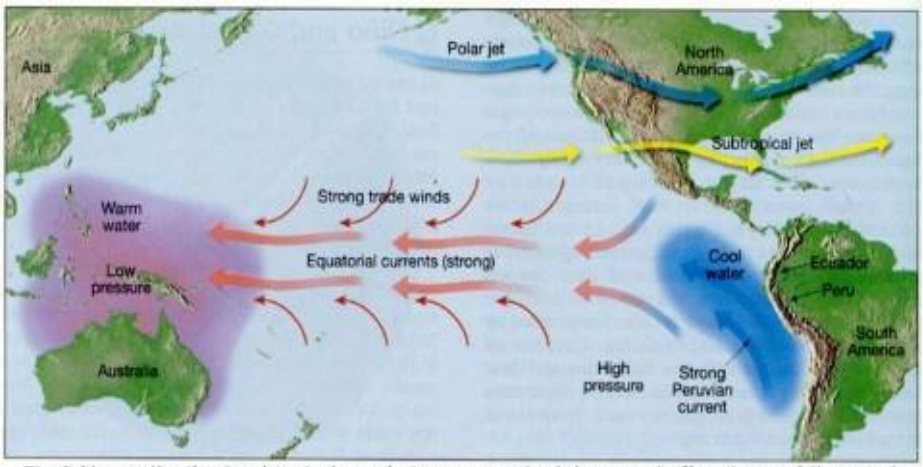

Fig.6 Normally, the trade winds and strong equatorial currents flow toward the west. At the same time, an intense Peruvian current causes upwelling of cold water along the west coast of South America.

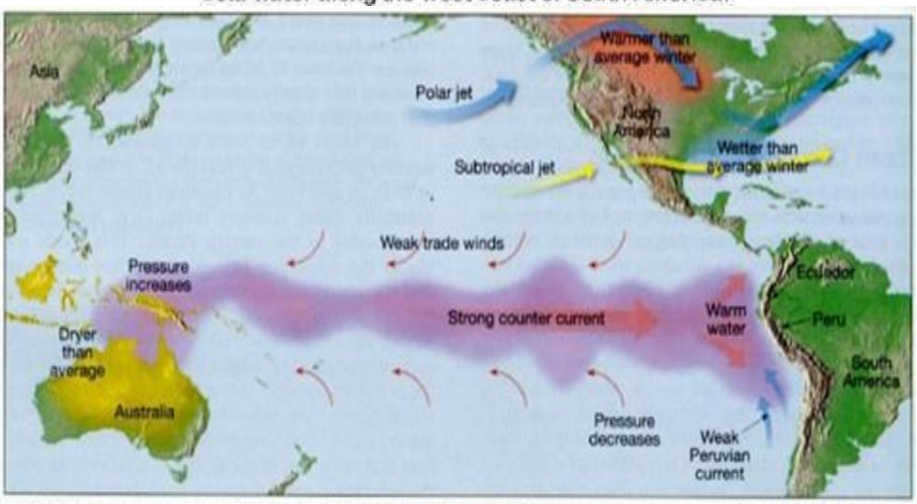

Fig.14 Upon the advent of an ENSO event, the pressure over the eastern and western Pacific flip-flops. This causes the trade winds to diminish, leading to an eastward movement of warm water along the equator. As a result, the surface waters of the central and eastern Pacific warm, with far-reaching consequences to weather patterns.

अल नीनो:

- "अल नीनो" वाक्यांश को क्राइस्ट चाइल्ड के लिए संदर्भित किया गया था और इसे मछुआरों द्वारा इक्वाडोर और पेरू के तटों पर केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत के गर्म होने का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया था।
- अल नीनो गर्म समुद्र की सतह के पानी और इक्वाडोर और पेरू के तट के सामयिक विकास का नाम है। अल नीनो की घटनाएं 2-7 वर्षों के अंतराल पर अनियमित रूप से होती हैं, हालांकि औसतन हर 3-4 साल में एक बार होता है।

प्रभाव:

अल नीनो दुनिया भर में मानसूनी वर्षा को कैसे प्रभावित करता है:

- अल नीनो समुद्र की सतह के तापमान, उसकी धाराओं की गति, तटीय मत्स्य पालन एवं ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका और उससे संलग्न अन्य क्षेत्रों के स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करता है।
- इससे दक्षिण अमेरिका में वर्षा में भारी वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और समतल मैदानों में कटाव की दर बढ़ जाती है।

अल नीनो भारत में मानसूनी वर्षा को कैसे प्रभावित करता है:

- अल नीनो और भारतीय मानसून की बारिश विपरीत रूप से संबंधित हैं।
- 1871 के बाद भारत में पड़ने वाले छह प्रमुख सूखों में से दो हाल ही में 2002 और 2009 में हुए है ये सब अल नीनो वाले सूखे रहे हैं।
- हालांकि, अल नीनो के सभी वर्षों में भारत में सूखा नहीं पड़ा। उदाहरण के लिए, 1997/98 एक मजबूत अल नीनो वर्ष था लेकिन कोई सूखा (आईओडी के कारण) नहीं था। दूसरी ओर, 2002 में एक मध्यम अल नीनो के परिणामस्वरूप सबसे खराब सूखा पड़ा।
- अल नीनो सीधे तौर पर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है क्योंकि यह चावल, गन्ना, कपास और तिलहन जैसी गर्मियों की फसलों के उत्पादन को कम करता है।

ला नीना:

- अल नीनो घटना के बाद मौसम की स्थिति आमतौर पर सामान्य हो जाती है।
- हालांकि, कुछ वर्षों में व्यापारिक हवाएं बहुत तेज हो सकती हैं और मध्य एवं पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी का असामान्य संग्रह हो सकता है। इस घटना को ला नीना कहा जाता है।

प्रभाव:

- ला नीना उत्तरी यूरोप (विशेष रूप से यूके) में हल्की ठंड, दक्षिणी/पश्चिमी यूरोप में अत्यधिक ठंड और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बर्फबारी के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी ऐसी स्थितियों को देखा जा सकता है।
- **दक्षिण अमेरिका:** ला नीना दक्षिण अमेरिकी देशों पेरू और इक्वाडोर में सूखे का प्रमुख कारण बनता है।
- इसका आमतौर पर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के मछली पकड़ने के उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- पश्चिमी प्रशांत में, ला नीना विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र महाद्वीपीय एशिया और चीन में भूस्खलन की दर/ तीव्रता को बढ़ा देता है।
- इससे ऑस्ट्रेलिया में भी भारी बाढ़ आती है। पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर और सोमालियाई तट से दूर के क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि होती है।

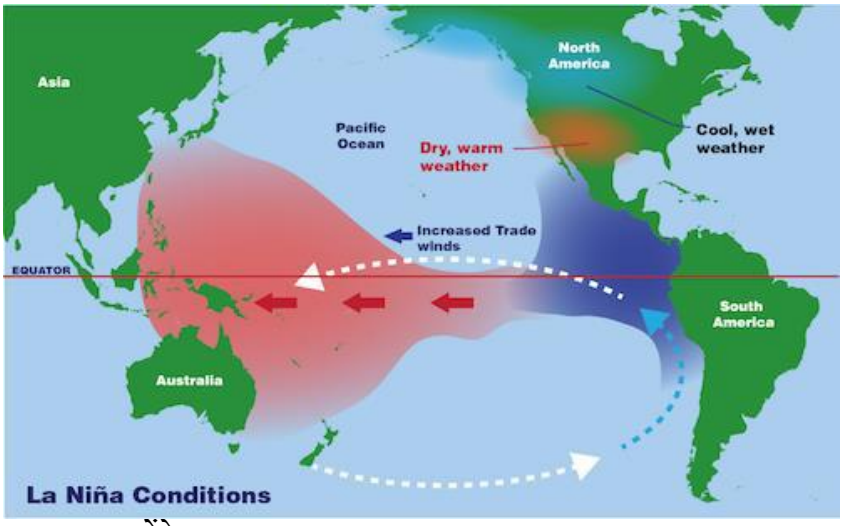

लगातार तीसरी ला नीना के प्रभाव क्या होंगे?

भारत पर प्रभाव:

- भारत मौसम विज्ञान भारत (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।
- पश्चिमी घाट में औसत से कम बारिश हो सकती है।
- उत्तर-भारत में शीतकालीन वर्षा सामान्य से कम है।
- पश्चिमी हिमालय में हिमपात सामान्य से कम है।
- मैदानी इलाकों में सर्दी का तापमान सामान्य से कम होता है।
- उत्तर-भारत में लंबे समय तक सर्दी का मौसम (लम्बी सर्दी)।
- पूर्वोत्तर मानसून के दूसरे भाग के दौरान अधिक बारिश।

कृषि पर नकारात्मक प्रभाव:

- इस दौरान बारिश होने पर किसानों को खरीफ की खड़ी फसल बर्बाद होने का खतरा होगा।
- चूंकि खरीफ फसलों की कटाई सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में शुरू होती है और इससे ठीक पहले कोई भी बारिश खड़ी फसलों के लिए नुकसान पहुंचाने वाली होगी।

पर्यावरण

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021

चर्चा में क्यों : हाल ही में लोकसभा ने ध्वनि मत से वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया, जो वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

CITES:

- कन्वेंशन के लिए देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करने की आवश्यकता है।
- यह जीवित जानवरों के नमूनों को संरक्षित और विनियमित करने का भी प्रयास करता है।
- विधेयक CITES के इन प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है।

अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाना:

- वर्तमान में इस अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पौधों (I), विशेष रूप से संरक्षित जानवरों (IV), और वार्मिन प्रजातियों (I) के लिये छह अनुसूचियाँ शामिल हैं।
- यह विधेयक अनुसूचियों की कुल संख्या को घटाकर चार कर देता है:
  - विशेष रूप से संरक्षित पशुओं के लिए अनुसूचियों की संख्या को घटाकर दो करना (एक अधिक सुरक्षा स्तर के लिए)
  - इस विधेयक में वर्मिन प्रजातियों को अनुसूची से हटा दिया गया है।
  - यह CITES के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों हेतु एक नवीन कार्यक्रम को भी सम्मिलित करता है।

CITES के तहत दायित्व:

- विधेयक केंद्र सरकार को एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है:
  - प्रबंधन प्राधिकरण, जो नमूनों के व्यापार के लिये निर्यात या आयात परमिट देता है।
  - वैज्ञानिक प्राधिकरण, जो व्यापार किए जा रहे नमूनों के अस्तित्व के प्रभाव से संबंधित पहलुओं पर सलाह देता है।
- अधिसूचित नमूने के व्यापार में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को लेनदेन का विवरण प्रबंधन प्राधिकरण को देना चाहिये।
- CITES के अनुसार, प्रबंधन प्राधिकरण एक नमूने के लिए एक पहचान चिह्न का उपयोग कर सकता है।

- विधेयक किसी भी व्यक्ति को नमूने की पहचान, चिह्न को संशोधित करने या हटाने से रोकता है।
- इसके अतिरिक्त अनुसूचित जीवित पशुओं के नमूने रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रबंधन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

आक्रामक विदेशी प्रजातियां:

- यह बिल केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्ज़े या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
- केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को ज़ब्त करने और उनका निपटान करने के लिये अधिकृत कर सकती है।

अभयारण्यों का नियंत्रण:

- अधिनियम मुख्य वन्यजीव वार्डन को एक राज्य में सभी अभयारण्यों को नियंत्रित, प्रबंधित करने और बनाए रखने का काम सौंपता है।
- बिल निर्दिष्ट करता है कि मुख्य वार्डन की कार्रवाई अभयारण्य के लिए प्रबंधन योजनाओं के अनुसार होनी चाहिए।
- इन योजनाओं को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार और मुख्य वार्डन द्वारा अनुमोदित के अनुसार तैयार किया जाएगा।
- विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों के लिए, संबंधित ग्राम सभा के साथ उचित परामर्श के बाद प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए।
- विशेष क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र या वे क्षेत्र शामिल हैं जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू है।

संरक्षण रिज़र्व:

- अधिनियम के तहत राज्य सरकारें वनस्पतियों और जीवों तथा उनके आवास की रक्षा के लिये राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों को संरक्षण रिज़र्व के रूप में घोषित कर सकती हैं।
- बिल केंद्र सरकार को भी एक संरक्षण रिज़र्व को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।

बंदी जानवरों का समर्पण:

- बिल किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी भी बंदी जानवर या पशु उत्पाद को मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंपने का प्रावधान करता है।
- समर्पण की गई वस्तुएं राज्य सरकार की संपत्ति हो जाती हैं।

दंड: अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। विधेयक इन जुर्माने में भी वृद्धि करता है।

CITES

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य के संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) के सदस्यों की बैठक में 1963 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया था।
- CITES जुलाई 1975 में लागू हुआ था।

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल रहा है।

संरचना (Structure):

- CITES सचिवालय UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) द्वारा प्रशासित है और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- यह कन्वेंशन के कामकाज में एक समन्वय, सलाहकार और सर्विसिंग भूमिका निभाता है।
- CITES के लिए पक्षों का सम्मेलन कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसमें इसके सभी पक्ष शामिल होते हैं।
- हालांकि CITES पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं ले सकता है।

कार्य :

- CITES कुछ निश्चित नियंत्रणों के लिए चयनित प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अधीन काम करता है।
- कन्वेंशन में शामिल विभिन्न प्रजातियों के आयात, निर्यात, पुनः निर्यात एवं प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं को लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से

अधिकृत किया जाना आवश्यक है।

- कन्वेंशन के लिये प्रत्येक पक्षकार देश को एक या एक से अधिक प्रबंधन संबंधी प्राधिकरणों को नामित करना चाहिये जो कि लाइसेंसिंग प्रणाली और वैज्ञानिक प्राधिकरणों को प्रजातियों की व्यापार संबंधी स्थिति के प्रभावों पर सलाह देने के लिये प्रशासनिक प्रभारी को नामित करें।
- कन्वेंशन के परिशिष्ट I, II एवं III में विभिन्न प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो प्रजातियों को अत्यधिक दोहन से बचाने हेतु विभिन्न स्तर एवं विभिन्न प्रकार के संरक्षण का प्रावधान करता है।

तटीय विनियमन क्षेत्र

चर्चा में क्यों : हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने संसद में एक रिपोर्ट पेश किया कि क्या भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम सफल रहे हैं।

समुद्र तट के संरक्षण पर केंद्र के क्या दायित्व हैं?

- सरकार ने विशेष रूप से निर्माण के संबंध में भारत के तटों पर गतिविधियों को विनियमित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचना जारी की है।
- मंत्रालय द्वारा लागू तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ) 2019, बुनियादी ढाँचा गतिविधियों के प्रबंधन और उन्हें विनियमित करने के लिये तटीय क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है।
- CRZ के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार तीन संस्थान हैं: केंद्र में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA), प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में राज्य / केंद्रशासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (SCZMAs / UTCZMAs) और प्रत्येक ज़िले में ज़िला स्तरीय समिति (DLCs) जिसमें तटीय क्षेत्र है और जहाँ CRZ अधिसूचना लागू है।

ऑडिट में क्या मिला?

लेखापरीक्षा ने विभिन्न श्रेणियों के उल्लंघनों को इंगित किया।

- पर्यावरण मंत्रालय ने NCZMA को स्थायी निकाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया था तथा इसे प्रत्येक कुछ वर्षों में पुनर्गठित किया जाता रहा था। परिभाषित सदस्यता के अभाव में यह एक तदर्थ निकाय के रूप में कार्य कर रहा था।
- विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों के उदाहरण थे - परियोजना संबंधी विचार-विमर्श के दौरान विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों के मौजूद नहीं थे। EAC वैज्ञानिक विशेषज्ञों और वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति है जो एक बुनियादी ढाँचा परियोजना की व्यवहार्यता और इसके पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन करती है।
- कर्नाटक में SCZMA का पुनर्गठन नहीं किया गया था और गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पुनर्गठन में देरी हुई थी।
- तमिलनाडु के DLCs में स्थानीय पारंपरिक समुदायों की भागीदारी का अभाव था।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में अपर्याप्तता के बावजूद परियोजनाओं को मंजूरी दिये जाने के मामले थे।

CRZ मानदंड क्या हैं?

- भारत में, CRZ नियम समुद्र के पास के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए, समुद्र तट के करीब मानवीय और औद्योगिक गतिविधि को संचालित करते हैं।
- वे मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अनिवार्य हैं, पहली बार 1991 में प्रारूप दिया गया था और समुद्र तट से एक निश्चित दूरी के भीतर नए उद्योगों, बड़े निर्माण, खनन, भंडारण या खतरनाक सामग्री के निपटान की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी।
- वर्ष 2018-19 में, तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी नए नियम जारी किए गए थे। इनका उद्देश्य इस क्षेत्र में निर्माण पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाना, अनापत्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करना था।
- जबकि CRZ नियम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं, कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है।

CRZ अधिसूचना 2011 के तहत तटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण:

CRZ-I (मैंग्रोव, कोरल रीफ, बायोस्फीयर रिजर्व आदि जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र)।

- CRZ-I में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय

- परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाएं;
- LTL और HTL आदि के बीच पानी के ज्वारीय प्रवाह को प्रभावित किए बिना ट्रांस-हार्बर सी लिंक और सड़कों का निर्माण आदि।

- निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच उन क्षेत्रों में जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, निम्नलिखित की अनुमति दी जा सकती है;
  - प्राकृतिक गैस की खोज और निष्कर्षण;
  - बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर रहने वाले पारंपरिक निवासियों के लिए स्कूलों, सड़कों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण;
  - समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक संचयन;
  - विलवणीकरण संयंत्र;
  - अधिसूचित बंदरगाहों के भीतर खाद्य तेल, उर्वरक जैसे गैर-खतरनाक कार्गो का भंडारण;

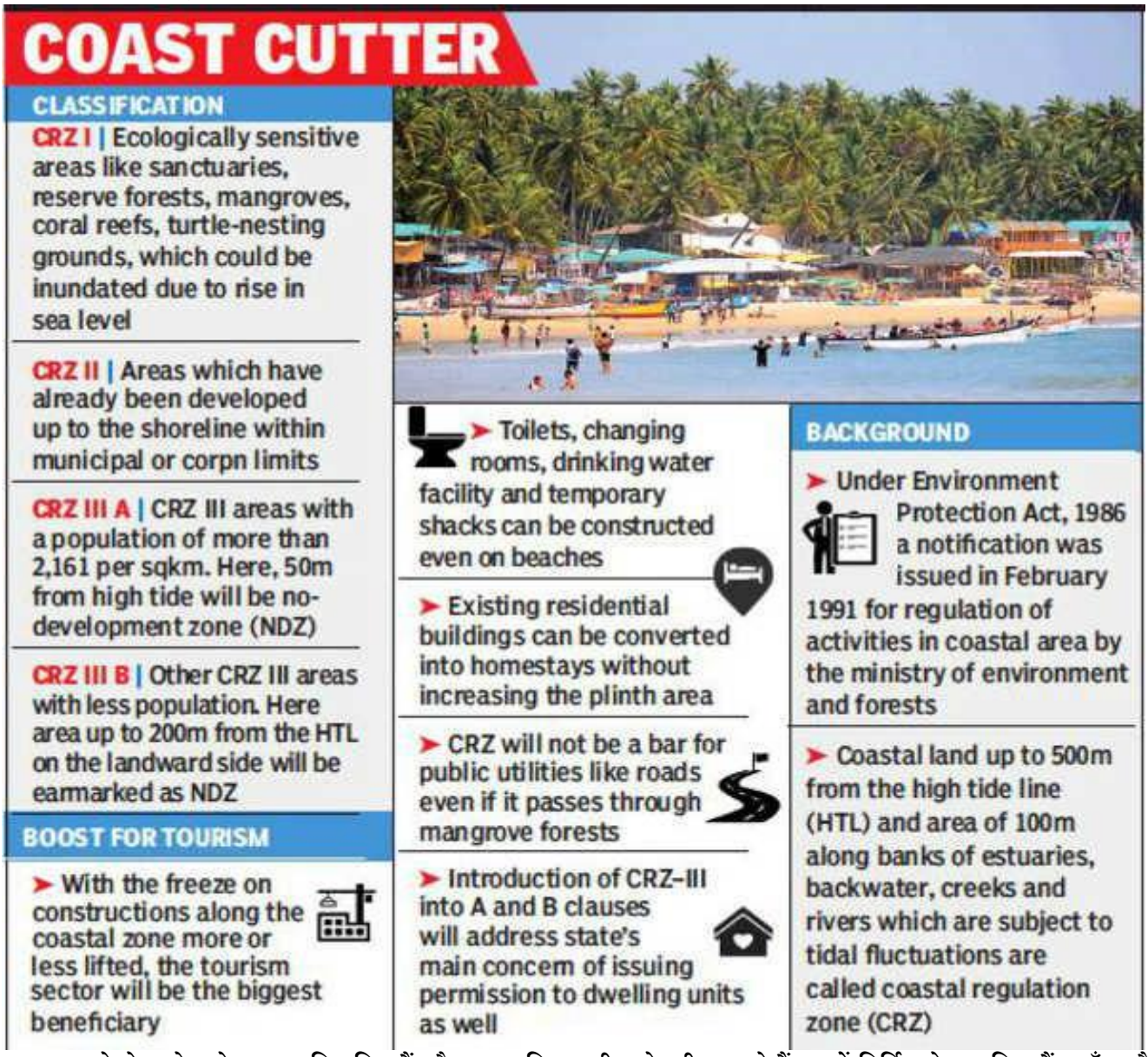

CRZ-II (वे क्षेत्र जो तटरेखा तक विकसित हैं और नगरपालिका सीमा के भीतर आते हैं; इसमें निर्मित क्षेत्र शामिल हैं - गाँव और कस्बे जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं)

- खतरनाक लाइन के लैंडवर्ड साइड पर निर्माण की अनुमति।
- अलवणीकरण संयंत्र जैसी अन्य गतिविधियों की भी अनुमति।
- अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार ही कुछ निर्माण की अनुमति है।

CRZ-III: इसमें आमतौर पर अबाधित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र शामिल हैं, जो CRZ-I या II से संबंधित नहीं हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के तटीय क्षेत्र, मौजूदा

नगरपालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र या अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जो पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं हैं।

- HTL से 0-200 मीटर के बीच एक नो डेवलपमेंट जोन है जहां किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- इस क्षेत्र में केवल कृषि, वानिकी, परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं, दुर्लभ खनिजों के खनन, नमक निर्माण, पेट्रोलियम उत्पादों के पुनर्गैसीकरण, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और कुछ सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
- HTL के 200-500 मीटर के बीच, जो 0-200 मीटर क्षेत्र में अनुमत हैं, स्थानीय समुदायों और पर्यटन परियोजनाओं के लिए घरों के निर्माण की अनुमति है।

CRZ-IV: निम्न ज्वार रेखा से प्रादेशिक सीमा तक जलीय क्षेत्र को CRZ-IV के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें ज्वारीय प्रभावित जल निकाय का क्षेत्र भी शामिल है।

- स्थानीय समुदायों द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक मछली पकड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- इन क्षेत्रों में कोई अनुपचारित सीवेज या ठोस अपशिष्ट छोड़ा या डंप नहीं किया जाएगा।

CRZ विनियमों के तहत नए नियम

- सरकार ने सतत विकास को बढ़ावा देने और तटीय वातावरण के संरक्षण के घोषित उद्देश्यों के साथ नए CRZ नियमों को अधिसूचित किया।
- तथाकथित CRZ-III (ग्रामीण) क्षेत्रों के लिए दो अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2,161 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों (CRZ-IIIA) में, नो-डेवलपमेंट ज़ोन की सीमा, उच्च-ज्वार रेखा से 50 मीटर तक निर्धारित की गयी है, जबकि पहले यह सीमा 200 मीटर थी।
- CRZ-IIIB श्रेणी (2,161 प्रति वर्ग किमी. के नीचे जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों) में उच्च-ज्वार रेखा से 200 मीटर तक फैले नो-डेवलपमेंट ज़ोन जारी रहेगा।
- नए नियमों में मुख्य भूमि के तट के पास के सभी द्वीपों और मुख्य भूमि के सभी बैकवाटर द्वीपों के लिये 20 मीटर का नो-डेवलपमेंट ज़ोन है।

आर्कटिक वार्मिंग (Arctic warming)

संदर्भ: हाल ही में, फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान ने 'संचार पृथ्वी और पर्यावरण' पत्रिका में अपना अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है।

आर्कटिक के यूरेशियन हिस्से में वार्मिंग अधिक केंद्रित है, जहाँ रूस और नॉर्वे के उत्तर में बैरेंट्स सागर, वैश्विक औसत से सात गुना तेज दर से गर्म हो रहा है।

आर्कटिक प्रवर्धन क्या है? इसका क्या कारण होता है?

- पूर्व-औद्योगिक काल से मानवजनित शक्तियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आई है और इसने ग्रह के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की है।
- जबकि परिवर्तन पूरे ग्रह में देखे जाते हैं लेकिन सतही वायु तापमान और शुद्ध विकिरण संतुलन में कोई भी परिवर्तन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बड़े परिवर्तन उत्पन्न करता है।
- इस घटना को ध्रुवीय प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। ये परिवर्तन उत्तरी अक्षांशों पर अधिक स्पष्ट हैं और आर्कटिक प्रवर्धन के रूप में जाने जाते हैं।
- इस प्रवर्धन के लिए कई ग्लोबल वार्मिंग-चालित कारणों में से प्राथमिक कारण में आइस-एल्बीडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वाष्प फीडबैक और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट शामिल हैं।
- समुद्री बर्फ और बर्फ में उच्च एल्बिडो होता है, जिसका अर्थ है कि वे पानी और जमीन के विपरीत अधिकांश सौर विकिरण को परावर्तित करने में सक्षम हैं।
- आर्कटिक के मामले में, ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) के कारण समुद्री बर्फ कम हो रही है।
- जैसे-जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है, आर्कटिक महासागर अधिक सौर विकिरण को अवशोषित कर रहा है, जिससे प्रवर्धन बढ़ रहा है। बर्फ-एल्बीडो प्रतिक्रिया और लैप्स दर प्रतिक्रिया क्रमशः 40% और 15% ध्रुवीय प्रवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं।

आर्कटिक वार्मिंग के परिणाम क्या हैं?

- आर्कटिक प्रवर्धन के कारण और परिणाम चक्रीय हैं अर्थात् जो कारण हो सकता है, वह परिणाम भी हो सकता है।
- ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर ने इस साल 15-17 जुलाई के बीच पिघलने की दर और सीमा में तेज वृद्धि देखी।

- असामान्य गर्मी के तापमान के परिणामस्वरूप प्रति दिन 6 बिलियन टन बर्फ की चादर पिघल गई, जो तीन दिनों की अवधि में कुल 18 बिलियन टन थी, जो कि वेस्ट वर्जीनिया को एक फुट पानी में ढकने के लिए पर्याप्त थी।
- वर्ष 2019 में, ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना समुद्र के स्तर में लगभग 1.5 मीटर की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण था।
- यदि चादर पूरी तरह से पिघल जाती है, तो समुद्र का स्तर सात मीटर बढ़ जाएगा, जो द्वीप देशों और प्रमुख तटीय शहरों को समाहित करने में सक्षम है।
- क्षेत्र में आर्कटिक महासागर और समुद्रों का गर्म होना, पानी का अम्लीकरण, लवणता के स्तर में परिवर्तन, समुद्री प्रजातियों और आश्रित प्रजातियों सहित जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है।
- आर्कटिक का विस्तार आर्कटिक जीवों के बीच व्यापक भुखमरी और मृत्यु का कारण बन रहा है।
- आर्कटिक में पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है और बदले में कार्बन और मीथेन छोड़ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में से हैं।
- बर्फ के पिघलने के कारण लंबे समय से निष्क्रिय बैक्टीरिया और वायरस भी मुक्त होंगे, जो पर्माफ्रॉस्ट में फंस गए थे और संभावित रूप से बीमारियों को जन्म दे सकते हैं।
- इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वर्ष 2016 में साइबेरिया में एंथ्रेक्स बीमारी का प्रकोप था, जिसमें लगभग दो लाख हिरणों की मौत हुई थी।

भारत पर क्या असर?

- हाल के वर्षों में, वैज्ञानिकों ने उपमहाद्वीप में मानसून पर बदलते आर्कटिक के प्रभाव पर विचार किया है। देश में चरम मौसम की घटनाओं और पानी और खाद्य सुरक्षा के लिए वर्षा पर भारी निर्भरता के कारण दोनों के बीच की कड़ी का महत्व बढ़ रहा है।
- भारतीय और नॉर्वेजियन वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि बैरेंट्स-कारा समुद्री क्षेत्र में कम समुद्री बर्फ से मानसून के उत्तरार्ध (सितंबर और अक्टूबर) में अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ हो सकती हैं।
- अरब सागर में गर्म तापमान के साथ संयुक्त रूप से घटती समुद्री बर्फ के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन हो रहा है, जो नमी को बढ़ाने और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में योगदान देता है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021' के अनुसार, भारतीय तट के निकट समुद्र के स्तर में वैश्विक औसत दर की तुलना में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके प्राथमिक कारणों में से एक ध्रुवीय क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्कटिक में समुद्री बर्फ का पिघलना है।

स्पष्ट है कि आर्कटिक प्रवर्धन इस विचार को आगे बढ़ाता है कि आर्कटिक में जो होता है वह केवल आर्कटिक में नहीं रहता है और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय प्रक्रियाओं को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

यूरोप में भीषण सूखा (Europe's great drought)

संदर्भ: यूरोप भीषण सूखे का सामना कर रहा है।

- यूरोप की कुछ सबसे बड़ी नदियाँ राइन, पो, लॉयर, डेन्यूब जो आमतौर पर दुर्जेय जलमार्ग हैं, मध्यम आकार की नावों को सपोर्ट करने में भी असमर्थ हैं।
- जैसे-जैसे जल स्तर गिर गया है, डूबे हुए जहाजों के अवशेष और अशुभ रूप से नामित हंगर स्टोन्स के अवशेष – पिछली पीढ़ियों द्वारा असाधारण सूखापन के दौरान उकेरी गई चट्टानें – पूर्ववर्ती गहराई से बाहर आ गई हैं।
- इस सूखे को 500 वर्षों में सबसे खराब बताया गया है।
- ऐसा कहा जा रहा है कि 1540 के बाद से यूरोपीय गर्मी इतनी शुष्क कभी नहीं रही, जब एक साल के सूखे ने हजारों लोगों की जान ले ली।
- इस साल सूखे का दौर रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव के बाद आया है, जिसके कारण कई देशों में तापमान ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है।

इसक प्रभाव कमजोर कर दिया।

- जल परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।
- बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे बिजली की कमी हो गई है और ऊर्जा की कीमतों में और वृद्धि हुई है, जो पहले से ही यूक्रेन में युद्ध के कारण उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
- कई देशों में भोजन बहुत अधिक महंगा है, और कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की राशनिंग (being rationed) की जा रही है।

पिछले 500 वर्षों में सबसे भयानक सूखा

- इससे पहले 2003, 2010 और 2018 जैसे यूरोपीय सूखे की तुलना 1540 की घटना से की गई थी।
- अब की तरह ही, 2018 के सूखे को "500 वर्षों में सबसे खराब" के रूप में वर्णित किया गया था।
- लेकिन पिछले हफ्ते, यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि यह वर्ष 2018 से भी खराब हो सकता है, हालांकि डेटा का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है।
- "500 वर्षों में सबसे खराब" विवरण अभी भी सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन इस घटना के प्रभाव हाल के दिनों में अनुभव की गई किसी भी चीज़ से कहीं अधिक खराब होने की उम्मीद है।
- यूरोप छह महीने से अधिक समय से बड़े पैमाने पर जलवायु संबंधी विसंगतियों का सामना कर रहा है - वर्षा सामान्य से बहुत कम रही है, जबकि तापमान अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया है।
- और यह यूक्रेन युद्ध के बड़े पैमाने पर ऊर्जा और खाद्य-आपूर्ति प्रभावों के शीर्ष पर आया है।

जलमार्ग और शक्ति

- कृषि और पेयजल आपूर्ति के अलावा, सबसे अधिक दिखाई देने वाला प्रभाव यूरोप के जलमार्गों में व्यवधान रहा है।
- यूरोप कोयले को बिजली संयंत्रों सहित किफायती तरीके से माल ले जाने के लिए अपनी नदियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- कुछ हिस्सों में जल स्तर एक मीटर से भी कम होने के कारण, अधिकांश बड़े जहाजों को अनुपयोगी बना दिया गया है।
- कोयले की आपूर्ति बाधित होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है।
- पर्याप्त जल की कमी ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन को प्रभावित किया है, जो शीतलक के रूप में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं।
- परिणाम बिजली की कमी और ऊर्जा की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

चीन, अमेरिका में भी सूखा

- चीन के कई हिस्से भी गंभीर सूखे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे 60 वर्षों में सबसे खराब बताया जा रहा है।
- साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की सबसे लंबी नदी, यांग्त्ज़ी, जो लगभग एक तिहाई चीनी आबादी को पूरा करती है, जल स्तर में रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की दो सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलें पोयांग और डोंगटिंग 1951 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं।
- पानी की कमी के कारण यूरोप जैसी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी ने कारखानों को बंद करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव बढ़ गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का 40% से अधिक क्षेत्र भी वर्तमान में सूखे की स्थिति में है, अमेरिकी सरकार के अनुसार, लगभग 130 मिलियन लोग प्रभावित हैं।

सामाजिक मुद्दे

देश में महिला वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ना

चर्चा में क्यों: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research -CSIR) की पहली महिला महानिदेशक के रूप में डॉ एन. कलाइसेल्वी की हालिया नियुक्ति ने विज्ञान अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी की महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति को रेखांकित किया। देश में पिछले दो दशकों में विज्ञान अनुसंधान में महिलाएं आम तौर पर बढ़ रही हैं। 80 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।

आँकड़े

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, एक चौथाई से अधिक – 28% – वर्ष 2018-19 में बाहरी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भाग लेने वाली महिलाएं थीं, वर्ष 2000-01 में 13% से ऊपर की सरकारों द्वारा की गई विभिन्न पहलों के कारण थीं।।

- R&D में महिला प्रधान जांचकर्ताओं की संख्या वर्ष 2000-01 में 232 से चार गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2016-17 में 941 हो गई थी।
- शोधकर्ताओं के बीच महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2015 में 13.9 फीसदी से बढ़कर 2018 में 18.7% हो गया।
- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2019 के परिणामों में विज्ञान शिक्षा में महिलाओं की क्रमशः स्नातक और परास्नातक स्तर पर 53% और 55% भागीदारी दिखाई गई, यह संख्या कई विकसित देशों के साथ तुलनीय है। लेकिन डॉक्टरेट स्तर पर, महिला स्नातक (44%) पुरुषों (56%) से पीछे हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने यूके के एथेना स्वान चार्टर पर आधारित डीएसटी-समर्थित जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई) परियोजना को पेश किया गया था।
- गति के पहले चरण में, नेतृत्व की भूमिकाओं, संकाय, और महिला छात्रों और शोधकर्ताओं की संख्या में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान देने के साथ, डीएसटी द्वारा 30 शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों का चयन किया गया है।

कम प्रतिनिधित्व के कारण क्या हैं?

रूढ़िबद्धता (Stereotypes): STEM में महिलाओं की कमी न केवल कौशल की कमी के कारण है, बल्कि निर्धारित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का भी परिणाम है।

पितृसत्तात्मक और सामाजिक कारण (Patriarchal and Societal Causes): काम पर रखने या फेलोशिप और अनुदान आदि देने में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण हैं। विवाह और प्रसव से संबंधित मामले, घर चलाने से संबंधित जिम्मेदारी और बुजुर्गों की देखभाल इन 'गैर-पारंपरिक' क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधा डालती है।

रोल मॉडल का अभाव: महिला नेताओं और महिला रोल मॉडल की कमी अधिक महिलाओं को इन क्षेत्रों में आने से रोक सकती है।

सहायक संस्थागत संरचना का अभाव: गर्भावस्था के दौरान सहायक संस्थागत संरचनाओं की अनुपस्थिति, फील्डवर्क और कार्यस्थल में सुरक्षा के मुद्दों के कारण महिलाएं कार्यबल छोड़ देती हैं।

विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल

- देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित (Science Technology Engineering and Mathematics-STEM) के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- महिला वैज्ञानिकों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 में किरण योजना शुरू की गई थी।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने AI नवाचारों को बढ़ावा देने और भविष्य में एआई-आधारित नौकरियों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के लक्ष्य के साथ महिला विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence-AI) प्रयोगशालाएं भी स्थापित की हैं।
- STEMM (WISTEMM) कार्यक्रम में महिलाओं के लिए इंडो-यूएस फैलोशिप के तहत, महिला वैज्ञानिक अमेरिका में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम कर सकती हैं।
- जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI) STEM में लिंग समानता का आकलन करने के लिये एक समग्र चार्टर और रूपरेखा तैयार करेगा।

आगे की राह

- समस्या को दो स्तरों पर संबोधित करने की आवश्यकता है- सामाजिक स्तर पर जिसके लिये दीर्घकालिक प्रयास की आवश्यकता होती है और नीति व संस्थागत स्तर पर, जिसे तत्काल प्रभाव से शुरू किया जा सकता है।
- STEM को बड़ी कंपनियों में लगातार लिंग असंतुलन को पाटने के लिये बुनियादी ढाँचे का समर्थन करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये संस्थानों को प्रोत्साहित करने, निर्णय लेने में पारदर्शिता आदि में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है।
- हालाँकि पहले कदम के रूप में स्कूलों को 'बुद्धि संबंधी लैंगिक धारणाओं' को तोड़ने और लड़कियों को न केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान लेने बल्कि STEM में अपना कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- इससे न केवल महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि विज्ञान को भी अन्य दृष्टिकोणों से लाभ होगा।

जबकि स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है और STEM में महिलाओं की संख्या में वृद्धि इस बात का संकेत है, कि हमें एक लंबा रास्ता तय करना है।

राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य मिशन

संदर्भ: आजादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति भारत में हकीकत बन गया है।इस विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, आइए हम यह पता लगाएं कि कैसे इस प्रतीकात्मक इशारे को भारत के आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य क्रांति में बदला जा सकता है।

- लगभग 11 करोड़ आदिवासी लोग (भारत की जनगणना (2011) में अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में की गई गणना) भारत में रहते हैं।
- वे भारत की आबादी का 8.6% हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में जनजातीय लोगों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
- द लैंसेट में 'इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स हेल्थ' (2016) शीर्षक से प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि पाकिस्तान के बाद भारत ने आदिवासी लोगों में दूसरी सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर होने का लज्जाजनक विभेदन (inglorious distinction) प्राप्त किया। यह सम्मानजनक स्थिति नहीं है।
- वर्ष 2018 में भारत के आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट आदिवासी स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समिति द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई थी।
- 13 सदस्यीय समिति को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

जाँच के परिणाम

- सबसे पहले, आदिवासी लोग भारत में 809 ब्लॉकों में केंद्रित हैं। ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है।
- भारत की आधी आदिवासी आबादी, लगभग साढ़े पांच करोड़, अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर, बिखरे हुए और हाशिए के अल्पसंख्यक के रूप में रहती है।
- दूसरा, पिछले 25 वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-1 में 1988 में 135 से घटकर 2014 (NFHS-4) में 57 हो गई है। तथापि, अन्य की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के बीच पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की अधिकता का प्रतिशत बढ़ गया है।
- तीसरा, बाल कुपोषण 50% है, जो दूसरों में 28% की तुलना में आदिवासी बच्चों में अधिक है यानी 42%।
- चौथा, अधिक सामान्य बीमारियां मलेरिया और तपेदिक हैं जो आदिवासी लोगों के बीच 3 से 11 गुना हैं।
    - यद्यपि जनजातीय लोग राष्ट्रीय आबादी का केवल 8.6% हैं, लेकिन भारत में कुल मलेरिया से होने वाली मौतों में से आधे उनके बीच होते हैं।
- पांचवां, जबकि कुपोषण, मलेरिया और मृत्यु दर आदिवासी लोगों को पीड़ित करना जारी रखती है, धीरे-धीरे, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों का इलाज करना अधिक कठिन होता है, और इससे भी बदतर, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद और कैंसर तथा आत्महत्या के लिए अग्रणी लत, बढ़ रही हैं। ये आदिवासी वयस्कों के स्वास्थ्य और अस्तित्व को खतरे में डालते हैं।
- छठा, जनजातीय लोग सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन ऐसी सुविधाओं की संख्या में 27% से 40% की कमी है, और आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा डॉक्टरों में 33% से 84% की कमी है।
- सातवां, स्थानीय स्तर पर या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर, जनजातीय लोगों को डिजाइन करने, योजना बनाने या उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में शायद ही कोई भागीदारी है।

राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के बराबर जनजातीय उप-योजना (TSP) नामक एक अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय आवंटित करने और खर्च करने की आधिकारिक नीति का सभी राज्यों द्वारा पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है।

एक रोड मैप

- सबसे पहला, अगले 10 वर्षों में संबंधित राज्य औसत के बराबर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति को लाने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना शुरू करना।
- दूसरा, समिति ने 10 प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य समस्याओं, स्वास्थ्य देखभाल अंतर, मानव संसाधन अंतर और शासन की समस्याओं को संबोधित करने के लिए लगभग 80 उपायों का सुझाव दिया।
- तीसरा, समिति ने अतिरिक्त धन के आवंटन का सुझाव दिया ताकि आदिवासी लोगों पर प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के घोषित लक्ष्य के बराबर हो जाए, यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी का 2.5%।

जनजातीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार है, और आदिवासी लोगों को अधिक ठोस समाधान की आवश्यकता है। हमें प्रतीकात्मक इशारों से ठोस वादों, वादों से एक व्यापक कार्य योजना की ओर, और एक स्वस्थ आदिवासी लोगों के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक कार्य योजना से आगे बढ़ने

की आवश्यकता है।

जन्म के समय भारत का लिंगानुपात थोड़ा सामान्य होता जा रहा है

चर्चा में क्यों: एक अध्ययन के अनुसार, यह 2011 में प्रति 100 लड़कियों पर 111 लड़कों से गिरकर 2019-21 में प्रति 100 लड़कियों पर 108 लड़कों पर रह गया।

- प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीयों में "बेटे" के लिए वरीयता कम हो रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में "लापता" बच्चियों की औसत वार्षिक संख्या वर्ष 2010 में 4.8 लाख से घटकर वर्ष 2019 में 4.1 लाख हो गई हैं।
- शब्द "लापता" (missing) बालिकाओं के जन्म की संख्या को दर्शाता है,जो एक समय अवधि के दौरान होता हैं,यदि कोई महिला-चयनात्मक गर्भपात नहीं होता हैं तो।
- प्रमुख धर्मों में, लिंग चयन में सबसे बड़ी कमी उन समूहों के बीच प्रतीत होती है, जिनमें पहले सबसे बड़ा जेंडर असंतुलन (gender imbalances) था, खासकर सिखों में।
- दुनिया भर में, लड़कों की संख्या जन्म के समय लड़कियों की संख्या से मामूली अधिक है, प्रत्येक 100 महिला शिशुओं के लिए लगभग 105 पुरुष शिशुओं के अनुपात में।
- 1950 और 1960 के दशक में भारत में यह अनुपात देश भर में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण उपलब्ध होने से पहले था।
- भारत ने 1971 में गर्भपात को वैध कर दिया लेकिन अल्ट्रासाउंड तकनीक की शुरुआत के कारण 1980 के दशक में लिंग चयन का चलन शुरू हो गया।
- 1970 के दशक में, भारत का लिंगानुपात 105-100 के वैश्विक औसत के बराबर था, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में यह बढ़कर प्रति 100 लड़कियों पर 108 लड़कों तक पहुंच गया, और 1990 के दशक में प्रति 100 लड़कियों पर 110 लड़कों तक पहुंच गया।
- भारत की 2011 की जनगणना में प्रति 100 लड़कियों पर लगभग 111 लड़कों के बड़े असंतुलन से, जन्म के समय लिंग अनुपात पिछले एक दशक में थोड़ा सामान्य हो गया है, जो 2015-16 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की लहर में लगभग 109 तक सीमित हो गया है। 2019-21 से आयोजित NFHS की नवीनतम लहर में 108 लड़के।
- प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 2000-2019 के बीच, महिला-चयनात्मक गर्भपात के कारण नौ करोड़ महिला जन्म "लापता" हो गए।
- रिपोर्ट में धर्म के आधार पर लिंग चयन का भी विश्लेषण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिखों के लिए यह अंतर सबसे अधिक था।
- अध्ययन बताता है कि जहां सिख भारतीय आबादी का 2% से कम हैं, वहीं 2000 और 2019 के बीच भारत में "लापता" होने वाली नौ करोड़ बच्चियों में से उनका अनुमानित 5% या लगभग 440,000 (4.4 लाख) है।
- हिंदुओं में "लापता" लड़कियों का हिस्सा भी उनके संबंधित जनसंख्या हिस्से से ऊपर है। "हिंदू भारत की आबादी का 80% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन अनुमानित 87%, या लगभग आठ करोड़ महिलाएं यौन-वैकल्पिक गर्भपात के कारण" गायब "होती हैं।
- इस अवधि के दौरान मुसलमानों और ईसाइयों के बीच महिलाओं के जन्म का हिस्सा "लापता" है, जो भारतीय आबादी के प्रत्येक समूह के हिस्से से कम है।

लिंग चयनात्मक गर्भपात से लड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम

- यह अधिनियम भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने हेतु लागू किया गया था। भारत में लिंगानुपात वर्ष 1901 में 972 से गिरकर वर्ष 1991 में 927 पर आ गया था।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान पूर्व व उपरांत लिंग चयन तकनीको के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना तथा लिंग आधारित गर्भपात के लिये प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- यह केवल कुछ मामलों का पता लगाने के लिए उनके उपयोग की अनुमति देकर अल्ट्रासाउंड और एमनियोसेंटेसिस जैसी प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
- कोई भी प्रयोगशाला, केंद्र या क्लीनिक भ्रूण के लिंग निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित अन्य कोई जांच परीक्षण नहीं करेगा।
- इन मामलों से सम्बंधित विवादों के कानूनी प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति सहित अन्य कोई व्यक्ति गर्भवती महिला या उसके किसी सम्बंधी को

किसी भी विधि द्वारा भ्रूण के लिंग की जानकारी नहीं दे सकता है।

- प्रसव पूर्व व गर्भाधान पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी सुविधा के लिये किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा या ₹10000 जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस अधिनियम में सभी नैदानिक प्रयोगशालाओं के साथ-साथ सभी जेनेटिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं व क्लीनिकों तथा अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य है।
- लिंग चयन में प्रयोग होने वाली तकनीकी के विनियमन में सुधार हेतु इस अधिनियम को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया था।
- संशोधन के द्वारा गर्भाधान पूर्व लिंग चयन और अल्ट्रासाउंड तकनीक को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया। संशोधन द्वारा केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड को अधिक सशक्त बनाया गया तथा राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण बोर्ड का भी गठन किया गया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय:

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान

इस पहल का उद्देश्य लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस योजना में शामिल रणनीतियाँ हैं:

- बालिकाओं के लिए समान मूल्य पैदा करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सतत सामाजिक जुड़ाव और संचार अभियान को लागू करना।
- सीएसआर/एसआरबी में गिरावट के मुद्दे को सार्वजनिक चर्चा में रखें, जिसमें सुधार सुशासन का सूचक होगा।
- गहन और एकीकृत कार्रवाई के लिए जेंडर क्रिटिकल जिलों और CSR पर कम शहरों पर ध्यान दें।
- स्थानीय समुदाय/महिलाओं/युवा समूहों के साथ भागीदारी में पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों/जमीनी कार्यकर्ताओं को सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में संगठित और प्रशिक्षित करना।

महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु कानून

- पोक्सो अधिनियम (बच्चों को यौन अपराधों से रोकना)
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम
- न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों पर आपराधिक कानून में बदलाव

बच्चे के स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस बढ़ाना

- ICDS और MDM के माध्यम से बेहतर पोषण का प्रावधान
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- प्रगति जैसी छात्रवृत्ति योजनाएँ
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसा विशेष बालिका विद्यालय

राजनीतिक अधिकारिता

- महिलाओं की निर्णय लेने की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाता है जिससे महिलाओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ती है, विशेष रूप से प्रजनन अधिकारों के बारे में।

जरूर पढ़ें: बाल कुपोषण (Child Malnutrition)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट

संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपनी रिपोर्ट जारी की।

- वर्ष 2021 में आत्महत्या पीड़ितों के बीच दैनिक वेतन भोगी सबसे बड़ा पेशा-वार समूह बना रहा।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि और चार्जशीट दर कम होने पर।
- बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि और पोक्सो बच्चों के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा अपराध है।
- NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) के तहत पंजाब में अपराध दर सबसे अधिक है।
- अनुसूचित जनजातियों (STs) के खिलाफ अपराध में वर्ष 2020 में 8,272 मामलों से 6.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021 में 8,802 मामलों में वृद्धि हुई है, जबकि अनुसूचित जातियों (SCs) के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 2021 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि और चार्जशीट की दर कम होना:

- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 40% की चिंताजनक वृद्धि हुई है, हालांकि आईपीसी के केवल 31% मामलों में ही आरोप-पत्र दाखिल किए जा रहे हैं।
- साइबर अपराध के मामलों में तेजी से 111% की उछाल आया।
- आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.8%) के तहत दर्ज किए गए थे, इसके बाद 'उसकी विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर हमला' (20.8%) के तहत दर्ज किया गया था।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा 56,083 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए जिसके बाद राजस्थान (40,738) और महाराष्ट्र (39,526) का स्थान रहा।
- आंकड़ों के अनुसार, राजधानी शहर में 2021 में 356 मामलों के साथ, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन आदि के मामलों में 111% की वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट "भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतें और आत्महत्याएं" बताती हैं कि 2021 में आत्महत्या करने वालों में पेशा-वार देखे तो 42,004 आत्महत्याओं (25.6%) के साथ दैनिक वेतनभोगी (दिहाड़ी मजदूर) सबसे बड़ा समूह रहा है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, आत्महत्याओं की संख्या में 2020 से 2021 तक 7.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- हालांकि, इस अवधि के दौरान दैनिक वेतन भोगी समूह में आत्महत्या करने वालों की संख्या में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए, राष्ट्रीय औसत से अधिक दैनिक वेतन में आत्महत्या में वृद्धि हुई।

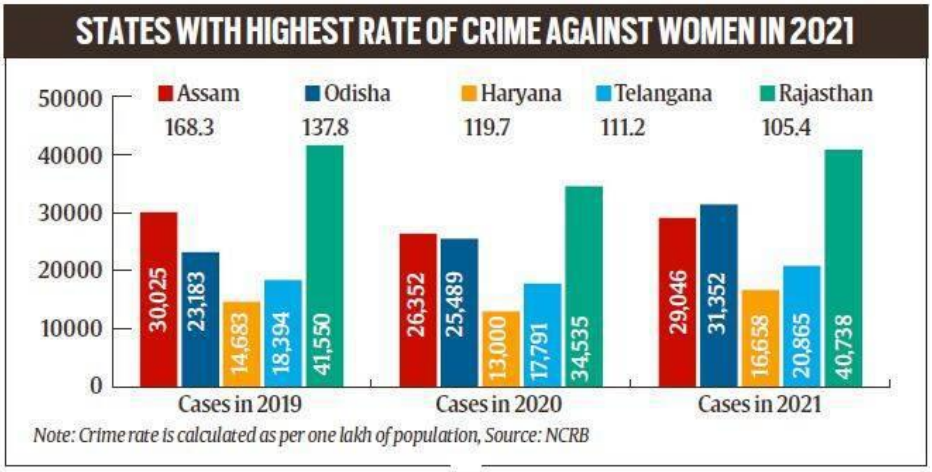

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में "कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों" समूह में 10,881 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें 5,318 "किसान / खेतिहर " और 5,563 "कृषि मजदूर" शामिल हैं।
- वर्ष 2021 में राष्ट्रव्यापी संख्या से, सबसे अधिक 22,207 आत्महत्याएं महाराष्ट्र में दर्ज की गईं, इसके बाद तमिलनाडु (18,925), मध्य प्रदेश (14,956), पश्चिम बंगाल (13,500) और कर्नाटक (13,056) का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली सबसे ज्यादा 2,840 आत्महत्याएं दर्ज की गई।

NDPS अधिनियम के तहत पंजाब में अपराध दर सबसे ज्यादा है

- नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत पिछले साल दर्ज मामलों में पंजाब फिर से अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या) की सूची में सबसे ऊपर है।
- रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि हिमाचल प्रदेश - एनसीआरबी के अनुसार, 74.06 लाख लोगों की आबादी के साथ - 20.8 प्रतिशत की अपराध दर के साथ, उसी श्रेणी में सूची में दूसरे स्थान पर रहा।

UAPA के तहत दर्ज मामलों में वृद्धि

- वर्ष 2020 में 796 मामलों की तुलना में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 814 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष

2020 में 73 की तुलना में वर्ष 2021 में देशद्रोह के 76 मामले दर्ज किए गए।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB):

- एनसीआरबी की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके।
- टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स (1985) द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।
- NCRB को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स' (CCTNS) परियोजना की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

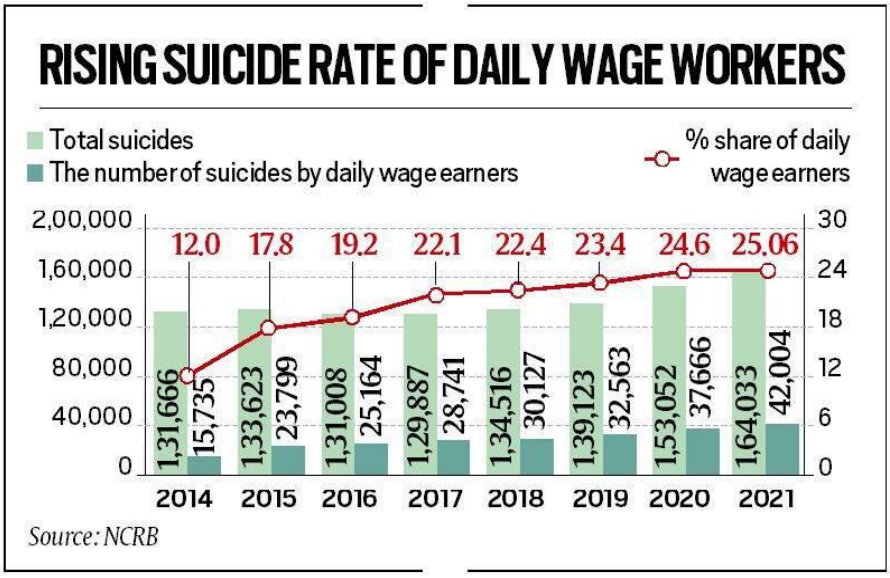

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है।
- NCRB द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स:
  - भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं
  - भारत में जेल सांख्यिकी
  - भारत में उंगलियों के निशान
  - भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट

सुरक्षा संबंधित मुद्दे

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों : सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022, राज्यसभा में पारित किया गया।

- यह सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियां निषेध) कानून 2005 में संशोधन करता है।
- वर्ष 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों (जैसे निर्माण, परिवहन, या हस्तांतरण) को प्रतिबंधित करता है।
- सामूहिक विनाश के हथियार जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार हैं।

संशोधन (Amendments)

- **कुछ गतिविधियों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध:** यह विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण से रोकता है।
- व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से रोकने के लिए, केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय संपत्ति, या आर्थिक संसाधनों (चाहे स्वामित्व, धारित, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित) को फ्रीज, जब्त या संलग्न कर सकती है।
- यह व्यक्तियों को किसी भी निषिद्ध गतिविधि के संबंध में अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने से भी रोक सकता है।

बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम (2016)

चर्चा में क्यों : हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक होने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया।

- इसने आगे कहा कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है, पूर्वव्यापी रूप से नहीं।

निर्णय

- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से प्रस्तुत की गई तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ को असंवैधानिक धारा 3(2) और 5 के रूप में घोषित किया गया।
- वर्ष 2016 के कानून ने 1988 के मूल बेनामी अधिनियम में संशोधन किया, इसे केवल नौ से बढ़ाकर 72 धाराएं कर दीं।
- धारा 3(2) उन लोगों के लिए तीन साल की कैद का प्रावधान करती है जिन्होंने 5 सितंबर, 1988 और 25 अक्टूबर, 2016 के बीच बेनामी लेनदेन किया था।
- अर्थात, धारा के अस्तित्व में आने से 28 साल पहले दर्ज किए गए बेनामी लेनदेन के लिए किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है।
- पीठ ने माना कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

- अनुच्छेद 20 किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी या निगम को मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान करता है।
- उस दिशा में इसमें तीन प्रावधान हैं:
  1. **कोई कार्योत्तर कानून न होना :** किसी भी व्यक्ति को (i) अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही (ii) उससे अधिक दंड के अधीन अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून द्वारा निर्धारित।
  2. **कोई दोहरा खतरा न होना :** किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा।
  3. **कोई आत्म-अपराध न होना (No self-incrimination) :** किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

बेनामी लेनदेन क्या है?

- बेनामी का शाब्दिक अर्थ है 'बिना नाम का'। इसलिए, कानूनी मालिक (a legal owner) या काल्पनिक मालिक के बिना संपत्ति को बेनामी कहा जाता है।
- यह बेनामी लेनदेन के माध्यम से अर्जित किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, चाहे वह चल या अचल हो।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988:

- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 2(a) के तहत भारत में पहले बेनामी लेनदेन प्रतिबंधित थे।
- बेनामी लेन-देन पर प्रतिबंध के पीछे विधायी मंशा लोगों को धन शोधन, कर चोरी, आदि जैसे बेईमान उद्देश्यों के लिए इस तरह के लेनदेन में शामिल होने से रोकना था।

- हालांकि, कानून के प्रक्रियात्मक निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे।
- परिणामस्वरूप, जब तक बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किए गए परिवर्तन, मूल अधिनियम का व्यावहारिक अनुप्रयोग अप्रभावी था।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016:

- जुलाई 2016 में, "बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016" अधिनियमित किया गया था।

परिभाषित- बेनामी लेनदेन

- जहां कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित या धारित हो और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया हो।
- काल्पनिक नाम से की गई या बनाई गई संपत्ति के संबंध में लेन-देन या व्यवस्था।
- ऐसी संपत्ति के संबंध में लेन-देन या व्यवस्था जहां संपत्ति के मालिक को इस तरह के स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं है या जानकारी से इनकार करता है।
- ऐसी संपत्ति के संबंध में लेन-देन या व्यवस्था जहां प्रतिफल प्रदान करने वाला व्यक्ति पता लगाने योग्य नहीं है या काल्पनिक है।

बेनामीदार को परिभाषित किया गया -

- बेनामीदार' का अर्थ है एक व्यक्ति या एक काल्पनिक व्यक्ति, जिसके नाम पर एक बेनामी संपत्ति हस्तांतरित या धारण की जाती है।
- कानून यह प्रावधान करता है कि एक बेनामीदार अपने पास मौजूद बेनामी संपत्ति को लाभकारी स्वामी को फिर से हस्तांतरित नहीं कर सकता है।

'संपत्ति' शब्द का दायरा -

- यह चल या अचल, मूर्त या अमूर्त, और भौतिक या निगमन हो सकता है।

अधिकारियों की शक्ति -

- यह अधिनियम न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।
- विशेष न्यायालय को शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करनी चाहिये।

अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकारियों के पास बहुत व्यापक शक्तियाँ होती हैं -

- खोज और निरीक्षण।
- बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, किसी अन्य मध्यस्थ या रिपोर्टिंग इकाई के अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना।
- लेखा खातों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए प्राधिकरण।
- हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- बेनामी संपत्ति की जब्ती - अधिनियम अधिकारियों को अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार देता है।
- एक बार यह निर्णय हो जाने पर कि एक संपत्ति बेनामी है, इसे केंद्र सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है।

दंडात्मक परिणाम -

- बेनामी लेनदेन के अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को एक से सात साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है।
- संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25% तक जुर्माना भी लगाया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5G स्पेक्ट्रम की नालामी

संदर्भ: भारत ने 1 अगस्त को लगभग 150173 करोड़ की बोलियों के साथ 5जी नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस नीलामी में भारत के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भाग लिया।

5G क्या है?

- 5जी पांचवीं पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड (1 जीबीपीएस की स्पीड) को बढ़ाने के अलावा विलंबता यानी नेटवर्क द्वारा प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय को भी कम करती है।

5G के क्या फायदे हैं?

- **उच्च गति:** 3 सेकंड से कम समय में एक पूर्ण HD मूवी डाउनलोड करने की कल्पना करें। 5G के साथ डाउनलोड इतना तेज़ है। 5G ट्रैफिक क्षमता और नेटवर्क दक्षता में 100 गुना वृद्धि के साथ 20Gbps तक की गति देने में सक्षम है।
- **कम विलंबता:** इसके अलावा, mmWave के साथ, आप केवल 1ms की विलंबता भी प्राप्त कर सकते हैं जो तत्काल कनेक्शन स्थापना में मदद करता है और बाद में नेटवर्क ट्रैफ़िक को कम करता है।
- **नवीनतम तकनीकों का आधार:** यह माना जाता है कि अपनी पूरी क्षमता से 5G गति प्रदान करने में सक्षम होगा जो वास्तविक समय में संवर्धित वास्तविकता को प्रस्तुत कर सकता है। इससे और अधिक हार्डवेयर का विकास होगा जो संवर्धित वास्तविकता पर काम करता है। यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव भी बनने जा रही है।
- **लहर प्रभाव (Ripple Effect):** 5g के लाभ न केवल आपके स्मार्टफोन के अनुभव को बेहतर बनाएंगे बल्कि चिकित्सा, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रगति के राह भी खोलेंगे।

आवेदकों ने कितना स्पेक्ट्रम खरीदा?

स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैंडों के बारे में:

- **700 मेगाहर्ट्ज बैंड-** यह उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में कवरेज के लिए सबसे उपयुक्त है और डेटा नेटवर्क और उपभोक्ता-आधारित सेवाओं के लिए आदर्श है। यह 6-10 किलोमीटर की रेंज प्रदान कर सकता है।
- **26 GHz मिलीमीटर बैंड-** यह निजी 5G नेटवर्क स्थापित करने सहित उद्यम स्तर के 5G अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
- **800 मेगाहर्ट्ज-**2500 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड – बोली लगाने वालों ने मुख्य रूप से 4G के अपने कवरेज को बढ़ाने और उन सर्कल में अंतराल को भरने के लिए एयरवेव खरीदे जहां 4 जी नेटवर्क भीड़भाड़ शुरू कर दिया था।

3D प्रिंटिग

चर्चा में क्यों : भारत में पहली बार, हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को 3डी प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है।

3D प्रिंटिंग क्या है?

- 3D प्रिंटिंग लेयरिंग विधि के माध्यम से त्रि-आयामी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (CAD) का उपयोग करती है।

3D प्रिंटिंग का सिद्धांत:

- 3 डी प्रिंटिंग में, एक 3 डी प्रिंटर एक सीएडी (कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन) फ़ाइल से त्रि-आयामी ऑब्जेक्ट बनाता है।
- एक 3 डी मुद्रित वस्तु का निर्माण एडिटिव प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है।
- एक एडिटिव प्रक्रिया में एक वस्तु सामग्री की क्रमिक परतों को क्रमबद्ध रूप से बिछाने के द्वारा बनाया जाता है।
- इनमें से प्रत्येक परत को वस्तु के पतले कटा हुआ क्रॉस-सेक्शन के रूप में देखा जा सकता है।
- 3डी प्रिंटिंग हमें पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में कम सामग्री का उपयोग करके जटिल आकार का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है।

3 डी प्रिंटिंग कच्चे माल कमोडिटी थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर सबसे आम हैं:

- एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (ABS)
- पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA)
- पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट ग्लाइकोल-मॉडिफाइड (PETG)

3D उत्पादन प्रक्रिया के लाभ

- **तेजी से उत्पादन -** 3डी प्रिंटिंग घंटों के भीतर भागों का निर्माण कर सकती है, जो प्रोटोटाइप प्रक्रिया को गति देती है। यह प्रत्येक चरण को तेजी से पूरा करने की अनुमति देता है।
- **बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद -** 3डी प्रिंटिंग उत्पाद की एक सुसंगत गुणवत्ता का उत्पादन करती है।
- **डिजाइन और उत्पाद परीक्षण के लिए बढ़िया -** 3डी प्रिंटिंग उत्पाद डिजाइन और परीक्षण के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है। यह आसानी से परिशोधन की अनुमति देने के लिए मॉडल को डिजाइन और परीक्षण करने के अवसर प्रदान करता है।
- **लागत प्रभावी -** 3डी प्रिंटिंग उत्पादन का एक लागत प्रभावी साधन हो सकता है। एक बार मॉडल बन जाने के बाद, प्रक्रिया आमतौर पर स्वचालित होती है, और कच्चे माल की बर्बादी सीमित हो जाती है।
- **उत्पाद डिजाइन लगभग अनंत हैं -** 3डी प्रिंटिंग की संभावनाएं लगभग असीमित हैं।
- **3D प्रिंटर विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके प्रिंट करना -** कुछ 3D प्रिंटर वास्तव में सामग्रियों के बीच मिश्रण या स्विच कर सकते हैं। पारंपरिक छपाई में, यह कठिन और महंगा हो सकता है।
- **पर्यावरण के अनुकूल -** चूंकि यह तकनीक उपयोग की जाने वाली सामग्री की बर्बादी की मात्रा को कम करती है, इसलिए यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के अनुकूल है।
- **उन्नत स्वास्थ्य सेवा:** मानव शरीर के लिए अंगों जैसे कि यकृत, गुर्दे और हृदय को प्रिंट करके जीवन बचाने में मदद करने हेतु चिकित्सा क्षेत्र में 3डी प्रिंटिंग का उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आगे की प्रगति और उपयोग विकसित किए जा रहे हैं।

नुकसान

- **विनिर्माण नौकरियों में कमी:** मानव श्रम में संभावित कमी हो सकती है, क्योंकि अधिकांश उत्पादन स्वचालित है और प्रिंटर द्वारा किया जाता है।
- **सीमित सामग्री:** 3डी प्रिंटिंग प्लास्टिक और धातुओं के चयन में आइटम बना सकती है। लेकिन कच्चे माल का उपलब्ध चयन व्यापक नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि सभी धातुओं या प्लास्टिक को 3डी प्रिंटिंग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त तापमान नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इनमें से कई प्रिंट करने योग्य सामग्रियों को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और बहुत कम खाद्य सुरक्षित हैं।
- **प्रतिबंधित निर्माण आकार:** वर्तमान में 3D प्रिंटर में छोटे प्रिंट कक्ष होते हैं जो मुद्रित किए जाने वाले भागों के आकार को सीमित करते हैं। कुछ भी बड़ा करने के लिए अलग-अलग हिस्सों में प्रिंट करना होगा और उत्पादन के बाद एक साथ जोड़ना होगा। इससे लागत और समय बढ़ सकता है।
- **डिज़ाइन की त्रुटियां :** कुछ प्रिंटर में लोअर टॉलरेंसेस (lower tolerances) होती है, जिसका अर्थ है कि अंतिम भाग मूल डिज़ाइन से भिन्न होते हैं।
- **पार्ट संरचना (Part Structure):** 3डी प्रिंटिंग के साथ पार्टों को परत-दर-परत तैयार किया जाता है। हालाँकि ये परतें एक साथ जुड़ी रहती हैं, इसका मतलब यह भी है कि वे कुछ तनाव या झुकावों के कारण टुकड़े-टुकड़े कर सकती हैं।

3डी प्रिंटिंग में भोजन से लेकर चिकित्सा आपूर्ति , प्रवाल भित्तियों , माल के उत्पादन को लोकतांत्रिक बनाने की क्षमता है। भविष्य में, 3डी प्रिंटिंग मशीनें घरों, व्यवसायों, आपदा स्थलों और यहां तक कि बाहरी अंतरिक्ष में भी अपना रास्ता बना सकती हैं। जैसे-जैसे यह तकनीक का विस्तार होता है, यह हाशिए पर रहने वाली और दुर्गम आबादी को आवश्यक उत्पादों से जोड़ने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर, इस उभरती हुई तकनीक से हमारे समाजों में क्रांति लाने और विकास क्षेत्र को बदलने की क्षमता है।

भारत में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म

संदर्भ:

- भारत ने डिजिटल समाज बनने के लिये कई प्रयास किये हैं जिसमें सरकार की मदद से एक बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिये एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है।
- वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत के साथ, भुगतान, भविष्य निधि, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रॉसिंग टोल, और भूमि रिकॉर्ड की जाँच सभी को आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और इंडिया स्टैक पर निर्मित मॉड्यूलर एप्लिकेशन के साथ बदल दिया गया है।

सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की चुनौतियां क्या हैं?

- डिजिटल प्रौद्योगिकी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए यह पूर्वापेक्षा है कि डिजिटल अवसंरचना को उपलब्धता, सामर्थ्य, मूल्य और विश्वास के सिद्धांतों के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए।
- इसे डिजाइन सिद्धांतों, विधायी ढांचे, शासन ढांचे और सार्वजनिक जुड़ाव का उपयोग करके बनाया जा सकता है।
- लेकिन वर्तमान डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, यह माना जाता है कि मौजूदा विभिन्न डिजिटल बुनियादी ढांचे एक डिजाइन के रूप में परस्पर जुड़े नहीं हैं; एक तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें परिचित और अंतःप्रचालनीय बनाया जा सके।
- अधिकांश उपलब्ध डिजिटल डेटा निजी डेटाबेस पर संग्रहीत किया जाता है, जो डेटा के सत्यापन को और अधिक जटिल बना देता है क्योंकि नेटवर्क बढ़ता है, लागत बढ़ जाती है और अक्षमताएं पैदा होती हैं।

वेब 3.0 इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए

वेब 3.0 क्या है?

- वेब 3.0 वेब प्रौद्योगिकियों के विकास की तीसरी पीढ़ी है।
- वेब, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में भी जाना जाता है, इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है, वेबसाइट और एप्लिकेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए आधारभूत परत है।
- वेब 3.0 ब्लॉक-चेन आधारित प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग करेगा और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों (decentralized applications) पर जोर देगा।
- वेब 3.0 बुद्धिमान और अनुकूली अनुप्रयोगों को सशक्त बनाने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी उपयोग करेगा।
- वेब 3.0 समावेशी अगला लचीला प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो कि लागत प्रभावी तरीके से मौजूदा चुनौतियों को बढ़ाने और हल करने में सक्षम है।
- वेब 3.0 समावेशी टोकन आधारित अर्थशास्त्र, पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण को शामिल करते हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक नया संस्करण स्थापित करता है।

ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक रूप से अपनाना:

- कई देशों ने अपनी ब्लॉकचेन नीतियों और बुनियादी ढांचे को स्थापित करना शुरू कर दिया है।
- एस्टोनिया दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी, आम जनता को दी जाने वाली सभी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सत्यापित और संसाधित करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रही है।
- ब्रिटेन सेंटर फॉर डिजिटल बिल्ट ब्रिटेन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और यूके सरकार के बीच एक साझेदारी द्वारा निर्मित वातावरण में डिजिटल ट्विन्स के मालिकों और डेवलपर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन प्रोग्राम (NDTp) चला रहा है।
- वे अच्छी तरह से स्थापित विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) प्लेटफॉर्म भी हैं जो एथेरियम जैसे ब्लॉकचैन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं, हालांकि, उस प्लेटफॉर्म के स्वामित्व वाली मूल क्रिप्टोक्यूरेंक्स से जुड़ा हुआ है।
- DeFi उपयोगकर्त्ताओं को एल्गोरिथम द्वारा निर्धारित दरों पर अल्पकालिक आधार पर क्रिप्टोकरेंसी उधार लेने और उधार देने की अनुमति देता है।

वर्तमान विनियमन तंत्र और क्या करने की आवश्यकता है?

- वर्तमान में, ब्लॉकचेन मॉडल अनियमित हैं और आंतरिक मानकों पर निर्भर हैं।
- विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों के अधिकांश ज्ञात मुद्दों को हल करने का आदर्श समाधान मध्य पथ में निहित है, यानी स्तर-1 (L-1) पर काम करने वाला राष्ट्रीय मंच जो-
    - ब्लॉकचेन (अनुमति प्राप्त और सार्वजनिक दोनों),
    - अनुप्रयोग प्रदाता (विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग - dApps और मौजूदा),

- टोकन सेवा प्रदाताओं एवं बुनियादी ढाँचे के प्रबंधकों को जोड़ता है।

लोगों के लिए और लोगों द्वारा स्वदेशी समाधान पर काम करना समय की मांग है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल बुनियादी संरचना भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देगा, और डिजिटल सेवाओं, प्लेटफार्मों, अनुप्रयोगों, सामग्री और समाधानों के भविष्य को सक्षम करेगा। दुनिया भर में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, कोई भी सुरक्षित रूप से मान सकता है कि हम वक्र की शुरुआत में हैं, लेकिन दिन दूर नहीं हैं।

अभ्यास प्रश्न

Q.1) वर्ष 1972 के स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन (Space Liability Convention) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. प्रक्षेपण करने वाले राज्य केवल पृथ्वी की सतह पर अपने अंतरिक्ष पिंडों के कारण हुए नुकसान के लिए बल्कि अंतरिक्ष में क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।
2. कन्वेंशन में लॉन्चिंग स्टेट्स को स्पेस जंक के वापस पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) चुनावी बांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. केवल भारतीय स्टेट बैंक ही इन बांडों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है।
2. ये बांड केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में ही भुनाए जा सकते हैं।
3. बांड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं होता है।

सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.3) नीचे दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

अभ्यास	**देश**
विनबैक्स (VINBAX)	वियतनाम
खानाबदोश हाथी (Nomadic Elephant)	मंगोलिया
अल नजाह-IV (AL NAJAH-IV)	ओमान

नीचे से सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 2 और 3
c) केवल 2
d) 1, 2 और 3

Q.4) नीचे दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

पोर्ट	**देश**
अस्त्रखान बंदरगाह (Astrakhan port)	रूस
अंजली बंदरगाह (Anzali port)	अज़रबैजान
बांदर अब्बास (Bandar Abbas)	ईरान

सही कोड चुनें:

a) केवल 3
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) केवल 2

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य सरकारें संबंधित राज्य की सीमा के भीतर स्थित खनिजों के मालिक होते हैं।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) 'रीजनरेटिव ब्रेकिंग' (Regenerative braking) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कुछ गतिज ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है जो अन्यथा ऊष्मा में बदल जाती है और इसके बजाय इसे बिजली में परिवर्तित कर देती है।
2. ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाने वाला एक पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम (आरबीएस) स्टॉप-एंड-गो ट्रैफ़िक में बेहतर ब्रेकिंग दक्षता की ओर जाता है जो ईंधन की बचत को बढ़ाता है।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) अभ्यास पिच ब्लैक (Exercise Pitch Black), हाल ही में समाचारों में देखा गया एक बहुपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस संगठन/देश द्वारा आयोजित किया जाता है?

a) बिम्सटेक
b) आसियान
c) ऑस्ट्रेलिया
d) वियतनाम

Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है।
2. CITES के लिए पार्टियों का सम्मेलन कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय होता है।
3. हालांकि CITES पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता है।

सही कथन चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3

Q.9) 'मिशन अमृत सरोवर' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।
2. भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) समाचारों में देखी जाने वाली 'खनिज सुरक्षा भागीदारी' का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है?

a) समुद्री सुरक्षा
b) दुर्लभ पृथ्वी सामग्री
c) हाइड्रोकार्बन और खनिज तेल
d) प्रमुख खनिज आपूर्ति श्रृंखला

Q.11) प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय जगन्नाथ महापात्र निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला के अभ्यास से जुड़े हैं?

a) कथक
b) पट्टाचित्र कला
c) वार्ली पेंटिंग
d) मधुबनी पेंटिंग

Q.12) रामसर के किस स्थल पर अद्वितीय फुमदी मिल सकती है?

a) लोकतक झील, मणिपुर
b) सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
c) पाला आर्द्रभूमि, मिजोरम
d) वेम्बनाड-कोले आर्द्रभूमि, केरल

Q.13) व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 से कौन सी समिति संबंधित है?

a) न्यायमूर्ति अय्यर समिति
b) न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति
c) न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति
d) न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति

Q.14) 'लिविंग लैंड्स चार्टर' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों द्वारा अनुकूलित एक गैर-बाध्यकारी समझौता है।
2. इसका उद्देश्य सदस्य देशों को यूएनएफसीसीसी के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता करना है।

सही कथन का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15) हसदेव नदी जो छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों से होकर बहती है, भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है?

a) झेलम नदी
b) गंगा नदी
c) सतलुज नदी
d) महानदी नदी

Q.16) उद्यम सखी पोर्टल, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है?

a) श्रम और रोजगार मंत्रालय
b) वित्त मंत्रालय
c) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
d) नीति आयोग

Q.17) भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन (NAVIC) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. NAVIC में तीन जियोस्टेशनरी, चार जियोसिंक्रोनस और दो ऑन-स्टैंडबाय उपग्रहों का एक समूह होता है।

2. NAVIC भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में 1,500 किमी तक सटीक रीयल-टाइम पोजिशनिंग और टाइमिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन प्रमुख होता है।
2. भारतीय वरीयता क्रम में वह ग्यारहवें स्थान पर होता है।
3. वह प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन है और दो साल के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।

सही कथन चुनें

a) 1 और 3
b) केवल 3
c) 1 और 2
d) 1, 2 और 3

Q.19) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. फॉर्मोसा जलडमरूमध्य ताइवान और मुख्य भूमि चीन को अलग करता है।
2. पीला सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20) जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें वर्ष 2026 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
2. यह मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
3. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) इनमें से कोई नहीं

Q.21) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

1. SSLV एक रॉकेट है जिसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO) में 300 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों की कक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. यह एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणों और तरल प्रणोदन-आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल (Velocity Trimming Module-VTM) के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता है।
2. किसी कानून पर बने रहने के लिए, अध्यादेश को फिर से विधानसभा के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
3. भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रद्द करने के लिए अध्यादेशों का उपयोग किया जा सकता है।

सही कथन चुनें

a) 1, 2 और 3
b) केवल 2
c) 2 और 3
d) 1 और 2

Q.23) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. क्रिप्स मिशन ने भारत को प्रभुत्व का दर्जा दिया।
2. भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी।
3. 'भारत छोड़ो' का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा दिया गया था।

सही कथन चुनें

a) 1, 2 और 3
b) 2 और 3
c) केवल 1
d) केवल 2

Q.24) भारतीय राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है?

a) अनुच्छेद 72
b) अनुच्छेद 143
c) अनुच्छेद 123
d) अनुच्छेद 132

Q.25) हाल ही में खबरों में रही AGM-88 HARM मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक एंटी-रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी न्यूनतम रेंज 1000 किमी है।

2. यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल सामरिक मिसाइल है जिसे दुश्मन के रडार से लैस वायु रक्षा प्रणालियों की खोज और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) एक सांविधिक निकाय है।

2. सीबीआईसी के अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है।

सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27) हाल ही में खबरों में रहा कच्छल द्वीप (Katchal island) निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?

a) चीन
b) ताइवान
c) भारत
d) श्रीलंका

Q.28) SMILE-75 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है?

a) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
b) गृह मंत्रालय
c) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
d) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

Q.29) निम्नलिखित में से कौन सा वर्टिकल प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) का हिस्सा है/हैं?

1. लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण।
2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास।
3. स्वस्थानी स्लम पुनर्विकास में
4. साझेदारी के माध्यम से किफायती आवास।

सही कोड चुनें:

a) 2 और 4
b) 1 और 2
c) 1, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.30) अभ्यास वज्र प्रहार 2022, भारत और के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास?

a) नेपाल
b) संयुक्त राज्य अमेरिका
c) ऑस्ट्रेलिया
d) बांग्लादेश

Q.31) ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई?

a) विश्व बैंक
b) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
c) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
d) विश्व आर्थिक मंच

Q.32) उपराष्ट्रपति (VP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान कहता है कि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होना चाहिए।

2. वह उप-सभापति को त्याग पत्र को संबोधित करके किसी भी समय अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.33) राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM), किसकी पहल है?

a) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
b) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
c) नीति आयोग
d) प्रधान मंत्री कार्यालय

Q.34) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, अधिनियम को लागू करता है।
2. केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप से अधिसूचित कर सकती है।
3. किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है।

सही कथन चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1 और 2

Q.35) हाल ही में समाचारों में देखी गई 'नमस्ते योजना' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त परियोजना है।
2. इस योजना का उद्देश्य अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को सम्मानित करना है, जो विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.36) नीचे दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित नहीं है/हैं?

लोकप्रिय नारे	**द्वारा दिए गए**
जय हिंद	वल्लभभाई झावेरभाई पटेल
इंकलाब जिंदाबाद	भगत सिंह
भारत छोड़ो	युसूफ मेहरअली

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) 1 और 2

Q.37) निम्नलिखित में से कौन सा/से सही सुमेलित है/हैं?

रामसर साइट	**राज्य**
यशवंत सागर	मध्य प्रदेश
हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व	जम्मू और कश्मीर
वडुवुर पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 2

Q.38) हाल ही में खबरों में रहा Zaporizhzhia परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?

a) रूस
b) यूक्रेन
c) पोलैंड
d) बेलारूस

Q.39) PeVatrons के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. PeVatrons कुछ उच्चतम ऊर्जा कणों का स्रोत है जो हमारी आकाशगंगा में घूमते हैं।
2. इनमें आमतौर पर प्रोटॉन होते हैं लेकिन कभी-कभी इसमें परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन भी शामिल होते हैं।

सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.40) 'अरबिंदो घोष' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उन्होंने वर्ष 1902 में कलकत्ता की अनुशीलन समिति की स्थापना में मदद की।
2. उन्हें अलीपुर षडयंत्र केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
3. उन्होंने एक प्रकार का योग विकसित किया जिसे एकात्म योग कहा जाता है।

गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) इनमें से कोई नहीं
d) 1 और 2

Q.41) 'लोक अदालतों' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोक अदालत की संस्था को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है
2. लोक अदालत का किसी ऐसे मामले या मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो किसी कानून के तहत कंपाउंडेबल नहीं है।
3. लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

सही कथन चुनें:

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 1, 2 और 3
d) 2 और 3

Q.42) नागोर्नो-कराबाख, हाल ही में समाचारों में देखा गया, किसके बीच एक संघर्ष क्षेत्र है?

a) रूस - यूक्रेन
b) चीन - मंगोलिया
c) आर्मेनिया - अज़रबैजान
d) सूडान - इथियोपिया

Q.43) भारतीय खान ब्यूरो (IBM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वर्ष 1948 में स्थापित, भारतीय खान ब्यूरो खान विभाग के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक सरकारी संगठन है।
2. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) का मुख्यालय रांची में है।
3. आईबीएम का उद्देश्य देश के खनिज संसाधनों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है।

सही कथन चुनें:

a) 1 और 2

b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3

Q.44) हाल ही में खबरों में रहा पालन 1000 ऐप (Paalan 1000 app) किसकी पहल है?
a) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
b) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
c) श्रम और रोजगार मंत्रालय
d) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Q.45) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. मंथन (Manthan) बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत के वैज्ञानिक मिशनों और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी को प्राप्त करने के लिए भारत का विशिष्ट मंच है।
2. यह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय की एक पहल है।
गलत कथन चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.46) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)
1. ECLGS के तहत MSMEs को संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
2. ECLGS के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जा रहा है।
गलत कथन चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.47) नीचे दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

जीआई उत्पाद	**राज्य**
तवल्ह्लोपुआन (Tawlhlohpuan)	मणिपुर
खोला मिर्च (Khola Chilli)	केरल
काजी नेमू (Kaji Nemu)	उड़ीसा

सही कोड चुनें:
a) 1, 2 और 3
b) केवल 1
c) केवल 2
d) कोई नहीं

Q.48) 'दुर्गावती देवी' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वह एक क्रांतिकारी और नौजवान भारत सभा की सदस्य थीं।
2. उसने पंजाब के गवर्नर लॉर्ड हैली को मारने का असफल प्रयास किया।
सही कथन चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.49) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया है।
2. आरबीआई गवर्नर एमपीसी के पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है।
3. यदि आरबीआई लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति के लक्ष्य का उल्लंघन करता है तो उसे केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी।
सही कथन चुनें
a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) केवल 2

Q.50) 'निदान पोर्टल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों का अपनी तरह का पहला डेटाबेस है।
2. निदान प्लेटफॉर्म ICJS और ई-जेल (e-Prisons) रिपोजिटरी से अपना डेटा प्राप्त करता है।
गलत कथन चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.51) संयुक्त समुद्री बलों (CMF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. CMF दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-राष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है।
2. CMF समूह की कमान यू.के. नौसेना के वाइस एडमिरल के पास होती है।
सही कथन चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.52) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाते हैं।

2. ये बांड केवल निवासी व्यक्तियों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं।
3. स्वर्ण बांड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार कर योग्य होता है।
4. बांडों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
गलत कथन चुनें:

a) 2 और 3
b) 2, 3 और 4
c) 2 और 4
d) 3 और 4

Q.53) लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया गया था?
1. भारतीय आधिकारिक गोपनीयता संशोधन अधिनियम, 1904
2. कलकत्ता नगर संशोधन अधिनियम
3. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904
सही कोड चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.54) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. 'जल जीवन मिशन 2024' तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
2. पानी समितियां (Paani Samitis) ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाएं और उन्हें लागू करें।
3. पानी समितियों (Paani Samitis) द्वारा तैयार की गई योजना को लागू करने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाना है।
सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) केवल 2
d) 1, 2 और 3

Q.55) प्रति और पॉलीफ्लोराइकल पदार्थ (PFAs) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. PFA मानव निर्मित रसायन हैं जिनका उपयोग ऐसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है जो तेल, पानी और तेल के विरोधी होते हैं।
2. वातावरण, वर्षा जल और मिट्टी में लंबे समय तक रहने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें "हमेशा के लिए रसायन" कहा जाता है।
सही कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56) 'मिथिला मखाना' को हाल ही में भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया। मिथिला मखाना की खेती भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है?

a) ओडिशा
b) मध्य प्रदेश
c) बिहार
d) राजस्थान

Q.57) अपूरणीय टोकन (Non Fungible Tokens) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. ये ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित हैं।
2. NFT में एक समय में केवल एक ही मालिक हो सकता है।
3. NFT परस्पर विनिमेय नहीं होता हैं।
गलत कथन चुनें

a) केवल 2
b) केवल 3
c) 2 और 3
d) इनमें से कोई नहीं

Q.58) प्रसिद्ध मंडला कला के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. माना जाता है कि इसकी जड़ें बौद्ध धर्म में हैं।
2. सोहन कादरी और प्रफुल्ल मोहंती ने मंडल कला से जुड़े अपने कार्यों के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की।
3. हिंदू धर्म में, मंडल इमेजरी पहली बार यजुर्वेद में दिखाई पड़ी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.59) भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. CBDC एक फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ एक-से-एक विनिमय योग्य है।
2. ब्लॉकचैन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके CBDC का लेन-देन किया जा सकता है।
गलत कथन चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.60) राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. NAFIS परियोजना अपराध- और आपराधिक-संबंधित उंगलियों के निशान का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है।

2. NAFIS को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया था।
3. NAFIS अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 15-अंकीय राष्ट्रीय फ़िंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करता है।
गलत कथन चुनें

a) केवल 2
b) केवल 3
c) 2 और 3
d) इनमें से कोई नहीं

Q.61) निम्नलिखित में से किस समूह में सभी चार देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का हिस्सा हैं?

a) तुर्की, भारत, रूस और यमन
b) भारत, यूक्रेन, बेलारूस और मिस्र
c) रूस, ईरान, पाकिस्तान और भारत
d) भारत, रूस, अजरबैजान और कजाकिस्तान

Q.62) ग्रेट रेड स्पॉट-ऑन बृहस्पति है एक

a) उच्च दबाव क्षेत्र जो दक्षिणावर्त घूमता है
b) कम दबाव वाला क्षेत्र जो दक्षिणावर्त घूमता है
c) उच्च दबाव क्षेत्र जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है
d) कम दबाव वाला क्षेत्र जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है

Q.63) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. नेबुलर गैस (SING) की स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच अध्ययन अवरक्त विकिरण से संबंधित है।
2. SING परियोजना भारत और चीन को शामिल करने वाला पहला अंतरिक्ष-सहयोग होगा
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.64) वह ग़दर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, पेरिस में भीकाजी कामा के पास पहुँचे, और रूस में व्लादिमीर लेनिन से मिले और भारतीय कारण के लिए समर्थन मांगा। वह बाला गंगाधर तिलकंद से प्रेरित थे, जो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रबल प्रशंसक थे।
वह था?

a) अरबिंदो घोष
b) पांडुरंग खानखोजे
c) बिपिन चंद्र पाल
d) मोतीलाल नेहरू

Q.65) प्रति और पॉलीफ्लुओरोकेलिक पदार्थ (PFA), प्रजनन क्षमता में कमी, बच्चों में विकासात्मक प्रभाव, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि और कुछ कैंसर के बढ़ते खतरे के कारण, निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण प्रदूषक के रूप में उत्पन्न होते हैं?
1. नॉन-स्टिक कुकवेयर बनाना
2. वस्त्र उद्योग
3. कॉस्मेटिक उद्योग
4. कागज उद्योग
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 1, 2 और 4
c) केवल 2, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.66) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

बंदरगाह	**और देश**
1. क़िंगदाओ	- दक्षिण
2. चाबहार	- ईरान
3. शेन्ज़ेन	- चीन
4. जेबेल अली	-यूएई

ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं/हैं?

a) केवल एक जोड़ा
b) केवल दो जोड़े
c) केवल तीन जोड़े
d) सभी चारों जोड़े

Q.67) नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से लगती है?
1. पश्चिम बंगाल
2. असम
3. बिहार
4. हिमाचल प्रदेश
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2 और 4

Q.68) भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मनुस्मृति ने सभी महिलाओं को शूद्रों के रूप में वर्गीकृत किया है।
2. पाठ को विष्णु की पौराणिक आकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
3. यह अर्थशास्त्र के पहलुओं पर चर्चा करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3

c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.69) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2633 का अक्सर किस संदर्भ में समाचारों में उल्लेख किया जाता है?
a) मध्य-पूर्व में स्थिति
b) सूडान और दक्षिण सूडान पर महासचिव की रिपोर्ट
c) अफगानिस्तान में स्थिति
d) यूक्रेन पर आपातकालीन विशेष सत्र

Q.70) निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें:
जलविद्युत परियोजना और नदियाँ
1. विष्णुगढ़ पीपलकोटि - भागीरथी
2. भाखड़ा नंगल - सतलुज
3. बाणसागर - सोन
4. बालीमेला - इंद्रावती
ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं/हैं?
a) केवल एक जोड़ा
b) केवल दो जोड़े
c) केवल तीन जोड़े
d) सभी चारों जोड़े

Q.71) हाल ही में खबरों में रहा 'विझिंजम समुद्री बंदरगाह (Vizhinjam sea port)' कहाँ है?
a) त्रिवेंद्रम, केरल
b) तूतीकोरिन, तमिलनाडु
c) कोचीन, केरल
d) मैंगलोर, कर्नाटक

Q.72) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. वनों को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची III में शामिल किया गया है।
2. वन संरक्षण (FC) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए केंद्रीय मंजूरी आवश्यक है।
गलत कथन चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.73) सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विसेज (SaaS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. यह एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें सेवाओं को क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है।
2. अंतिम उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं तक पहुँचने के लिए अपने उपकरणों पर कोई सॉफ़्टवेयर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।
गलत कथन चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.74) निम्नलिखित में से कौन 'अर्थ गंगा' का ऊर्ध्वाधर है/हैं
1. मुद्रीकरण और कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग
2. शून्य बजट प्राकृतिक कृषि
3. स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत निर्माण को बढ़ावा देना
4. आजीविका सृजन के अवसर
सही कोड चुनें:
a) 1, 3 और 4
b) 2 और 4
c) 1, 2 और 3
d) 1, 2, 3 और 4

Q.75) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

द्वीप और स्थान

1. पैरासेल द्वीप समूह - पूर्वी चीन सागर
2. कुरील द्वीप समूह - उत्तरी प्रशांत महासागर
3. फ़ॉकलैंड द्वीप समूह - दक्षिण अटलांटिक महासागर
4. सेनकाकू द्वीप समूह - हिंद महासागर
ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं/हैं?
a) केवल एक जोड़ा
b) केवल दो जोड़े
c) केवल तीन जोड़े
d) केवल चारों जोड़े

Q.76) निम्नलिखित देशों पर विचार करें:
1. यूएई
2. पाकिस्तान
3. चीन
4. भारत
5. इज़राइल
उपरोक्त में से कौन परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty-NPT) के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं?
a) केवल 1, 2 और 5
b) केवल 1, 3 और 5
c) केवल 2, 4 और 5
d) केवल 1, 2, 3 और 5

Q.77) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. लघु सेल कम शक्ति वाले रेडियो एक्सेस नोड होते हैं जिनकी कवरेज रेंज कुछ मीटर से लेकर कुछ सौ मीटर तक होती है।
2. वे पोर्टेबल और तैनात करने में आसान हैं।
3. पिछली पीढ़ी जैसे 4G के विपरीत 5G को लागू करने के लिए छोटे प्रकोष्ठों की स्थापना आवश्यक है।
गलत कथन चुनें
a) केवल 1

b) केवल 2
c) 2 और 3
d) इनमें से कोई नहीं

Q.78) निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करें

1. गलवान घाटी
2. दौलत बेग ओल्डी (Daulat Beg Oldi)
3. पैंगोंग झील
4. चुमड़ (Chumar)
5. डेमचोक (Demchok)

सही कोड चुनें:

a) 2-1-3-4-5
b) 1-2-4-3-5
c) 2-1-4-5-3
d) 1-2-3-5-4

Q.79) DNTs (SEED) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना, की एक पहल है?

a) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED)
b) जनजातीय कार्य मंत्रालय
c) नीति आयोग
d) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

Q.80) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक सामान्य वर्ष में, प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक हवाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर दृढ़ता से चलती हैं।
2. अल नीनो के परिणामस्वरूप मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र का ताप बढ़ जाता है।
3. अल नीनो के वर्षों में हमेशा भारत में सूखा पड़ा है।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) केवल 2
d) 1, 2 और 3

Q.81) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम की घटनाओं के बाद बनाई गई थी।
2. IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रतिवर्ष रिपोर्ट करता है।
3. वर्ष 2005 में, इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

गलत कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3

KEY ANSWERS

1	**D**	**31**	**C**	**61**	**D**
2	**D**	**32**	**B**	**62**	**C**
3	**D**	**33**	**B**	**63**	**B**
4	**B**	**34**	**A**	**64**	**B**
5	**C**	**35**	**C**	**65**	**D**
6	**C**	**36**	**D**	**66**	**C**
7	**C**	**37**	**C**	**67**	**C**
8	**C**	**38**	**B**	**68**	**B**
9	**D**	**39**	**C**	**69**	**D**
10	**B**	**40**	**C**	**70**	**B**
11	**B**	**41**	**C**	**71**	**A**
12	**A**	**42**	**C**	**72**	**D**
13	**C**	**43**	**D**	**73**	**D**

14	A	44	A	74	D
15	D	45	D	75	B
16	C	46	D	76	C
17	D	47	D	77	D
18	D	48	C	78	A
19	D	49	B	79	D
20	D	50	D	80	B
21	D	51	A	81	A
22	D	52	C		
23	A	53	D		
24	C	54	D		
25	A	55	C		
26	C	56	C		
27	C	57	D		
28	C	58	B		
29	D	59	D		
30	B	60	C		

IAS BABA

UPSC 2023

TLP CONNECT

Integrated Prelims cum Mains Test Series

ONLINE & OFFLINE

Features

- 69 Prelims Tests
- 68 Mains Tests
- 1:1 Mentorship
- Discussion classes after Every Mains Test (Online)
- Babapedia (For Current Affairs)
- Approach Paper, Enriched Synopsis & Ranking

Batch 3

ADMISSIONS OPEN

Scan Here

To Know more

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888